खण्ड-234, अंक-3
गुरूवार, 22 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(13 सितम्बर, 1962 ई0)

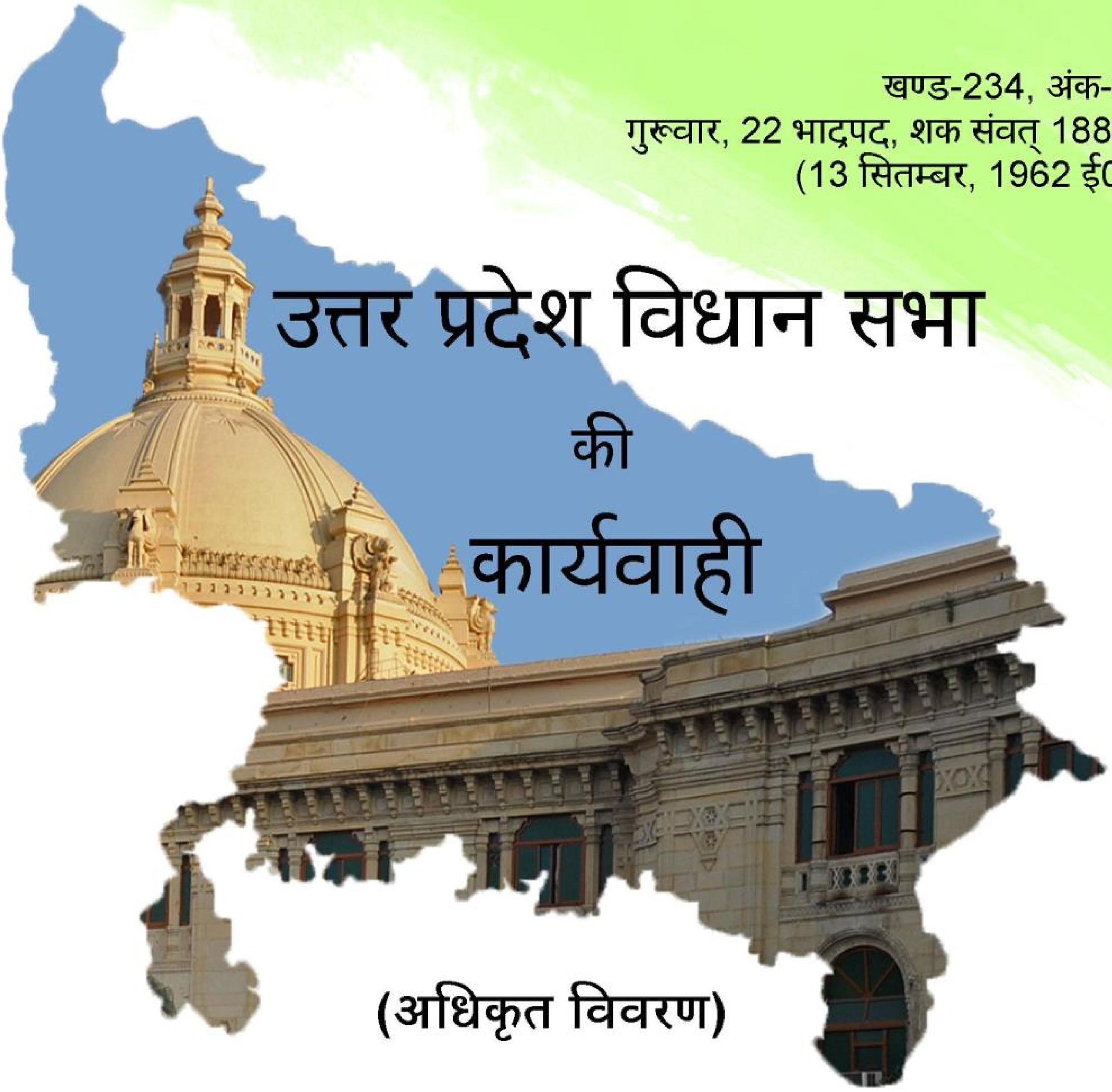

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 234 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२३५–२३९
प्रश्नोत्तर	२३९–३११
उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२ (उपस्थापित किया गया)	३११
उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२ (उपस्थापित किया गया)	३११
विधान भवन के फाटक बन्द होने के कारण सदस्यों के अन्दर आने में रुकावट के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (निर्णय स्थगित)	३११–३४१
कानपुर शहर में कोयले की कमी से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	३४२
उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक और विश्वविद्यालय अनुदान समितियों तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट और उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल के नाम-निर्देशित सदस्यों के नामों की सूचना	३४३–३४५
प्रदेश की बाढ़-स्थिति पर विवाद (जारी)	३४५–३७७
नत्थियां	३७८–४२४

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १३ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के १० बज कर ३० मिनट पर अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन सिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती,
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्ननगुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर,श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश,श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह,श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह ब्रिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास ,श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास,श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगल प्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी,श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाँडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पाँडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाँडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री

शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगन चन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १३ सितम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

औरंगाबाद के निकट कत्ल

**१—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ दिन पूर्व बंगला बाजार, थाना कृष्ण नगर, जिला लखनऊ के एक निवासी का कत्ल नौरंगाबाद निकटवर्तीय ग्राम में हो गया ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हां । कत्ल औरंगाबाद ग्राम के समीप हुआ ।

**२—श्री भगवानसहाय (अनुपस्थित)—क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद, थाना कृष्णनगर के कुछ परिवार गांव वालों के आतंक के कारण अपना घरबार छोड़ कर लखनऊ आ गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

**३—श्री भगवानसहाय (अनुपस्थित)—क्या यह बात सही है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इन परिवारों के मकान लूट लिये गये ? यदि हां, तो सरकार ने इन परिवारों की जान व माल के लिये क्या कदम उठाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। प्रश्न का द्वितीय भाग नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

शमशाबाद—फतिहाबाद कच्ची सड़क

*१—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या विकास मंत्री उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिसकी वजह से आगरा जिले की शमशाबाद से फतिहाबाद की कच्ची सड़क को पक्की नहीं कराया गया ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—यह सड़क अन्तरिम जिला परिषद् आगरा की है। धनाभाव के कारण परिषद् इसको बनवाने में असमर्थ है।

*२—श्री बनवारीलाल विप्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क पर प्रति वर्ष ठीक कराने के लिये कितना खर्च होता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—परिषद् ने गत वर्ष ६९० पया और इससे पूर्व लगभग १५० रुपया प्रति वर्ष इस सड़क की मरम्मत पर खर्च किया।

अलीगढ़—गोंडा थाना सड़क पक्की करने की आवश्यकता

*३—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में, अलीगढ़ से गोंडा थाने को जाने वाली सड़क को तृतीय आयोजना के अन्तर्गत पक्की कराने की योजना उसके विचाराधीन है ? क्या यह सड़क अलीगढ़ से ४ मील फगोई गांव तक पक्की हो चुकी है और शेष १४ मील के लगभग कच्ची ही पड़ी है, ऐसा क्यों है जब कि इस सड़क को पक्का बनाने के लिये क्षेत्र की जनता वर्षों से मांग कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह सड़क अन्तरिम जिला परिषद् अलीगढ़ की है और इसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह सड़क अलीगढ़ कंगाइ के निकट २ मील ४ फर्लांग तक पक्की है और ८ मील ६ फर्लांग तक अभी कच्ची है। धनाभाव के कारण परिषद् इसको पक्की करवाने में असमर्थ है।

जैतपुर ब्लाक में ग्राम सेवक का भुगतान न होना व नदी गांव ब्लाक में बी० डी० ओ० का दौरा

*४—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन विभाग में वेतन, भत्ते और सिक्योरिटी समय के अन्दर भुगतान नहीं होते हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—केवल ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर जिनसे सरकारी धन अथवा सामान प्राप्त करना शेष रह जाता है, सभी के वेतन भत्ते तथा सिक्योरिटी नियमानुसार भुगतान कर दिये जाते हैं।

*५—श्री विजयसिंह—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले में जैतपुर ब्लाक में श्री हरि चरण सिंह ग्राम सेवक को सिक्योरिटी व भत्ता व इंक्रीमेन्ट अब तक नहीं दिया गया है जब कि वह १४ मई, १९६१ को ही कार्य भार से मुक्त हो चुके हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जी हां। भुगतान नहीं किया जा सका।

*६—श्री विजयसिंह—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में नदीगांव ब्लाक के बी० डी० ओ० तथा अन्य अधिकारियों ने ग्राम भेंड़ में १९६०–६१में कितना कार्य कराया तथा कब-कब दौरा किया या निरीक्षण किया और वहां जाने का कितना भत्ता बनाया ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—सन् १९६०–६१ में विकास क्षेत्र नदीगांव (जालौन) के ग्राम सेवक तितरा खलीलपुर ने १९–१–१९६१, २०–१–१९६१, १३–२–१९६१, १६–२–१९६१, १७–२–१९६१, २२–२–१९६१, २३–२–१९६१, २८–२–१९६१, १०–३–१९६१, तथा २५–३–१९६१ को ग्राम भेंड़ में दौरा किया और ९ रात्रि विश्राम किये। ग्राम सेवक ने उपरोक्त तिथियों में सभा की और ग्रामवासियों से कपास की खेती तथा सोख्ता बनाने के सम्बन्ध में बातें कीं। बाल बचत एवं अल्प बचत योजना में रुपया जमा करने हेतु गांव वालों से कहा तथा ३६७ रुपये पंचायत टैक्स वसूल किया। उपरोक्त दौरे का निश्चित भत्ते के अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं दिया गया।

श्री विजयसिंह—श्रीमन्, प्रश्न यह था कि ब्लाक के बी० डी० ओ० तथा अन्य अधिकारियों ने कितना दौरा किया ? बी० डी० ओ० ने कितना दौरा किया यह इसमें नहीं है और यह उत्तर भी अभी एक ही मिनट पहले मिला है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—बी० डी० ओ० ने जो दौरा किया है उसकी तारीखें बता दी गई हैं और ९ दिन रात्रि वह रहे हैं। २१, २२, २३ और २४ को उन्होंने दौरा किया है, उसमें उसका भी विवरण है।

श्री विजयसिंह—माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नदी गांव ब्लाक को खुले कितने दिन हो गए हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—यह क्षेत्र १ अक्तूबर सन्, १९६० को खोला गया था।

श्री विजयसिंह—१९६० से ६१ तक एक वर्ष में उन्होंने कभी भी दौरा नहीं किया, मेरी इस बात की सूचना मान कर, वह इसकी पुनः जांच करायेंगे ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—यदि माननीय सदस्य लिख कर भेज देंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष—वाशिष्ठ जी, जरा धीरे बोलिये तो लोग समझ लें। आप बहुत तेज बोल रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—सम्बन्धित बी० डी० ओ० ने जो दौरा किया उसमें रात्रि-हाल्ट कितने किये ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—९ रात्रि।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिचरण, ग्राम सेवक, की सिक्योरिटी और इन्क्रीमेंट व भत्ता अब तक न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—उनका वेतन और भत्ता वगैरह न देने का कारण यह था कि उनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही थी और जब तक कि वह इन्क्वायरी समाप्त न हो जाय तब तक के लिए वेतन आदि का रुपया रोक दिया गया था। अब जांच समाप्त हो गई है और आज्ञा दे दी गई है कि रुपया भुगतान कर दिया जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—नाइट हाल्ट के मतलब क्या हैं ? अगर वह बी० डी० ओ० गांव में जा कर के आठ नौ बजे रात्रि तक रहे और खाना खाकर अपने हेडक्वार्टर पर लौट आये तो उसको नाइट हाल्ट मानते हैं या नहीं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—उसको नाइट हाल्ट नहीं मानते हैं। साथ ही साथ यह भी है कि जब कहीं नाइट हाल्ट होता है तो यह भी होता है कि वह अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों का प्रचार वहां करें।

श्री विजयसिंह—श्री हरि चरणसिंह, ग्रामसेवक के खिलाफ क्या इन्क्वायरी थी तथा किन-किन बातों की जांच हुई और उसका क्या प्रतिफल हुआ ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—ग्राम सेवक जिनके खिलाफ जांच हो रही थी और जो ससपेंड हो गये थे, उनकी जांच पूरी हो गई और उनको नियुक्त कर दिया या सरकार उनको नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इस सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मैनेजरसिंह—क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि एक बी० डी० ओ० के लिये एक वर्ष में कितने नाइट हाल्ट करने चाहिये ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—१० दिन तक नाइट हाल्ट कर सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसा भी सर्कुलर है सरकार की तरफ से कि एक बी० डी० ओ० इतने ही मील चल सकता है और उसको इतने मील चलने के बाद एलाउन्स नहीं दिया जायगा ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—नियमानुसार उनके लिये अपने क्षेत्र में ९ दिन निवास तक का ही सर्कुलर है क्योंकि उनको दूसरे काम भी रहते हैं जिन्हें वे करते हैं। इसलिये ९ दिन की अवधि इस कार्य के लिये रखी गयी है।

बी० डी० ओज० और ए० डी० ओज० में हरिजन

*७—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रान्त भर में कितने बी० डी० ओ० और कितने ए० डी० ओ० हैं तथा उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इस समय प्रदेश में बी० डी० ओ० की संख्या ७८२ है जिनमें ६१ हरिजन हैं। ए० डी० ओ० (पंचायत एवं समाज शिक्षा) व ए० डी० ओ० (कृषि) को छोड़कर ए० डी० ओ० की संख्या १,८८४ है जिनमें ४५ हरिजन हैं।

ए०डी०ओ० (पंचायत एवं समाज शिक्षा) व ए० डी० ओ० (कृषि) के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८—श्री सोहनलाल धुसिया—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रान्त भर में कुल कितने ब्लाक्स हैं, इन ब्लाक्स में कितने क्लर्क्स और चपरासी काम कर रहे हैं तथा इनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इस समय प्रदेश में ब्लाक्स की संख्या ७८४ है। ब्लाक्स में २,६६७ क्लर्क्स और ३,२५४ चपरासी काम कर रहे हैं जिनमें क्रमशः १२२ क्लर्क्स व ५६५ चपरासी हरिजन हैं।

श्री सोहनलाल धुसिया—नम्बर जितने बतलाये गये हैं उस लिहाज से बी० डी० ओ० के लिये ७९, ए० डी० ओ० के लिये ३०० और क्लर्की के लिये ३५० ऐसी जगहें हैं जिन पर शिड्यूल्ड कास्ट और होने चाहिये थे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमी का क्या कारण है?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—एक प्रश्न ऐसा पहले भी आया था। इन पदों के लिये जितनी योग्यता की आवश्यकता होती है उतनी योग्यता के हरिजनों में से लोग नहीं मिलते हैं लेकिन जहां तक चपरासियों की संख्या का सम्बन्ध है वह करीब-करीब पूरी हो रही है।

श्री सोहनलाल धुसिया—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जवाब सुनकर दुख है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेहरबानी करके कम से कम वह यह बतलायें कि क्या ऐसी रिक्वीजिट क्वालिफिकेशन होनी चाहिये जब कि पढ़े लिखे लोग शिड्यूल्ड कास्ट के बेकार पड़े हैं और उनको नहीं मिलते हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सर्विसेज के लिये अलग-अलग क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब्ड हैं। बी० डी० ओ० के लिये और ए० डी० ओ० के लिये अलग-अलग क्वालिफिकेशन्स हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि विकास खंड ७८४ हैं और उनमें बी० डी० ओ० ७४२ हैं, तो यह जो ४२ खाली पड़े हैं उनमें प्रशासन का काम किस तरह से चलता है?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—कुछ शैडो ब्लाक्स हैं जहां पंचायत इन्सपेक्टर रहते हैं उनकी वजह से यह अन्तर है।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बी०डी०ओ० और ए० डी० ओ० की जो क्वालिफिकेशन्स हैं, उसके मुताबिक पूरी दरख्वास्तें शिड्यूल्ड कास्ट की आयीं या नहीं?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इसमें ७८२ क्षेत्र विकास अधिकारी काम कर रहे हैं जिनमें ४९० लोक सेवा आयोग से अनुमोदित हैं और बाकी स्थानापन्न हैं। २५२ जो स्थानापन्न हैं उनमें ५ स्थान हरिजनों के लिये हैं। चूंकि योग्यता में वे पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं आ सके इसलिये वे अधिक संख्या में नहीं आ सके।

श्री सोहनलाल धुसिया—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नार्मल सेक्शन में हरिजनों को क्यों नहीं जगह मिली? यह कैसे संभव है कि हरिजन मिले न हों, प्रश्न यह है कि वे क्यों नहीं लिये जाते हैं?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जो एप्लीकेशन्स दी जाती हैं उनका पूरा खयाल रखा जाता है ताकि वे १८ प्रतिशत तक अधिक से अधिक लिये जा सकें। लेकिन उस क्वालिफिकेशन के लोग नहीं मिले इसीलिये संख्या नहीं पूरी हुई।

मथुरा जिला विकास खंड में जीपें

*९—**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)—क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा के विकास खण्डों के लिये कितनी जीपें दी गई हैं?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जिला मथुरा में ८ जीपें आठ विकास खंडों को दी गयी हैं।

*१०—श्री लखीसिंह—क्या विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिला विकास खंड नन्दगांव व चौमुहां पर पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन-किन गांवों में विकास कार्य हुआ और इसमें कितना व्यय हुआ ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय सदस्य वांछित सूचना विकास मन्त्री जी क कार्यालय में देख सकते हैं।

*११—श्री लखीसिंह—क्या यह सत्य है कि विकास खंड छाता व चौमुहां को कार्य करने के लिये जीपें नहीं दी गयीं ? यदि हां, तो क्यों, और छाता विकास खंड को अभी तक अन्य विकास खंडों को देखते हुए कोई साधन प्राप्त नहीं हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जी हां, विकास खंड छाता व चौमुहां अभी पूर्व प्रसार सेवा काल में हैं और जीप गाड़ियां खंड के प्रथम प्रकरण काल के प्रारम्भ होने पर ही दी जाती हैं।

श्री लखीसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो ८ जीप कारें दी गई हैं, यह किन-किन विकास खंडों को दी गई हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—मथुरा में १२ विकास खंड हैं जिसमें ८ को जीप कारें दी गई हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं :—

फरेहा, मथुरा, गोवर्धन, नवझील, राया, नन्दगांव, करसंधा, और बलदेव।

श्री लखीसिंह—क्या मन्त्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो प्रश्न १० का उत्तर है कि विकास मन्त्री जी के कार्यालय से हम उसे देख सकते हैं, यही प्रश्न तो है जो बताने लायक है। मैंने यह पूछा है कि क्या यह सत्य है कि विकास मन्त्री बतायेंगे कि जिला विकास खंड नन्दगांव में (पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में) किन-किन गांवों में विकास कार्य हुआ और उसमें कितना व्यय हुआ ?

श्री अध्यक्ष—बहुत से गांव होंगे और अलग-अलग उनके खर्चे होंगे। इस वजह से मन्त्री जी ने कहा कि आप कृपा करके उनके यहां जाकर देख लें। फिर उसके बाद आपको यह अधिकार होगा कि आप उनको देखकर और प्रश्न कर लें। यही मतलब है।

श्री मैनेजरसिंह—इन-इन विकास खंडों, जैसे छाता और चौमुहाँ, उनको कब तक जीपें दी जायेंगी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—प्रथम सोपान जब आरम्भ होगा उसमें दे दी जायेंगी।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात की जानकारी सरकार को है कि कहाँ-कहाँ अन्न उत्पादन की योजना प्रतिवर्ष बनायी जाती है ? अगर नहीं है तो क्या यह भी बताना संभव नहीं है कि जिन गाँवों का माननीय लखी सिंह ने जिक्र किया है उनमें अन्न उत्पादन की योजना क्या बनायी गयी और क्या नतीजा हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसके लिये नोटिस चाहूंगी, लेकिन लखी सिंह जी ने जो इन्फार्मेशन माँगी थी वह ८ क्लोजली रिटिन फुलस्केप कागजों में है कि हर गाँव में कितना खर्चा किया है, वह चाहें तो आकर देख सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या इस बात की सूचना है कि कुल कितने गांवों में योजना द्वारा विकास हुआ है ? टोटल जानना चाहता हूं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—४४ गाँवों में कार्य हुआ है और जो काम हुए हैं उनमें कुयें बनाना, बीज गोदाम, हैंड-पम्प लगाना, खड़ंजा, सड़क बनाना, नाली, कृषि यन्त्र इत्यादि हैं। दूसरे सोपान में अनेक कार्य हैं जैसे—रहट लगाना, पम्पसेट, बोरिंग, सिंचाई के पक्के कुएं इत्यादि हैं। जो रुपया खर्च हुआ है, वह प्रथम भाग में ९,८७,२४६ रुपया और दूसरे में १,३१,००० रुपया हुआ है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—जो विवरण उनके पास है, यदि वह गोपनीय नहीं है तो क्या हम माननीय सदस्यों को भी दिखाने की कृपा करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बिलकुल आप लोगों को छूट है, आकर देख सकते हैं, इसमें बहुत से गाँवों का विवरण है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—जो जीपें दी गयी हैं वह कितने में खरीदी गयीं, उनमें से कितनी काम कर रही हैं और कितनी इस समय मरम्मत तलब हैं?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इस वक्त ८ जीपें दी गयी हैं, वह काम कर रही हैं। जहाँ तक उनके मूल्य का सम्बन्ध है उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

*१२–१४—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[१९ सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ४–६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मुरादाबाद में स्टेनलेस स्टील शीट के कोटे का अनियमित वितरण

*१५—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वर्तमान डेवलपमेंट आफिसर (स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज) कानपुर में कितने समय से नियुक्त हैं? क्या उनकी नियुक्ति को चार वर्ष से अधिक हो चुके हैं? यदि हाँ, तो उनका ट्रान्फर क्यों नहीं किया गया?

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—डेवलपमेंट आफिसर (स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज) का कोई पद सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है। डेवलपमेंट आफिसर (स्माल इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज) का पद सरकार द्वारा स्वीकृत है जो स्थायी है। वर्तमान डेवलपमेंट आफिसर (स्माल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज) इस पदपर १–१०–१९५७ से कार्य कर रहे हैं तथा अपने पद पर स्थायी हैं। यह अधिकारी विशेष प्रावैधिक योग्यता रखते हैं। इस योग्यता का अन्य कोई अधिकारी इस विभाग में नहीं है जिसे यह कार्य भार सौंपा जाता। अतः इनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

*१६—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार यह बतायेगी कि मुरादाबाद के लिये सन् १९६१ में बारलटर एलाटमेंट का स्टेनलेस स्टील शीट का कोटा कितना आया था और उसका वितरण किस प्रकार किया गया? क्या यह सही है कि पूरा कोटा केवल एक कारखानेदार मित्थल रोलिंग मिल को दे दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री वीरसेन—स्टेनलेस स्टील का कोटा बर्तन बनाने के लिये मुरादाबाद जिले के लिये अलग से नहीं आया था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बर्तन उद्योगों के लिये अप्रैल, सितम्बर, १९६१ में १५ टन कोटा आया था। उनका वितरण केवल उन्हीं इकाइयों के लिये किया गया था, जिनको पहले भी बर्तन बनाने के लिये स्टेनलेस स्टील शीट्स के लिये एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट्स दिये गये थे। यह सही नहीं है कि पूर्ण कोटा केवल मित्थल रोलिंग मिल को दिया गया। इस मिल को १४ टन का कोटा दिया गया।

*१७—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार यह बतायेगी कि डेवलपमेंट आफिसर (स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज), कानपुर ने स्टेनलेस स्टील शीट के कितने रुपये के एसेन्शियलिटी सार्टिफिकेट्स (Essentiality Certificates) अप्रैल, सन् १९६१ से सितम्बर, १९६१ तक किस-किस के नाम जारी किये?

श्री वीरसेन—स्टेनलेस स्टील शीट के एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट्स अप्रैल–सितम्बर, १९६१ तक १४ संस्थाओं को दिये जिनका योग २,२४,८१९ रु० है। इनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७८ पर)

श्री शराफत हुसैन रिजवी—यह जो डेवलपमेंट आफिसर (स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज), कानपुर हैं क्या उनके खिलाफ मुरादाबाद जिले से, मुरादाबाद शहर से और अन्य स्थानों से इस बात की शिकायतें मिली हैं कि ये रिश्वत लेकर कोटा गलत तरीके से तकसीम करते हैं?

श्री वीरसेन—इस प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—प्रश्न के उत्तर में पूरे सूबे के लिये १५ टन का कोटा बताया गया है। उसमें से १४ टन मुरादाबाद के एक कारखानेदार मित्थल रोलिंग मिल को दे दिया गया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इसका कारण बताने की कृपा करेंगे कि यह १४ टन उसको ही क्यों दे दिया गया?

श्री वीरसेन—इसका जवाब तो दिया जा चुका है प्रश्न के उत्तर में।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—जब १५ संस्थायें ऐसी हैं जिनको एसेन्शियलिटी सार्टिफिकेट्स दिये गये हैं तो क्या कारण है कि एक ही संस्था को १४ टन का कोटा दिया गया?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—जो कोटा हमको बाँटने के लिये मिलता है वह १५ टन है। सन् ६० से पहले लोग उसको सीधे मंगाते थे और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद एक्सचेंज की दिक्कत हुई। अब यह हुआ कि वह कोटा हमारे पास आ जाता है और हम उसको बाँटते हैं। इसके बाँटने के तरीकों में हम कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसके लिये हमने अब प्रायोरिटी फिक्स कर दी है। उसके अनुसार ही बाँटेंगे।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २ लाख कुछ हजार के रिक्वरी सार्टिफिकेट्स बाँटे गये उनमें मित्थल रोलिंग मिल को कितने के दिये गये?

श्री वीरसेन—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—अध्यक्ष महोदय, ३ महीने के बाद आज सवालों का जवाब दिया जा रहा है और आज भी कहा यह जा रहा है कि नोटिस चाहिये। एक भी सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं मिला है....

श्री अध्यक्ष—आपका सवाल क्या था?

श्री शराफत हुसैन रिजवी—मैंने यह पूछा था कि २ लाख २४ हजार के जो सार्टिफिकेट बाँटे गये उनमें से मित्थल रोलिंग मिल को कितने के दिये गये?

श्री फूलसिंह—यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट बाँटती है, हम तो केवल रिकमेन्ड करते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यदि वर्तमान डेवलपमट आफिसर (स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज) की योग्यता के दूसरे व्यक्ति नहीं हैं तो उनको क्या छूट दी गयी है कि वे जिस तरह से काम करना चाहें या करप्शन करना चाहें वह करते रहें?

श्री फूलसिंह—मैं निवेदन कर दूं। थोड़ा सा धैर्य रखिये। मैं इन सब चीजों को देख रहा हूं और कुछ ही दिनों में यह तकलीफें रफा हो जायेंगी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—स्टेनलेस स्टील की डिमाण्ड ज्यादा है और वह कोटे के अनुसार मिल रहा है और उसका वितरण भी प्रायोरिटी के हिसाब से होता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह कोटे का मामला कब तक तय हो जायेगा और यह कमी पूरी हो जायेगी ?

श्री फूलसिंह—यह मामला कब तक तय होगा, यह कहना तो मुश्किल है। हमको जो कोटा मिलता है वह हम बाँट देते हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जाँच करायेंगे कि जो कोटा दिया गया है वह मुरादाबाद तक नहीं आया बल्कि बम्बई में ही बेच दिया गया ?

श्री फूलसिंह—जो जवाब मैंने दिया है वह बहुत काफी है। आप कुछ दिन धैर्य तो रखिये।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कोटा किस आधार पर वितरित किया जाता है ?

श्री फूलसिंह—पहले जो आधार था उसको छोड़ कर अब मैं नये आधार बनाने जा रहा हूं और उसमें यह है कि कोटा का आधार उस इंडस्ट्री की उपयोगिता के अनुसार होना चाहिये। जो एसेन्शियल गुड्स बनाते हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिये और जो लग्जरीज गुड्स बनाते हैं उनको बाद को प्रायोरिटी मिलनी चाहिये।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मित्थल रोलिंग मिल अपने कोटे से क्या उद्योग करती है ?

श्री फूलसिंह—३, ४ महीने से मैं तमाम प्रदेश में छानबीन करा रहा हूं। अगर उसे बहुत गहरा कुरेदा जायगा तो सिवाय इसके कि समय नष्ट हो, कोई फायदा नहीं होगा। हम यह चाहते हैं कि जितनी चीज आवे उसका सही इस्तेमाल हो जाय। पिछली गलतियों को कुरेदने में, मुमकिन है कि हम ज्यादा उलझ जावें।

लखीमपुर जिले में औद्योगिक आस्थान

*१८—**श्री तेजनारायण त्रिवेदी** (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर नगर में अरबन इंडस्ट्रियल स्टेट का प्रारम्भ किस समय से होगा, इसके अन्तर्गत कौन-कौन से कारखाने मुख्यतः संचालित किये जायेंगे तथा किस आधार पर लोगों की दरख्वास्तें उक्त कारखाना खोले जाने के लिये मंजूर की जावेंगी ?

श्री वीरसेन—लखीमपुर में औद्योगिक आस्थान के लिये विकसित स्थल (Developed site) तैयार हो जाने की अवधि को अभी निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है तथा इसमें संचालित किये जाने वाले कारखानों के सम्बन्ध में सरकार की सुनियोजित योजना नहीं है। लघु उद्योगों का चुनाव उद्योगपति स्वयं करेंगे और वह लघु उद्योग जिनका भविष्य उज्ज्वल है तथा जिनके बने हुये माल की निकटवर्ती बाजार में खपत की सम्भावना है, चलाये जा सकते हैं जिनमें से कुछ के नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं। विकसित भूमि उन उत्साही औद्योगिकों को जो नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अपने कारखाने बनावेंगे। साधारण किश्तों पर दी जायेगी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७९ पर)

*१९—**श्री तेजनारायण त्रिवेदी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में रूरल इंडस्ट्रियल स्टेट का प्रारम्भ किस समय से होगा ? इस स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन से कारखाने मुख्यतः संचालित किये जावेंगे ? सरकार इन कारखानों को किस आधार पर चलायेगी ?

श्री वीरसेन—अमुक ग्रामीण औद्योगिक आस्थान के स्थापित हो जाने की तिथि को अभी निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है तथा इसमें चलाये जाने वाले लघु उद्योगों के संबन्ध में भी सरकार की कोई सुनियोजित योजना नहीं है। संलग्न सूची के अनुसार उपरोक्त आस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले लघु उद्योग संचालित किये जा सकते हैं जिनका उद्योगपति स्वयं चुनाव करेंगे। इस आस्थान के कारखानों को सरकार स्वयं नहीं चलायेगी वरन् उक्त कारखानों को मासिक किराये पर उद्योगपतियों तथा औद्योगिक संस्थाओं को दे दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७९ पर)

श्री तेजनारायण त्रिवेदी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि जब लखीमपुर नगर में लाखों मन जूट आता है तो उससे बने हुये सामान का कारखाना इस संलग्न सूची में नहीं है?

श्री फूलसिंह—यह सूची बिलकुल एग्जास्टिव नहीं है, इलस्ट्रेटिव है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उक्त ग्रामीण औद्योगिक संस्थान के लिये भूमि ली गई है या नहीं? यदि नहीं, तो उसमें कितनी कार्यवाही हुई है?

श्री वीरसेन—५.१८ एकड़ इसमें भूमि प्राप्त की गई है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—लखीमपुर शहर में जो इंडस्ट्रियल स्टेट कायम की जा रही है उसमें सरकार का कितना व्यय होगा और यह 'ए' क्लास है या 'बी' क्लास?

श्री वीरसेन—२ लाख खर्च होगा और यह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की है।

श्री काशीनाथ मिश्र—अर्थ-शास्त्र में रूरल इंडस्ट्रियल स्कीम में निश्चित यूनिट्स हैं कि कौन-कौन से गांवों में क्या-क्या काम करवायेंगे, तो क्या सरकार अभी रूरल इंडस्ट्रियल स्टेट्स की परिभाषा भी निश्चित नहीं कर पाई है?

श्री फूलसिंह—परिभाषा का सवाल नहीं है। इंडस्ट्रियल स्टेट में, दूकानें लोगों को उठाकर उन्हें उद्योग चलाने का मौका दिया जाता है। उद्योगों का चलाना कच्चा माल मिलने पर और बने हुये माल की खपत पर है। ये बातें लोग स्वयं देखकर उद्योग चलाते हैं। सरकार का काम तो केवल यह है कि दूकानें बनाकर किराये पर दे दें।

क्षेत्र विकास अधिकारी की एक क्षेत्र में कार्य अवधि

*२०—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह नियम होते हुये भी कि राज्यपत्रित (गजटेड) अधिकारी लगातार एक ही स्थान पर ३ वर्ष से अधिक नहीं रखे जा सकते हैं, ऐसे कितने बी० डी० ओ० उत्तर प्रदेश में हैं जिन्हें एक ही स्थान पर लगातार ३ वर्ष या इससे अधिक समय कार्य करते हुये हो गया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—७९। यह नियम क्षेत्र विकास अधिकारियों को लागू नहीं है। उनके लिये सरकार ने एक विकास खंड में रहने की अवधि ५ वर्ष कर दी है।

*२१—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि ऐसे बी० डी० ओ० जो ३ वर्ष या अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं उन्हें अविलम्ब वह स्थानान्तरित कर दे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक आस्थान के लिए औडेन पड़रिया ग्राम की अध्याप्त भूमि

*२२—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी शहर के पास मौजा औडेन पड़रिया की जमीन जो इंडस्ट्रीज एरिया के लिय ली जा चुकी है, उसमें कितने व्यक्ति भूमिहीन हो जायेंगे और सरकार उन लोगों के लिये क्या विचार कर रही है ?

श्री वीरसेन—औद्योगिक आस्थान की डेवलप्ड साईट (Developed site), मैनपुरी के लिये मौजा औडेन पड़रिया की भूमि अध्याप्त (acquire) किये जाने के फलस्वरूप कुल १३ व्यक्ति भूमिहीन हो जायेंगे, जिनको लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत मुआविजा दिया जायगा तथा औद्योगिक आस्थान के अंतर्गत चलनेवाले कारखानों में नौकरी दिलाने का प्रयास किया जायगा। इसके अतिरिक्त इनके जीविकोपार्जन के निमित्त औद्योगिक सहकारी समिति का निर्माण भी विचाराधीन है।

श्री बृजेश्वरसहाय—क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास १० बीघे से जमीन कम रह गई है और कितने व्यक्तियों की जमीनें एक्वायर की गई हैं ?

श्री वीरसेन—२ ऐसे लोग हैं जिनके पास ५ से कम रह गई है। बाकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बृजेश्वरसहाय—उन लोगों को मुआवजा कब तक दे दिया जायगा और जो जमीन इंडस्ट्रीज के लिये ली है उसमें कारखाने कब तक तैयार हो जावेंगे ?

श्री फूलसिंह—कुछ लोग हाई कोर्ट में रिट में चले गये हैं। उसके तय होते ही मुआवजा मिल जायगा।

श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री जी को सूचना है कि उसी जमीन के बगल में बड़े-बड़े किसानों और मध्यवर्तियों के बड़े-बड़े प्लाट नहीं लिये गये और छोटे-छोटे किसानों के एक और आधे बीघा के प्लाट ले लिये गये हैं ? बड़े प्लाट क्यों नहीं लिये गये ?

श्री वीरसेन—यह इस प्रश्न में नहीं आता है।

श्री राधेश्याम शर्मा—१३ व्यक्तियों की जो जमीनें ली गई हैं, वे कुल कितने एकड़ हैं ?

श्री वीरसेन—सुक्कू की ५.१ एकड़, फुम्मनसिंह १.१५, योधा १.९१, महीलाल .५७, रते .३०, रामसहाय .३०, पुन्नी .३०, मुकट .३०, देवी .५६, भगवानदास .४८, इसमाइल खां .२०, बाबूखां .२० और बिहारी .१२ एकड़।

*२३—श्री बृजेश्वरसहाय—[हटा दिया गया।]

बभनान कोआपरेटिव केन यूनियन को घाटा

*२४—श्री अवधनारायणप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बभनान कोआपरेटिव केन यूनियन विगत पांच वर्षों से १२ लाख रुपये के घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—बभनान कोआपरेटिव केन यूनियन को विगत पांच वर्षों में सन् १९५६–५७ से १९६०–६१ तक ९,३३,७०८ रुपये का घाटा हुआ है, जिसका कारण यूनियन की सिंचाई की योजना का घाटे में चलना है। बिजली और सिंचाई की योजना के घाटे में चलने के निम्नलिखित कारण हैं:—

(१) सिंचाई के पानी की मांग कम है,

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

(२) पक्की नालियां बहुत कम बनी हैं। कच्ची नालियों के कारण पानी बरबाद होता है।

(३) टेक्निकल कर्मचारियों की कमी है।

(४) बिजली की मांग कम होने के कारण बिजली घर केवल सिंचाई के दिनों में ही चालू रहता है। उसकी मशीनों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता है और।

(५) यूनियन का प्रबन्ध अच्छा नहीं है।

*२५—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि बभनान कोआपरटिव केन यूनियन का जनरल चुनाव गत पांच वर्षों से नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं, बभनान कोआपरेटिव केन यूनियन का जनरल चुनाव दिनांक ८-६-६० को सम्पन्न हो चुका है।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस घाटे की स्थिति को देखते हुये इसे सरकार ले लेगी और यूनियन को कर्ज से मुक्त कर देगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि इस घाटे पर चलने वाली यूनियन की प्रबंध समिति में तथा उसके अध्यक्ष के स्थान पर कौन-कौन लोग हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—पहले उसके अध्यक्ष, श्री केशवदेव मालवीय थे जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अब उसके अध्यक्ष बन गये हैं। मेम्बरों की लिस्ट मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जिनके समय में कच्ची नालियाँ बनायी गयीं और जिन्होंने नान-टेक्निकल हैंड्स रखे उस समय में, श्री केशव देव मालवीय उसके अध्यक्ष थे या नहीं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उन्होंने इस्तीफा तो अभी दिया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—प्रश्न यह है जो अनियमितायें आपने बतायी हैं वे किसकी अध्यक्षता के जमाने में हुई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कलेक्टर तो अभी अध्यक्ष बने हैं। उससे आप नतीजा निकाल सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह जो नान टेक्निकल हैंड्स का एप्वाइन्टमेंट हुआ और कच्ची गूलें बनायी गयीं, यह किसकी अध्यक्षता में बनीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो उस समय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष होंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में बनी होगी।

श्री रामायणराय—अभी एक कारण यह बताया गया कि सिंचाई की मांग बहुत कम थी, इसलिये भी घाटा हुआ। तो क्या इसका मुख्य कारण यह भी है कि सिंचाई की दर यूनियन द्वारा इतनी अधिक रखी गयी है कि किसान उसको देने में असमर्थ है?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—पता यह चला है कि लोग अभी सिंचाई माइंडेड नहीं हो पाये हैं।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि बभनान केन यूनियन के बाइलाज नम्बर ४२(१) के अनुसार हर साल चुनाव कराना आवश्यक है लेकिन चुनाव नहीं कराये गये हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस बोर्ड को डिजाल्व करके नये चुनाव कराने के आदेश देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—नियम यह है कि जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स है वह इसकी तिथि निश्चित करता है कि चुनाव की मीटिंग बुलायी जाय, लेकिन पिछली दफा ऐसा रहा है कि मीटिंग की तारीख निश्चित नहीं की गयी। इस पर केन कमिश्नर साहब ने यह तारीख निश्चित कर दी। सन् ६० में एक बार चुनाव हुये थे और सन् ६२ के मार्च में होने वाले थे लेकिन जो प्रधान थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिये चुनाव नहीं हो सके। अब फिर चुनाव कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि सन् ६० से पहले किस सन् में चुनाव हुये थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सन् ६० से पहले सन् ५७ में चुनाव हुये थे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—नियमों के अनुसार हर वर्ष चुनाव होने चाहिये। लेकिन पहले तीन वर्ष और अब फिर दो वर्ष चुनाव क्यों नहीं हुये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—चुनाव की तारीख निश्चित करना बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स का काम था लेकिन उन्होंने किसी न किसी कारण से तारीख निश्चित नहीं की। सरकार तो किसी संस्था के मामले में तभी इंटरफियर करती है जब देखती है कि वह काम ठीक नहीं कर रही है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने यह किस वजह से कहा कि वहां के लोग इरीगेशन माइंडेड नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्योंकि वे पानी नहीं लेते हैं।

श्री रामायणराय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बहराइच, जो बस्ती का पड़ोसी है, वहां के लोगों को वे सिंचाई माइंडेड मानते हैं या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह गलत है कि बहराइच बस्ती का पड़ोसी है, बीच में गोंडा जिला पड़ता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बिजली ली जाती थी उसके लिये उनका खुद का पावर हाउस है या सरकारी बिजली उनको दी जाती थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—वहां इनका अपना पावर हाउस बना हुआ है।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता महोदय स्वयं उस केन यूनियन बभनान के डाइरेक्टर हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कौन-कौन डाइरेक्टर हैं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन सम्भव हो सकता है कि वे हों।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सही है कि इस सोसाइटी पर भारत सरकार का भी लाखों रुपया कर्जा है ? यदि हां, तो कितना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—भारत सरकार का तो कोई कर्जा नहीं है। भारत सरकार ने यू० पी० गवर्नमेंट को कर्जा दिया था और यू० पी० गवर्नमेंट ने उस कोआपरेटिव केन यूनियन को कर्जा दिया है जो करीब १७ लाख रुपये के है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या यह सही है कि यह घाटा और कर्जा मिला कर जो करीब २७ लाख रुपये की रकम है, इस केन सोसाइटी के बारे में यह भी शिकायत है कि वहां मि.. एप्रोप्रिएशन बहुत हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलाधीश इसके अध्यक्ष हैं और वे खुद इस बात को देखेंगे कि घाटा किन कारणों से हुआ और किन-किन व्यक्तियों के द्वारा हुआ। यह मामला कैबिनेट में पेश था और उसमें फैसला यह किया गया कि जिलाधीश को इसका अध्यक्ष बना दिया जाय और वही इस चीज को देखें कि घाटा किन कारणों से हुआ और किन-किन व्यक्तियों के द्वारा हुआ। यह सब देख कर वह रिपोर्ट देंगे।

श्री नरसिंहनारायणपाण्डेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १८ लाख रुपया जो सरकार ने अनुदान दिया लेकिन उसके अलावा किसानों से भी कुछ रुपये लिये गये और उनको भी खर्च किया गया ? यदि हां, तो वह कितना रुपया लिया गया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अनुदान कोई देने की बात नहीं है, १६ लाख ५० हजार रुपया कर्जा दिया गया था और किसानों से जो कुछ रुपया लिया गया था उसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सोसाइटी पर केन यूनियन का भी कर्जा बाकी है ? यदि हां, तो वह कितना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस समय कर्जा दिया जाने लगा तो उस समय इस सोसाइटी के ऐडमिनिस्ट्रेशन व फाइनेंशियल पोजीसन पर पूर्ण-रूप से विचार किया गया था और उसकी रिपोर्ट मांगी गयी थी या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इतनी पुरानी बात है, इसकी सूचना मेरे पास यहां है नहीं।

बेनीगंज थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*२६—श्री परमाई (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरदोई जिले के थाना बनीगंज के थाना इंचार्ज के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी और बतायेगी कि उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, थानेदार बेनीगंज के विरुद्ध एक गुमनाम शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक, हरदोई को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक १६ मई, १९६२ को प्राप्त हुआ था, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

पत्र में अंकित आरोप जांच से सही नहीं पाये गये।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३८०–३८२ पर)

*२७—श्री परमाई (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसी जिले के थाना बेनीगंज के थाना इंचार्ज १९५४ में किसी लड़की के अपहरण के सम्बन्ध में निलम्बित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो दुबारा उसी थाने में उनकी नियुक्ति किये जाने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, वर्तमान थानेदार उक्त वर्ष में किसी अपहरण के सम्बन्ध में नहीं निलम्बित हुये थे। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

मोटर तथा ट्रक दुर्घटनाओं में हताहत

*२८—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत वर्षों में मोटर ठेलों से उत्तर प्रदेश में कितनी दुर्घटनायें घटित हुई हैं और उनमें से कितने व्यक्ति आहत हुये और कितनों की मृत्यु हुई ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—उत्तर प्रदेश में गत वर्ष १९६१ में मोटर ठेलों से कुल १,३२६ दुर्घटनायें घटित हुईं। इनमें आहत तथा मरे हुये व्यक्तियों की संख्या प्रदेश के जिलों से एकत्रित की जा रही है।

*२९—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उन घटनाओं का मुख्य कारण क्या था और क्या भारवाहक चालकों की तेज रफ्तार व लापरवाही ही उसका मुख्य कारण थी ?

श्री नवलकिशोर—जी, हां, दुर्घटनायें मुख्यतः भारवाहक चालकों की तेज रफ्तार तथा असावधानी के कारण हुईं।

*३०—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—यदि हां, तो क्या सरकार उनकी रफ्तार और गतिविधियों पर किसी प्रकार का ऐसा नियन्त्रण कि जिससे यह घटनायें कम घटित हों, लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री नवलकिशोर—मोटर ठेलों की रफ्तार और गतिविधि पर नियन्त्रण रखने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं—

(१) प्रमुख एवं व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस नियुक्त की गई है।

(२) उन प्रमुख सड़कों पर जो घनी आबादी के बीच होकर जाती हैं, मोटर गाड़ियों की गति निबंधित कर दी गई है।

(३) मोटर गाड़ियों की तेज रफ्तार को रोकने के लिये समय-समय पर अचानक checking की जाती है।

(४) प्रमुख सड़कों पर सड़क चिन्ह (Road signs) लगा दिये गये हैं।

(५) नगरों के प्रमुख सड़कों पर एक तरफा यातायात का प्रबन्ध किया जाता है।

(६) ट्रैफिक सप्ताह के द्वारा ट्रैफिक नियमों का प्रचार किया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्रैफिक पुलिस चेक करने के लिये नियुक्त की गई है वह क्या इस बात का भी ध्यान रखेगी कि ट्रक ड्राइवर शराब आदि तो नहीं पिये हैं ?

श्री नवलकिशोर—ट्रैफिक पुलिस तो स्पीड को देखेगी, ड्राइवर तो अन्दर बैठता है, वह बात दूसरी है कि बू कुछ आ जाय, वैसे उसके लिये यह जानना मुश्किल है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—पिछले दस साल में कई बार यह सवाल उठा है लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, तो क्या इस बात को देखते हुये कि मोटर ठेलों की दुर्घटनायें बराबर बढ़ रही हैं, रुकी भी नहीं हैं बल्कि बढ़ ही रही हैं और सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह भी वही हैं जो पुराने थे और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है—तो क्या मुख्य मंत्री जी इन बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुये कोई विशेष तरह का उपाय निकालने की चेष्टा करेंगे जिससे यह चीजें आगे कम हो सकें ?

श्री नवलकिशोर—इन घटनाओं के बढ़ने का एक कारण यह भी है कि इन ठेलों की तादाद भी सब जगह बढ़ रही है, नई सड़कों पर ठेले चलने लगे हैं लेकिन फिर भी सरकार बहुत सख्ती से इस मामले में कदम उठा रही है और कोशिश कर रही है कि सख्ती से कायदों पर अमल किया जाय।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)—इन सब दुर्घटनाओं को देख कर और हम सब लोगों की सूचना मान कर कि ठेले वाले अक्सर बीच सड़क में चलते हैं और साइड में नहीं चलते और दोनों लाइट जलाते हैं, शराब पीकर चलते हैं, क्या मंत्री जी इसको दृष्टि में रख कर उनके लिये कोई हिदायतें देंगे कि खास तौर से यह ठेले वाले बीच में न चलें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो प्रश्न किया गया, मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि इस में ठेले वाले तो कसूरवार हैं ही, लेकिन इसमें थोड़ा-सा कसूर हमारा भी है इस मानी में कि जो सड़कें हमारी हैं वह इतनी चौड़ी नहीं बन सकी हैं जितनी चौड़ी इन ठेलों के लिये होनी चाहिये, ट्रैफिक भी अब बढ़ गया है और यह लोग इन कम चौड़ी सड़कों से गाड़ियां ले जाते हैं। कई स्थानों पर अब बाईपासेज का प्रबन्ध किया गया है और पुलिस विभाग के स्क्वेड्स की नियुक्त भी की गई है और सरकार का ध्यान इस तरफ है कि यह दुर्घटनायें न हों और सरकार इस चेष्टा में है कि सड़कें चौड़ी की जायं और जहां तक सम्भव हो स्क्वेड्स के द्वारा लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाय ताकि आगे अधिक दुर्घटनायें न हों।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—शहरों में जो ट्रैफिक कम्पनियां हैं उनके बहुत से ठेले शहरों में आते हैं और उनकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, तो क्या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है कि यह ट्रैफिक कम्पनियां शहरों के बाहर ही हों और यह ठेले केवल रात को ही चलें?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—योजना तो हमारे सामने यह है कि सड़कें चौड़ी हों और सड़कें जो सकरी हैं वहां बाईपास बनाये जायं और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितने अधिक आर्थिक साधन हम जुटा सकेंगे उतना ही अधिक हम इस दिशा में कार्य कर सकेंगे।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि डीजल आयल के ठेलों के जो ड्राइवर्स हैं उनको रातदिन ठेले चलाने पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी आदेश देंगे कि डीजल आयल के ठेले पर २ ड्राइवर रहा करें ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—मान्यवर, जहां तक मोटर ड्राइवरों के काम करने का प्रश्न है, मोटर ट्रांसपोर्ट ऐक्ट के मातहत उनके सब काम करने के घंटे निश्चित हो गये और अब गुंजायश नहीं है कि वह रात दिन काम करें।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ठेलों पर जो क्लीनर्स होते हैं वे अक्सर ड्राइवरी सीखने के लिये उनको चलाते हैं और जो एक्सीडेंट होता है वह उसी समय होता है जब क्लीनर्स स्टीयरिंग पर होते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी सूचना तो नहीं है। लेकिन स्क्वाड्स यही जांच करते हैं कि आया ऐसा ड्राइवर है जिसके पास लाइसेंस है कि नहीं। यदि क्लीनर ड्राइव करता पाया जाता है तो पकड़ा जाता है।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी ने कहा कि आल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के मातहत अब उनका समय बांध दिया गया है। तो मंत्री जी को सूचना है कि बावजूद इसके कि उन्हें ९ से १२ घंटे काम करना है, उनसे १६–१७ घंटे गाड़ी चलवायी जाती है जिसके कारण वह बहुत थके होते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—एक भी ऐसी शिकायत जहां तक ठेलों का सम्बन्ध है अभी तक हमारे पास नहीं आयी। लेकिन प्रदेश की सरकार के पास शिकायत आये या न आये, इस सम्बन्ध में जो इंस्पेक्टोरेट का स्टाफ है वह उसके इन्फ़ोर्समेंट की व्यवस्था करता है और हम को भरोसा है कि कानून के खिलाफ़ काम नहीं होगा।

श्री रामायणराय—इन दुर्घटनाओं का कारण यह भी होता है कि ड्राइवर्स को लाइसेंस देते समय आर० टी० ओ० का दफ्तर इस बात की जांच नहीं करता है कि कौन ड्राइवर्स एक्सीडेंट प्रोन हैं, कौन से ड्राइवर्स कलर ब्लाइन्ड हैं, और केवल मोटर चलाने की कुशलता को ही देख कर लाइसेंस दे दिया जाता है। तो जिस प्रकार इंगलैण्ड में ओमनी बस सर्विस वाले ड्राइवर को लाइसेंस देने का जो तरीका है वैसा कोई तरीका यहां भी लाइसेंस देने का विचार करेंगे जिससे इन दुर्घटनाओं को कम किया जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे इस बात की सूचना नहीं है। इसके लिये तो जानकारी और विशेषज्ञ होने की आवश्यकता है। कदाचित् ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इसके विषय में बता सकते हैं।

श्री रामायणराय—मेरा प्रश्न यह है कि बहुत सी दुर्घटनाओं का कारण यह होता है कि ड्राइवर ऐक्सीडेंट प्रोन होते हैं, मतलब यह होता है कि कुछ ड्राइवर्स में एक्सीडेंट करने की टेंडेंसी होती है, कुछ कलर ब्लाइन्ड होते हैं जिसका टेस्ट आर० टी० ओ० कार्यालय में नहीं होता है। तो मंत्री जी ड्राइवर्स को लाइसेंस देते समय उनके अन्दर जो सन्निहित दोष हैं उनका पता लगाने का प्रयास करेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—लाइसेंस देते समय उनकी जिस्मानी हेल्थ देखी जाती है, आई साइट देखी जाती है। लेकिन उनके दिमाग की कैफियत देखने का कोई आला हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—बस एक्सीडेंट कमेटी में मुझे मौका मिला था, जो आप प्रोननैस टु एक्सीडेंट और कलर ब्लाइन्ड की बात कह रहे हैं यह सब देखा जाता है, यह तो नियम की बात है।

श्री उग्रसेन—हां, श्रीमन्, आपके सामने तो बद्रीनाथ दुर्घटना समिति के सम्बन्ध में सब मसले आये होंगे।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये तो कह रहा हूं।

श्री झारखंडेराय—इन दुर्घटनाओं का एक कारण रैश ड्राइविंग से होता है और दूसरा कारण यह होता है कि जो मालिक हैं वे बहुत अधिक काम ड्राइवर्स आदि से लेते हैं। तो क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि रैश ड्राइविंग की जो सजा होती है उसकी मियाद को ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, कड़ी सजा देंगे और दूसरे जो मालिक हैं वे अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सकें, इसके लिये ट्रक सर्विस को नेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—जहां तक कि दंड का प्रश्न है वह अपनी जगह पर्याप्त है। सरकार का यह खयाल है कि उसकी चेकिंग ज्यादा इफैक्टिव कर दी जाय, तो जो कठिनाइयां हैं वे दूर हो जायंगी।

कानपुर यू० एच० एम०, ए० एच० एम० तथा डफरिन अस्पतालों का प्रबन्ध

*३१—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर में स्थित यू० एच० एम० अस्पताल तथा डफरिन अस्पताल, परेड को कानपुर मेडिकल कालेज के अन्तर्गत कर दिया गया है और वहां के मेडिकल आफिसरों को मेडिकल कालेज में पढ़ाने भी जाना पड़ता है जिससे उपरोक्त अस्पतालों के मरीजों की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती है ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—कानपुर में स्थित यू० एच० एम० तथा ए० एच० एम० ऐन्ड डफरिन अस्पतालों को कानपुर मेडिकल कालेज के अन्तर्गत कर दिया गया है परन्तु यू० एच० एम० अस्पताल की ७५ शय्यायें सिविल सर्जन कानपुर के अधीन हैं, यहां के मेडिकल आफिसरों को, सिविल सर्जन को छोड़ कर, मेडिकल कालेज में पढ़ाने नहीं जाना पड़ता। यू० एच० एम० अस्पताल (उपरोक्त ७५ शय्याओं को छोड़कर) तथा डफरिन अस्पताल के मरीजों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मेडिकल कालेज के शिक्षकों तथा रेजीडेन्ट स्टाफ पर है। शिक्षकों को मेडिकल कालेज में पढ़ाना पड़ता है परन्तु वे अस्पतालों में उचित प्रबन्ध करके मेडिकल कालेज में पढ़ाने जाते हैं जिससे मरीजों की देखभाल उनकी अनुपस्थिति में भी उचित रूप से हो सके। इसके उपरान्त मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों के सुपरिन्टेंडेन्ट पर भी है। अतः मेडिकल कालेज के शिक्षकों के पढ़ाने जाने से उपरोक्त अस्पतालों के मरीजों की देखभाल में कोई कमी नहीं पड़ती।

*३२—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार कानपुर स्थित यू० एच० एम० अस्पताल के इमरजेन्सी वार्ड में नये हाउस सर्जन के स्थान पर पी० एम० एस० टू के डाक्टरों को रखने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं। यू० एच० एम० अस्पताल, मेडिकल कालेज, कानपुर, के अस्पतालों का एक अंग है। वहां पर हाउस सर्जन अकेले काम नहीं करते हैं। इनकी मदद के लिए आर० एस० ओ० और आर० एम० ओ० होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल कालेज के लेक्चरर, रीडर व प्रोफेसर तुरन्त उपलब्ध होते हैं ताकि रोगी की विशेषज्ञिक चिकित्सा हो सके। मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों में मरीजों की चिकित्सा का Pattern यही है क्योंकि इससे कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को चिकित्सा के बारे में जानकारी हासिल होती है।

*३३—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर व जिले की जन संख्या व अस्पतालों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वह कानपुर के अस्पतालों को दिये जाने वाले अनुदानों में वृद्धि करेगी?

श्री धर्मसिंह—कानपुर के सरकारी अस्पतालों के व्यय के लिए आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की जाती रहती है।

श्री मुरलीधर कुरील—मेडिकल कालेज के लिये १,००० चारपाइयों की आवश्यकता होती है जो कि इस समय पूरी न होने के कारण कानपुर नगर में स्थित यू० एच० एम० तथा डफरिन अस्पतालों को लिया गया है, तो क्या सरकार मोतीलाल कमलापति स्मारक अस्पताल, बिरहाना रोड या यू० एच० एम० अस्पताल में जो जगह पड़ी हुई है, उसमें भवन निर्माण करके पलंगों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री धर्मसिंह—जहां तक पलंगों को बढ़ाने का प्रश्न है वह तो धीरे-धीरे ही संभव है। एक दम नहीं हो सकता।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कानपुर की जनता की मांग है कि डफरिन अस्पताल को मेडिकल कालेज से अलग कर दिया जाय तो उसकी असुविधा को देखते हुए सरकार इस पर विचार करने को तैयार है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तरोत्तर तो योजना यही है कि डफरिन अस्पताल और दूसरा मर्दाना अस्पताल जो मेडिकल कालेज के प्रयोग में लाया जा रहा है उसे धीरे-धीरे अलग किया जाय और जहां मेडिकल कालेज बना है और जहां लाला लाजपत राय अस्पताल है और जहां

मेटरनिटी अस्पताल भी खुला हुआ है वहां धीरे-धीरे बेड्स की संख्या बढ़ा दी जाय ताकि आने वाले वर्षों में यह संभव हो सके कि वहां विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उन्हें इन अस्पतालों में सीखने के लिये न आना पड़े और ये अस्पताल खाली हो जायं डिस्ट्रिक्ट चार्ज के लिये ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—कानपुर के यू० एच० एम० अस्पताल में डाक्टरों तथा दवाइयों की कमी देखते हुए और मेरे इस प्रश्न को सूचना मानते हुए क्या सरकार इस बात की चेष्टा करेगी कि वहां पर डाक्टरों तथा दवाइयों की कमी पूरी हो जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अस्पताल में दो इन्तजाम हैं यानी डबल कंट्रोल है। एक तो ७५ बेड्स सिविल सर्जन के तहत में हैं और बाकी बेड्स मेडिकल कालेज के तहत में हैं और मेडिकल कालेज के पैटर्न में ही काफी धनराशि अस्पताल को चलाने के लिये दी जाती है। जब-जब रुपये की कमी होती है उसमें वृद्धि भी कर दी जाती है। जितना हमारा बजट है उसके तहत में हम बराबर यह चेष्टा करते हैं कि अधिक से अधिक धनराशि उस अस्पताल के इक्वीपमेंट और दूसरी आवश्यकताओं के लिये दी जाय। जिस विषय में अभी हमारा ध्यान आमंत्रित किया गया है, अवश्य उस ओर ध्यान दिया जायगा। यदि वहां दवाओं की कमी है, तो उसकी धनराशि भी बढ़ाने की चेष्टा की जायगी।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, कानपुर की हालत बहुत खराब है। यह हालत हो गयी है कि मरीज को....

श्री अध्यक्ष—देखिये, अब प्रश्नों का समय समाप्त हो रहा है, आप आधे मिनट में अपना प्रश्न कर लीजिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। वहां हालत यह है कि मरीज को जगह नहीं मिलती है और यहां तक कि टी० बी० वगैरह जैसे सीरियस केसेज के मरीजों को भी जगह नहीं मिलती है। तो क्या मुख्य मंत्री जी और जगहों का इन्तजाम करेंगे ताकि लोगों को जगह मिल सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द उन स्थानों पर जहां घनी आबादी है बेड्स की संख्या अधिक बढ़ जाय, लेकिन दिक्कत तो साधनों की आती है। जितनी मात्रा में साधन उपलब्ध हैं उतनी मात्रा में हम बेड्स बढ़ाने की चेष्टा करते हैं और प्लान्स के अन्तर्गत इन्हीं बेड्स को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि अधिक साधन बढ़ जायंगे तो अवश्य जो ख्वाहिश हमारे साथी यूसुफ जी ने प्रस्तुत की है सरकार सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करेगी और ऐसे आदेश जारी करेगी जिससे उनकी मांग पूरी हो जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों का समय समाप्त।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, मैं एक सवाल पूछना चाहता था, बहुत जरूरी सवाल था।

श्री अध्यक्ष— अब नहीं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं वहां एक-एक डाक्टर भेजने की व्यवस्था कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष— अच्छा, ठीक है।

*३४-३६—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—[२० सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

रायबरेली जिले में डकैतियां

*३७—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली में सन् १९६१ व ६२ में मई माह तक कुल कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला रायबरेली में सन १९६१ में १८ तथा १९६२ के मई माह तक ४ डकैतियां पड़ने की रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

बभनान को बिजली न मिलना

*३८—श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि बस्ती जिले के केन यूनियन, बभनान के पावर हाउस से बभनान कस्बे को बिजली दी जाने वाली थी और इस लिये खम्भे व तार सब लगाये गये थे, परन्तु यह कस्बा बिजली की रोशनी से अभी वंचित है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—जी हां । परन्तु यह योजना स्थगित कर दी गयी ।

*३९—श्री रामलखनसिंह—क्या सरकार बस्ती जिले के बभनान कस्बे को और उसके आस-पास के रहने वाले जो लोग बिजली लेना चाहते हैं बिजली देने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना— जी नहीं ।

खांडसारी उत्पादन के लिये सहायता

*४०—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय वित्तीय निगम ने स्थापना से आज तक किन-किन खांडसारी उत्पादकों को कितना-कितना ऋण दिया ?

श्री फूलसिंह—उत्तर प्रदेशीय वित्तीय-निगम अधिनियम, १९५१ की धारा ४० के अनुसार यह सूचना माननीय सदस्य को नहीं दी जा सकती ।

*४१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के परम्परागत खंडसारी उद्योग को प्राविधिक (टेक्निकल) सहायता किस रूप में एवं कहां से दी जाती है और गत दो वर्षों में कितने व्यक्तियों को दी गयी ?

श्री फूलसिंह—उत्तर प्रदेश के खांडसारी उत्पादन कार्य में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निम्नलिखित रूप में प्राविधिक सहायता दी जाती है:

(अ) कानपुर स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ब) अनुबंधित सहकारी समितियों को खांडसारी के उत्पादन केन्द्रों को प्रस्थापित करने में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कुशल कर्मचारियों की मदद से गुड़ खांडसारी योजना द्वारा सहायता दी जाती है । इस प्रकार अब तक १४ खांडसारी उत्पादन सहकारी समितियों को खांडसारी केन्द्र प्रस्थापित करने में सहायता पहुंचाई गई और गत २ वर्षों में २० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

*४२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आने वाले सीजन में उनकी खांडसारी उद्योग के बारे में क्या निम्नलिखित दिशा में नीति रहेगी:

(क) लाइसेंस देने के बारे में,

(ख) ऋण और अनुदान देने के बारे में,

(ग) टेक्नीकल सलाह देने एवं उनकी कार्यप्रणाली के प्रसार के बारे में,

(घ) खंडसारी उद्योग में प्रयोग होने वाले गन्ने के परचेज टैक्स के बारे में अथवा बेल और सेन्ट्रीफ्यूगल के लाइसेंस के बारे में।

श्री फूलसिंह—(क) वर्ष १९६२–६३ में गुड़, राब व खांडसारी इकाइयों को लाइसेंस देने की नीति गन्ने की उपलब्धि पर निर्भर रहेगी।

(ख) खांडसारी उद्योगों के विकास के लिये गुड़ विकास योजना उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग आयोग की नीति के अनुसार कार्य करती है जिसके अन्तर्गत केवल अनुबंधित सहकारी समितियों को ही सहायता प्रदान की जा सकती है। इस वर्ष खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमानुसार निम्न ऋण एवं अनुदान वितरण करने की योजना है :

	ऋण	अनुदान
	रु०	रु०
१—७ उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिये	१,७२,०००	५४,२००
२—६ शक्तिचालित कोल्हू	२२,०००	..
३—२ आयल इंजन	१०,०००	..
४—१६ सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन	१६,०००	१६,०००
५—कार्यशील पूंजी	९०,०००	..

गुड़ खांडसारी उद्योग को राज्य के उदार ऋण तथा अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न २२ के उत्तर में जिस प्रकार की सहायता का उल्लेख किया गया है उसी प्रकार की प्राविधिक सहायता इस वर्ष भी दी जाती रहेगी।

(घ) १९६२–६३ में इन इकाइयों पर टैक्स लगेगा। बेल और सेन्ट्रीफ्यूगल पर लाइसेन्स देने का प्रश्न गन्ने की उपलब्धि पर निर्भर रहेगा।

आगरा जिले में लघु उद्योगों के लिये अनुदान

*४३—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में १९६०–६१ व १९६१–६२ के वित्तीय वर्ष में लघु एवं वृहत उद्योग के अन्तर्गत किन-किन को कितना-कितना रुपया ऋण व अनुदान के रूप में दिया गया है और उनकी शर्तें क्या हैं?

श्री फूलसिंह—आगरा जिले में लघु उद्योग के लिये सन् १९६०–६१ में २०९ इकाइयों को २,३२,४७४ रु० ७० नया पैसा ऋण तथा ३७ इकाइयों को ५१,९१३ रु० २० न० पैसा अनदान दिया गया।

सन् १९६१-६२ में २८१ इकाइयों को २,२०,२३५ रु० ७५ नया पैसा ऋण तथा ५० इकाइयों को ६४,१८६ रु० अनुदान दिया गया।

वृहत् उद्योग के लिये उक्त वित्तीय वर्षों में आगरा जिले में कोई ऋण या अनुदान नहीं दिया गया।

विस्तृत सूचना को सदन की मेज पर रखने में काफी धन, समय तथा परिश्रम लगेगा, अतः यदि माननीय सदस्य ऋण तथा अनुदान योजना के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वह कृपया मेरे दफ्तर में आकर प्राप्त कर लें। उद्योग विभाग द्वारा दिये गये अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ऋण तथा अनुदानों की विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है और यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे दो सप्ताह के बाद मेरे कार्यालय में आकर प्राप्त कर सकते हैं।

*४४—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि ऋण व अनुदान प्राप्त करने वालों में से कितने वास्तविक रूप से उद्योग चला रहे हैं?

श्री फूलसिंह—ऋण व अनुदान प्राप्त करने वाली ५७७ इकाइयों में से ५७२ इकाइयाँ उद्योग चला रही हैं।

नियोजन विभाग में कर्मचारियों का स्थायित्व

*४५—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक नियोजन विभाग में कितने कर्मचारियों को स्थायी करने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गयी और उसमें से कितने कर्मचारी स्थायी किये गये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—नियोजन विभाग में अब तक ६,९३५ पदों को स्थायी करने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है जिनमें से ३,७२७ पदों पर कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया गया है।

*४६—श्री रामअधार कनौजिया—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बहराइच में कितने कर्मचारियों को स्थायी करने का कोटा था और उसमें से कितने स्थायी किये गये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला बहराइच में कर्मचारियों को स्थायी करने का कोई कोटा निश्चित नहीं था।

शाहगंज चीनी मिल द्वारा गन्ने की कीमत का भुगतान

*४७—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज, जिला जौनपुर की चीनी मिल के जुम्मे खुरहट, मुहम्मदाबाद, सठियाँव रानी की सराय के काँटों पर सेन्टरों द्वारा भेजे गये कितने गन्ने की कीमत किसानों को चुकाना है? बकाया चुकाने के लिये सरकार कोई कदम उठायेगी या उठा रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस मिल ने १९६१-६२ सीजन में निर्दिष्ट केन्द्रों से क्रय किये गये गन्ने के मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग विभाग, बस्ती द्वारा ऋण का वितरण

*४८—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग द्वारा १९६०-६१ और १९६१-६२ में उद्योग चलाने के लिये बस्ती जिले में कितना कर्जा बाँटा गया और किन-किन आदमियों को बाँटा गया? उनमें से कितने लोग विभाग के नियम तथा आदेशानुसार उद्योग चला रहे हैं?

श्री फूलसिंह—उद्योग विभाग द्वारा जिला बस्ती में सन् १९६०–६१ में ७,९४,५९५ और १९६१-६२ में २,८०,८३७ रुपया उद्योग चलाने के लिये बाँटा गया। यह कर्जा २८६ इकाइयों को बाँटा गया जिसमें से २६२ नियम तथा आदेशानुसार चल रही हैं। जिन-जिन इकाइयों को ऋण बाँटा गया, उनकी सूची तथा अन्य सूचना माननीय सदस्य मेरे दफ्तर में आकर देखने की कृपा करें क्योंकि इस सूचना को सदन की मेज पर रखने में अनावश्यक परिश्रम, धन, और समय लगेगा।

पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की नियुक्तियां

*४९—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ से ३१ मई, १९६२ तक कितने थानेदार (Sub-Inspectors of Police) retire हुये हैं तथा उनके स्थान पर कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९५४ से ३१ मई, सन् १९६२ तक कुल ३३० सब इन्स्पेक्टर रिटायर हुए तथा उनके सभी स्थानों पर नियुक्तियाँ कर दी गई हैं।

*५०—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—इन पूर्ण रिक्त स्थानों पर इन नव-नियुक्तियों में से अब तक कितने व्यक्ति स्थायी किये जा चुके हैं तथा कितने अस्थायी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन पूर्ण रिक्त स्थानों पर १९५४ से पहले के नियुक्त २२० सब-इन्स्पेक्टर तथा १९५४ में नियुक्त किये गये ९ सब-इन्स्पेक्टर स्थायी किये जा चुके हैं। शेष १०१ रिक्त स्थानों पर अभी स्थायी नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं।

*५१—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—इन अस्थायी नियुक्तियों को अब तक स्थायी न करने के क्या कारण हैं और यह कब तक स्थायी हो जायेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१०१ रिक्त स्थानों में से १७ स्थानों पर स्थायी नियुक्तियों के हेतु १७ सब-इन्स्पेक्टरों को परीक्षण (प्रोबेशन) पर रखा जा चुका है तथा शेष ८४ स्थानों पर भी स्थायी नियुक्तियों के हेतु उपयुक्त सब-इन्स्पेक्टरों को परीक्षण पर रखे जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। २ वर्ष का परीक्षण काल सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेने पर उपरोक्त स्थानों पर भी स्थायी नियुक्तियाँ कर ली जायेंगी।

ग्राम सभा, दाड़िम के सभापति के विरुद्ध अविश्वास का पत्र

*५२—श्री खुशीराम (जिला पिठौरागढ़)—क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल विकास खंड, रामगढ़ में ग्राम सभा, दाड़िम के सभापति के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव किस तारीख को पंचायत अधिकारियों को प्राप्त हुआ और आज तक इस में कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस विषय पर एक प्रार्थना-पत्र विकास खंड, रामगढ़ में दिनांक मई १४, १९६२ को प्राप्त हुआ था। चूंकि वह नियमानुकूल न था, इसलिये उस पर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया।

*५३—श्री खुशीराम—क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष सहायक जिला पंचायतराज अधिकारी, नैनीताल के खिलाफ कितने शिकायती-पत्र निदेशक, पंचायतराज को प्राप्त हुए और इनमें अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गत वर्ष सहायक जिला पंचायत अधिकारी, नैनीताल के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र निदेशक, पंचायतराज को प्राप्त नहीं हुआ है।

अल्प सिंचाई योजनान्तर्गत बलिया जिले को अनुदान

*५४—श्री मैनेजरसिंह—क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसिंचाई योजना के अन्तर्गत कितना रुपया १९५९–६०, १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में बलिया जिले में वितरित किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	धनराशि
१९५९–६०	४,४७,९४३
१९६०–६१	४,५०,६७०
१९६१–६२	९,२५,०००
योग ..	१८,२३,६१३

*५५—श्री मैनेजरसिंह—क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरली छपरा विकास खंड के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना में नलकूप लगने वाला है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

गढ़िया ग्राम के हरिजनों पर कथित अत्याचार

*५६—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया, थाना रसड़ा के अन्तर्गत ग्राम गढ़िया के भूतपूर्व जमींदारों ने वहाँ के हरिजनों को तारीख ६ जून, १९६२ को ६ बजे सुबह घरों में घुस-घुस कर दरवाजे तोड़-तोड़ बुरी तरह से लाठी से मारा ? यदि हाँ, तो कितनी औरतों और कितने मरदों को चोटें आयीं और मारने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बस्ती जिले के कर्जे के लिये प्रार्थना-पत्र

*५७—श्री रणबहादुरसिंह—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ तक कितने प्रार्थना-पत्र कर्जा लेने के लिये आये और कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार हुए और किस काम के लिये कितना धन दिया गया ?

श्री फूलसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

भागलपुर क्षेत्र में सिंचाई कूपों के लिये अनुदान

*५८—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि विकास क्षेत्र भागलपुर, जिला देवरिया में सन् १९५१ से लेकर अब तक किन-किन लोगों को सिंचाई कूओं के लिये सहायता दी गई ? उसमें अब तक कितने कुएं बने, कितने नहीं ? क्या रुपये की वसूली भी हो चुकी है या हो रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसका उत्तर पूर्व ही नवें गुरुवार को दिया जा चुका है। जी हां, कुछ रुपये की वसूली हो चुकी है और कुछ की हो रही है।

जिला पंचायत कार्यालय, बदायूं की मिसिल

*५९—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिला में जिला पंचायत कार्यालय से एक मिसिल ठेका (वजन कसी) से सम्बन्धित तहसील सहसवान, जिला बदायूं में गयी थी जिसका नं० २५४९, दिनांक १ जनवरी, १९६२ है उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, जिला पंचायत कार्यालय, बदायूं में ऐसी एक पत्रावली है। इस पर आवश्यक जांच करली गयी है।

आजमगढ़ जिले में पुलिस कर्मचारियों की भर्ती में हरिजन

*६०—श्री सुरजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में पुलिस विभाग के लिये जनवरी, सन् १९६१ से ३० अप्रैल, १९६२ तक कितने कर्मचारियों का चुनाव हुआ, उसमें क्या हरिजन स्वीकृत अनुपात से रक्खे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जनवरी, सन् ६१ से ३० अप्रैल, सन् ६२ तक आजमगढ़ जिले में पुलिस विभाग के लिये ८७ व्यक्तियों का चुनाव हुआ। निम्नश्रेणी के पदों पर हरिजन स्वीकृत अनुपात में रखे गये, परन्तु क्लर्क तथा कान्सिटेबिल के पद पर हरिजन स्वीकृत अनुपात में नहीं रक्खे जा सकें, जिसका कारण यह है कि उपयुक्त हरिजन उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हुये।

आगरा व कानपुर में लघु उद्योगों के लिये सहायता

*६१—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि आगरा व कानपुर में १९६१ में लघु उद्योगों की सहायता या कर्ज के निमित्त सरकारी रुपया क्रमशः कितना-कितना मिला ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३८३ पर)

लखनऊ में आफिशियेटिंग एस० आई० के लिये परीक्षा

*६२—श्री मोहनसिंह (जिला अल्मोड़ा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रेंज, लखनऊ में सन् १९६१ में आफिशियटिंग एस आई० के लिये कोई परीक्षा ली गई थी ? यदि हां, तो उसमें किस-किस स्तर के लोगों को बैठने की इजाजत दी गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इस परीक्षा में स्थायी तथा स्थानापन्न हेड कांस्टेबुलों को बैठने की इजाजत दी गई थी।

*६३—श्री मोहनसिंह—क्या यह सही है कि उस परीक्षा के आधार पर आफिशियेटिंग काम करने के लिये एक सूची बनाई गई ? यदि हां, तो वह सूची कितने लोगों कीबनाई गई और मई, १९६२ तक कितने लोगों को आफिशियेटिंग का अवसर मिला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। वह सूची ५५ लोगों की बनाई गयी थी तथा मई, ६२ तक उसमें से ४९ लोगों को आफिशियेटिंग का अवसर मिला है।

*६४–श्री मोहनसिंह—क्या यह सही है कि उक्त पद पर कुछ समय तक काम करने के बाद अस्थायी हेड कान्स्टेबिल जो प्रमोशन पर थे उन्हें मई, १९६२ से रि र्ट किया जा रहा है और जो इस सूची में कम नम्बर पाये थे उन्हें आफिशियेटिंग का अवसर दिया जा रहा है ? यदि हां तो ऐसे कितने लोग हैं, जो कम नम्बर पाये थे और उन्हें मई, १९६२ तक आफिशियेटिंग का अवसर दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। स्थानापन्न हेड कांस्टेबिलों के नाम अनुमोदित सूची में से हटाये जाने के लिये २४ अप्रैल, १९६२ को आदेश जारी किये गये थे। मई, ६२ तक कम नम्बर पाने वाले २ स्थायी हेड कांस्टेबिलों को आफिसियेटिंग का अवसर दिया गया है।

टी० बी० मरीज

*६५–श्री मुहम्मदरफी खां (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार अपने सेनेटोरियम और हर जिले के अस्पतालों में टी० बी० के मरीजों को, जो एडवान्स स्टेज में हों, अलहिदा रखने का कोई इंतजाम करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एडवांस स्टेज के टी०बी० के मरीजों को पृथक् रखने की व्यवस्था द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रारम्भ कर दी गयी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी इसकी व्यवस्था की गयी है। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के मरीजों के रखने की व्यवस्था केवल सेनेटोरियम या जिले के अस्पतालों में ही की जाय।

*६६–श्री मुहम्मदरफी खां—सरकार ने टी० बी० के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में दाखिले के लिये हरदोई, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर, पीलीभीत आदि जिलों में क्या सहूलियतें दी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—टी० बी० के मरीजों के दाखिले की व्यवस्था निम्नलिखित जिलों में इस प्रकार है :

हरदोई– यहां एक गैर सरकारी टी० बी० क्लीनिक है जिसमें ६ मरीजों के भर्ती करने की व्यवस्था है।

बदायूं—यहां के जिला अस्पताल में ३० शैय्याओं का टी० बी० वार्ड है।

लखीमपुर—यहां एक टी० बी० क्लीनक खोली गई है किन्तु उसमें रोगियों को भर्ती करने की व्यवस्था नहीं है, केवल बाह्य रोगियों का इलाज होता है।

शाहजहांपुर तथा पीलीभीत में टी० बी० के रोगियों को अलग से भर्ती करने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है।

हसनपुर परगने में प्रधान ग्राम सभाओं की कथित मुअत्तली

*६७—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाकिम परगना, हसनपुर द्वारा कितने प्रधान ग्राम सभाओं को मुअत्तल किया गया था या करने की कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सन् १९६१–६२ में कोई ग्राम सभा का प्रधान हाकिम परगना, हसनपुर द्वारा मुअत्तल नहीं किया गया।

गोंडा जिले में उद्योगों को प्रोत्साहन

*६८—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में कौन-कौन मुख्य उद्योग हैं और सरकार ने किन-किन नये उद्योगों को प्रोत्साहित किया ?

श्री फूलसिंह—गोंडा जिला के मुख्य उद्योगों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर और सरकार ने उक्त जिला में जिन-जिन नये उद्योगों को प्रोत्साहित किया, उनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३८४ पर)

बलिया जिले में उद्योग ऋण का वितरण न हो सकना

*६९—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले को सन् १९६१ में (संचालक उद्योग) उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित तथा उत्तर प्रदेश उद्योग समिति द्वारा उद्योग स्थापनार्थ उदार ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण का भुगतान अब तक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर ने क्यों नहीं किया तथा उपरोक्त ऋणों के भुगतान की कब तक संभावना है ?

श्री फूलसिंह—जिला बलिया में १९६१ में लघु उद्योग स्थापनार्थ उदार ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का वितरण उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इस कारण अभी तक नहीं कर सकी है कि ऋण दिये जाने वाले व्यक्तियों ने आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं की है। उन व्यक्तियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने पर ऋण का वितरण किया जायेगा।

[१३ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अनट्रेण्ड कम्पाउन्डर्स

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री १५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९६० के सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश में कितने अनट्रेंड कम्पाउन्डर ट्रेंड माने गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१२४।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकार के ट्रेंड माने गये कम्पाउन्डरों का वेतनक्रम क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वेतन क्रम रु० ४५–२–६५ ई० बी० ३–८० ई० बी०–४–१०० है।

बड़ागांव विकास क्षेत्र के लिये सहायता

*३—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बड़ा गांव ब्लाक तहसील व जिला वाराणसी में कितने लोगों को अब तक पानी पीने के कुओं, पंप के लिये अनुदान तथा खड़ंजा लगाने, पशुओं की चंदी कम्पोस्ट के लिये अनुदान दिया गया है ? उन गांव सभाओं तथा व्यक्तियों का नाम तथा पता क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—बड़ागांव ब्लाक तहसील व जिला वाराणसी में अब तक पानी पीने के कुओं और पम्प के लिये, तथा खड़ंजा लगाने के लिये २१३ व्यक्तियों को, जिनके नाम व पते विकास मंत्री जी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं, अनुदान दिया गया है। उक्त ब्लाक में अब तक पशुओं की चन्दी तथा कम्पोस्ट के लिये अनुदान नहीं दिया गया है।

*४—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ब्लाक में किन-किन लोगों को रहट, पंपिंग सेट तथा सिंचाई के कुओं के लिये रुपया अब तक दिया गया है ? उसमें किन-किन लोगों ने रुपया लेने पर कार्य पूरा किया और कितने लोगों ने नहीं किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उक्त ब्लाक में अब तक रहट, बोरिंग पम्पिंग सेट तथा सिंचाई के कुओं के लिये ६२ व्यक्तियों को रुपया दिया गया है । उनमें २१ व्यक्तियों ने जिनके नाम व पते विकास मंत्री के कार्यालय में देखे जा सकते हैं, कार्य पूरा किया है, और शेष ४१ व्यक्तियों ने कार्य पूरा नहीं किया है ।

कमलसागर भण्डार सहकारी समिति का भटनी चीनी मिल पर बकाया

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री १९ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति पर दफा ३५ की कार्यवाही होते हुये कि गन्ना किसानों को गन्ने की कीमत दिलाने की तत्काल व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमलासागर, जिला आजमगढ़ पर निर्दिष्ट धारा के अन्तर्गत कार्यवाही होते हुये गन्ना किसानों के गन्ने की १९६१–६२ सीजन की बकाया रकम अर्थात् रु० ४६,०५३.०७ न० पै० दिलाने के लिये भटनी मिल को निदेश भेजा गया है कि वह उक्त रकम समिति के बैंक के खाते में जमा कर दें । कथित धनराशि की वसूली के लिये इस मिल के विरुद्ध रिकवरी सार्टीफिकेट भी जारी कर दिया गया है ।

चीनी मिलों पर गन्ना विकास समितियों का बकाया

*६—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों पर अलग-अलग कितना रुपया गन्ना विकास समितियों का अब तक कमीशन का बकाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों पर गन्ना विकास समितियों के कमीशन के रूप में ३०–६–६२ तक जितनी रकम बकाया थी उसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३८५–३८६ पर)

*७–८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[११वें मंगलवार के लिये प्रश्न २४–२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

वृद्धावस्था पेंशन

*९—श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं) तथा श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त की जिले में वृद्धावस्था की योजना के अनुसार कितने-कितने लोग पेंशन पा रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—३१ जुलाई, १९६२ को विभिन्न जिलों में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन पाने वालों की संख्या की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३८७–३८८ पर)

कानपुर में बिजली रेट

*१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या विद्युत् मंत्री बतलायेंगे कि कानपुर को Power House किन-किन रेटों में बिजली देता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कानपुर के पावर हाउस द्वारा कानपुर को जिन रेटों पर बिजली दी जाती है उसकी *सूची संलग्न है ।

---

*छापी नहीं गई है ।

*११-१३—श्री गेंदासिंह—[हटा दिये गये ।]

नैनीताल जिले के एक फार्म से अवैध हथियारों की बरामदगी

*१४—श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी-बाजपुर क्षेत्र के एक पेप्सू के भूतपूर्व मंत्री के बड़े फार्म से पुलिस ने बड़ी संख्या में नाजायज हथियार और क्रिमिनल गैंग को गिरफ्तार किया है ?

*१५—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो क्या सरकार इस विषयक प्राप्त सामग्री से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक ४-४-६२ को प्रश्न में उल्लिखित फार्म पर पुलिस ने छापा मारा तथा दो .३०३ बोर की रायफल, दो १२ बोर की बन्दूक, ७ रायफल के कारतूस तथा बन्दूक के १४ कारतूस, चार व्यक्तियों के पास से, जिसे वे अवैध रूप से रक्खे हुए थे, बरामद किया । इन चार व्यक्तियों का चालान धारा १९ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत किया जा चुका है । चूंकि मामला न्यायालय में चल रहा है, इसलिये इस बारे में अधिक कुछ कहना उचित न होगा ।

गोरखपुर में श्री शमशुज्जुहा की हत्या

*१६—श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर के हुमायूंपुर उत्तरी मुहल्ले, थाना कोतवाली में श्री शमशुज्जुहा नामक एक १५ वर्षीय बालक की निर्मम हत्या एक व्यक्ति ने गत २१ अप्रैल, शाम ८ बजे कर दी ? इस हत्याकांड में अब तक पुलिस ने क्या किया है और क्या परिणाम हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक २१-४-६२ को श्री शमशुज्जुहा नामक लड़के को रात्रि के लगभग पौने आठ बजे, जब वह अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा था, एक व्यक्ति चाकू मारकर भाग गया जिसके फलस्वरूप दिनांक २३-४-६२ को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई । अभियुक्त फरार है अतः उसके विरुद्ध धारा ८७-८८ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है ।

शुगरवेज बोर्ड इम्पलीमेन्टेशन कमेटी को आवेदन-पत्र तथा गोरखपुर कमिश्नरी में ए० डी० ओ०

*१७—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेन्ट्रल वेज बोर्ड (चीनी उद्योग) की सिफारिशों के आधार पर श्रमिकों के वेतन-क्रम और पद निर्धारण की गड़बड़ी के कितने विवादग्रस्त आवेदन-पत्र यू०पी० शूगरवेज इम्पलीमेन्टेशन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं और इसमें स्थायी तथा सीजनल कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—शुगरवेज बोर्ड इम्पलीमेन्टेशन कमेटी को ४,५४२ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं, जिसमें ४,६९२ स्थाई श्रमिकों तथा ४,२०० मौसमी श्रमिकों से संबंध रखते हैं ।

*१८—श्री कल्पनाथ सिंह—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक कुल कितने आवेदन-पत्रों पर उक्त कमेटी ने फैसला किया है तथा इस कमेटी के फैसलों का कार्यान्वयन हुआ है या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—कमेटी ने व्यक्तिगत विवादों का निर्णय नहीं किया है, इसने केवल उन्हीं विवादों को जिनमें सामान्य सिद्धान्त निहित हैं, तय किया है । व्यक्तिगत विवादों से संबंधित आवेदन-पत्रों की जांच समायुक्त कर रहे हैं और जो विवाद उपयुक्त समझे जा रहे हैं उन्हें संराधन समिति के समक्ष निपटारा हेतु भेज रहे हैं । कमेटी के निर्णयों को कार्यान्वित न करने के बारे में कोई ऐसा उपालंभ नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें विशिष्ट आरोप दिये गये हों ।

*१९—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी में कितने सेक्रेटरी व ग्राम सेवक ए० डी० ओ० बनाये गये हैं तथा उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है और वे किस-किस साल में ए० डी० ओ० बनाये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गोरखपुर कमिश्नरी में कुल ८ पंचायत मंत्री तथा ७९ ग्राम सेवक, सहायक विकास अधिकारी बनाये गये । उनमें से १ आचार्य तथा शास्त्री, २ बी० काम०, ७ इंटरमीडिएट, ५० हाई स्कूल तथा २७ वर्नाक्यूलर मिडिल तथा २ साल का कृषि डिप्लोमा कोर्स पास हैं । इनमें से १९५५ में दो, १९५७ में बारह, १९५८ में बारह, १९५९ में सोलह, १९६० में सत्रह, १९६१ में आठ तथा १९६२ में बीस सहायक विकास अधिकारी बनाये गये ।

*२०—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—[हटा दिया गया ।]

जिला उद्योग अधिकारी, झांसी का दौरा

*२१—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उद्योग अधिकारी, झांसी ने १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक जिले में कितने मील किस-किस ग्राम का दौरा किया और किस-किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री फूलसिंह—जिला उद्योग अधिकारी, झांसी ने १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक जिले में जिस-जिस ग्राम का, जितने किलोमीटर दौरा किया उसके ब्योरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

जिला उद्योग अधिकारी ने इंजीनियरिंग, कृषि यंत्र निर्माण, आयरन फाउन्ड्री, सोडा सिलीकेट, चर्मकला, प्लास्टिक, रेडियो असेम्बलिंग, सीमेंट, जाली निर्माण, साइकिल के पुर्जे बनाना, छोटे औजारों का निर्माण, आदि मुख्य उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने तथा नियंत्रित कच्चा माल दिलाने की सिफारिश की और हथकरघा, तेल घानी, अखाद्य तेल द्वारा साबुन निर्माण, चर्मशोधन, लौह कला, बांस की टोकरी निर्माण उद्योगों में आठ सहकारी समितियां स्थापित कराईं । काष्ठ कला समिति, मोट को विकसित किया तथा एक सरकारी सेवा केन्द्र (सर्विस सेन्टर) आरा मशीन सहित वहां स्थापित कराया । एक सहकारी समिति ललितपुर में बनवाई जो बन्देली टाइप रेशमी साड़ियों का उत्पादन करती है । ताड़ गुड़ योजना के विकास का कार्य भी चालू किया ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३८९–३९० पर)

*२२—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला उद्योग अधिकारी के मुख्य-मुख्य क्या कर्त्तव्य हैं ?

श्री फूलसिंह—जिला उद्योग अधिकारी के मुख्य-मुख्य कर्त्तव्य ये हैं:

१—विभागीय योजनाओं को सुचारु रूप से चलाना व उनका समय-समय पर निरीक्षण करना ।

२—ग्रामीण उद्योगों की सहकारी समितियों का निर्माण तथा उनके समुचित रूप से संचालन व आर्थिक व अन्य सहायता प्राप्त करने में योग देना।

३—औद्योगिक सहकारी समितियों का समय-समय पर निरीक्षण करना व उनकी त्रुटियों को दूर करने का उपाय करना।

४—ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर को विकास खंड में औद्योगिक योजनाओं को कार्यान्वित करने में यथासम्भव टेक्निकल परामर्श उपलब्ध करना।

५—निजी क्षेत्र में अच्छी औद्योगिक योजनाओं को उपलब्ध सहायता दिलवाकर प्रोत्साहित करना व चालू कराना। इच्छुक व्यक्तियों को उद्योग संबंधी उपलब्ध सुविधाओं के बारे में यथोचित जानकारी प्रदान करना।

६—जिला उद्योग समिति के मंत्री के रूप में कार्य करना तथा अन्य बैठकों में भाग लेना जिनका कि वह सदस्य है।

*२३-२४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—[१२वें सोमवार के लिए प्रश्न ६-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

ट्रक दुर्घटनायें

*२५—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १३ मई, १९६१ से १५ मई, १९६२ तक कितनी ट्रक दुर्घटनायें हुईं और उसमें कितने व्यक्तियों, जानवरों एवं सम्पदा का नुकसान हुआ? क्या जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा होगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*२६—श्री चन्द्रबली—क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश भर में उपरोक्त तिथियों के मध्य ट्रक चालकों एवं मालिकों पर निर्धारित रफ्तार से अधिक रफ्तार पर ट्रक चलाने के कारण कितने मुकदमे चले तथा कितने मुकदमे बिल्ली, कुत्तों, बकरियों, सूअरों तथा अन्य जानवरों के कुचलने पर चलाये गये तथा मुआवजा दिलवाया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद कोतवाली के संतरी को दण्ड

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में ७ मई, १९६२ को इलाहाबाद के रोडवेज ब्रांच आफिस (जीरो रोड) के खजांची को, जो रोडवेज कार्यालय का रुपया कोतवाली में जमा कराने हेतु कोतवाली गये थे, रात्रि को पुलिस के कर्मचारियों ने बुरी तरीके पर मारा पीटा और जिसकी रपट उसी दिन कोतवाली में खजांची द्वारा की गई? यदि हां, तो यह घटना क्या थी और इसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक ७ मई, १९६२ की रात को लगभग ९ बजे रोडवेज के खजांची कोतवाली में रोडवेज का रुपया जमा करने के लिये गये थे। वहां पर रोडवेज के खजाने का ताला खोलने के पूर्व संतरी को आगाह न करने के कारण उनमें व संतरी के बीच बहस हो गई। दुर्भाग्यवश बात बढ़ गई और संतरी ने आवेश में आकर खजांची को एक चांटा लगा दिया। इसके अतिरिक्त, कोई मारपीट नहीं हुई। यह सही नहीं है कि खजांची को पुलिस कर्मचारियों ने बुरी तरह मारा पीटा।

इस घटना की रिपोर्ट तुरन्त उच्च अधिकारियों के पास की गई जिन्होंने संतरी को उसी दिन मुअत्तल कर लाइन हाजिर कर दिया व उसके विरुद्ध धारा ७ पुलिस ऐक्ट की कार्यवाही के आदेश दिये। इस कार्यवाही के फलस्वरूप संतरी का वेतन कांस्टेबुल के वेतन-क्रम के निम्नतम स्तर पर एक वर्ष के लिये घटा दिया गया।

मधुवन थाने से प्राथना-पत्र

*२८—श्री चन्द्रबली—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ से १० मई, १९६२ के बीच मधुवन, जिला आजमगढ़ से कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं जिनमें उक्त थाने में गुन्डागर्दी व अपराध बढ़ने तथा जान के खतरे की शिकायत की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में एक प्रार्थना-पत्र, दिनांक ४-५-६२ को प्राप्त हुआ था जिसमें प्रार्थी ने अपने जान-माल का खतरा होने की शिकायत की थी ।

छपट्टी फ्री स्कूल, मैनपुरी में बालक की हत्या तथा अंजनी गांव में शव मिलना

*२९—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी शहर में छपट्टी फ्री स्कूल के मैदान में सन् ६२ में एक १० वर्ष के विद्यार्थी का मर्डर दिन में हुआ, उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैनपुरी शहर में छपट्टी फ्री स्कूल के मैदान में सन्, १९६२ ई० में एक ११ वर्ष के विद्यार्थी का कत्ल दिन में हुआ, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त, जो स्वयं ९ साल का बालक है, गिरफ्तार हो गया है और धारा ३०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग न्यायालय में चल रहा है ।

*३०—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ६१ में करीमगंज गांव, जो मैनपुरी जिले में है उसमें एक व्यक्ति को दिन दहाड़े मार दिया गया है, उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६१ ई० में मैनपुरी जिले के करीमगंज गांव में किसी व्यक्ति का कत्ल नहीं हुआ । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*३१—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में गांव अंजनी में सन् ६२ में एक व्यक्ति पेड़ पर मरा लटका पाया गया, उसका क्या कारण है और सरकार उस पर क्या कर रही है और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । दिनांक १४-५-६२ को संबंधित ग्राम में एक व्यक्ति की लाश पेड़ पर लटकी पाई गई । जांच से पता चला कि मृतक का दिमाग खराब होने के कारण उसने अपनी धोती से गला बांध कर पेड़ की टहनी से लटक कर आत्म-हत्या की थी । अतः जांच समाप्त कर दी गई ।

हैन्डीक्राफ्ट्स के कर्मचारियों का वेतन

*३२—श्री नरसिंहनारायण पान्डेय—क्या सरकार बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के कितने कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष १९६०-६१ व १९६१-६२ में स्थानान्तरित पदोन्नति अलग-अलग किया गया और स्थानान्तरण में हैन्डीक्राफ्ट्स एवं उद्योग विभाग को कितना खर्च वहन करना पड़ा, कितने का भुगतान करना पड़ा, कितने का भुगतान कर दिया गया और अभी कितने का किन कारणों से भुगतान नहीं किया गया ?

श्री फूलसिंह—वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के ४ कर्मचारियों को स्थानान्तरित तथा २ कर्मचारियों को पदोन्नति किया गया और वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में १८ व्यक्तियों को स्थानान्तरित तथा ११ कर्मचारियों को पदोन्नति किया गया । स्थानान्तरण में उद्योग विभाग को २,२१९ रु० ३४ न० पै० का खर्च वहन करना पड़ा, जिसमें से २,२०९ ० ५४ न० पै० का भुगतान कर दिया गया है और ९ रुपया ८० न० पै० का भत्ता बिल खजाने में हैं, दो कर्मचारियों ने अभी तक यात्रा के भत्ते की मांग नहीं की है ।

*३३—**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय**—क्या सरकार गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के समस्त कर्मचारियों की लिस्ट वेतन-क्रम के अनुसार सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री फूलसिंह—गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के समस्त कर्मचारियों की† सूची वेतन-क्रम के अनुसार संलग्न है ।

*३४—**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय**—क्या सरकार गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के कुछ सीनियर सेल्समैनों को जो कि ग्रेजुएट नहीं हैं, असिस्टेंट मैनेजर (सेल्स) बनाने के लिये प्रयत्नशील है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं ।

मंत्रियों तथा सभासचिवों के लिये स्वागत संबंधी आदेश

*३५—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने जिलों के अधिकारियों क पास कोई आदेश भेजा है कि जिस समय जिले में मंत्री, राज मंत्री, उप मंत्री, सभा सचिव तथा विधान सभा के सदस्य जायं तो उनका किस प्रकार स्वागत और सम्मान हो ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलों में जाने पर मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभासचिवों के स्वागत सम्मान के संबंध में सरकारी आदेश है । इन आदेशों की एक† प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

विधान सभा के सदस्यों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिये गये हैं ।

गन्ना विकास कामदार संघ की मांगें

*३६—**श्री उग्रसेन**—क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि उन्हें मई, ६२ के अन्तिम सप्ताह में उत्तर प्र श गन्ना विकास कामदार संघ के मंत्री की ओर से कोई स्मृति-पत्र मिला है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर सरकार रखेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां । स्मृति-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खी जाती है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३९१–३९२ पर)

*३७—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार बतायेगी कि उनकी मांगों के सम्बन्ध में उसने कौन से कदम उठाये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—सचिव, गन्ना विकास विभाग ने कामदार संघ के शिष्ट मंडल से स सम्बन्ध में २८–८–६२ को अपने कार्यालय में बातचीत की थी, उनकी मांगें सरकार के विचाराधीन है ।

व्यापारिक संघों के स्मृति-पत्र

*३८—**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, उन्नाव, कानपुर आदि शहरों के भिन्न-भिन्न व्यापारिक ऐसोसियेशन द्वारा गत वर्ष या स वर्ष भेजे गये प्रार्थना-पत्र सरकार को मिले हैं, जिनमें दूकानों की कार्यविधि में परिवर्तन की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) जी हां ।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है ।

---

† छापी नहीं गई ।

मल्लावां में जनाना अस्पताल न होना

*३९—श्री जे०पी० मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार को पता है कि मल्लावां कस्बे में अभी तक कोई जनाना अस्पताल नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार मल्लावां (हरदोई जिला) में एक जनाना अस्पताल खोलने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। परन्तु इमारत न मिलने के कारण विचार स्थगित करना पड़ा।

*४०—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार अपनी दस मील की स्कीम के अन्तर्गत गौसगंज (हरदोई जिला) में एक मर्दाना अस्पताल एवं जच्चा-बच्चा सेंटर गांव वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खोलवा देने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है।

*४१—श्री जे० पी० मिश्र—क्या सरकार सेवाली क्षेत्र बिलग्राम व परगना कछन्दऊ के बीच राघौपुर में एक सिविल डिस्पेन्सरी खोलने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्रित की जा रही है?

आजमगढ़ जिला अस्पताल की इमारत

*४२—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगर में जिला अस्पताल की जो नयी इमारत बनने वाली है उस पर कुल कितना रुपया व्यय होगा और उसका निर्माण कब से प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आजमगढ़ में संयुक्त (पुरुष तथा महिला) अस्पताल के लिए बनाई जाने वाली इमारत पर लगभग ७ लाख ८० हजार रुपये व्यय होंगे। आशा है इसी वित्तीय वर्ष में उसका निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा।

*४३—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उपरोक्त अस्पताल में ही महिला अस्पताल डाक्टरों तथा कम्पाउन्डरों के लिये निवास स्थान भी बनेंगे? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। डाक्टरों तथा कम्पाउन्डरों के लिए निवास स्थान के निर्माण की रूपरेखा अभी निश्चित नहीं है।

सड़क दुर्घटनायें

*४४—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६० व १९६१ में उत्तर प्रदेश में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुईं तथा उनके कारण:

(क) कितने व्यक्तियों की जानें गईं, (ख) राज सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ, (ग) कितने मुकदमे चलाये गये, (घ) कितने मुकदमों में सजा हुई तथा उनमें सबसे कम तथा सबसे ज्यादा क्या सजा दी गई, (ङ) दुर्घटनाओं के मुख्य-मुख्य प्रकार क्या थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आगरा, फतेहपुर, झांसी, गोंडा, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिलों को छोड़ कर उत्तर प्रदेश में १९६० में १,५०० और १९६१ में १,९७६ सड़क दुर्घटनाएं हुईं। उनके कारण निम्नांकित हैं:

१—सड़कों का कम चौड़ा होना
२—जनता का ट्रैफिक नियम से अनभिज्ञ होना
३—सवारी गाड़ियों की तेज रफ्तार

४---चालकों के अन्धाधुन्ध गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति इत्यादि
५---सवारी गाड़ियों के पुर्जे में खराबी आ जाना ।

(क) से (ङ) तक

उपरोक्त जिलों को छोड़ कर वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

उपरोक्त जिलों से संबंधित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३९३ पर)

बुलन्दशहर जिले में शस्त्रास्त्रों के लाइसेंसों की स्वीकृति

*४५---**श्री हिम्मतसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने व्यक्तियों ने १९६१ ई० तथा मार्च, १९६२ तक (Fire arms) के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और कितने लाइसेंस दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिला बुलन्दशहर में सन् १९६१ में ८३२ प्रार्थना-पत्र तथा १-१-६२ से ३१-३-६२ तक १७२ प्रार्थना-पत्र शस्त्रास्त्रों के लाइसेंस दिये जाने हेतु दिये गये । स अवधि में कुल २५८ लाइसेंस दिये गये ।

इंस्पेक्टरों को थाना इंचार्ज बनाना

*४६---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार का विचार पुलिस विभाग के डी० एस० पी० (कम्पलेंट्स) के पद को खत्म करने का है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । इस विषय में आवश्यक आदेश ३० अप्रैल, १९६२ को जारी किये जा चुके हैं ।

*४७---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**---क्या सरकार का विचार कुछ थानों पर इंस्पेक्टर या डी० एस० पी० ग्रेड के अधिकारियों को थाना चार्ज के पद पर नियुक्त करने का है ? यदि हां, तो किन-किन थानों में शुरू में सरकार ऐसा करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---केवल इंस्पेक्टरों को कुछ खास थानों पर थाना आफिसर इंचार्ज बनाया गया है। यह स्कीम अभी ७२ थानों पर (जिनकी सूची संलग्न है), कार्यान्वित की गई है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३९४-३९५ पर)

*४८---**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर के पद को खत्म कर देने का विचार है ? यदि हां, तो जो अधिकारी इन पदों पर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं ।

सहारनपुर में बिजली कनेक्शन मिलने में सुविधा

*४९---**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगर में खास तौर पर और जिलों में आम तौर पर domestic तथा non-domestic दोनों प्रकार के बिजली के connection देना वहां की बिजली कम्पनी ने क्यों बन्द कर रखा है ? आइन्दा यह सुविधा जनता को कब तक मिल सकेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सहारनपुर बिजली सप्लाई कम्पनी ने सहारनपुर में नये कनेक्शन देना बन्द नहीं किया है। परन्तु डी० सी० क्षेत्र में फिलहाल उनको बिजली देने में कठिनाई हो रही है क्योंकि जिस यंत्र से वे डी० सी० बिजली लेते थे वह कार्य नहीं कर रहा है, इसलिये डी० सी० कनेक्शन देना अस्थायी रूप से बन्द कर दिया है। शेष सहारनपुर जिले में बिजली मिलने में कोई बाधा नहीं है।

अतिरिक्त सब-स्टेशन के बनने के बाद जनता को कोई असुविधा नहीं होगी।

*५०---**श्री ब्रह्मदत्त मायर**---क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जब सहारनपुर नगर की बिजली कम्पनी नये connection देना बन्द कर चुकी है तो सरकार इलाके की मांग को ध्यान में रखते हुये वहां जो नई-नई Industries लगाने वाली है, उनकी जरूरत को पूरा करने का कोई दूसरा उपाय करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह प्रश्न नहीं उठता।

*५१---**श्री ब्रह्मदत्त मायर**---क्या सरकार Saharanpur Electric Supply Co. Ltd., Saharanpur को आदेश देगी कि डी० सी० के सब connection को ए० सी० कर दे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी से पहले ही कहा जा चुका है कि जहां सम्भव हो, वे डी० सी० लोड को ए० सी० में बदल दें।

दूकान कर्मचारी संघ, गोरखपुर का कथित मांग-पत्र

*५२---**श्री रक्षपालसिंह**---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें गोरखपुर के दुकान कर्मचारी संघ का कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---(क) जी नहीं। (ख) प्रश्न नहीं उठता।

*५३---**श्री सन्तसिंह यूसफ**---[२० सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

लेबर कोर्ट बरेली अवार्ड का कार्यान्वयन

*५४---**श्री उग्रसेन**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री यशपाल महाजन कर्मचारी म्योर मिल्स, कानपुर के केश में लेबर कोर्ट, बरेली ने अवार्ड दिया है कि उन्हें नौकरी पर बहाल सवेतन किया जाय ? यदि हां, तो उस अवार्ड को अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां।

अवार्ड तुरन्त लागू कर दिया गया था, परन्तु अब तक इसलिए कार्यान्वित न हो पाया क्योंकि सेवायोजकों ने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे, जिसके रद्द होने पर समझौते की बातचीत चल रही है।

उन्नाव जिले में अपराधों की घटनायें

*५५---**श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)**---क्या सरकार राज्य में खास कर के जिला उन्नाव में धारदार हथियारों पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार का फिलहाल ऐसा विचार नहीं है।

*५६—श्री देवदत्त मिश्र—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९६२ से १ मई, १९६२ तक उन्नाव जिले में विशेषतया थाना बारा और थाना बीहार के अन्तर्गत कितने कत्ल, कितनी डकैतियां, कितनी राहजनी, लूटमार और कितनी अग्निकांड हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३९६ पर)

गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद के कर्मचारियों का चुनाव

*५७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गवर्नमेन्ट प्रेस के कर्मचारियों की यूनियन के चुनाव के सम्बन्ध में कोई विवाद है और राज्य सरकार ने सहायक श्रमायुक्त, इलाहाबाद या किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में जांच कराई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गवर्नमेन्ट प्रेस, इलाहाबाद के कर्मचारियों की यूनियन के चुनाव के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। चुनाव के सम्बन्ध में इस वर्ष कोई जांच नहीं कराई गई। अतः जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

*५८—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट प्रेस के कर्मचारियों की किस यूनियन को स्वीकार करते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—भारतीय ट्रेड यूनियन ऐक्ट, १९२६ के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को किसी संस्थान के कर्मचारियों की किसी यूनियन को स्वीकार (recognize) करने का कोई अधिकार नहीं है।

शीशागढ़ थाने के कांस्टेबिल की बन्दूक छिनना

*५९—श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले के शीशागढ़ थाने के किसी कांस्टेबिल की बन्दूक छीन ली गई ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। दिनांक १३-४-६२ को शीशागढ़ थाने का कांस्टेबिल रोशनलाल एक अन्य कांस्टेबिल व एक चौकीदार के साथ कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाने ला रहा था। रास्ते में अभियुक्तों के साथियों ने उन पर हमला कर, अभियुक्तों को छुड़ा लिया और रोशनलाल (कान्सटेबिल) से बन्दूक छीन कर भाग गये।

कानपुर साइकिल मर्चेन्ट एसोसियेशन की मांगें

*६०—श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार को कानपुर के साइकिल मर्चेंट एसोसियेशन की ओर से इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र मिला है कि दूकानों के खुलने के घंटे घटाये जायं तथा छुट्टियां निश्चित की जाय? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) जी हां।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है।

ए० डी० एम० तथा सी० आई० की नियुक्ति

*६१—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने व्यक्ति जुडीशियल आफिसर से ए० डी० एम० १९६१ व १९६२ में बनाये गये, उनमें से क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग से हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इनकी संख्या २७ है। इनमें से परिगणित जाति का कोई नहीं है। पिछड़े वर्ग के अधिकारियों के सम्बन्ध में शासन के पास कोई सूचना नहीं रखी जाती है। यह कहना आवश्यक है कि जुडीशियल अफसरों को ए० डी० एम० बनाते समय अभी तक किसी परिगणित जाति के अफसर को supersede नहीं किया गया है।

*६२—श्री रामसिंह—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर के पद से कितने व्यक्तियों को १९६१ व ६२ में सी० आई० के पद पर उन्नति दी गई? उनमें से कितने अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग से थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६१ व ६२ में सब-इंस्पेक्टर के पद से ४६ व्यक्तियों को सी० आई० के पूर्ण रूप से रिक्त (Clear Vacancies) पदों पर पदोन्नति दी गई, उनमें से अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग का कोई नहीं था।

मुरादाबाद जिले में सट्टेबाजों की गिरफ्तारी

*६३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद जिले में सट्टेबाजी का बहुत जोर है? यदि हां, तो सरकार उसे रोकने के लिये क्या कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो नहीं कहा जा सकता कि वहां सट्टेबाजी का बहुत जोर है। किन्तु पुलिस सतर्क है, वहां गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सट्टा खेलने के आरोप में अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं और अधिक मुकदमें चलाये गये हैं। सट्टेबाजी रोकने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

*६४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मुख्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि मुरादाबाद शहर, चन्दौसी, अमरोहा और सम्भल में इस समय तक कितने सट्टेबाजों को पकड़ा गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष ५ सितम्बर तक इन स्थानों में सट्टेबाजी के कुल ३४ मुकदमें दर्ज किए गए हैं। जिनके सम्बन्ध में ५५ व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। २८ मुकदमें चालान किए गए हैं। एक मुकदमें में सजा हुई है और एक में न्यायालय ने अभियुक्तों को बरी कर दिया है। २६ मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं। और बाकी ६ मुकदमों में अभी जांच हो रही है।

*६५-६७—श्री भीखालाल—[७ सितम्बर, १९६२ को प्रश्न ९०-९२ के अन्तर्गत निरस्त किये गये।]

आजमगढ़ सदर अस्पतालों में स्थानाभाव

*६८—श्री सुरजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ सदर अस्पताल में मार्च, सन् १९६२ से ३१ मई, १९६२ तक कुल कितने प्रकार के रोगियों की भर्ती हुई है? क्या हर प्रकार के रोगियों के चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध और चारपाई आदि की व्यवस्था है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रथम भाग—३२ प्रकार के रोगियों की भर्ती हुई।

द्वितीय भाग—फेफड़ों की टी० बी० और कैंसर के रोगियों तथा ऐसे आपरेशनों, जिनमें रक्त की आवश्यकता होती है—जिन्हें बाह्य चिकित्सा देकर निकट के विशेषज्ञों की सेवा संस्था में जाने की सलाह दी जाती है—के अतिरिक्त सभी प्रकार के रोगियों की चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध एवं शैय्याएं उपलब्ध हैं।

*६९—श्री सुरजन—क्या सरकार रोगियों की संख्या के अनुसार, जगह की कमी को देखते हुये, इस अस्पताल को अन्यत्र बनवाने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—संयुक्त अस्पताल के लिए नई इमारत बनाने की योजना स्वीकार की जा चुकी है।

बरनाहल ग्राम में पुलिस चौकी की आवश्यकता

*७०—श्री रामसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी, थाना करहल के अन्तर्गत जो ग्राम बरनाहल पड़ता है, जहां से थाना करहल की दूरी ११ मील है वहां गुण्डों का आतंक फैला है। क्या वहां की गुण्डागर्दी को रोकने के लिये सरकार कोई पुलिस चौकी कायम कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही नहीं है कि ग्राम बरनाहल, थाना करहल, जिला मैनपुरी में गुण्डों का आतंक फैला है।

अतः इस आधार पर कोई चौकी स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जिले में नलकूप की बोरिंग की समस्या

*७१—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री चन्द्रशेखर दुबेदी, ग्राम बेरीट व तहसील बबेरू, जिला बांदा को नलकूप के वास्ते दस हजार दिया गया था और वह पेय आदि सामान संग्रह कर चुके हैं परन्तु उनको बोरिंग करने वाले मिस्त्री, जो जिला स्तर पर बोरिंग कर सके मिले नहीं हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

*७२—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब सरकार के पास मिस्त्री बोरिंग करने वाले नहीं हैं तो वह ऐसी तकावी देने का क्यों प्रयत्न करती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—योजना के अन्तर्गत काश्तकार को अपने निजी ठेकेदारों द्वारा नलकूप के निर्माण के लिये भी तकावी दी जाती है, जैसा कि श्री दुबेदी के मामले में हुआ है।

*७३—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार बोरिंग कराने के वास्ते बांदा जिले में उन व्यक्तियों को मिस्त्री देने की सोच रही है जिनको उसने नलकूप बनाने के लिये तकावी दी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न विचाराधीन है।

नैनीताल जिले में राय—सिक्खों के विरुद्ध शिकायतें

*७४—श्री राजेन्द्रसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के कृषि फार्म चलाने वाले राय-सिक्खों के विरुद्ध गत ४ वर्षों में कितनी शिकायतें पुलिस में की गईं तथा किन-किन धाराओं के अन्तर्गत की गई ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत चार वर्षों में (१९५८ से १९६१) जिला नैनीताल के राय-सिक्खों के विरुद्ध प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर १२१ दस्तनदाजी मुकदमे भा० द० वि० की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कायम किये गये। इन मामलों के सम्बन्ध में ३८४ राय-सिक्ख गिरफ्तार किये गये और उनके मामलों में कानून के अनुसार कार्यवाही की गई। जिन धाराओं में यह मुकदमे चलाये गये, उनका विवरण संलग्न है।

उपरोक्त भा० द० वि० के मुकदमों के अलावा ५९ राय--सिक्खों का चालान १०९ जा० फौ० व ६ का ११० जा० फौ० के अन्तर्गत तथा १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत ३९ मुकदमे कायम हुए, जिनमें २५५ राय--सिक्ख संबंधित थे। उसके अलावा १९ आर्म्स ऐक्ट के ७५ मुकदमे, आबकारी ऐक्ट के १२४ मुकदमे, अफीम ऐक्ट का १ मुकदमा, ३४ पुलिस ऐक्ट के ६ मुकदमे तथा जुआ ऐक्ट का १ मुकदमा कायम किये गये, जिनमें ३४७ राय--सिक्ख संबंधित थे।

इसके अतिरिक्त ६४२ गैरदस्तन्दाजी रिपोर्ट राय--सिक्खों के विरुद्ध प्राप्त हुई, जिनम १,६०० राय--सिक्ख संबंधित हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३९७ पर)

*७५--श्री राजेन्द्रसिंह--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिला नैनीताल में कालाढूंगी के निकट विदरामपुर फार्म में सुन्दर भगाई गई नवयुतियों को एक रमणीक सरोवर में नहलाया जाता है? और दृश्य का रस लेने में सरकारी अफसर भी भागी होते हैं तथा वहां गरीब निवासियों तथा फार्म के नौकरों की स्त्रियों अथवा बेटियों को भी जबदस्ती भ्रष्ट किया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न के प्रथम भाग में उल्लिखित प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में सूचना है कि दिनांक १६-९-६१ को एक फार्म पर नौकरी करने वाली एक स्त्री ने फार्म के मालिक इत्यादि के विरुद्ध बलात्कार व अवैध रूप से रोक रखने आदि के संबंध में एक रिपोर्ट लिखाई, जिसके आधार पर फार्म के मालिक व अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा कायम कर न्यायालय में भेज दिया गया है, जहां पर वह विचाराधीन है।

*७६--श्री राजेन्द्रसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह भी सही है कि श्री जमनराम व उनकी बहन को उसके गांव में घर पर दिन में ही राय--सिक्खों की भीड़ ने मार डाला तथा इसी प्रकार की अराजकता फैला रक्खी है ताकि सभी सज्जन व्यक्ति अपनी सम्पत्ति छोड़ कर या थोड़े मूल्य पर बेच कर भाग जावें और उन पर इन राय--सिखों का अधिकार हो जावे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न में उल्लिखित श्री जमन राम व उनकी बहन का पूरा पता उपलब्ध न होने के कारण, इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

नियोजन विभाग के कर्मचारियों की ज्येष्ठता

*७७--श्री विजयसिंह--क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में नियोजन विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन ६ माह से ज्यादा हो गये, परन्तु अभी तक वितरित नहीं किया गया? इसका क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं।

जिला नियोजन कार्यालय, जालौन में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसका वेतन ६ माह से ज्यादा हो गया हो, परन्तु अभी तक वितरित नहीं किया गया हो।

*७८--श्री विजयसिंह--क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में कुछ व्यक्तियों को चीफ एकाउन्टेण्ट के पद पर नियुक्त किया गया जब कि उन से सीनियर आदमी विभाग में मौजूद हैं, जब कि सरकारी आदेश है कि उन्नति सीनियारिटी के आधार पर होगी जब तक वह अयोग्य न हो?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला आंकिक तथा मण्डलीय पार्टी के आंकिकों की सम्मिलित ज्येष्ठता-सूची के तैयार न होने के कारण ११ व्यक्तियों को मुख्य आंकित के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। शासन के द्वारा इनकी ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के सिद्धान्तों पर अन्तिम निर्णय दिये जाने के फलस्वरूप सूची बनायी जा रही है। सूची बनाने के उपरान्त ही यह निश्चित किया जा सकेगा कि ज्येष्ठता-सूची में किसी कर्मचारी विशेष का क्या स्थान है।

*७९—श्री विजयसिंह—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं कि जिनकी सिनियारिटी अभी तक निश्चित नहीं की गई तथा उन लोगों को कितने दिन प्रार्थना-पत्र दिये हो गये और उनके प्रार्थना-पत्रों पर उनको क्या उत्तर दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मंडलीय तथा जिला कार्यालयों विकास खण्डों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में ८,२१५ कर्मचारियों की ज्येष्ठता अभी निश्चित नहीं की गयी है इसके अतिरिक्त अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर ८८५ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी ज्येष्ठता भी अभी तक निर्धारित नहीं की जा सकी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या बताना सम्भव नहीं है। तत्सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों के प्राप्त होने पर उनको यह सूचित कर दिया गया कि यह प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

अंजुमन चपरासियान का प्रस्ताव

*८०—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अंजुमन चपरासियान तथा अंजुमन हिमायत चपरासियान की ओर से अंजुमन के गत वार्षिक अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो उन प्रस्तावों में क्या मांगें पेश की गई थीं तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ३९८-३९९ पर)

ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल

*८१—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस हेतु बनाई गई तथा उस पर वार्षिक कितना व्यय होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये कुछ विशिष्ट प्रकार के आरोपों की सरल विधि से यथाशीघ्र जांच करने के लिये ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी।

वित्तीय वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में ट्रिब्यूनल पर क्रमशः ८,७३० रुपया, ८,३९० रुपया तथा ९,३०१ रुपया व्यय हुआ था।

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ताजिया

*८२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी में करीब एक सौ वर्षों से अधिक से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक ताजिया सन् १९६१ तक पुलिस के देख-रेख में बराबर हर वर्ष बनता चला आ रहा था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, यह सत्य नहीं है। पुराने रेकार्ड के अनुसार झांसी की रानी के नाम से कोई ताजिया कभी नहीं बना। सब से पहले सन् १९२५ में "कोतवाल का ताजिया" नाम से झांसी कोतवाली के पुलिस कर्मचारियों ने अपने चन्दे से एक ताजिया बनाया जो कि सन् १९६१ तक बनता रहा।

*८३—श्री लखपतराम शर्मा—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जून सन्, ६२ में मोहर्रम के दिनों पुलिस द्वारा हर वर्ष की भांति शहीद महारानी लक्ष्मीबाई का ताजिया झांसी पुलिस द्वारा बनवाये जाने में और उठवाये जाने में इंकार कर दिया गया, जबकि यह ताजिया रानी के महल, जिसमें कि कोतवाली थी, में से बनाया जाता और उठाया जाता रहा था ? यदि यह सत्य है, तो पुलिस द्वारा ताजिया न बनाये जाने और न उठाये जाने का क्या कारण था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो कोतवाल का ताजिया बनाया जाता था वह जून, १९६२ के मोहर्रम में इस कारण नहीं बनाया गया कि कोतवाली पुलिस के कर्मचारियों ने चन्दा देने व ताजिया बनाने से इंकार कर दिया। रानी का महल जिसमें पहिले कोतवाली स्थिति थी, पुलिस ने इस वर्ष मोहर्रम से पहिले ही छोड़ दिया था।

*८४—श्री लखपतराम शर्मा—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जून, १९६२ में झांसी के हिन्दू और मुसलमानों ने एक कमेटी बनाकर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के हेतु मोहर्रम में रानी के नाम का ताजिया बनवाया और उठवाया और सरकार से लिखित रूप में यह मांग की है कि अब भविष्य में हर वर्ष पूर्व की भांति ही पुलिस की देख-रेख में रानी के नाम का ताजिया बने व उठाया जाये ? यदि यह सत्य है, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही इस पर की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, यह सत्य है कि ताजियादारों ने एक कमेटी बना कर रानी के महल से एक ताजिया उठवाया परन्तु इसमें शांति व्यवस्था का प्रश्न नहीं था। प्रश्न में उल्लिखित आशय का एक प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुआ है। चूंकि कोतवाली अब रानी के महल से दूसरे स्थान को हट गई है और पुलिस के कर्मचारियों को कोतवाल के नाम का ताजिया अपने चन्दे से बनवाने और उठवाने के लिये बाध्य भी नहीं किया जा सकता इसलिये उस प्रार्थना-पत्र पर कोई और कार्यवाही नहीं की गई।

गन्ना विकास कौंसिल, अमरोहा की सड़कों के लिये सिफारिशें

*८५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गन्ना विकास कौंसिल, अमरोहा, जिला मुरादाबाद ने १० मील नई सड़कों के बनाने के लिये प्रपोजल भेजे हैं ? यदि हां, तो उन सड़कों के क्या नाम हैं जिनके निर्माण के लिये कौंसिल ने सिफारिश की है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां, उन सड़कों के नाम व लम्बाई इस प्रकार है :

सड़क	लम्बाई
१—हाकिमपुर से फतेहपुर-विशनोई	१ मील ४ फ०
२—कैलाशा स्टेशन से केशवपुर	२ मील
३—कुन्दनपुर शुगर मिल्स से दुर्गपुर	२ मील
४—घनौरा इक्सटेन्शन सड़क	३ मील
५—फलेदा से माटीपुर	१ मील ४ फ०

करीमुद्दीनपुर थाने में कंगलू हरिजन की रिपोर्ट

*८६—श्री रघुवीर—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर, थाना करीमुद्दीनपुर के अन्तर्गत ग्राम मौरा के कुछ पठानों ने उसी गांव के हरिजनों को सोते में लाठी द्वारा तारीख १४ जून, १९६२ को करीब २ बजे रात्री में बुरी तरीके से मारा ? यदि हां, तो मारने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम मोरा, थाना करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर निवासी श्री कंगलू बिन्द ने थाना करीमुद्दीनपुर में १५-६-६२ को रिपोर्ट किया कि उसी गांव के सर्वश्री अलीजान, इकबाल, मन्नान तथा इश्तियाक ने प्रार्थी (कंगलू बिन्द) व रामपति को १४/१५-६-६२, रात्रि २ बजे लाठियों तथा थप्पड़ों से मारा। रिपोर्ट में मारने का कारण प्रार्थी द्वारा ताजिया न उठाना बताया गया है।

*८७—**श्री रघुवीर**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रश्न की रिपोर्ट थाना करीमुद्दीनपुर कंगलू हरिजन द्वारा कराई गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*८८—**श्री रघुवीर**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख ३ जुलाई, १९६२ को मगनी हरिजन तथा राम लछन हरिजन द्वारा उपरोक्त प्रश्न के सिलसिले में पुलिस कप्तान, गाजीपुर तथा डी० आई० जी० के पास प्रार्थना-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस कप्तान के पास इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक ३-७-६२ को श्री लगन हरिजन द्वारा प्रेषित एक प्रार्थना-पत्र डी० आई० जी० के कार्यालय में प्राप्त हुआ। इसकी जांच के लिये सर्किल अफसर नियुक्त किये गये। चूंकि इस घटना के सम्बन्ध में एक मुकदमा धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत न्यायालय में भेजा जा चुका था, इसलिये प्रार्थना-पत्र की जांच स्थगित कर दी गई।

अट्टा व भावती ग्रामों का गोली-कांड

*८९—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि खचेड़ू पुत्र सुनहरी, ग्राम अट्टा, थाना बिसरख, जिला बुलन्दशहर की मृत्यु जो देहली के सब-इंस्पेक्टर की गोली से हुई उसमें अब तक प्रदेशीय सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक २७-१२-६० को जिला बुलन्दशहर के बिसरख थाने पर ग्राम अहोन के एक व्यक्ति ने उक्त गोली कांड की सूचना दी थी। इस सूचना पर थाने में धारा ३०२ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया और जांच प्रारम्भ की गई। इस सम्बन्ध में बुलन्दशहर और देहली के पुलिस उप अधीक्षकों में बात चीत हुई किन्तु यह निश्चित नहीं हो सका कि घटनास्थल किस राज्य के सीमाक्षेत्र में है। इसलिये तत्पश्चात् इस मामले की जांच देहली के एस० डी० एम० द्वारा कराई गई जिस से ज्ञात हुआ कि उक्त सब इंस्पेक्टर ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जिसके फलस्वरूप उक्त व्यक्ति की मृत्यु हुई। इस जांच से यह भी मालूम हुआ कि यह घटना उत्तर प्रदेश की सीमाक्षेत्र में नहीं हुई थी। अतः उक्त मुकदमे से संबंधित कागजात देहली पुलिस को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

*९०—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम भावती, थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर में गोली चलने से जो-जो नवयुवक मारे गये उसमें सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक ३१-३-६२ को उक्त ग्राम के दो व्यक्तियों को कुछ शिकारियों द्वारा गोली से मारे जाने की घटना के सम्बन्ध में धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके जांच की गई और अभियुक्तों का चालान किया जा चुका है।

*९१—**कुंवर श्रीपालसिंह**—[४ सितम्बर, १९६२ को प्रश्न ७७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

मथरा में विद्युत् अव्यवस्था तथा बहेड़ी थाने के दरोगा के खिलाफ कथित शिकायत

*९२—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा नगर में बिजली की घोर व्यवस्था का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मथुरा नगर में बिजली की घोर अव्यवस्था होने की कोई सूचना सरकार को नहीं है। कभी-कभी बिजली बन्द होने की कुछ शिकायतें आई हैं। इसका कारण यह है कि वहां के ट्रांसफार्मर पर भार बहुत हो गया है।

*९३—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बारे में जल विद्युत् विभाग को अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में गत जनवरी से राज्य विद्युत् परिषद् के मुख्य अभियंता, जल विद्युत् को पांच शिकायतें तथा सरकार एवं इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास करीब एक वर्ष में तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य विद्युत् परिषद् अपने सब-स्टेशन की शक्ति १,५०० के० बी० ए० से ३,००० के० बी० ए० तक बढ़ाने की व्यवस्था कर रहा है।

*९४—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी**—क्या सरकार यह बतायेगी कि बहेड़ी थाना, जिला बरेली के थाना इंचार्ज श्री नत्थीसिंह के विरुद्ध वहां की जनता में घोर असंतोष है ? यदि हां तो क्या सरकार ने श्री नत्थी सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाना बहेड़ी, जिला बरेली में कोई श्री नत्थी सिंह थानाध्यक्ष नहीं हैं बल्कि श्री नत्थी प्रसाद, द्वितीय सब-इंस्पेक्टर दिनांक १ मई सन् १९६२ से २३ जून १९६२ तक नियुक्त रहे, और इस अवधि में उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

ग्वालदम—तलवाड़ी मोटर सड़क

*९५—**श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी** (जिला चमोली)—क्या सरकार को चमोली जिले की ग्वालदम-तलवाड़ी मोटर सड़क उसके खतरनाक मोड़ों और कच्ची पुलियों की नाजुक दशा का पता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्वालदम-तलवाड़ी मोटर सड़क पर कुछ स्थानों में मोड़ अवश्य हैं किन्तु वे नियंत्रित धीमी चाल से चलने वाली मोटरों के लिये खतरनाक नहीं है। इस सड़क पर सिर्फ १ मार्गी (One-way) यातायात होता है। सड़क पर कच्ची पुलियों की दशा नाजुक नहीं है।

*९६—**श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी**—तलवाड़ी-ग्वालदम मोटर मार्ग के इस सात मील टुकड़े को सरकार चमोली जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुपुर्द क्यों नहीं करती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस मोटर मार्ग का चमोली से सीधा यातायात न होने के कारण इसे चमोली जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सिपुर्द नहीं किया गया है।

*९७—**श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले में स्थित ग्वालदम-तलवाड़ी सड़क का यह ७ मील टुकड़ा पक्की सड़क के रूप में कब परिणित होगा ? इस पर पक्के पुल कब बनेंगे तथा इसके खतरनाक मोड़ों को कब तक ठीक किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय उसे पक्की करने तथा इसमें अन्य सुधार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रिहन्द से उपलब्ध बिजली का रेट

*९८—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोयले का अभाव देखते हुये सरकार पूर्वी जिलों को रिहन्द बांध से बिजली कब देने जा रही है और उसका रेट क्या होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पूर्वी क्षेत्र के मिर्जापुर, इलाहाबाद, जौनपुर तथा वाराणसी जिलों में रिहन्द से बिजली दी जा रही है और आशा है कि गाजीपुर जिले में भी रिहन्द से बिजली शीघ्र ही मिल जायगी। इसके अतिरिक्त गोरखपुर तथा मऊ के वाष्प विद्युत गृहों को रिहन्द व्यवस्था से संयुक्त करने के कार्य में भी प्रगति हो रही है। यह कार्य सम्पूर्ण होने पर बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, बलिया तथा गोरखपुर जिलों में भी रिहन्द से बिजली मिल सकेगी। रिहन्द से उपलब्ध बिजली की सप्लाई का रेट नत्थी किये गये ब्योरे में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४००–४०१ पर)

*९९—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर म्युनिसिपैलिटी में सेठ कम्पनी की बिजली का ठेका खत्म करके बिजली का इंतजाम क्या खुद सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस कम्पनी को खरीदने का पहला अवसर राज्य विद्युत् परिषद् को १३ जून, १९६४ को प्राप्त होगा। उक्त परिषद् द्वारा खरीदने के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

*१००—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेठ कम्पनी को बिजली के लिये सरकार कितना मुआवजा देने जा रही है ? क्या उसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

हल्द्वानी थाने में उदयराम के सम्बन्ध में रिपोर्ट

*१०१—श्री खुशीराम—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तारीख ८ जून, १९६२ को जिला नैनीताल में थाना हल्द्वानी के अन्तर्गत ग्राम कमलुबागाजा (बनीवपुर) में जो उदयराम नामक व्यक्ति मारा गया है उस पर हल्द्वानी पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक ८–६–६२ को श्री बालादत्त, निवासी मौजा कमलुवा गाजा ने थाना हलद्वानी पर मृतक श्री उदय राम के घायल व बेहोश हालत में नहर में पड़े होने की सूचना दी जिसके आधार पर धारा ३०८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। बाद में मृतक के अस्पताल में मर जाने पर मुकदमा धारा ३०४ भा० दं० वि० में परिवर्तित कर दिया गया। अब तक किसी अभियुक्त का पता नहीं चला है। जांच जारी है।

*१०२—श्री खुशीराम—क्या यह सही है कि मृतक की पत्नी ने पुलिस कप्तान व एस० डी० एम०, भावर को भी प्रार्थना-पत्र दिये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मृतक की पत्नी श्रीमती बसन्ती देवी ने पुलिस कप्तान व एस० डी० एम०, भावर को कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया किन्तु उसने एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, मेजिस्ट्रेट, हल्द्वानी को दिया था। उस पर जांच की गई तथा श्री बालादत्त, श्री भोलाराम व श्रीमती देवकीदेवी, पत्नी भोलाराम, निवासी कमलुवा गांजा के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फा० की रिपोर्ट न्यायालय भेजी गई जो न्यायालय में विचाराधीन है।

एस० डी० ओ० हाईडेल्स, मुरादाबाद के खिलाफ शिकायतें

*१०३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या मुख्य मन्त्री को कुछ शिकायती दरख्वास्तें एस० डी० ओ० हाइडेल्स, मुरादाबाद और उनके स्टाफ के खिलाफ रिश्वतखोरी के बारे में हाल ही में मिली है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक पता चला है, सरकार के पास ऐसी कोई शिकायती दरख्वास्तें प्राप्त नहीं हुई हैं ?

लोअर गंजेज यमुना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी, अलीगढ़

*१०४—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुरानी लोअर गंजेज यमुना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी, अलीगढ़ को १ जून, १९६१ को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा अधिकृत कर लेने पर उपरोक्त कम्पनी में काम करने वाले कर्मचारियों के सेवा नियमों में कोई परिवर्तन किये गये ? यदि हां, तो वे क्या थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने लोअर गंजेज यमुना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी के कर्मचारियों के सेवा नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। केवल यात्रा तथा दैनिक भत्ते में थोड़ा परिवर्तन हुआ है।

*१०५-१०६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—[३७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

रायबरेली जिले में अदालती पंचों का मनोनयन

*१०७—श्री रतीपाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में अदालती पंचों के मनोनयन हो गये हैं ? यदि हां, तो कब और किन तारीखों में किस-किस क्षेत्र में हुये हैं और यदि अब तक नहीं हुये हैं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

बछरांवा, इन्हौना, रायबरेली नार्थ तथा रायबरेली साउथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत न्याय पंचायतों के पंचों का मनोनयन दिनांक १८ अगस्त, १९६२ तथा सलोन, रोखा, डलमऊ तथा सरेनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत के पंचों का मनोनयन दिनांक १९ अगस्त, १९६२ को हुआ।

*१०८—श्री रतीपाल—क्या यह सही है कि प्रदेश के अन्य सभी जिलों में अदालती पंचों का मनोनयन हो गया है ? यदि हां, तो जिला रायबरेली में क्यों देर में यह कार्य किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रशासकीय कठिनाइयों के फलस्वरूप यह कार्य जुलाई में न होकर १८ तथा १९ अगस्त को सम्पन्न किया गया।

*१०९—श्री रतीपाल—[हटा दिया गया।]

थाना मीरा में चिल्ड्रेन पार्क

*११०—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—तारांकित प्रश्न संख्या ११५ दिनांक २ अगस्त, १९६२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त कथित बालोद्यान के निर्माण की ५०० रुपये की लागत का तखमीना किसी विभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा ही लगाया गया है अथवा किसी विशेषज्ञ द्वारा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—५०० रुपये का तखमीना किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा विशेषज्ञ द्वारा नहीं लगाया गया है।

*१११—श्री छेदालाल चौधरी—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कथित बालोद्यान का थाने की भूमि पर निर्माण किये जाने के पूर्व विभागीय स्वीकृति भी थाना इंचार्ज द्वारा प्राप्त की गई थी अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। बालोद्यान का निर्माण मुख्यतः थाने में तैनात पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिये किया गया है। अतः पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति पर्याप्त थी।

*११२--श्री छेदालाल चौधरी--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बालोद्यान की ५०० रुपये की धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत हुई है या जनता से उगाही गयी है? यदि जनता से उगाही गयी है, तो उसका हिसाब-किताब क्या है अथवा किस-किस से रुपया लिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--५०० रुपये की धनराशि की स्वीकृति पुलिस अधीक्षक, खीरी द्वारा पुलिस लाइन, खीरी के कैन्टीन वेलफेयर फंड से ली गई है।

फिल्म यूनिट की कथित असफलता

*११३--श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रदेशीय सरकार के फिल्म यूनिट द्वारा निर्मित फिल्में, सिनेमा गृहों में प्रदर्शित करने के लिये भारत सरकार ने नापसन्द कर के अस्वीकार कर दिया है? यदि हां, तो भारत सरकार ने अस्वीकृत करने के कारणों पर क्या नोट लिखा है? क्या उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--जी नहीं।

*११४--श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल--क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार के फिल्म यूनिट की असफलता को देखते हुये उसको पुनर्संगठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री बनारसीदास--प्रश्न नहीं उठता।

घाटमपुर थानान्तर्गत जसवन्तसिंह की हत्या

*११५--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--क्या मुख्य मन्त्री को सूचना है कि कानपुर जिले के थाना घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम विद्दपुर के प्रधान, श्री जसवन्त सिंह की हत्या दिनांक २१ मई, १९६२ ई० को कर दी गई थी? यदि हां, तो अब तक उनके हत्यारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, श्री जसवन्त सिंह की हत्या हुई। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जिला परिषदों के चुनाव

*११६--श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जिला परिषद् के शेष चुनाओं को कब तक सम्पूर्ण करा कर जिला परिषदों का प्रारम्भ करने जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ से सम्बन्धित एक संशोधन विधेयक सरकार द्वारा लाया जा रहा है और वह शीघ्र ही सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा। उक्त विधेयक के पारित होते ही जिला परिषदों के संगठन की अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

*११७--श्री बालोजी अग्रवाल--[हटा दिया गया।]

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में नर्स 'चाको' की मृत्यु तथा डाक्टर मोहन कुमार द्वारा आत्महत्या

*११८—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा में २१ जून, १९६२ को किसी नर्स "चाको" की मृत्यु हुई थी? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, मृत्यु २० जून, १९६२ की रात को हुई थी। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि मृत्यु गर्भपात के शाक (shock) एवं रक्त प्रवाह (haemorrahage) के कारण से हुई।

*११९—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा के डाक्टर मोहन कुमार ने २८ जून, १९६२ को आत्महत्या की? यदि हां, तो किस कारण से?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। उनके शव के पास उनके द्वारा लिखा हुआ एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि वे अपनी साथी (partner) क्लेरा के बिना जीवित नहीं रह सकते थे अतः वह उसका साथ पुनः पाने को जा रहे हैं।

मुंगराबादशाहपुर थानान्तर्गत अपराध

*१२०—श्री केशरीप्रसाद पान्डेय—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुंगराबादशाहपुर, जिला जौनपुर के थाने के अन्तर्गत गत फरवरी से जून, १९६२ तक कितनी नकबजनी, तार काटने की वारदात, कत्ल और मोटर या ट्रक दुर्घटनायें घटीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला जौनपुर के थाना मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत फरवरी से जून, १९६२ तक १० नकबजनी, ३ तार काटने की वारदातें, एक कत्ल, और २ ट्रक दुर्घटनायें हुईं।

झलतोला-बेरीनाग पाइप लाइन योजना

*१२१—श्री खुशीराम—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ में झलतोला-बेरीनाग पाइप लाइन योजना का सर्वे किये हुये कितना समय हो चुका है और इस योजना को अभी तक चालू न किये जाने का क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला पिथौरागढ़ में झलतोला बेरीनाग पाइप लाइन योजना का सर्वे १९६१ में हुआ और मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग का तखमीना सरकार के पास जुलाई, १९६२ में प्राप्त हुआ। उस पर विचार किया जा रहा है।

देवरिया जिले में श्री जयशंकर राय दारोगा तथा सोशलिस्ट कार्यकर्त्ता श्री राजेन्द्र की गिरफ्तारी

*१२२—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया में कोई सब-इंस्पेक्टर आफ पुलिस, श्री जयशंकर राय रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार हुये? यदि हां, तो उनकी जमानत किस अदालत से हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक २०-७-६२ को श्री जयशंकर राय, सब-इन्सपेक्टर पुलिस, रिश्वत लेते हुए पकड़े गये। इन्हें श्री रामलाल, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस देवरिया ने जमानत पर रिहा किया।

*१२३—श्री कृष्णा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के बढ़या बुजुर्ग ग्राम में सरजू लोनिया के घर के दरवाजे को थाना कोतवाली के इंचार्ज द्वारा बलपूर्वक तोड़ डालने पर सोशलिस्ट कार्यकर्त्ता, श्री राजेन्द्र ने जब विरोध किया तो उन्हें कोतवाल ने कोतवाली में लाकर बुरी तरह मारा पीटा है क्या उक्त व्यक्ति की चोटों का मुआयना जेल अस्पताल में हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सत्य नहीं है कि थानाध्यक्ष कोतवाली, देवरिया ने उक्त ग्राम में सरजू लोनिया के घर के दरवाजे को बल पूर्वक तोड़ा है। अतः इस सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र के किसी प्रकार के विरोध का प्रश्न नहीं उठता।

वास्तव में श्री राजेन्द्र को धारा १४८/३२३/४२६ आई० पी० सी० के एक अपराध के संबंध में गिरफ्तार करने के प्रयास में उन्हें कुछ चोटें आईं जिनका मुआइना जेल में हुआ।

*१२४—श्री कृष्णा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एक थाने में सिपाही कितने साल तक बिना स्थानान्तरित हुये रहता है ? कोतवाली देवरिया के कांस्टेबिल, श्री कमला शुक्ला और जंग बहादुर सिंह कितने दिन से कोतवाली में हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तराई तथा भावर क्षेत्र में सिपाही एक थाने पर केवल पांच वर्ष तक रह सकता है परन्तु अन्य जिलों के थानों के विषय में ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सर्वश्री कमला शुक्ला तथा जंग बहादुर सिंह देवरिया कोतवाली में क्रमशः १३ फरवरी, १९५९ तथा ८ जुलाई, १९५९ से तैनात हैं।

*१२५—श्री रक्षपालसिंह—[२० सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

भरेह ग्राम में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार

*१२६—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा, तहसील औरैया, ग्राम भरेह में डिस्पेन्सरी अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एलोपैथिक अस्पताल खोलना सम्भव नहीं है। आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार किया जा रहा है।

*१२७-१२८—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

जिला अस्पताल, बहराइच की इमारत

*१२९—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार को पता है कि जिला अपस्ताल बहराइच जिसका उद्घाटन मुख्य मंत्री ने गत जनवरी महीने में किया था धराशायी हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अस्पताल भवन धराशायी नहीं हुआ है।

*१३०—श्री श्यामलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अस्पताल के निर्माण में कितने लाख रुपये व्यय हुये और धराशायी होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रथम भाग—१५ लाख २६ हजार रुपये।

द्वितीय भाग—प्रश्न १२९ के उत्तर के कारण प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर जूनियर टेक्निकल स्कूल के भवन की स्वीकृति

*१३१—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जूनियर टेक्निकल स्कूल के भवन निर्माण करने की धनराशि किस वर्ष तथा माह में स्वीकृत की गई थी और उसका भवन अभी बनना आरम्भ हुआ या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गाजीपुर जूनियर टेक्निकल स्कूल के भवन निर्माण करने की धनराशि अप्रैल, १९५९ में स्वीकृत की गयी थी और उसका भवन अभी बनना आरम्भ नहीं हुआ है।

छाता क्षेत्र के विकास खंडों को जीपें

*१३२—श्री लखीसिंह—क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला के छाता क्षेत्र के विकास खंडों को कितनी जीपें दी गई हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र के दो विकास खंडों को जीपें नहीं दी गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मथुरा जिले की छाता, तहसील में तीन विकास-खण्ड हैं—नन्दगाँव, चोमाह तथा छाता। इनमें से एक जीप केवल नन्दगांव खण्ड के पास है। शेष दो विकास खण्डों में, जो अभी पूर्वप्रसार सेवा खण्ड हैं, जीपें नहीं दी गई हैं। जीपें विकास खण्डों को पूर्व प्रसार सेवा की अवधि के उपरान्त, प्रथम सोपान में प्रवेश करने पर ही दी जाती हैं।

*१३३—श्री लखीसिंह—[स्थगित किया गया।]

*१३४—श्री लखीसिंह—[२० सितम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न १२० के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*१३५—श्री राधेश्याम शर्मा—[२० सितम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न १२१ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*१३६-१३७—श्री सत्यनारायण पांडेय—[२० सितम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न १२२-१२३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*१३८—कुंवर श्रीपालसिंह—[२० सितम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न १२४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

मेडिकल कालेज, लखनऊ में एम० डी० एस० क्लास खोलने का विचार

*१३९—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार का विचार लखनऊ मेडिकल कालेज में M. D. S. (Medical Dental Service) की क्लास खोलने का है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, लखनऊ डेन्टल कालेज में M. D. S. (Master in Dental Science) की क्लास १९६३-६४ से खोलने का विचार है।

*१४०—श्री शिवदानसिंह—क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार से इसकी सहायता के लिये धनराशि भी मिल चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*१४१—श्री शिवदानसिंह—इस क्लास के खोलने में देरी होने के क्या कारण कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वार्षिक नियोजना की सीलिंग की कमी के कारण यह योजना अभी तक नहीं चलाई जा सकी ।

*१४२—१४४—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[२० सितम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न १२५–१२७ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

*१४५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—[२० सितम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न १२८ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

फर्रुखाबाद जिला सूचना अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१४६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सूचना मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के कुछ विधायकों तथा सम्मानित व्यक्तियों द्वारा वहां के जिला सूचना अधिकारी की शिकायतों का कोई आवेदन-पत्र जुलाई व अगस्त, १९६२ में मिला है ?

श्री बनारसीदास—जी हां ।

*१४७—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—अगर हां, तो उस आवेदन-पत्र में जिला सूचना अधिकारी पर जो आरोप लगाये गये हैं उस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है और उस जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री बनारसीदास—जांच कराई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

झांसी के एक विधायक का लखनऊ में एक्सरे न हो सकना

*१४८—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर), श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय तथा श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि झांसी के किसी निर्दलीय विधायक द्वारा ६ अगस्त, १९६२ को इस आशय की शिकायत माननीय मंत्री से की गई है कि उनके पैर की उंगली में फ्रैक्चर होने के उपरान्त भी सिविल अस्पताल तथा बलरामपुर अस्पताल में X-Ray प्लेट न होने के कारण न तो उनका X-Ray हो सका और न फ्रैक्चर के उपरान्त अब तक प्लास्टर ही लगाया जा सका, उपरोक्त शिकायत पर क्या किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

शिकायत की जांच करने पर मालूम हुआ कि पिछले ३–४ महीनों से एक्स-रे फिल्मों के समस्त विक्रेताओं के पास मांग-पत्र (indent) तथा स्मरण-पत्र भेजने पर भी एक्स-रे फिल्म प्राप्त न हो सकीं थीं । इसी कारण विधायक महोदय के पैर की पहले स्क्रीनिंग की गई, फिर ७–८–१९६२ को जब एक्स-रे प्लेट का प्रबन्ध हो सका, तो एक्स-रे करके, उसी दिन प्लास्टर भी चढ़ाया गया ।

*१४९—श्री रामसुन्दर शास्त्री, श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय तथा श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि फ्रैक्चर के उपरान्त भी सिविल अस्पताल में दिनांक ५ अगस्त, १९६२ को फ्रैक्चर न होने का X-Ray न लिये जाने के कारण लिख कर दिया और दिनांक ६ अगस्त, १९६२ को फ्रैक्चर होने का लिखकर वहीं के डाक्टर द्वारा दिया गया ? इस प्रकार माननीय सदस्य को बिना मूल्य खर्च किये उपचार की जब कि कानूनी सहूलियत दी गई है उसके विपरीत X-Ray न लिये जाने और सही उपचार न किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जैसा कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है कि एक्स-रे फिल्म उपलब्ध न होने के कारण ही ५-८-६२ को विधायक महोदय के पैर की उंगली की स्क्रीनिंग की गयी। स्क्रीनिंग में फ्रैक्चर नहीं मालूम हुआ किन्तु ऊपर से देखने पर यह आभास होता था कि शायद हड्डी टूटी है, इसलिये विधायक महोदय से प्लास्टर बंधवाने को कहा गया। किन्तु उन्होंने कहा कि जब तक एक्स-रे नहीं होगा प्लास्टर नहीं चढ़ाऊंगा। अतः उनसे दूसरे दिन अस्पताल आने को कहा गया। दिनांक ७-८-६२ को एक एक्स-रे प्लेट का प्रबन्ध करके विधायक महोदय की उंगली का एक्स-रे लिया गया और तब मालूम हुआ कि उनकी उंगली में फ्रैक्चर है और उसी दिन प्लास्टर लगाया गया जो विधायक महोदय की प्रार्थना पर ८-८-६२ तथा २०-८-६२ को बदला गया। इससे मालूम होगा कि समय-समय पर विधायक महोदय को एक्स-रे तथा अन्य उपचार की सभी सुविधायें दी गईं।

*१५०-१५१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

आई० ए० एस० अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट

*१५२—**श्री भानुप्रतापसिंह** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट (जैसी कि वह पहली जनवरी, १९६२ को थी) के प्रथम २० नाम कौन से हैं? इस ग्रेडेशन लिस्ट के अनुसार श्री चन्द्रमोहन निगम का नाम किस नम्बर पर है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन २० अधिकारियों के नाम संग्लन सूची में दिये हुये हैं। श्री चन्द्रमोहन निगम का नाम ग्रेडेशन लिस्ट में ४२ नम्बर पर है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ४०२ पर)

*१५३—**श्री भानुप्रतापसिंह**—उपरोक्त २० अधिकारियों में किन-किन अधिकारियों को कलेक्टर से ऊंचे पदों (higher charges) पर पहली जनवरी, सन् १९६२ के पूर्व स्थायी अथवा अस्थायी ढंग से नियुक्त किया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—संलग्न सूची में जिन अधिकारियों के नाम १ से ९ नम्बर तक हैं उन्हें १ जनवरी, १९६२ के पूर्व सुपर टाइम स्केल के स्थायी पदों पर स्थायी किया गया था और शेष अधिकारी स्थानापन्नरूप में उक्त स्केल में निर्माणित अस्थाई पदों पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहे थे।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ४०२ पर)

*१५४-१५६—**श्री बांकेलाल** (जिला देवरिया) तथा **श्री कैलाश** (जिला देवरिया)—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

मड़ियाहूं तहसील में उद्योगों के लिये सहायता

*१५७—**श्री जगन्नाथ राव** (जिला जौनपुर) तथा **श्री शारदानन्द** (जिला सीतापुर)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९, १९५९-६० व १९६०-६१ में जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में लघु उद्योग धंधे के निमित्त किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना धन किन-किन उद्योगों को चलाने के लिये दिया गया?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'थ आगे पृष्ठ ४०३-४०४ पर)

*१५८—**श्री माताप्रसाद**—[हटा दिया गया]

विकास क्षत्र अनुदान का टाउन एरिया पर व्यय

*१५९—श्री माताप्रसाद—क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक विकास क्षेत्रों में कुल अनुदान का ५ प्रतिशत धन उस विकास क्षेत्र के अन्दर पड़ने वाली टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया पर खर्च करने का जो नियम था वह नियम (सभी ग्राम सभाओं में धन वितरण कर देने से) समाप्त कर दिया गया है ?

यह नियम विकास क्षेत्र में पड़ने वाले टाउन एरिया पर अब भी लागू है तथा उस नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। नोटीफाइड एरिया में इस नियम को लागू करने के कोई आदेश नहीं हैं।

*१६०-१६१—श्री भोखालाल—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*१६२—श्री नत्थूसिंह (जिला इटावा)—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

ब्लाक अध्यक्षों का चुनाव

*१६३—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जो अभी ब्लाक अध्यक्षों का चुनाव हुआ है उस चुनाव में कितने अध्यक्ष पिछड़ी, अनुसूचित जाति के चुने गये हैं और किन-किन स्थानों में ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रमुख के पद के लिए नाम निर्देशन पत्र (Nomination Paper) में उम्मीदवारों की जाति के संबंध में सूचना देने का कोई प्राविधान नहीं था।

*१६४-१६६—श्री रामायण राय—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

*१६७—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—[२० सितम्बर, १९६२ के लिए प्रश्न १२९ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

वाराणसी पुलिस लाइन का भोजनालय कक्ष

*१६८—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी जिले की वाराणसी पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के लिये जो मेस चलता है उसमें परिगणित जाति के कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के साथ बैठ कर भोजन नहीं करने पाते ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यद्यपि यह सत्य है कि पुलिस लाइन वाराणसी के भोजनालय कक्ष (Dining Hall) में परिगणित जाति के पुलिस कर्मचारी अपना भोजन नहीं करते हैं तथापि यह भी सत्य है कि बहुत से अन्य पुलिस कर्मचारी भोजनालय कक्ष में स्थानाभाव के कारण अपने बैरकों में ही भोजन करना पसन्द करते हैं।

*१६९—श्री हरिगैनराम—क्या सरकार अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का पालन कराने वाले इन कर्मचारियों के मामले की जांच करेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चूंकि परिगणित जाति के किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की है अतः जांच किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

१९३८ की एक विज्ञप्ति खत्म करने पर विचार

*१७०—श्रीमती कलारानी मिश्रा (जिला हरदोई)—क्या सरकार का विचार उस विज्ञप्ति को जो सन् १९३८ में 3543/XVIII—210 द्वारा निकाली गई थी खत्म करने का है जिसमें गवर्नमेंट इन्डस्ट्रियल तथा टेक्निकल इन्स्टीट्यूट के नानगजटेड कर्मचारियों की जगहें नानपेन्शनएबुल कर दी गई थीं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विज्ञप्ति संख्या ३५४३/१८-२१०, दिनांक १६ नवम्बर, १९३८ को खत्म करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । जिसका निर्णय अविलम्ब ही लिया जायेगा ।

*१७१—श्रीमती कलारानी मिश्रा—क्या सरकार और विभागों की तरह यहां के कर्मचारियों को पेन्शन तथा अन्य सुविधायें देने का कष्ट करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त विज्ञप्ति के खत्म करने के प्रश्न पर निर्णय हो जाने के पश्चात् इन प्रश्नों पर विचार किया जायेगा ।

जुनवाई ब्लाक में कोआप्शन स्थगित करना तथा डाक्टर न होना

*१७२—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Block जुनवाई, जिला बदायूं में 21-5-62 को B. D. C. के सदस्यों के co-option में Assistant Returning Officer Nomination का समय समाप्त होने पर अपनी duty पर पहुंचा जिसकी वजह से co-option स्थगित कर दिया गया ? सरकार ने इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—निर्धारित समय के भीतर कोई नामांकन पत्र प्राप्त न होने के कारण कोआप्शन स्थगित किया गया । किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१७३—श्री जुगलकिशोर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं ब्लाक जुनावई के अस्पताल में डाक्टर कब से नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बदायूं जिले के जुनावई अस्पताल में १२-७-६१ से डाक्टर नहीं है ।

बहराइच जिले के चकबन्दी अधिकारी, श्री एल० आर० सिंह

*१७४—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री एल० आर० सिंह, चकबन्दी अधिकारी, बहराइच जिले में कितने वर्षों से हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१७ फरवरी, १९५७ से ८ अगस्त, १९६२ तक रहे ।

*१७५—श्री ईश्वरशरण—किन-किन पदों पर श्री एल० आर० सिंह ने जिला बहराइच में काम किया ? इनको सरकार अभी और कितने वर्षों तक वहां और रखना चाहती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डिप्टी कलेक्टर तथा चकबन्दी अधिकारी, इनका स्थानान्तरण हो गया । इसलिये प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*१७६—श्री ईश्वरशरण—सूबे में और कितने अफसरान ए क्लास के ऐसे हैं जो तीन वर्ष से ज्यादा एक ही पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये स्वीकृत धन का अवशेष भाग

*१७७.—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितना धन बिना खर्च हुये बच गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये योजना आयोग द्वारा स्वीकृत धनराशि में से लगभग २४.६६ करोड़ रुपया व्यय नहीं हो सका ।

कृष्णी नदी के 'राजपुर' तथा 'बनतपुर' पुलों पर टैक्स न लेने का सुझाव

*१७८—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार को पता है कि जिला मुजफ्फरनगर में कृष्णी नदी पर जिला बोर्ड द्वारा दो पक्के पुल सन् १९३९ में बनाये गये थे जिन पर ३३,९७३ रु० राजपुर पुल पर तथा ३३,२७९ रु० बनतपुर पर लागत लगी थी, उक्त दोनों पुलों से लागत का लगभग १५ गुना यानी ६ लाख रुपया टैक्स के रूप में अब तक वसूल हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्तरिम जिला परिषद् को आदेश देगी कि उक्त दोनों पुलों से टैक्स की वसूली खत्म की जावे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, शासन को यह पता है कि जिला बोर्ड इन दोनों पुलों पर उनके निर्माण के व्यय के कई गुणा अधिक कर लगा चुका है । फिर भी सरकार इस बात का आदेश पहले ही दे चुकी है कि इन पुलों पर जो टैक्स वसूला जाय उससे जिले में अन्य आवश्यक पुल बनाये जायं । उपर्युक्त आदेशों में परिवर्तन करने की शासन कोई आवश्यकता नहीं समझता है ।

गन्ना विकास मंत्री के मुरादाबाद दौरों पर व्यय

*१७९.—श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना विकास मंत्री ने जब से यह मंत्री हुये हैं, मुरादाबाद के कितने दौरे किये हैं और उन पर कितना खर्चा सरकार ने किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गन्ना विकास मंत्री ने २८ अगस्त, १९६२ तक मुरादाबाद के १२ दौरे किये जिन पर १,११० रु० २० नये पैसे व्यय हुआ है । अन्तिम ४ दौरों में मोटर गाड़ियों पर जो व्यय हुआ है वह इस खर्च में शामिल नहीं हैं क्योंकि उनके अभी बिल प्राप्त नहीं हुये ।

*१८०.—श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना विकास मंत्री का उन दौरों में कहां-कहां प्रोग्राम हुआ और सरकार के किस कार्य के लिये वे प्रोग्राम हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपर्युक्त दौरों में जिन जगहों में गन्ना विकास मंत्री गये उनका विवरण संलग्न तालिका में है । सभी दौरे जनहित में किये गये थे ।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ४०५ पर)

*१८१—श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि गन्ना विकास मंत्री के साथ कौन-कौन लोग गये और उन पर सरकार का क्या खर्च हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रत्येक दौरे में एक आशुलिपिक अथवा सहायक, १ अर्दली एवं १ शेडो कान्सटेबिल मंत्री जी के साथ गये थे । इन कर्मचारियों के ऊपर जो कुल व्यय हुआ इस प्रकार है :

	रु० न०पै०
१—आशुलिपिक/सहायक	६००.३३
२—अर्दली	२२९.१३
३—शेडो	२३८.५०
कुल व्यय ..	१,०६७.९६

अतारांकित प्रश्न

१–२––श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)––[२७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

३––श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)––[१७ सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गढ़ी अब्दल्ला खां ग्राम की डकैती में श्री जयप्रकाश की मृत्यु

४ –श्री विजयपालसिंह––क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १, २ जुलाई, १९६२ की रात को जिला मुजफ्फरनगर, पुलिस स्टेशन, थाना भवन के ग्राम गढ़ी अब्दुला खां में डकैती की कोई वारदात हुई थी जिसमें जय प्रकाश नामी आदमी मारा गया था ? यदि हां, तो उक्त वारदात की जांच के लिये दिनांक ५ जुलाई, १९६२ तक कोई उच्च पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर क्यों नहीं गया ? पुलिस की इस लापरवाही के खिलाफ क्या गांव वालों की ओर से कोई इश्तहार निकाल कर सरकार से उचित कार्यवाही का अनुरोध किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––जी, हां । ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला खां, थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर में दिनांक १/२–७–६२ को एक डकैती हुई थी व इस डकैती में जय प्रकाश नामक आदमी मारा गया था । यह सही नहीं है कि कोई उच्च पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर दिनांक ५–७–६२ तक नहीं गया । दो उप-पुलिस अधीक्षक अन्य पुलिस फोर्स सहित दिनांक २–७–६२ को घटना स्थल पर पहुंचे और दिनांक ५–७–६२ तक उसी क्षेत्र में रहे ।

इस वारदात के सिलसिले में श्री विजयपाल सिंह गर्ग, मंत्री, ग्राम सहायक संघ, गढ़ी अब्दुल्ला खां, ने एक इश्तहार निकाला है जिसमें पुलिस की कथित लापरवाही पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है । किन्तु पुलिस अधीक्षक के समक्ष गांव वालों ने कहा कि वे पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट हैं ।

५–श्री विजयपाल सिंह––उपरोक्त डकैती के सिलसिले में कितने आदमी चौधरी अतर सिंह के बाग से गिरफ्तार किये गये जिनको छर्रे भी लगे थे और बन्दूक तथा माल भी बरामद हुआ और क्या उनमें फैयाज भी था जिसको मृतक जयप्रकाश की पत्नी ने पहचाना भी था ? यदि हां, तो उसको क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––इस डकैती के सिलसिले में दो आदमी चौधरी अतर सिंह के बाग से पकड़े गये थे जिनको छर्रे लगे थे । उनसे दो बन्दूकें व नौ अदद कारतूस तथा कुछ माल बरामद हुआ था ।

अभियुक्त फैयाज वहां नहीं पकड़ा गया बल्कि बाद में पकड़ा गया । उसको पुलिस ने जेल भेज दिया । उसकी शिनाख्त की कार्यवाही जेल में होगी । यह गलत है कि मृतक जयप्रकाश की पत्नी ने फैयाज को मौके पर पहचाना था ।

६––श्री विजयपालसिंह––क्या यह सही है कि पुलिस कप्तान उक्त घटना की जांच करने के लिये ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला खां नहीं गये बल्कि ग्राम से तीन मील दूर गदेवड़ा में गांव वालों को बुलाया तथा गांव वालों को गदेवड़ा बुला कर भी स्वयं नहीं पहुंचे ? यदि हां, तो क्यों, तथा सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

पुलिस कप्तान दिनांक २-८-६२ को ग्राम गढ़ी अब्दुला खां गये और वादी के पिता श्री मुसद्दी लाल व गांव के अन्य प्रमुख व्यक्तियों की एक मीटिंग गढ़ी अब्दुल्ला खां में ही की । अतः इस विषय में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

महोबा सब-डिवीजन में गांव सभाओं के मुअत्तल प्रधान

७—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि जिला हमीरपुर में कितने ऐसे प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनको जिला हमीरपुर में रहते हुये तीन वर्ष से अधिक हो चुके हैं और उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या सरकार इस पर अविलम्ब ध्यान देने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक भी नहीं ।

८—श्री मदनपालसिंह—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि महोबा सब-डिवीजन, जिला हमीरपुर में ऐसे कितने ग्राम सभाओं के प्रधान हैं जो अरसे से मुअत्तिल हैं ? क्या सरकार उनके फैसले जल्द करने का आदेश सम्बन्धित अधिकारी को देने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस समय महोबा सब-डिवीजन, जिला हमीरपुर में तीन ग्राम सभाओं के प्रधान मुअत्तिल हैं । उनके विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही समाप्त करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारी को दिये जा चुके हैं ?

लखनऊ तथा इलाहाबाद मेडिकल कालेजों का स्टाफ

९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू अस्पताल तथा मेडिकल कालेज और स्वरूप रानी अस्पताल में कितने डाक्टर, कम्पाउन्डर तथा नर्स कार्य करते हैं तथा लखनऊ के मेडिकल कालेज और बलरामपुर अस्पताल में कितनी नर्स, डाक्टर तथा कम्पाउन्डर कार्य करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मोतीलाल नेहरू अस्पताल तथा मेडिकल कालेज और स्वरूप रानी अस्पताल में क्रमशः कुल २३ डाक्टर, १७ कम्पाउन्डर और १०० नर्सें कार्य करती हैं । लखनऊ के मेडिकल कालेज और बलरामपुर अस्पताल में क्रमशः कुल १६७ डाक्टर ७० कम्पाउन्डर और ३१७ नर्सें कार्य करती हैं ।

१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज के अन्तर्गत स्वरूप रानी अस्पताल में १९६१-६२ में कितनी दवाई दी गई तथा मेडिकल कालेज में कितनी दवाई दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—स्वरूपरानी अस्पताल में १९६१-६२ में कुल ६१,००० रु० के मूल्य की दवायें दी गयीं । मेडिकल कालेज में कोई दवा नहीं दी गयी ।

११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद स्वरूपरानी अस्पताल के लिये वहां के लिये विशेष दवाई की मांग है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

पन्तसागर के निकट हिंसक पशुओं से क्षति

१२—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पन्तसागर के उत्तरी-पश्चिमी छोर पर पिछले ४ महीने के भीतर लगभग १०० पशुओं (गाय, बैल) को बड़ा चीता खा गया है तथा कई बार आदमियों पर भी हमला किया है ? क्या उस चीते को मरवाने की व्यवस्था वन मंत्री तत्काल करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पंतसागर, जो कि मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, पर कभी-कभी मध्य प्रदेश के वनों से पशु भक्षक आ जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक केवल दो जानवरों के मारे जाने की सूचना उप अरण्यपाल, दुद्धी वन खंड, मिर्जापुर को गत ७ जून को मिली थी। एक सौ जानवरों को मारकर खा जाने तथा आदमियों पर आक्रमण करने की खबर अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। शासन द्वारा जंगली पशुओं को मारने तथा पुरस्कार देने की आम व्यवस्था बहुत पहले से है। उसके अतिरिक्त इस मामले में किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यापकों को जनगणना भत्ता न मिलना

१३—**श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री मंगलदेव** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री २ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कितने अध्यापकों का कुल कितना धन बकाया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय केवल १९ अध्यापकों का कुल १५२ रु० २२ न० पै० आनरेरियम के रूप में बकाया है। इन अध्यापकों के नाम मेज पर रखी गई सूची में दे दिये गये हैं। इन अध्यापकों का वर्तमान पता मालूम न होने के कारण भुगतान करने में बिलम्ब हो रहा है। पता लगाने का प्रयत्न जारी है और जैसे ही यह जानकारी हो जायेगी आनरेरियम की धनराशि मनीआर्डर द्वारा उनको भेज दी जायेगी।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ४०६ पर)

१४—**श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री मंगलदेव**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिसाब प्रस्तुत करने हेतु अध्यापकों को कब-कब सूचना दी गई तथा किसी प्रकार का फार्म नमूना भी दिया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यापकों को न तो हिसाब प्रस्तुत करने के हेतु सूचना दी जाने और न किसी प्रकार का फार्म नमूना दिये जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि यह कार्य जनगणना अधिकारियों को ही कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार करना था। फिर भी घोसी तहसील के अध्यापकों को आनरेरियम लेने के लिये सितम्बर तथा अक्टूबर, १९६१ में तथा मुहम्मदाबाद के अध्यापकों को अगस्त, १९६१ में दो बार खंड विकास अधिकारियों द्वारा सूचना दी गई थी।

चक्की भूसाडोही को आजमगढ़ पुलिस प्रशासन में लेना

१५—**श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री मंगलदेव**—क्या मुख्य मंत्री २ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक आदेश ९ जून, १९६२ को क्या और किसको-किसको दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शासकीय आदेश संख्या १२०७/ए/८.ए०, दिनांक ९-६-६२ द्वारा ग्राम चक्की भूसाडोही का पुलिस प्रशासन थाना बरहज, जिला देवरिया से हटाकर थाना मधुबन जिला आजमगढ़ को स्थानान्तरित कर दिया गया है। उक्त आदेश पुलिस महा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिया गया है और इसकी प्रतिलिपियां आयुक्त, गोरखपुर मंडल, तथा जिलाधीश देवरिया और आजमगढ़, सचिव राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश, तथा रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भेजी गई है।

घोसी थानान्तर्गत अकोल्ही ग्राम से पुलिस के विरुद्ध शिकायत

१६—**श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री मंगलदेव**—क्या मुख्य मंत्री दिनांक २ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत क्या थी और जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई एवं परिणाम क्या हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री करिया यादव के शिकायती पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। शिकायतों पर सर्किल इंस्पेक्टर ने अपनी यह रिपोर्ट दी कि वे सब असत्य हैं और पेशबन्दी में की गई है।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ४०७ पर)

१७—**श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री मंगलदेव**—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत करने वाले से भी पूछ-ताछ की गई या नहीं? यदि हां, तो उनका बयान क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सर्किल इंस्पेक्टर जिन्होंने जांच की अवकाश ग्रहण कर चुके हैं अतः यह बताना कि उन्होंने शिकायत करने वाले का बयान लिया या नहीं संभव नहीं है।

संराधन बोर्ड, लखनऊ के पास मिल्क यूनियन, लखनऊ के कर्मचारियों के मामले

१८—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थायी संराधन बोर्ड के पास लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन के मिल्क कर्मचारियों द्वारा १ अप्रैल, १९६२ से १ अगस्त, १९६२ तक कौन-कौन और कितनी किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई और उस पर बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा १ अप्रैल, १९६२ से १ अगस्त, १९६२ की अवधि में स्थायी संराधन बोर्ड, लखनऊ को भेजी गई शिकायतें तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ४०८ पर)

१९—**श्री रामकिशोर त्रिपाठी**—क्या श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ६ जुलाई, १९६२ को चेयरमैन स्थायी संराधन बोर्ड की तरफ से लखनऊ सहकारी दुग्ध संघ की कोई जांच की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—६ जुलाई, १९६२ को प्रारम्भिक जांच हतु स्थायी संराधन बोर्ड के विशेषज्ञ सहायक भेजे गये थे, किन्तु जांच पूर्ण न हो सकी। अतः जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

२०–२१—**श्री रियासत हुसैन**—[२० सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ३०–३१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

श्री योगेन्द्रप्रसाद का डी० आई० जी० वाराणसी, को प्रार्थना-पत्र

२२—**श्री उमाशंकर तिवारी** (आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री योगेन्द्रप्रसाद (बहरायची), थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ ने डी० आई० जी० पुलिस, वाराणसी को स्थानीय पुलिस के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु कोई प्रार्थना-पत्र तारीख १८ अक्तूबर, १९६१ को दिया है? क्या यह सच है कि वह २१ अक्तूबर को डी० आई० जी० महोदय को मिल गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक १८ अक्तूबर, १९६१ को उक्त व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस के विरुद्ध डी०आई०जी० वाराणसी रेन्ज को एक प्रार्थना-पत्र भेजा था। यह प्रार्थना-पत्र डी० आई० जी, को २१ अक्टूबर तक अवश्य प्राप्त हुआ होगा।

२३—**श्री उमाशंकर तिवारी**—यदि हां, तो क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्र में पुलिस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ ४०९ पर)

आगरा में बर्फ के कारखाने

२४---**श्री बालोजी अग्रवाल**---क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में बर्फ के कितने कारखाने हैं और उनके मालिक कौन-कौन हैं ? इन कारखानों में से कितने कारखाने वित्तीय वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ व १९६२-६३ में बन्द रहे ? कारखाने बन्द रहने का क्या कारण था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---आगरा नगर में, कारखाना अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत बर्फ के ६ कारखाने हैं, जिनके मालिक सर्वश्री कालीचरण, टीकमचन्द्र, नवल किशोर, पन्नालाल, कैलाश शंकर और रामनारायण अग्रवाल हैं । इन कारखानों में १९६०-६१ में १, १९६१-६२ में ४ और १९६२-६३ में १ कुछ-कुछ समय के लिये बन्द रहे हैं । बन्द होने का कारण मशीनों की मरम्मत, व्यापार की मन्दी, कोयले की कमी या आपसी समझौता (Pooling System) था ।

पचपेड़वा ग्राम से ताजिया जलूस न निकलना

२५---**श्री चन्द्रबली**---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिला के पचपेड़वा थाना के पचपेड़वा ग्राम में इस साल ताजिया का जुलूस नहीं निकाला गया ? क्या पिछले साल चेहल्लुम का जुलूस भी नहीं निकाला गया था ? क्या इस साल भी चेहल्लुम का जुलूस नहीं निकाला जा सका ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, पचपेड़वा बाजार, थाना पचपेड़वा, जिला गोंडा में ताजियेदारों ने स्थानीय पुलिस द्वारा हर प्रकार से मदद देने के आश्वासन के बावजूद भी इस साल मोहर्रम व चेहल्लुम का जुलूस नहीं निकाला । पिछले वर्ष भी चेहल्लुम का जुलूस नहीं निकाला था जिसका कारण संलग्न विवरण-पत्र में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ४१० पर)

चमोली, जिला प्रशासन व्यय

२६---**श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर** (जिला गढ़वाल)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तराखंड डिवीजन का निर्माण होने से पहले सब-डिवीजन चमोली जो अब 'चमोली' जिला बनाया गया है उसमें जिला बनने से पहले कितने S. D. M. (S.D. O.) Tahsildar, Nayab-Tahsildar थे और अब कितने हैं और उनके हेडक्वार्टर कहां-कहां रखे गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उत्तराखन्ड बनने के पूर्व चमोली सब-डिवीजन में एक डिवीजनल मजिस्ट्रेट, एक तहसीलदार तथा एक नायब तहसीलदार थे । अब चमोली जिला हेडक्वार्टर के अतिरिक्त तीन अन्य तहसील हेडक्वार्टर जोशीमठ, ऊखीमठ तथा कर्णप्रयाग हैं और प्रत्येक स्थान पर एक सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, एक तहसीलदार तथा एक नायब-तहसीलदार नियुक्त हैं ।

२७---**श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर**---उक्त अफसरों में से किस के लिये और कहां रहने के मकान, आफिस इत्यादि बन गये हैं और उन सब के बन जाने पर कितना-कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक चमोली तहसील का संबंध है वहां पर सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के रहने के लिये तथा कार्यालयों के लिये पुरानी इमारतें मौजूद हैं। नायब तहसीलदार के लिये अलग कार्यालय की आवश्यकता नहीं होती।

नायब तहसीलदार के लिये अभी आवास गृह नहीं बना है।

जोशीमठ तथा कर्णप्रयाग में सब अधिकारी किराये के स्थानों में रहते हैं। कार्यालय भी किराये के स्थानों में हैं। ऊखीमठ में इन अधिकारियों के लिये निम्नलिखित भवन बनाये गये हैं:—

तहसील ऊखी मठ

पद	व्यय रु०
१—सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट गृह	१३,८२६
२—तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार आवास गृह	१४,३२९
३—सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार कचहरी ..	११,२१९
४—तहसीलदार कार्यालय	९,९९४

२८—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जबसे उत्तराखंड (बार्डर एरिया) बना है आज तक कितने (अ) सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, (आ) एक्जीक्युटिव इंजीनियर (इ) असिस्टेंट इंजीनियर, (ई) ओवरसियर नियुक्त हो चुके हैं और उनमें से कितनों का तबादला हो चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब से उत्तराखंड मंडल बना, वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अब तक (अ) ३ सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स, (आ) ११ एक्जीक्युटिव इंजीनियर्स, (इ) ५० असिस्टेन्ट इंजीनियर्स तथा (ई) २०९ ओवरसियर्स, नियत हो चुके हैं, जिनमें से १ सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, ३ एक्जीक्युटिव इंजीनियर्स, १२ असिस्टेंट इंजीनियर्स तथा १८ ओवरसियर्स के स्थानान्तरण किये गये।

२९—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमोली जिले का नया हेडक्वार्टर जो गोपेश्वर के करीब बनाने की योजना है उसमें (१) चमोली से हेडक्वार्टर तक मोटर रोड, (२) चमोली से अलकनन्दा पर पुल, और (३) हेडक्वार्टर में नई इमारतों में कितना (रुपया उनके) पूरे होने तक खर्च होगा और अब तक कितना रुपया इन नये हेड क्वार्टर की योजना में खर्च हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चमोली से गोपेश्वर तक मोटर रोड तथा चमोली में अलकनन्दा नदी पर पुल का निर्माण चमोली-ऊखीमठ-कुंड मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में हो रहा है, ताकि इस क्षेत्र का आर्थिक उत्थान हो सके। गोपेश्वर का नया हेडक्वार्टर इसी मोटर मार्ग के किनारे होगा। गोपेश्वर में हेडक्वार्टर के लिये इमारतें बनाने का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हो सका और न इस पर कोई विशेष खर्च हुआ। अब दफ्तर और रहने की इमारतों के लिये २१,८२,००० रु० के और अस्पताल के लिये ९,४५,५०० रुपये के तखमीने आ गये हैं। आशा है इन पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

विजयगढ़ टाउन एरिया के विद्युतीकरण के लिए जांच

३०—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में विजयगढ़ टाउन एरिया (अलीगढ़) का विद्युतीकरण करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस नगर के विद्युतीकरण के लिये जांच की जा रही है और उसके समाप्त होने पर उचित निर्णय किया जायगा।

३१-३३ श्री ब्रह्मदत्त मायर—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले में हथकरघा बुनकर सोसाइटियों को सहायता

३४—श्री बद्रीप्रसाद—(जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में कितनी हथकरघा बुनकर सोसाइटी हैं और किस-किस स्थान पर हैं?

श्री फूलसिंह—फतेहपुर जिले में नौ हथकरघा बुनकर सोसाइटी हैं, जो खागा, मुरऊ, खजुहा, फतेहपुर, बिन्दकी तथा चिल्ली में हैं।

३५—श्री बद्री प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ से सन् १९६१ तक कितना अनुदान तथा ऋण किन-किन सोसाइटियों को दिया गया?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना संलग्न है।

देखिये नस्थी 'भ' आगे पृष्ठ ४११ पर)

मीरगंज में अस्पताल खोलने की प्रार्थना

३६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मीरगंज तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर में अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में जिला अन्तरिम परिषद् जौनपुर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वहां पर जनसाधारण के कष्ट निवारणार्थ कब तक अस्पताल खुल जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एलोपैथिक अस्पताल अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की योजना के अन्तर्गत विकास खंड के मुख्यालय पर खोले जाते हैं। मीरगंज, विकास खंड, मछली शहर में स्थित है। मछली शहर में जो कि विकास खंड का मुख्यालय है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जा चुका है। इसके अतिरिक्त मीरगंज में एक आयुर्वेदिक अस्पताल कार्य कर रहा है। अतः वहां पर एलोपैथिक अस्पताल खोलना सम्भव नहीं है।

३७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या सरकार मुंगराबादशाहपुर और मछली शहर अस्पतालों में उनके स्थानीय महत्व को ध्यान में रखते हुये महिला विंग खोलने का विचार करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं जिनमें एक-एक जच्चा-बच्चा केंद्र की भी व्यवस्था है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की योजना के अन्तर्गत इस स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला विंग खोलने का प्रावधान नहीं है। अतः उपरोक्त केन्द्रों में महिला विंग खोलना सम्भव नहीं है।

जौनपुर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज आफिस में परिगणित व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन

३८—श्री माताप्रसाद—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज आफिस में इस समय कुल कितने व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन है और उनमें परिगणित जाति के कितने व्यक्ति हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जून, १९६२ के अन्त में २,८०४ व्यक्ति पंजीकृत थे जिनमें से ४२२ परिगणित जाति के थे।

३९—श्री माताप्रसाद—क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि परिगणित जातीय व्यक्तियों में कितने व्यक्ति कक्षा ८, कितने कक्षा १०, कितने इंटर और कितने बी० ए० पास हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—८९ कक्षा ८, ११३ हाई स्कूल, ५३ इंटरमीडियेट तथा ६ बी० ए० पास थे ।

४०—श्री माताप्रसाद—क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि पिछले जून महीने में स्वास्थ्य विभाग जौनपुर ने एम्पलाइमेंट एक्सचेन्ज जौनपुर से वैक्सीनेटर या दूसरे कार्यों के लिये कितने नाम मांगे गये थे उनमें परिगणित जाति के कितने उम्मीदवारों के नाम भेजे गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वैक्सीनेटर के पद के लिये १०० व्यक्तियों के लिये नाम मांगे गये थे । अन्य रिक्त स्थानों के लिये जो चतुर्थ श्रेणी के थे, मांगे गये । व्यक्तियों की संख्या नहीं व्यक्त की थी । सम्प्रेषित व्यक्तियों में से ३२ परिगणित जाति के थे ।

४१-४२—श्री गयाप्रसाद—(जिला वाराणसी)—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

बलिया जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

४३—श्री केशरी प्रसाद पांडेय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले में १ जनवरी से ३० जून तक सन १९६१ तथा इसी काल में सन् १९६२ में क्रमशः कितनी-कितनी हत्यायें, डाके, चोरियां, मवेशियों की चोरियां, हत्या के साथ डकैतियां एवं अन्य अपराध हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गयी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'म' आगे पृष्ठ ४१२ पर)

कानपुर के शन्तिया काण्ड से सम्बन्धि थाना इंचार्ज सरदार प्रीतमसिंह

४४—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के शन्तिया काण्ड के अभियुक्तों के विरुद्ध जो मुकदमा चल रहा था उसके सारे अभियुक्त न्यायालय द्वारा मुक्त हो गये ? यदि हां, तो उस घटना के सम्बन्ध में जो व्यक्ति पुलिस की गोली से मारे गये थे सरकार उनके परिवार वालों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, सब अभियुक्त न्यायालय द्वारा मुक्त नहीं हुए ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

४५—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के शन्तिया कांड की जांच करने वाला सिद्दीक हसन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने स्टेशन अफसर सरदार प्रीतम सिंह के विरुद्ध जिसने आगरा कैमिस्ट के पास धोती बदल कर भेज दी थी, के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार कर रही है? यदि हां तो किस प्रकार की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, यह प्रश्न विचाराधीन है । जब तक निर्णय न हो जाय प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

बांदा जिला अदालतों का कार्यकाल

४६—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में सरकार कार्यालयों का कार्यकाल इस वर्ष गर्मी के दिनों में प्रातः का किया गया ? यदि हां, तो वह कौन से कार्यालय थे जिन्होंने इस राजाज्ञा का पालन नहीं किया तथा अपने कार्यालयों का समय दिन वाला ही बनाये रखा ? क्या यह सच है कि पानी बरसने के पूर्व ही यह प्रातः कालीन समय बदल दिया गया जबकि गर्मी उसी समान पड़ रही थी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बांदा जिले में अदालतों और जिलाधीश के कार्यालय का कार्य-काल इस वर्ष गर्मी के दिनों में प्रातः काल का किया गया था।

कोई ऐसा कार्यालय नहीं था जिसने राजाज्ञा का पालन नहीं किया और जिसे करना चाहिए था।

यह सच नहीं है कि पानी बरसने के पूर्व ही प्रातः कालीन समय बदल दिया गया।

फतेहपुर जिलले में उद्योगों के लिये सहायता

४७—**श्री रक्षपालसिंह**—क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६०-६१ व १९६१-६२ में फतेहपुर जिला में उद्योग विभाग से किन व्यक्तियों तथा फर्मों को कितना रुपया अनुदान तथा कर्ज के रूप में कब-कब दिया गया तथा सम्बन्धित उद्योगों के चलाने में अब कितनी-कितनी प्रगति हुई है ?

श्री फूलसिंह—जिला फतेहपुर में सन् १९६०-६१ में ४९ इकाइयों को ८२,०३३ तथा ५० नये पैसे ऋण तथा २ इकाइयों को २८,४५६ रुपया अनुदान दिया गया।

सन् १९६१-६२ में २२ इकाइयों को ५०,५८७ रुपया ५० नये पैसे ऋण तथा २७ इकाइयों को १७,६३० रुपया अनुदान दिया गया।

विस्तृत सूचना को सदन की मेज पर रखने में काफी धन, समय तथा परिश्रम लगेगा। अतः यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वह कृपया मेरे दफ्तर में आकर प्राप्त कर लें।

४८ **श्री रक्षपाल सिंह**—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

सीतापुर जिले के विभिन्न थानों में रिपोर्टें

४९—**श्री शिवेन्द्रप्रताप**—(जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला सीतापुर में थाना थानमंडी, महमूदाबाद सदरपुर में १ मार्च १९६२ से अब तक कितने Congnizble तथा कितने Non-cognizable offences की रिपोर्ट लिखायी गयी, कितने मुकदमों की जांच हुई तथा कितने अदालत में गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न में मांगी हुई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। जो दिनांक १-३-६२ से २७-८-६२ की अवधि के बारे में है।

(देखिये नत्थी 'य' आगे पृष्ठ ४१३ पर)

बिसवां तहसील में शस्त्रास्त्रों के लाइसेंस की स्वीकृति

५०— **श्री गयाप्रसाद महरोत्रा**—(जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिसवां तहसील जिला सीतापुर में पिछले १ जनवरी, १९६२ से जुलाई १९६२ तक कितने लोगों ने fire arm licences के लिये आवेदन-पत्र दिये थे और उनमें से कितने लोगों के license स्वीकृत हुए ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अवधि में ४९ व्यक्तियों ने शस्त्रास्त्रों के लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र दिये जाने से ११ को लाइसेंस स्वीकृत हो चुके हैं ?

५१—**श्री गयाप्रसाद महरोत्रा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि fire arm licence स्वीकार करने में बिसवां तहसील में इतनी देर का कारण क्या है तथा इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत जिलाधीश सीतापुर के पास की गई ? यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सामान्यतः बिसवां तहसील के व्यक्तियों को शस्त्रास्त्रों के लाइसेंस स्वीकार करने में कोई विलम्ब नहीं होता। इस सम्बन्ध में एक शिकायत जिलाधीश को प्रश्नकर्त्ता से प्राप्त हुई थी किन्तु जांच से शिकायत निराधार पाई गई।

नवाबगंज चीनी मिल का गन्दा पानी

५२—श्री शान्तीचन्द्र शुक्ल तथा श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में नवाब गंज शुगर मील के गंदे नाले से नवाबगंज निवासियों के स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ रहा है क्या उसके सुधारने की कोई योजना सरकार से विचाराधीन है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रत्येक कारखने में मलबे तथा गन्दे पानी के व्ययन को निश्चित तथा प्रभावपूर्ण व्यवस्था करने के उद्देश्य से सरकार ने एक एफ्लुएंट बोर्ड (Effluent Board) का निर्माण किया है। इस बोर्ड ने नवाबगंज शुगर मिल को गंदे पानी के स्तर (स्टैंडर्ड) को अपेक्षित स्तर पर लाने और इस प्रयोजन से एक उचित व्यवस्था करने का यंत्र प्रापर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का आदेश दिया है।

५३—श्री अवधनारायणप्रताप सिंह—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

पुलिस कान्सटेबिलों को मकान भत्ता

५४—श्री रतीपाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पुलिस के जो सिपाही शहर में तैनात होते हैं उनको कितना रुपये मकान का किराया भत्ता प्रति माह मिलता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पुलिस कानिसटेबिलों को जब सरकारी क्वार्टर नहीं मिलता है तो उसके बजाये उनको निम्नलिखित दर के अनुसार मकान का किराया दिया जाता है :

१—कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, और लखनऊ	६ रु० प्रति मास
२—मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, झांसी, फैजाबाद, देहरादून, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस तथा गोरखपुर	४ रु० ५० नये पैसे प्रति मास
३—अन्य स्थानों पर	३·७५ ० प्रतिमास

५५—श्री उल्फत सिंह—[२७ सितम्बर १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

दहगवां ब्लाक की इमारत

५६—श्री उल्फत सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं ब्लाक दहगवां में ब्लाक की इमारत कब तक बन जावेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसा अनुमान है कि कथित विकास खंड का भवन लगभग दो वर्ष में बन कर तैयार हो जायेगा।

बरहन कस्बा को बिजली देने की प्रार्थना

५७—श्री शिवचरण—(जिला आगरा)—क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा कस्बा बरहन में बिजली का कोई प्रबन्ध करने का वह विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस नगर के विद्युतीकरण के लिये जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं और यदि प्राविधिक दृष्टि से सम्भव हुआ तो यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में सम्पन्न किया जायेगा।

५८—श्री हीरालाल यादव—[हटा दिया गया।]

श्री मुहम्मद रफी खां--]२७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

रिहन्द विद्युत् गृह की मशीनें

६२--श्री ऊदल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून के अन्त में रिहन्द डैम के ५ विद्युत् यंत्र चलाये जाने वाले थे और सरकार ने कहा था कि बिजली की खपत हो जायेगी, तो क्या सरकार बतायेगी कि बिजली के पांचों यंत्र इस वक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो यन्त्र न चलाने से रोजाना किनने रु० का नुकसान हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--रिहन्द विद्युत् गृह में पांच मशीनों में से दो मशीनें इस समय चल रही हैं। कहीं भी बहुत बड़ी मात्रा में बिजली का पूरा प्रयोग होते-होते दो-तीन साल का समय लगता ही है। इसी प्रकार रिहन्द पर भी पूरा लोड आते आते कुछ समय लगना अनिवार्य है। इस परियोजन से सरकार की कोई हानि नहीं हो रही है।

दुकानों पर कार्य का समय

६३--श्री चन्द्रबली--क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको तथा मुख्य मंत्री को उत्तर प्रदेश के किन-किन नगरों से दुकानदारों द्वारा काम के घंटे कम कराने के लिये प्रार्थना-पत्र, स्मृत-पत्र प्राप्त हुये हैं तथा किन-किन नगरों के प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकातें की हैं ? उनके विवरण सदन को देने तथा प्रार्थना पत्रों तथा स्मृति पत्रों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या उन स्मृति-पत्रों, प्रार्थना-पत्रों में काम के घंटे १५ घंटा के स्थान पर अधिक से अधिक १० घंटे करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--(क) श्रम मंत्री के पास अलीगढ़, आगरा, उन्नाव, इलाहाबाद, कानपुर, खीरी, गोरखपुर, गाजियाबाद, देहरादून, फरुखाबाद, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, वाराणसी, और, सहारनपुर, नगरों से तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के पास कानपुर, गाजियाबाद, देहरादून, बरेली, मेरठ, लखनऊ और सहारनपुर से प्रार्थना-पत्र अथवा स्मृति-पत्र आये हैं।

(ख) श्रम मंत्री से लखनऊ के व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल अगस्त, १९५१ में तथा कानपुर के व्यापारियों का मंडल कानपुर में अप्रैल १९६२ मे मिला था। मुख्य मंत्री जी से कोई प्रतिनिध मंडल औपचारिक रूप से नहीं मिला।

(ग) प्रार्थना-पत्रों तथा स्मृति-पत्रों को सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है, और न ही सदन को उससे विशेष लाभ होगा, क्योंकि उनकी सख्या बहुत अधिक है।

(घ) काम के घंटों को कम कर के १० घंटे करने की मांग की गई है। इस संबंध में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

६४-६६--श्री शिवेंद्र प्रताप--[१२वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ५१-५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

६७-६८--श्री उग्रसेन--[११वें सोमवार के लिये प्रश्न २८-२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सिंचाई मंत्री के बंगलोपर बिजली कर्मचारी श्री रामफेर की मृत्यु

६९--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई सन् १९६२ के अन्तिम पखवारे में सिंचाई मंत्री के बगले पर कार्य करने वाले एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई ? यदि हां तो मृत्यु का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जुलाई १९६२ के अन्तिम पखवारे में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। ३०-६-६२ को सार्वजनिक निर्माण विभाग के बिजली कर्मचारी श्री रामफेर, जो सिंचाई मंत्री के बंगले पर जो बिजली ठीक करने को गये थे, को बिजली का धक्का लगा और वे गिर पड़े अस्पताल पहुंचने पर उसकी मृत्यु हो गई।

७०— श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मृतक कर्मचारी की बीबी या ससुर ने जिसके निवास स्थान पर कर्मचारी रहता था, उसने संबंधित मंत्री को या हजरतगंज थाना इंचार्ज को कोई पत्र या रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

चीनी मिल मजदूरों को बोनस

७१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश की चीनी मिल के मजदूरों में गत मई, १९६०-६१ का जो बोनस बांटा गया है उससे असन्तोष व्याप्त है क्योंकि १९६० ६१ में प्रदेश में जितनी चीनी बनी, उतनी पहले कभी नहीं बनी थी फिर बोनस इस वर्ष कम बांटा गया ? सरकार इस असंतोष के परिमार्जन हेतु क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१९६०-६१ सीजन के बांटे गये बोनस के संबंध में शक्कर मिलों के श्रमिकों के असंतोष के संबंध में सरकार को कोई विशेष सूचना नहीं प्राप्त हुई है। केवल यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन ने एक प्रस्ताव पास किया है और इस सम्बन्ध में असंतोष प्रकट किया है।

७२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६०-६१ का बोनस १९५१ के L. A. T. Award के फार्मूले के अनुसार क्या मिलना चाहिये सरकारार बताने की कृपा करेगी कि कि २१ व २२ अप्रैल सन् १९६२ में गोला-गोकरननाथ में हुये यूनाइटेड चीनी मिल मजदूरों के फेडरेशन की ओर से कोई प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस ओर क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—१९६०-६१ के बोनस का लेवर अपेलेट ट्रिब्यूनल के फार्मूले के अनुसार १,६६,३१,२०६ रुपया मिलना चाहिये। इस सीजन के बोनस के संबंध में यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो सरकार के विचाराधीन है।

७३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन मिलों ने पिछले पांच वर्षों में गन्ना किसानों का Deferred Payment Price (डेफर्ड पेमेंट पर) कीमत दी है ? यदि हाँ तो किस दर से और कितनी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार ने गन्ना किसानों का डेफर्ड प्राइस के रूप में गन्ने का अतिरिक्त मूल्य दिलाने के लिये १९५८-५९ सीजन से प्राइस लिंकिंग फारमूला कानूनन लागू किया है। इस पर चीनी मिलों द्वारा रिहैब्लीटेशन अलाउन्स का भी डेफर्ड प्राइस निकालने में सम्मिलित किये जाने की मांग पर केन्द्रीय सरकार ने जाँच के लिये मालला टारिफ कमीशन के सिपुर्द कर दिया। अतएव जब तक केन्द्रीय सरकार का निर्णय टैरिफ कमीशन की सिफारिशों पर नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

७४—श्री रामप्यारे—[११वें सोमवार के लिये प्रश्न २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

७५—श्री शारदानन्द—[२० सितम्बर १९६२ के लिए प्रश्न ३२ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

पंचायत सेक्रेटरी

७६—श्री शारदानन्द—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत सेक्रेटरियों को अब तक अस्थाई क्यों रखा जा रहा है ? निकट भविष्य में उन्हें स्थायी करने का विचार सरकार रखती है ? यदि हाँ तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—पंचायत मंत्री गांव पंचायतों के कर्मचारी हैं । गांव पंचायतों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे उनका वेतन नियमित रूप से दे सकें । अतः उन्हें स्थायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता । निकट भविष्य में भी उनके स्थायीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

मथुरा जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

७७—श्री लखीसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में जनवरी सन् १९६२ में अब तक कितने कत्ल व डकैती व राहजनी हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मथुरा जिले में १ जनवरी से ३० अगस्त, ६१ तक की अवधि में १९ कत्ल, २९ डकैती और २१ राहजनी की घटनायें हुई ।

७८—श्री लखीसिंह—क्या यह सच है कि मथुरा जिले की छाता तहसील में एक महीने में दो कत्ल हुये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

७९—श्रीलखी सिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त क्षेत्र के ग्राम जावली के कत्ल व डकैती में पुलिस ने कितनी गिरफ्तारियां की हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कत्ल के सम्बन्ध में एक व्यक्ति तथा डकैती के सम्बन्ध में २ व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया ।

ग्राम प्रधान, मियागंज के खिलाफ शिकायत

८०—श्री भीखालाल—क्या सरकार प्रश्न संख्या ११६, दिनांक २ अगस्त, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि जांच का क्या परिणाम निकला और प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेताकृपालानी—जांच में प्रधान गाँव सभा मियागंज के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य पाये गये । प्रधान के विरुद्ध पंचायत राज के अधिनियम की धारा ९५ (१) (जी) के अन्तरर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु परगनाधीश, हसनगंज को लिखा गया, चूंकि प्रधान अब क्षेत्र समिति के प्रमुख चुने जा चुके हैं, अतः उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम १९६१ की धारा ७ (२) के अनुसार वे अब प्रधान नहीं रहे ।

८१-८२—श्री नत्थाराम रावत—(जिला बाराबंकी)—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।

पत्थर की खदानों के पट्टे

८३—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या राज्य सरकार पत्थर की खदानों (स्टोन माइन्स) को विकास के लिये लम्बी अवधि के पट्टे (लांगटर्म लीसेस) देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही होने की आशा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रथम भाग, जी नहीं ।
द्वितीय भाग, प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड खजुहा के कर्मचारियों का भत्ता

८४—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के विकास खंड खजुहा के समस्त कर्मचारियों का वेतन या यात्रिक भत्तों का भुगतान समय से हो रहा है ? यदि नहीं, तो किन-किन कर्मचारियों को कब से या किन-किन महीनों से वेतन व यात्रिक भत्ता नहीं दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—केवल चार कर्मचारियों के वेतन तथा सोलह कर्मचारियों के यात्रिक भत्ते को छोड़कर, सभी कर्मचारियों के वेतन तथा यात्रिक भत्ते का यथासमय भुगतान हो रहा है । उक्त चार व सोलह कर्मचारियों के विषय की वांछित सूचना से सम्बन्धित विवरण १ व २ माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'र' आगे पृष्ठ ४१४ पर)

८५–८७—श्री मैनेजर सिंह—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

८८–९०—श्री शिवदानसिंह—[२७ सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न २७–२९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

जौनपुर जिले में मुअत्तल पंचायत मंत्री

९१—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कितने पंचायत इंस्पेक्टरों का भत्ता जनवरी सन् १९६२ से बकाया चल रहा है और इसका क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जौनपुर जिला में किसी भी पंचायत निरीक्षक का भत्ता जनवरी १९६२ से बकाया नहीं चल रहा है ।

९२—श्री रामसमझावन—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कितने पंचायत मंत्री ऐसे हैं जो ३ माह से अधिक समय से निलम्बित हैं और किन परिस्थितियों में ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जौनपुर जिले में ८ पंचायत मंत्री तीन माह से अधिक समय से मुअत्तल हैं । इनके विरुद्ध बिना प्रार्थना पत्र के अनुपस्थिति, बिना अनुमति के अपना क्षेत्र छोड़ देने, अनधिकृत रूप से गांव पंचायतों के अभिलेख एवं धन इत्यादि के अपहरण आदि के आरोप हैं जिन पर जांच की जा रही है ।

गाजीपुर जिले में पंचायत मंत्री

९३—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत मंत्री के ट्रांसफर के सिलसिले में डाइरेक्टर पंचायत राज विभाग ने कोई आदेश भेजा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां। पंचायत मंत्रियों के स्थानान्तरण के विषय पर पूर्व प्रसारित आदेशों को निरस्त करते हुये निदेशक पंचायत राज ने अब यह आदेश प्रसारित किये हैं कि पंचायत मंत्रियों का स्थानान्तरण पंचायत राज नियमावली के परिशिष्ट ६ के अनुसार किया जाय।

९४—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार सदन की मेज पर गाजीपुर जिले के पंचायत मंत्रियों की एक लिस्ट रखने की कृपा करेगी कि पंचायत मंत्री अपने घर से कितनी दूरी पर पोस्ट किये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूची †संलग्न है।

यमुना हाइडिल स्कीम योजनान्तर्गत देहरादून में कालोनी

९५—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यमुना हाइडिल स्कीम में देहरादून में सिंचाई व विद्युत् विभाग के मध्यवर्गीय कर्मचारियों के रहने के लिये मकान बना कर एक कालोनी बनायी गई है ? यदि हां, तो उसमें कितने मकान बनाये गये हैं और कितने और बनाये जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केवल मध्यवर्गीय कर्मचारियों के लिये ही नहीं बल्कि जमुना हाइडिल परियोजना के निर्माण तथा देखरेख करने वाले सभी प्रकार के कर्मचारियों के रहने के लिये देहरादून में एक कालोनी बनाई गई है जिसमें १४० मकान बन गये हैं तथा २११ मकान और बनवाने का प्रस्ताव है।

९६—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कालोनी के कितने मकानों में मध्यवर्गीय कर्मचारी रहते हैं और कितने मकानों में विभाग के अन्य उच्च अधिकारी रहते हैं और वे कौन-कौन से अधिकारी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस कालोनी में ५१ मकानों में मध्यमवर्गीय कर्मचारी तथा २५ मकानों में उच्च अधिकारी रहते हैं। इस कालोनी में रहने वाले अधिकारीगण की सूची नत्थी किये गये ब्योरे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ल' आगे पृष्ठ ४१५ पर)

पंच पद के उम्मीदवारों का नामांकन

९७—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में विभिन्न जिलों में इस वर्ष न्याय पंचायत के पंचों के नामिनेशन कमेटी की सदस्यता हेतु ऐसे व्यक्तियों की भी सरकार द्वारा नियुक्ति हुई जो स्वतः उन्हीं क्षेत्रों से पंच पद के उम्मीदवार थे ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में और कितने ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—परामर्शदात्री समितियों में शासन द्वारा नामांकित किये जाने के समय शासन के पास इस बात की सूचना न थी कि इस प्रकार नामांकित किये जाने वाले कौन-कौन से सज्जन पंच पद के लिये भी उम्मीदवार थे। प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने पर ज्ञात हुआ कि मुरादाबाद, देवरिया, मैनपुरी, हरदोई, गोंडा, एटा, खीरी, बांदा, बिजनौर झांसी, आजमगढ़, इटावा, बदायूं, बलिया, सहारनपुर, वाराणसी, बस्ती, सीतापुर, उन्नाव तथा कानपुर में केवल २९ व्यक्ति ऐसे हैं जो परामर्शदात्री समिति के सदस्य के साथ-साथ पंच पद के लिये उम्मीदवार भी थे। नियमों में इस बारे में कोई रोक नहीं है।

---

†छापी नहीं गई है।

९८—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पंचों की नामीनेशन कमेटी में सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों में जो कि स्वतः पंच पद के उम्मीदवार थे कितने ऐसे हैं जो पंच चुन भी लिये गये है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अब तक केवल २६।

९९—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रक्षपालसिंह—[माननीय सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया ।]

गौरी बाजार थाने में कटाई ग्राम की घटना

१००—श्री चन्द्रबली—क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिला के गौरी बाजार थाना के कटाई नामी ग्राम में ३० अप्रैल, १९६२ और १ मई, १९६२ के बीच की रात में उस ग्राम में कत्ल युक्त डकैती पड़ी है ? यदि हां, तो क्या इस बात की सूचना मिली है कि स्थानीय पुलिस डकैती के स्थान पर चोरी का केस चला रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कितने लोगों का इस डकैती के सम्बन्ध में चालान हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक ३० अप्रैल व १ मई, १९६२ के बीच की रात ग्राम कटाई थाना गौरी बाजार में हुई एक घटना की सूचना प्राप्त हुई । रिपोर्ट से मामला धारा ४५८ भा० द० वि० का बनता था अतः इस सम्बन्धमें धारा ४५८ भा० द० वि० का मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में घटना में घायल एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण मुकदमा धारा ४६० भा० द० वि० में परिवर्तित कर दिया गया ।

इस मामले में ४ व्यक्तियों का चालान धारा ४६० भा० द० वि० के अन्तर्गत हो चुका है।

नियोजन कार्यालय, सीतापुर के निलम्बित कर्मचारी

१०१—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करगे कि सितम्बर सन् १९५५ में नियोजन कार्यालय सीतापुर में कितने कर्मचारी निलम्बित किये गये और उनमें से कितने कर्मचारी अब तक निलम्बन की तिथि से बहाल हो चुके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सितम्बर सन् १९५५ में जिला नियोजन कार्यालय सीतापुर के चार कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था । सभी कर्मचारी निलम्बन की तिथि से बहाल कर दिये गये हैं ।

१०२—श्री अवधेशकुमार सिनहा—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों में से कितनों को वेतन वार्षिक वृद्धियों सहित उस समय का जितने समय तक वह निलम्बित अथवा सेवाओं से पृथक रहे अब तक प्राप्त हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इन कर्मचारियों में से तीन कर्मचारी ऐसे हैं जिनको उक्त काल का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है क्योंकि इन्होंने अपने निलम्बित काल में अनियमित रूप से अन्य स्थानों पर सेवायें करके कुछ धन कमाया है । इस प्रकार से अर्जित धन की रकम ज्ञात करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त ही इनके वेतनों के भुगतान के प्रश्न पर विचार सम्भव होगा ।

सूचना विभाग के प्रकाशन

१०३—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उनके विभाग से कौन-कौन से साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक अथवा वार्षिक पत्र पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं, तथा अलग-अलग उनकी पेड ग्राहक संख्या कितनी-कितनी हैं, वर्ष १९६१–६२ में अलग-अलग उन पर कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

श्री बनारसीदास—सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'व' आगे पृष्ठ ४१६ पर)

त्रिमुहानी पर पुल निर्माणार्थ जिला परिषद् आजमगढ़ को अनुदान

१०४—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिला परिषद् को त्रिमुहानी पर पुल बनाने के लिये साढ़े बारह हजार रुपया स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अब तक इस पुल के निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अभी परिषद् द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

बाघों को मारने वालों को इनाम न मिलना

१०५—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सही है कि आदमखोर बाघ ने तोली गांव पट्टी कपरेलस्यूं लैन्सडोन क्षेत्र में एक लड़की को ६–७ जुलाई को मार डाला ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

१०६—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—यह बात सही है कि लैन्सडौन के आस-पास के गांवों में मई, जून में गांव वालों ने चार बाघ मारे परन्तु उनके मारने वाले लोगों को क्या कोई इनाम नहीं मिला और उन बाघों की लाशों को अदालत में दिखाने को आने का किराया भी नहीं दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । परन्तु डाक्टरी मुआइने के बाद जब मालूम हुआ कि मारे गये बाघ नरभक्षी नहीं थे तो मारने वालों को घोषित इनाम न दिया जा सका क्योंकि इनाम नरभक्षी बाघ को ही मारने के लिये घोषित किया गया था । बाघों की लाशों को लाने वालों ने किसी किस्म का खर्चा नहीं मांगा और न इस आशय का कोई आवेदन-पत्र ही दिया । अतः उन बाघों की लाशों को लाने का किराया देने का प्रश्न नहीं उठा । इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में किराया दिये जाने का कोई नियम भी नहीं है ।

१०७—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या यह बात सही है कि १९४७ से पहले किसी भी बाघ को मारने के लिये उसके मारने वाले को १० रु० फी बाघ के लिये मिलता था क्या सरकार हर एक बाघ ख्वाह आदमखोर हो या नहीं, उसके मारने वाले को कम से कम २५ रु० पारितोषिक देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न के पहिले भाग में बताई गई स्थिति सही है । दूसरे भाग के सम्बन्ध में स्थिति यह है । सन् १९५९ में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अब इनाम केवल उन जंगली जानवरों को, जिनमें बाघ भी शामिल हैं, मारने पर दिया जाता है जो या तो आदम खोर हों या पशु उठाने वाले हों । सरकार की राय में यह नीति सही है । अतः प्रश्न में सुझाव के रूप में बताई गई व्यवस्था पर विचार करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती ।

१०८—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—[हटा दिया गया ।]

कोयला कोटा में कटौती

१०९—श्री भगवानदास यादवेन्दु—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश को कोयले की प्राप्ति में पिछले ३ या ४ महीनों में कोई वास्तविक कटौती हुई ? यदि हां, तो पिछले ६ माह में उत्तर प्रदेश को दिये गये कोयले के क्या आंकड़े हैं ?

श्री फूलसिंह—जी हां। मार्च सन् १९६२ से जून सन् १९६२ तक प्रदेश को ७२९७ वैगन कोयला प्राप्त हुआ जबकि मार्च सन् १९६१ से जून १९६१ तक ८९ ३७ वैगन कोयला प्रदेश को प्राप्त हुआ था।

जनवरी से जून १९६२ तक राज्य के विभिन्न उद्योगों के लिये १०,५७० वैगन कोयला प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त निम्न विधेयक को सदन की मेज पर रखता हूं:—

(१) उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

(देखिये नत्थी 'श' आगे पृष्ठ ४१७–४१८ पर)

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा,—महोदय अध्यक्ष आपकी अनुमति से मैं विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त निम्न विधेयक को सदन की मेज पर रखता हूं:—

(१) उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ४१९–४२० पर).

विधान भवन के फाटक बन्द होने के कारण सदस्यों के अन्दर आने में रुकावट के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—जो प्रिविलेजेज मोशन आये थे हमारे सामने उस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी कोई वक्तव्य दें।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, विधान भवन के सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति विधान भवन के अन्दर आयें उनके पास अन्दर आने का अधिकृत प्रवेश पत्र होना चाहिये। विधान भवन गार्ड्स का यह कर्त्तव्य है कि वे केवल ऐसे ही व्यक्तियों को आने दें जिनके पास अधिकृत प्रवेश पत्र हैं और अनधिकृत लोगों को अन्दर आने से रोकें। विधान भवन गार्ड्स की सहायता के लिये पुलिस का उपयोग भी किया जाता है। पुलिस का कर्त्तव्य केवल विधान भवन गार्ड्स को उनके कर्त्तव्यों का पालन करने में सहायता करना है और गेट्स पर व्यवस्था कायम रखने का है। जब भी जितनी पुलिस की आवश्यकता होती है परिस्थित्यनुसार वह विधान भवन गार्ड्स की सहायता हेतु लगा दी जाती है।

१०–९–६२ को विधान सभा मार्ग पर विधान भवन के फाटक नं० १ और ३ पर इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया था कि केवल वे ही व्यक्ति विधान भवन के अन्दर आ सकें जिनके पास अधिकृत प्रवेश पत्र या पास हों। दोनों फाटकों में से कुछ स्थान विधान सभा के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों जिनके पास अधिकृत प्रवेश पत्र थे, आने के लिये छोड़ दिया गया था और हर एक व्यक्ति को प्रवेश पत्र दिखाने पर अन्दर जाने दिया जाता था। इसका कारण यह था

[श्री नवलकिशोर]

कि विधान सभा मार्ग पर उस दिन लगभग डेढ़ बजे से हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा थी जिससे अनधिकृत लोगों के भी अन्दर आने की सम्भावना हो सकती थी। भीड़ का दबाव अधिक होने के कारण गेट नम्बर २ को बन्द कर दिया गया था। जब गेट नम्बर १ व ३ पर भी दबाव अधिक हुआ तो उसको आधा बन्द किया गया ताकि अन्दर आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश पत्र देखे जा सकें और भीड़ के दबाव को रोका जा सके। किसी भी व्यक्ति को जिसके पास अधिकृत प्रवेशपत्र या पास था, अन्दर जाने से नहीं रोका गया इसके अतिरिक्त बाद में जिन लोगों के पास प्रवेश पत्र नहीं था और उनको कोई जाना व्यक्ति आइडेंटीफाइ कर देता था उनको भी आने दिया गया। यह भी बता देना आवश्यक है कि गेट नम्बर ४ से ९ तक को किसी प्रकार से आधा या पूरा बन्द नहीं किया गया क्योंकि उधर भीड़ जमा नहीं हुई थी। ऐसा हो सकता है कि श्री रामायण राय व श्री नरसिंह नारायण पांडेय से भी गेट पर लाइन से अन्दर आने या प्रवेश पत्र दिखाने को कहा गया हो और प्रवेशपत्र उनको दिखाना चाहिये था। अगर वह प्रवेशपत्र न दिखा सके होंगे तो अवश्य रोका गया होगा जब किसी ने आइडेंटीफाइ नहीं किया होगा।

विधान भवन के मुख्य द्वार पर पुलिस द्वारा सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये लगभग ६ फीट रास्ता छोड़ कर लाठियों का एक कार्डन लगाया गया था जैसा अन्य सदस्यगण ने भी अनुभव किया होगा। इस कार्डन से गेट नम्बर १ और ३ से आने वाले व्यक्तियों को कोई रुकावट नहीं होती थी। यह कार्डन उन व्यक्तियों को रोकने के लिये था जो तार फांद कर आ सकते थे।

श्री रामायण राय लगभग दो बजे विधान भवन के अन्दर गेट नम्बर ३ से आये। जब वे विधान भवन मुख्य द्वार (पोर्टिको) पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस द्वारा लगाये गये कार्डन को तोड़कर अन्दर आने का प्रयत्न किया। जब वे कार्डन के अन्दर आये तो फिर उन्होंने बाहर निकलने के लिये भी कार्डन को तोड़ा तथा पुलिस वालों के लिये कुछ अपशब्द प्रयोग किये। इस पर जो पुलिस अफसर वहां उपस्थित थे उन्होंने श्री रामायण राय से विधान भवन के अन्दर नम्रतापूर्वक जाने को कहा। इस पर वह विधान भवन के अन्दर आ गये। मुख्य द्वार लाठियों द्वारा नहीं बन्द था।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय को भी विधान भवन के अन्दर आने से नहीं रोका गया और वह भी उसी प्रकार अन्दर आये जैसे और माननीय सदस्य आये। यह अवश्य था कि उस दिन विधान भवन के द्वारों पर विशेष पुलिस का प्रबन्ध था परन्तु यह केवल इसलिए था कि अनधिकृत रूप से विधान भवन के अन्दर लोग प्रवेश न कर सकें।

श्री चन्द्रजीत यादव ने जो गुप्तचर विभाग के विषय में कहा कि उनके पीछे दो लोग लग गये और बार बार उनसे प्रपत्र मांग रहे थे जो उनकी पार्टी द्वारा सरकार को दिया जाने वाला था ऐसी कोई बात जांच के पश्चात पता नहीं लगी। कोई गुप्तचर विभाग का आदमी श्री यादव के पीछे नहीं लगा था और न उनसे प्रपत्र की मांग ही की। प्रपत्र की मांग करने की बात भी नहीं हो सकती क्योंकि प्रपत्र तो एक आम बात थी।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—अभी अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि विधान भवन के मुख्य द्वार पर सीढ़ी से छः फीट पर पुलिस का कार्डन बना था। मैं स्वयं वहां गया था और जब मैं लौट रहा था तो माननीय गृह मंत्री भी जा रहे थे। यह बात गलत है कि छः फीट पर कार्डन बना था। सिर्फ दो ढाई फीट रास्ता छूटा हुआ था। मैं नहीं समझ पाया कि जब सब गेट्स बन्द थे तो यहां कार्डन बनाने की क्या जरूरत थी? वह कार्डन गेट के पास होता, यहां पोर्टिको में कार्डन का क्या अर्थ है? मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री पुनः इस बात की जांच करके बतायें कि ६ फीट पर कार्डन था या केवल दो-ढाई फीट का रास्ता छूटा हुआ था।

मुख्यमंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं तो था नहीं। लेकिन जैसा मुझे बताया गया है उसके अनुसार मैं विरोधी दल के नेता से यह निवेदन करूंगा कि वह जो छः फीट

का कार्डन लगाया गया था या बनाया गया था वह तो इसलिए बनाया गया था जैसा कि अभी उत्तर में बताया गया, कि उधर से लोग, जो कांटे लगे हुये हैं, उनको फांद कर सामने से वह न जायें, और यदि कभी इस बात की आवश्यकता पड़े, (व्यवधान) वहां से अनधिकृत लोग न आवें। कम से कम एक दो बार ऐसा अवसर आया है जबकि इस सदन में, जैसा कि सदन का इतिहास रहा है, अनधिकृत लोग घुस आये हैं। उन्हीं पुरानी बातों को सामने रखते हुए यदि पुलिस ने ऐसा किया है तो मैं समझता हूं कि उसने ऐसा करने में अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष—अगर आप शान्तिपूर्वक मुझे दोनों तरफ की बातों को नहीं सुनने देंगे तो मैं इसे समाप्त कर दूंगा और अपनी इनक्वायरी करता रहूंगा। या आप खामोशी से बैठिए तथा जिस तरह से बातचीत करनी चाहिए उसी तरह से करें।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय मैंने भी उस दिन की घटना को देखा तथा देखकर काफी दुख तथा परेशानी हुई। मैं उस समय सदन के बाहर था, लेकिन मुझे मालूम था तथा जो कुछ हो रहा था उसकी जानकारी थी। शायद मेरी यह गलत बयानी नहीं होगी यदि मैं यह अर्ज करूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं तथा अपना संतुलन बहुत जल्दी खो देते हैं। लेकिन मेरे जैसा आदमी भी कभी-कभी महसूस करता है कि सब्र की एक हद होती है और जब उस सब्र के बाहर परिस्थिति चली जाती है तो कुछ कहने की आवश्यकता पड़ती है। अब आप उसको देखिए मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उस दिन इतना पीसफुल, इतना शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था कि शायद पिछले १०–१५ सालों में इससे ज्यादा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हुआ है। बाहर का दरवाजा मैंने खुद देखा बन्द था, ताला लगा था। जब मैं वहां खड़ा होकर बोल रहा था तो मैंने पीछे घूम कर देखा तथा मैंने निगाह डाली तो मालूम यह हुआ कि बड़े २ आफिसरान, पुलिस वाले दरवाजे पर खड़े हुए थे और लाठी की कतार सी लगाये हुए थे। इसकी क्या जरूरत थी, कौन सी भीड़ टूटी पड़ रही थी और कब सदन के इतिहास में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि भीड़ दरवाजे को फांद कर अन्दर आ गई। जो भीड़ वहां खड़ी थी वह इस प्रकार की नहीं थी, इसको माननीय मुख्य मंत्री जी जानते होंगे।

मेरी आपसे गुजारिश है और आपके जरिए माननीय मुख्य मंत्री जी से जो घटनायें हो हैं उनको हम बहुत गम्भीर समझते हैं। इनको विशेष घटनायें समझ कर टाल न दें तो फिर यही आहिस्ता आहिस्ता नार्म्स बन जाएंगे तथा कुछ साधारण तरीके बन जाएंगे जिनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ४–५ साल पार्लियामेंट का मेम्बर रहा हूं और जिस आजादी के वातावरण में वहां काम होता है अगर प्रदर्शन भी होता है तो किसी किस्म की रुकावट मेम्बरों के अन्दर या बाहर आने में नहीं होती है, लेकिन यहां जरा भी हाउस में गर्मी हुई, कुछ तेजी पैदा हुई कि बाहर पुलिस फिक अप आकर खड़ी हो गई तथा अन्दर भगदड़ मच जाती है। पुलिस वाले दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। सी० आई० डी० वाले आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट अपने आप को कमजोर महसूस करती है। हम यहां पर १००–१५० ही आदमी हैं उनका क्या कर लेंगे। जो हर वक्त जहां कुछ गरमी हुई कि कुछ न कुछ करना शुरू हो गया। मैं इसको गलत समझता हूं। असेम्बली की जगह पुलिस कन्सन्ट्रेशन का वातावरण यह गलत है, इसको तोड़ना पड़ेगा। जेलों में हम रहे हैं और जेलों में कभी हमने इतना पुलिस कंसेन्ट्रेशन नहीं देखा है जैसा कि आज हम चारों तरफ देख रहे हैं। सी० आई० डी० वाले गेट पर कुर्सी डाले चार-चार पांच-पांच बैठे रहते हैं, हम आते हैं, बैठे ताकते रहते हैं, उठते भी नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि या तो आप इस चीज को अपने हाथ में लें, हम आपके हाथ में हैं। मैं जानता हूं कि आपको दुख होता है लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप मजबूर हैं क्योंकि दलील यह दी जाती है कि यहां सरकार के आफिसेज

[श्री जेड० ए० अहमद]

हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हमारे मंत्री जी पुलिस वालों को यहां रखते हैं। तो सरकार को अगर इतनी रक्षा की जरूरत है तो सरकार के मंत्री अन्दर अपने यहां दस-दस पांच-पांच पुलिस वालों को बैठा लें, आर्म्ड गार्ड बैठा लें कमरे के अन्दर ताकि कोई घुसने न पाये। लेकिन हमारे इर्दगिर्द यह पहरा क्यों लगा रखा है? इसलिए हम आपकी रक्षा चाहते हैं और मैं तो इस विचार पर पहुंचा हूं, मैं बहुत ठंडे दिमाग का आदमी हूं, कि अगर यह पुलिस कैम्प का वातावरण यहां रहा तो मैं दुबे जी से, भाई गेंदासिंह से, भाई उग्रसेन से और दूसरे नेताओं से, भाई भगवान सहाय से सबसे यह गुजारिश करूंगा कि इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि अगर यह वातावरण नहीं हटा, अगर यह वातावरण नहीं खत्म हुआ और पुलिस कैम्प का वातावरण कायम रहा तो हम इस असेम्बली में कब तक बैठ सकते हैं? मैं इसको बेहतर समझूंगा कि आप हमको लेकर किसी हाल में बैठा दीजिए जहां यह पुलिस वालों का वातावरण न हो और हम और आप बात करें और मंत्री लोग यहां अपनी रक्षा करते रहें। आप हमको लेकर कहीं और चलिए, पेड़ के नीचे बैठ कर, हम बात कर लेंगे यह बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि पुलिस कैम्प के नीचे बैठकर हम कार्य करें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं तो समझता था कि शायद जिन लोगों को रोका गया है हाउस में आने से उनकी बात भी हमको फिर सुनने का मौका मिलेगा और हम उसके बाद अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे कुछ इरादा हो कि असेम्बली के मेम्बर के विरुद्ध पुलिस के कांस्टेबिल को कर दिया जाय, कोई साजिश इस तरह की हो रही हो, यह मालूम होता है। इसका क्रम घसीटने से लेकर के, सदन से निकलने से लेकर के और उस दिन की घटना से जब मैं जोड़ता हूं तो श्रीमन्, मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ खुशी नहीं होती है कि पुलिस के कांस्टेबिल के खिलाफ हम आपसे और गवर्नमेंट से शिकायत किया करें। पुलिस का कांस्टेबिल हमारा भाई है और मैं समझता हूं कि पुलिस के कांस्टेबिल को अगर इस तरह की इजाजत न हुई होती, इतनी छूट न दी गई होती तो उसके मुंह से यह बात कभी भी नहीं निकल सकती थी कि लाट साहब भी क्यों न आवें, लेकिन जाने नहीं पायेंगे।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि प्रवेश-पत्र दिखाना चाहिए था। इसमें सन्देह नहीं कि प्रवेश-पत्र हम लोगों को मिले हुए हैं। नियमों में प्रवेश-पत्र की कहीं गुंजायश नहीं है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप ध्यान दिला देंगे। यह बात सही है कि प्रवेश-पत्र हम लोगों को दिये गये हैं और यह भी सही है कि हम लोग उसका इस्तेमाल कभी नहीं करते। परम्परा यह है कि मेम्बर बगैर प्रवेश-पत्र दिखाये हुए इस सदन में दाखिल होते हैं। अब अगर कोई ऐसी बात थी, उस दिन गैरमामूली बात थी, क्या गृह मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस दिन एक जुलूस निकल रहा था और उसी के साथ-साथ उनको कोई गैरमामूली बात मालूम होती थी तो मेम्बर्स को तो वह यह जानते थे कि वह बगैर प्रवेश-पत्र दिखाये हुए सदन के अन्दर आते हैं, वह गृह उप मंत्री जी जो हैं वह तो कामनर्स में से रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी कामनर्स में से नहीं हैं लेकिन वह तो साधारण लोगों की तरह से रहे हैं, कुछ दिनों से हम लोगों से ऊंचे हो गये हैं। हमारा खयाल है कि वह भी बगैर प्रवेश-पत्र दिखाये आते होंगे और उनके साथ जो रहते होंगे वह भी बगैर प्रवेश-पत्र के दाखिल होते हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो यह चेतावनी मेम्बर्स को जैसे कि हमारे यहां एजेन्डा जाता है उसी तरह से उस दिन देनी चाहिये थी कि आज प्रवेश-पत्र लेकर अवश्य जायं। तो श्रीमन्, यह भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब आप किसी पुलिस को या अधिकारी को तैनात करते हैं तो श्रीमन्, थाने की पुलिस के बारे में मैं बहुत चिन्तित नहीं हूं लेकिन राजधानी में और वह भी सचिवालय के दरवाजे पर जो पुलिस खड़ी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो वह असेम्बली के मेम्बरों के साथ कैसा व्यवहार करे और इतना साधारण तरीका भी उसके पास नहीं तो मैं नहीं समझता कि साधारण थाने की पुलिस हमारे साथ क्या बर्ताव करेगी। कम से कम गैरमामूली दिन, जिस दिन आप समझते हैं कि हजारों की भीड़ आ रही हो और वह भीड़ भीतर जाने की कोशिश करेगी तो उस दिन, क्या आपको ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिये थी कि अपने अफसरों को बतलायें और समझायें कि जो मेम्बर अन्दर आना चाहें इस सदन में, जो उनका पवित्र अधिकार है, उसका हनन नहीं होना चाहिये। जब इस बात की हिफाजत करने की सरकार को जरूरत पड़ी कि सदन की रक्षा होनी चाहिये और बाहर से भीड़ आ रही है उससे आशंका है तो क्या इसकी जरूरत नहीं थी ?

मैं समझता हूं कि यह पहरा भी जो आपके घरों पर लगा हुआ है वह भी गलतफहमी में लगा हुआ है। आपको मारकर कोई क्या पायेगा। किसी को आपको मार कर कुछ मिलना नहीं है। आपके मारने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। आपको यह गलतफहमी है, लेकिन जिस वक्त आपने यह विचार किया कि इस सदन की रक्षा की जाय तो उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये था कि अगर कोई मेम्बर अन्दर आना चाहते हैं तो उनके भी आने की व्यवस्था होनी चाहिये। ४, ५ दरवाजे, आपने बतलाया कि, खुले थे। दारुल-शफा किस तरफ है ? क्या यह सही नहीं है कि ७५ फीसदी सदस्य उन दरवाजों से आते हैं जिनको बन्द रखा गया था। अगर उन दरवाजों को बन्द रखा गया था तो सरकार का कर्त्तव्य था कि वह ऐसी व्यवस्था करती जिससे उन मेम्बरों को आने में कोई रुकावट न पड़े। हमारे यहां इस संबंध में कोई नियम नहीं हैं। इसलिये हाउस आफ कामन्स के जो नियम हैं वही हमारे लिये नियम हो सकते हैं। मैं अफ्रीका की बात कहता हूं। माननीय उपनेता सदन हंस रहे हैं। आप हंसिये लेकिन अफ्रीका में जितनी स्वतंत्रता मेम्बर को है उतनी भी आप उसको यहां पर नहीं देना चाहते हैं। यह तो भारतवर्ष है। मैं आपकी सेवा में और माननीय नेता सदन और उपनेता सदन दोनों की सेवा में यह रखना चाहता हूं कि जो जनरल वाल्यूम ३, १९४७ के पेज २९८ पर कहा गया है। उसके पैरा आखिरी में यह कहा गया है कि:—

"When the House of Assembly resumed in Committee at 8 O'clock p. m. on Wednesday, April 23, on the eve of the departure of the Royal Family for England, a complaint was made of an attempt by municipal traffic officers to obstruct members coming to or going from Parliament in cars bearing the official Parliamentary badge. The Chairman, through the Clerk of the House, reported the matter to Mr. Speaker, who, in view of S. 10(5) of the Powers and Privileges of Parliament Act, 1911, caused an urgent letter to be addressed to the Town Clerk Cape Town, informing him of the complaint and drawing attention to the paramount right of Parliament to the attendance and service of its members and requesting an explanation. On Tuesday, April 29, Mr. Speaker informed the House that he had received a letter from the Deputy Town Clerk expressing regret at the inconvenience caused, and stating that steps had been taken to prevent a recurrence of the incident complained of."

श्रीमन्, आप कभी भी देखिये। आप उपमंत्री जी से पूछ लीजिये कि प्रवेश-पत्र देना कोई हम लोगों के लिये लाजिमी नहीं समझा जाता है। लेकिन माननीय रामायण राय और माननीय चन्द्रबली जी की मजबूरी है, यह हम लोगों की मजबूरी है।

(एक सदस्य से) आप भावार्थ बताने को कहते हैं, मैं भावार्थ तो बता सकता हूं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी मैंने उतनी पढ़ी ही नहीं कि उसका शब्दार्थ कह सकूं। परन्तु उसका भावार्थ तो कह ही सकता हूं। भावार्थ तो इस प्रकार है। मेम्बर्स को वहां पर इतना अधिकार है कि उनको आने में जाने में वहां पर पूरी छूट है। उनको इस बात की छूट सरकार की तरफ से भी है और साथ-साथ इस बात की व्यवस्था भी है कि उनको आने में और जाने में किसी प्रकार की रुकावट न पड़े। यदि किसी प्रकार की कोई

[श्री गेंदासिंह]

रुकावट डाली जाय तो वह मेम्बर्स के अधिकारों का अपहरण है और पूरा अपहरण है। एक मर्तबा का मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बार वहां पर किसी कमेटी की बैठक थी, ध्यान रखिये कि एसेम्बली की नहीं। उस बैठक में किसी मेम्बर के आने में मोटर की रुकावट पड़ी, किसी आदमी की नहीं। उसके बाद यह खबर स्पीकर साहब को दी गई। स्पीकर साहब ने उस अधिकारी को एक खत लिखा और ४ दिन के बाद जांच हो जाने पर अफसोस जाहिर किया और यह भी कहा कि भविष्य में फिर कभी ऐसी हर कत नहीं होगी। यही भावार्थ में कहा गया है, अगर कहीं गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा।

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि माननीय रामायण राय जी उनका आइडेन्टिटी कार्ड मांगे जाने पर माननीय उप मंत्री जी उसका क्या उत्तर देते हैं और इसके बाद भी उनको यहां आने से रोका गया। जो बातें मैंने सुनी हैं, यह विश्वास ही नहीं होता है कि इस तरह की बातें कही गई हैं। वे बातें मर्यादा के बाहर है। किसी भी माननीय सदस्य के लिये इस प्रकार की बातें कहना उचित नहीं है।

श्रीमन्, यह हमारा अधिकार है कि बगैर किसी रुकावट के चाहे असेम्बली के बाहर और अन्दर कहीं भी हजारों और लोगों की भीड़ में हम बेरोकटोक आ जा सकें। वहां तो २०–२५ हजार की भीड़ ही अखबारों के हिसाब से थी। परन्तु वह भी बहुत ही शांति पूर्ण और पीसफुल भीड़ थी। मैं तो यही कहूंगा कि अगर लाखों की भीड़ के आगे भी, इतने लोगों के इकट्ठा रहने के बाद भी अगर सदस्यों को आने की सुविधा सरकार प्रदान कर सके तो सरकार को एक बार यही सोचना होगा कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन ही कर रही है, इससे अधिक नहीं। मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मंत्री जी से इसे बात का संवरण नहीं कर सके कि पुलिस के गलत काम की वह हिफाजत न करें। इस वक्त किसी पार्टी का सवाल नहीं है किन्तु यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है। आज जो मर्यादा हम बनायेंगे हमारी अगली पीढ़ी उस पर चलेगी और वही उनके लिये उदाहरण होगा। मैं समझता हूं कि आज अगर हम पुलिस की हरकतों के और उन अधिकारों की ताईद करेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिये तो यह किसी भी हालत में उचित नहीं होगा। हमारा आगे का पार्लियामेंट्री का इतिहास हमको दोष देगा। इसलिये ऐसा किसी भी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता।

मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि यह सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है और उस पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये। सरकार को अपनी उस संकुचित मनोवृत्ति को छोड़ना चाहिये कि जो वह सदन की मर्यादा के मुकाबले पुलिस की मर्यादा को अधिक महत्व दे रही है सरकार का यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि वह सदन को अधिक रिस्पेक्ट दे और अधिक इज्जत दे। इसलिये सरकार को इस संकुचित मनोवृत्ति को छोड़ कर क्षमा याचना करनी चाहिये। गलती हुई सरकार की तरफ़ से, सरकार के उस कर्मचारी की गलती नहीं है। मैं समझता हूं, आगे के लिये व्यवस्था की जानी चाहिए कि यहाँ जो पुलिस हो वह शिष्ट हो, उसको सदन की मर्यादा का ध्यान हो। अगर यह बात नहीं होती है तो इससे सदन की मर्यादा घटेगी और जो जिम्मेदारी है बहुमत दल की कि वह उसे न घटने दे, उस कर्त्तव्य से वह च्युत होगी। जिस तरह से उन्होंने कांस्टेबिल को भेज कर कहा कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा था, उसी तरह से माननीय रामायण राय, नरसिंह पाँडेय और चन्द्रजीत यादव जी भी अपने कर्त्तव्य के पालन में आ रहे थे और वह सुप्रीम कर्त्तव्य पालन है, उसमें सरकार को मदद करनी चाहिए।

अन्त में यह अपील करता हूं कि प्रिविलेज वाले प्रश्न पर संकुचित दृष्टिकोण को छोड़ कर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाय और पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी के भविष्य को उज्ज्वल किया जाय।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपने और अपने दल के विचार प्रकट करने के पहले हिन्दी का एक पद याद आ गया, वह यह कि "जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई ?"

श्री अध्यक्ष—एक मैं निवेदन कर दूं। मुझे सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना है कि वातावरण को उग्र बनाने में हमें कोई लाभ नहीं है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है। जो फ़ैक्ट्स हैं उन्हीं को सदन के सामने रख दीजिये और मैं सूचना पर निर्णय नहीं देता, लेकिन मेरी जो प्रतिक्रिया है वह मैं आप के सामने रख दूंगा।

श्री उग्रसेन—मैं बहुत कम समय लूंगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—श्रीमन्, आपने ठीक ही कहा कि वातावरण को उग्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, लेकिन पुलिस मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्हों ने बहुत ही गैर-जिम्मेदारीपूर्ण बातें कहीं, उस वक्त आपने टोकना आवश्यक नहीं समझा ?

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज इस सदन में डा० अहमद को सुनकर संतोष हुआ। मुझे बड़ा रजो ग़म था कि डा० अहमद के दिल पर जब हम घसीटे जायं तो कोई ठेस न हो, कोई दर्द न हो, लेकिन आज उनको ठेस लगी है कि दरवाजे से हमारे सदस्य माननीय चन्द्रजीत जी, रामायणराय जी, और नरसिंह पान्डेय आ रहे थे और पुलिस ने उनको निकलने नहीं दिया। हमको जनता ने बड़े अरमानों के साथ चुनकर भेजा और पुलिस अन्दर नहीं आने देगी, अन्दर आवेंगे तो बैठने नहीं देगी, यहां से भी घसीटकर फेंक दिये जायंगे तो हम क्या करें ? यह बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है सोशलिस्ट पार्टी के सामने कि माननीय गुप्ता जी के राज्य में हम रह पायेंगे या हीं। गुप्ता जी निकालते हैं टाँग कर तो निकालने के लिये तैयार हैं, लेकिन पुलिस न आने दे तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा, इस पुलिस राज्य में .....

श्री अध्यक्ष—मेरी बात सुन लें, मैंने इस आदरणीय सदन के समक्ष कहा है कि मंत्रियों को रेफ़र करते समय मंत्रियों का नाम लेना उचित नहीं है।

श्री उग्रसेन—मैं पान-दरीबा के गुप्ता जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुख्य मंत्री गुप्ता जी की बात कर रहा हूं।

श्रीमन्, इस पुलिस राज्य के सिलसिले में मुझे तो कोई गिला नहीं है। दुबे जी गवाह हैं। हमें एक हवलदार मिल गया पी० ए० सी० का। हमने वह सीन देखा है। हमने उनसे पूछा कि आप कैसे पधारे हैं ? उन्होंने जवाब दिया कि आप की सेवार्थ। पूछा कि कितनी संख्या में, उत्तर मिला प्लैटून है पूरा। पूछा कि कहां पधारे हो, बोले कि उस कोने में। माननीय दुबे जी, नेता विरोधी दल, वहाँ थे, मैंने उनसे कहा कि सुन लीजिये, क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जानता हूं। मैं उधर के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर यही हालत रही तो एक दिन माननीय नवल किशोर जी को भी रोका जायेगा। मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं, माननीय गेंदा सिंह जी भी जरा सुनलें, कि यह संसदीय परम्परा है कि माननीय सदस्य सदन में जो कहें वह झूठ नहीं माना जाता है। माननीय रामायण राय जी ने पास दिखाया। माननीय नवल किशोर जी अपने कर्मचारियों की रिपोर्ट को मानेंगे मगर यहाँ कही गयी बात को झूठ मानेंगे.....

श्री अध्यक्ष—जो उनके पास सूचना आई है उन्होंने तो केवल उसको सदन के समक्ष रखा है,। इसका यह मतलब नहीं कि वे कोई बात मानेंगे नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वे अपने विभागीय अधिकारियों को मुअत्तल करें, आई० पी० (पुलिस) को मुअत्तल करें। यह सरकार आई० जी० (पुलिस) के इशारों पर चलने वाली सरकार है। इसकी जाँच, अध्यक्ष महोदय, तभी होगी जब आप माननीय नरसिंह नारायण पाँडेय को मुअत्तल कर दें, आई० जी० को मुअत्तल कर दें, रामायण राय जी को मुअत्तल कर दें, चन्द्रजीत जी को मुअत्तल कर दें, और माननीय उप गृह मंत्री श्री नवल किशोर जी को मुअत्तल कर दें, और माननीय मुख्य मंत्री जी को गवाही देने के लिये छोड़ दें।

श्री अध्यक्ष—क्या आप यह अनुभव करते हैं कि आप इस आदरणीय सदन का कितना अपमान करते हैं जब आप यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को आदरणीय सदन की सेवा से मुअत्तल कर दिया जाय ? मैं यह चाहता हूं कि आप बजाय इसके कि अपने सेन्टीमेन्ट्स को प्रदर्शित करें, कुछ ऐसे तथ्य बतलायें, कुछ ऐसे सिद्धान्त बतलायें जिनको आप अपनाना चाहते हैं और जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हैं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैंने जानबूझ कर यह बातें कहीं। हम जानते हैं कि क्या सदन का अपमान है। हमको सदन के बाहर फेंक दिया जाय, वह भी तो अपमान सदन का है। हम अगर बाहर फेंके जायं, बाहर कोई कार्यवाही हो, तो हम न्यायालय में जाकर न्याय माँग सकते हैं, मगर यहाँ सदन में फेंक दिये जायं तो हम न्याय तक नहीं पा सकते।

(व्यवधान)

श्रीमन्, आप को ज्ञात होगा कि सिसरो जब जेल में गया अपने गुरु को बाहर निकालने के लिये तो उसने अपने गुरु साक्रेटरीज से कहा कि हम सारी व्यवस्था कर आये हैं आप के बाहर निकालने की, आप बाहर चलिये। तो उनके गुरु ने कहा कि सिसरो तुम नहीं जानते, क्या तुम समझते हो कि इन दीवारों और फाटकों ने ही हमको रोक रखा है और हम चुपके-चुपके निकल जायेंगे ? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम संविधान की हत्या करेंगे, संविधान के नियमों ने हमको बाँध रखा है। तो हमें पुलिस के कर्मचारियों की फिक्र नहीं है, उनके घेरे को तोड़ कर आने का हममें काफी बल है, हम उसको तोड़ कर निकल जायेंगे, मगर यह बात सोचने की है। (व्यवधान) कि संविधान ने हमको स्वतंत्र नागरिक के कुछ अधिकार दे रख हैं। जनता के चुने हुए व्यक्ति को फेंक देने का पुलिस को कोई अधिकार नहीं है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर।

श्री उग्रसेन—अन्त में मैं आप से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता ने हमें चुन कर भेजा है, हमें उनकी बातों को कहने का यहाँ अधिकार है। माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने पेड़ के नीचे बैठ कर काम करने की बात कही, ठीक है, जंगलों में बैठ कर जो संदेश दिये गये हैं वे बाहर नहीं दिये जा सकते। रवीन्द्र जी ने कहाँ पर बैठ कर पढ़ाई ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर। माननीय उग्रसेन जी, जहाँ आप सिसरों की बात का उदाहरण देते हैं वहाँ आप ने यह देखा है कि उसके गुरु ने उसको क्या नसीहत दी और कानून के बाहर वे नहीं गये। तो जो नियम हैं उनका तो पालन करना ही चाहिये। इस सदन के अन्दर बैठ कर उन नियमों का पालन करना चाहिये और वह करना पड़ेगा। तो मैं चाहता था कि एक आबजैक्टिव डेसक्रिप्शन आफ़ फैक्ट्स आप अपने पक्ष से पेश कर दें और सरकार अपने पक्ष का कर दे। उसके बाद मैं उन पर विचार करूंगा। जहाँ तक माननीय चन्द्रजीत जी यादव, माननीय नरसिंह नरायण जी तथा श्री रामायण राय जी ने जो जो बातें इसमें लिखी हैं, उनको मैं ग़लत नहीं मानता। जैसा कि अभी कहा गया। एक पक्ष की ओर से एक सूचना मिली और उन तथ्यों को आप के सामने रखा गया। यह सरकारी दृष्टिकोण है। उसके बाद आपने

अपनी बात रखी। लेकिन जैसी कि श्री जेड० ए० अहमद साहब और माननीय गंगा सिंह ने सिद्धान्त के बारे में अपना दृष्टिकोण रखा, यह रखा जा सकता है लेकिन तथ्यों पर वादविवाद होना कि यह हुआ वह हुआ, यह तो इंक्वायरी की बात है।

(माननीय रामायणराय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—श्रीमन्, जरा इधर भी ध्यान दिया जाय। हम लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—किसी को इस प्रकार से बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि हमें बोलने की इजाजत दी जाय। मैं जिसका नाम पुकारूंगा वह बोलेगा।

***श्री रामायणराय** (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मुझे इस बात का दुःख है और इस प्रश्न के ऊपर जिस दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये था, वह दृष्टिकोण माननीय मन्त्री जी के बयान से स्पष्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपने उस बयान में पुनः उस भूल को दुहराया है जिस भूल से भयावह परिणाम समूचे उत्तर प्रदेश को भुगतने पड़ रहे हैं। इसमें रामायणराय तथा नरसिंह नारायण की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है और मैं कदापि अपनी प्रतिष्ठा के प्रश्न को लेकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। श्रीमन्, मैंने जो आप की सेवा में शिकायत का ब्योरा भेजा है उसको मैंने बहुत ही संक्षेप में लिखा है और बहुत सी बातों का जानबूझ कर संकेत मात्र कर दिया है। बहुत से उन अधिकारियों की मैंने चर्चा तक नहीं की जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। घटना एक ही है। जिस घटना के संबंध में इसी सदन के एक सदस्य ने उन शब्दों को उद्धृत किया है जिन शब्दों द्वारा हम लोगों को पुरस्कृत किया गया था, जब कि सदन की बैठक में आना चाहते थ। लकिन फिर भी मने उनकी चर्चा नहीं की। मेरी तो सदन से यह आशा थी कि कल जो घटना हुई उसको एक व्यक्तिगत और राजनैतिक आधार पर न दिया जाता और न उसको एक दलगत राजनीति का ही सवाल बनाया जाता और उसको केवल सदन की मर्यादा की दृष्टि से ही माननीय मुख्य मन्त्री जी को देखना चाहिये था।

गृह मंत्री जी के बयान में कहा गया है कि मैंने पुलिस के अधिकारियों को अपशब्द कहे और यह भी कहा गया है कि दरवाजे पर जो बैरीकेड कर रखा था, उसको मैंने तोड़ा। मान्यवर, जहां तक इस घटना का संबंध है, उसके संबंध में माननीय नरसिंह नारायण सिंह जी ने जो पत्र आप को भेजा है उसमें लिखा है कि दरवाजे को डंडों से बन्द कर दिया गया था अतः मैंने सदन की मर्यादा की रक्षा के लिये यह आवश्यक समझा कि डंडों को वहां से हटाऊं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी ह, जिस समय सदन म माननीय सदस्य आत हैं, उनके ऊपर केवल आपको अधिकार ह विधानतः कोई आदेश देने का। उधर के एक माननीय सदस्य जो उस समय उस गेट पर हाजिर थे उनसे आप पूछें, और आप के द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहता हूं कि मेरी बात जो झूठी है मान लिया जाय, लेकिन मैं उनको आप के सेवा में पेश करूंगा। विधान परिषद् के एक सदस्य उस समय इत्तफाक से वहां मौजूद थे, उनको मैं पेश करूंगा। उन्होंने उस समय मुझसे कहा, जो आप के दल के हैं, कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं उस बात को कहूंगा कि दरवाजे नाजायज तरीके से बन्द कर दिये गये थे। गृह मंत्री जी के बयान में कहा गया है कि विधान भवन के जो रक्षक हैं उन रक्षकों की सहायता के लिये कभी-कभी हमें पुलिस देनी पड़ी है। मान्यवर, तथ्य तो यह है कि उस समय गेट पर एक भी विधान सभा का कोई रक्षक मौजूद नहीं था। मैंने स्वयं यह लिख कर उसकी तरफ आप का ध्यान दिलाया है कि उस समय वहां केवल पी० ए० सी० के सिपाही मौजूद थे। वहां कोई विधान भवन का रक्षक रहा हो और उसकी सहायता में पुलिस को खड़ा किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। मान्यवर, वहां पर पी० ए० सी० के कुछ लोग खड़े थे और उस समय ताला बन्द था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

मान्यवर, माननीय गृह मन्त्री जी ने इस प्रश्न को अपने विभाग की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है लेकिन मैं आप से आग्रह करना चाहता हूं कि वहाँ से आते ही मैंने उपाध्यक्ष महोदय से एक प्रश्न पूछा कि आया आपने कोई आदेश दिया है क्या ? उस समय जो उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए उनसे पूछा कि क्या आपने कोई आज्ञा दी थी इन दरवाजों को बन्द करने के लिये ? तो उन्होंने सदन के सामने स्पष्ट कहा कि मैंने कोई आदेश नहीं दिया है। यह जो आइडेंटिटी कार्ड का बहाना लिया जा रहा है, मैं, मान्यवर, आप से ही एक जानकारी करना चाहता कि प्रक्रिया नियमावली को मैंने देख डाला, कि ऐसी कोई बाध्यता सदस्यों के लिये नियमों में है ? हालांकि जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने वहाँ गेट पर भी और सदन में आकर भी—अगर आप चाहें तो उस दिन की प्रोसीडिंग उठा कर देख सकते हैं—उपाध्यक्ष महोदय से अपना परिचय पत्र जमा कर लेने के लिये आग्रह किया था....

श्री अध्यक्ष—मैं वह सब पढ़ चुका हूं।

श्री रामायणराय—तो इस तरह से आप जो पुलिस के कुकृत्यों को शील्ड कर रहे हैं, अगर माननीय मन्त्री जी और सदन के सदस्य ठंडे दिल से सोचें तो अभी कुछ दिन पूर्व ही इस सदन के सामने एक विवाद हुआ कि समूचे राज्य में अपराधों की संख्या बढ़ रही है। मैं भी बड़े ध्यान से उस विवाद को सुनता रहा। दोनों तरफ से विचार-विनिमय काफ़ी गम्भीर हुआ, बड़ा स्वस्थ विवाद था, लेकिन मान्यवर, मेरी समझ में इस राज्य में बढ़ते हुये अपराधों का मूल कारण वर्तमान गृह मंत्री द्वारा अपने अधिकारियों के कुकृत्यों को इस तरह से शील्ड करना ही है। अपराध उत्तर प्रदेश में उस दिन बढ़ने शुरू हुए जिसदिन से सबसे पहले उस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इलाहाबाद की एक घटना के सम्बन्ध में कि दारोगा को अधिकार है कि वह गोली चला सके बिना मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के। इन अधिकारियों का मन उस दिन से बढ़ा है जिस दिन मैंने स्वयं आपके सामने इस बात को रखा कि बलिया के न्यायालय से एक व्यक्ति को घसीट कर पुलिस ले जा रही थी और उसके उस कुकृत्यों को भी शील्ड किया जाता है। आज इतनी हिम्मत बढ़ी है कि रामायण राय के साथ चाहे जो व्यवहार करो लेकिन जिस जनतंत्र की आज दोहाई दी जाती है, जिस की पवित्रता के लिये बहुत सी ऊंची कल्पनायें और बहुत सी ऊंची बातें कही जाती हैं उस जनतंत्र का महत्व इस तरह से कम हो और सदन की और सदन के सदस्यों की मर्यादा सुरक्षित रहे.....

श्री अध्यक्ष—यह तो जनरल बातें हैं, आप इस मोशन पर दो चार बातें कहना हो जो जो कहना वह कहें ताकि मैं अपना मत निश्चित कर सकूं।

श्री रामायणराय—एक चीज मैं जरूर आखिर में कहूंगा जिससे मुझे तकलीफ पहुंची है, मैं आप से ही नहीं सारे सदन से कहना चाहता हूं। कहा गया कि पुलिस अधिकारियों को मने अपशब्द कहे। अगर मैं अपनी सफ़ाई खुद दूं तो क्या आज आप अध्यक्ष हैं लेकिन सौभाग्य से पिछली असेम्बली में भी आप रहे हैं, मैंने क्या कहा होगा उस परिस्थिति में इस की सदन स्वयं कल्पना कर सकता है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री ने वही काम किया है बयान अपना देकर जैसे वह किसी से उस का लंगोटा पकड़ कर कहें कि युद्ध करना है। इस तरह से अगर इधर के बैठने वालों का अपमान होगा तो हम भी उन राज्य का दल का विरोध करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो जनतन्त्र के नियमों के विपरीत भी कदम उठाने पड़े तो उठाये जायंगे।

श्री अध्यक्ष—आप का यह सब कहना मुझे मदद नहीं कर रहा है। यह वार्तालाप इस समय इस दृष्टि से हो रही है कि आप की बात सुन कर मैं कुछ निश्चय कर सकूं। इस समय जो कुछ बात यहां हो रही है वह इस दृष्टि से हो कि मैं इन प्रिविलेज मोशन्स पर क्या एक्शन लूं लेकिन आप सरकार, गृहमन्त्री, पुलिस, आई० जी० और डी० आई० जी० के ऊपर आलोचना

कर रहे हैं और इससे इस समय मुझे कोई लाभ नहीं होता। तो मैं यह समझता हूं कि आदरणीय सदस्यगण इस फेम आफ माइन्ड में रहकर बोलें कि मुझे अपने निर्णय करने में मदद मिले और अगर इस तरह से आलोचना होती है तो मैं इस वादविवाद को समाप्त किये देता हूं वर्ना मैं इसी शर्त पर इसे चला सकता हूं कि केवल मुझे मदद देने के लिये जो बात कहना है, वह कहें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि यह अभी समाप्त.....

श्री अध्यक्ष—आप क्या कह रहे हैं? कहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, अभी माननीय रामायण राय जी बोल रहे थे आप सुनें तो मैं कहूं वर्ना.....

श्री रामायणराय—क्या मुझे अब बोलने की आज्ञा नहीं है?

श्री अध्यक्ष—आप बड़े शौक से बोलिये लेकिन नियम यहां यह है कि मैं यहां जिन दो चार सदस्यों को मुनासिब समझूं उनको सुनूं और उस के बाद निर्णय करूं कि प्राइमाफेसी प्रिविलेज का प्रश्न बनता है या नहीं। आप को कुछ सिद्धांतों पर कहना ही तो कह दीजिये लेकिन यह सब कहने से कि सरकार ऐसी है या पुलिस ऐसी है कोई लाभ नहीं होता। अब आप कहें जो कहना है।

श्री रामायणराय—मान्यवर.....

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, हम बहुत तकलीफ में हैं कि एक तो हम बेइज्जत किये जायं और हमारा उचित आदर न हो। आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। आप ने हमारा प्रिविलेज मोशन पढ़ा और उस के बाद आप ने माननीय मुख्य मन्त्री से जवाब भी ले लिया।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—परन्तु हमें हक नहीं दिया कि कम से कम अपनी बात को रख सकें। उसके बाद आप नेताओं की बात को सुनते।

श्री अध्यक्ष—कौन सी बात रखना चाहते हैं?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं तो रखना चाहता था लेकिन आप सुनते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—माननीय नरसिंहनारायण जी, सुनो, अगर आप इस तरह से बातचीत करेंगे तो मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मान्यवर, आप "सुनो" शब्द को वापस लीजिये।

श्री अध्यक्ष—जिस तरह से आप बात करते हैं वह आदर की बात नहीं है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं हमेशा आपकी इज्जत करता हूं और आदर करता हूं और उसी के अनुसार आपसे कह रहा हूं कि आप "सुनो" शब्द को वापस लीजिये।

श्री अध्यक्ष—आपने यह लिख कर दिया है, मैंने कहा....

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मेरी बात सुन लें, आपने माननीय नरसिंह नारायण जी के लिये "सुनो" शब्द का प्रयोग किया है जो मैं समझता हूं अपने से छोटे आदमी के लिये कहा जाता है। सदन में परिपाटी है "सुनो" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आपने पहले भी एक मर्तबा एक माननीय सदस्य से कहा था और आपने वापस लिया था।

श्री अध्यक्ष—वह बिलकुल असंसदीय नहीं है। इसमें जो बातें आपने लिखी हैं उनके सम्बन्ध में मैंने कहा।

श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—"सुनो" शब्द असंसदीय नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, आप माननीय नरसिंह नारायण जी को मौका दें ।

श्री अध्यक्ष—मैं मौका दूंगा । मैं बता दूं माननीय नरसिंह नारायण....

श्री उमाशंकर—मैं यह जानना चाहता हूं "सुनो" शब्द संसदीय है ?

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा कोई असंसदीयता इसमें नहीं है ।

इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं, मैंने यह निवेदन किया माननीय नरसिंह नारायण जी या माननीय रामायण राय जी या माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जितनी बातें लिखी हैं उनको मैं असत्य नहीं मानता, सत्य मानता हूं और मैंने यह कहा कि उधर से जो बातें कही गई हैं वे उनकी सूचना के अनुसार उन्होंने एक पक्ष रखा । तो यह बातें सत्य हैं या असत्य हैं इसके ऊपर निर्णय नहीं कर रहा हूं । यह निश्चय करना है कि प्राग्दर्शन में समिति के सामने जाना चाहिये कि नहीं ।

तो माननीय रामायण राय जी जिस तरीके से यहां बोल रहे थे वह तो साइकोलोजी क्या है पुलिस की, सरकार की पद्धतियां क्या हैं, यह बता रहे थे । इसमें मुझे कोई लाभ नहीं होगा आप आबजेक्टिवली डील कीजिये कि यह फैक्ट्स हैं इस वजह से प्रिविलेज मोशन बनता है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मैं एक बात की आपसे अपील करता हूं कि मसला काफी गम्भीर है और उलझा हुआ काफी है । तो मैं चाहूंगा, और हार्दिक अपील है कि इसमें बोलने पर, जब तक बहुत अगत बात कोई न बोल रहा हो, आप प्रतिबन्ध जरा कम करें । और साथ ही साथ उधर के लोगों को भी बोलने का मौका दें वह भी विचार प्रकट कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—मैं यही चाहता हूं जितने माननीय सदस्य बोलना चाहें उनको बोलने दूं । लेकिन विषय पर बोलें । और क्रिटिसिज्म जो होगा उससे कोई काम नहीं होगा ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—अभी माननीय सदन में इस तरह का वार्तालाप हुआ जिससे यह मालूम हुआ कि जिसको आप उचित समझें उसको समय देंगे । पूरे पार्लियामेंटरी सिस्टम में सभी जगह "In the whole parliamentary system of Government in the entire world, speakers in Assemblies and Parliaments are treated to be benevolent dictator and not tyrannical dictator at all." यहाँ आप एक एक दल के लीडरों को बुलाते हैं लेकिन गत ६ मास का इतिहास है कि रिपब्लिकन पार्टी की अपेक्षा हुई ई । हम जब खड़े होते हैं अथवा हमारी पार्टी के लोग खड़े होते हैं तो उनकी उपेक्षा होती है । हमें भी आप मौका दें अथवा आश्वासन हो । हम शाँतिपूर्वक बैठते हैं ।

श्री अध्यक्ष—आपकी बात सुन ली, आप बैठ जायं ।

श्री रामायणराय—मैं भाषण देना नहीं चाहता था । बात तो यह है कि प्रारम्भ में ही मैंने बतलाया था कि गृह मंत्री जी ने जिस ढंग से सदन में बात रखी उससे कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक हो गया था ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है । जहाँ तक उन्होंने आपके सम्बन्ध में कहा, आप उसका प्रतिवाद कर सकते हैं और आपको करना चाहिये ।

श्री रामायणराय—जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है या नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—इसमें आपको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है । माननीय गेंदा सिंह और डाक्टर साहब ने बहुत-सी बातें कह दी हैं ।

श्री रामायणराय—मेरी राय में इस प्रश्न पर छानबीन आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध सीधे-सीधे सदन से है। आप देखेंगे कि हमारे नियमों में यह है कि उस मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक होना चाहिये कि सदन में किसी गेट पर रहने वाला अधिकारी हमारे साथ क्या व्यवहार करे, हमारा पास देखने की आवश्यकता है या नहीं, इत्यादि-इत्यादि बातें ऐसी हैं जिनके बारे में सफाई हो जानी चाहिये। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने है वह यह कि उस दिन जो घटना घटी है, जिस घटना को हजारों लोगों ने देखा है, उस घटना के बारे में हम क्या फैसला करना चाहते हैं। इससे कम से कम सदन का ही नहीं, समूचे प्रदेश का भला होगा और मैं यह विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपने यह मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया तो उधर के वह सदस्य जिन्होंने मुझे आश्वस्त कर रखा है, अगर आवश्यकता होगी तो आप लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ है आप लोगों के सदन में जाने के जो मौलिक अधिकार हैं उन अधिकारों के रास्ते में जो अवरोध करने का प्रयास हुआ है इसके सम्बन्ध में वह भी निवेदन करेंगे। यह सारी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रकाश पड़ना चाहिये। मैं अन्त में गृह मंत्री जी का और उनके मन के उस पक्ष को सदन के सामने अवश्य रखना चाहता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि समूचा देश, उत्तर प्रदेश में हम कौन सी ऐसी परम्परायें लेकर चल रहे हैं, कौन सी नयी पद्धतियों का अनुसरण कर रहे हैं उसकी तरफ देखा करता है। मैं उनको इस बात के लिये जरूर धन्यवाद दे देना चाहता हूं कि उन्होंने स्पष्ट इस बात को स्वीकार किया। हालांकि अखबारों को पढ़ने से बड़ी निराशा हुई, समूचे प्रदेश से जहां हजारों किसान यहां आये थे, हमारे उस प्रदर्शन की अभिव्यक्ति को जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म करके दिखाया जा सकता था, दिखाया गया। मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हमें भय होने लगा कि यह भवन सुरक्षित रह सकेगा या नहीं रह सकेगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को भविष्य में जब कभी ऐसी आशंका हो कि वह सुरक्षा करेंगे या नहीं अथवा यह सदन सुरक्षित रहेगा या नहीं तो सबसे पहले अपना दिमाग आपके सामने रख दिया करें। यह अधिकार आपका है कि सदस्य कैसे आयें, सदन में आने के समय उनके साथ अधिकारी कैसा व्यवहार करें, इस व्यवहार के मार्ग में कम से कम मंत्री जी रोड़ा अटका कर खड़े न हो जायं, यह मैं आपके द्वारा उनसे आग्रह करना चाहता हूं और साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को आप इसलिये भी सुपुर्द करें क्योंकि मेरे प्रति जो आरोप मंत्री जी ने लगाये हैं उसे मैं अपना नहीं समूचे सदन का अपमान समझता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मैं उन्हीं खास घटनाओं पर जो कि हमारे साथ और हमारे साथी रामायणराय जी के साथ घटी हैं थोड़ा-सा प्रकाश इसलिये डाल देना चाहता हूं ताकि कम से कम आप और यह आदरणीय सदन जो वाकयात हैं उनको समझ लें।

लंच के बाद हम लोग मेन गेट के पास जब आये तो हमने देखा कि तीनों मेन गेट्स पर ताले पड़े हुए थे और वहां पर सशस्त्र और लाठीधारी पुलिस अन्दर खड़ी थी। माननीय रामायण राय जी पहले ही वहां पर मौजद थे। कड़ी धूप में उनकी स्थिति बड़ी भयावह मालूम हो रही थी। वे एकदम परेशान थे और उन्होंने कहा कि ये लोग हमें अन्दर घुसने नहीं दे रहे हैं, हम क्या करें? हमने उन लोगों को बुलाया और कहा कि हम माननीय सदन के सदस्य हैं, दो बजे सदन की सेवा में जाना चाहते हैं, आप हमको क्यों नहीं अन्दर जाने देते हैं और आपका ऐसा कार्य उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि एस० एस० पी० (शहर) का हुक्म है कि हम किसी को भी इस फाटक के अन्दर घुसने न दें और इसीलिये यहां पर ताला लगा हुआ है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपका और एस० एस० पी० (शहर) का जो आदेश है यह उचित नहीं है। हम सदन के सदस्य हैं। हमें आप सदन की सेवा में जाने से रोक रखना चाहते हैं यह आपका

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

कार्य उचित नहीं है, आप हमको जाने दें। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो हुक्म है उसका हम पालन करेंगे। आप चाहे "लाट साहब" हों लेकिन हम आपको अन्दर नहीं जाने देंगे।

उसके बाद हमारी पार्टी के विधान सभा के सदस्य श्री राधेश्याम जी और श्री शिवनाथ सिंह जी वहां मिले। मैंने उनसे कहा कि आदरणीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कमरे में जा कर कम से कम उनसे बता दीजिये कि हम लोग इस तरह फाटक पर खड़े हैं और सशस्त्र पुलिस हमको अन्दर आने नहीं दे रही है। वे लोग अन्दर आये। उसके फौरन ही बाद हमें माननीय शारदा भक्त सिंह जी, जो जनसंघ पार्टी के इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं, अन्दर दिखायी दिये। हमने उनसे कहा कि हमारी यह हालत है, सदन आरम्भ हो गया है, आधे घंटे से हम बाहर खड़े हैं, आप कोई व्यवस्था करें कि हम अन्दर आ सकें। वे खुद आये और उन्होंने सिपाहियों से कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने यह कह दिया कि हमें एस० एस० पी० (शहर) का हुक्म है, हम तो ताला नहीं खोलेंगे जब तक वे खुद न आयें। हमने उनसे यह भी प्रार्थना की कि आप कम से कम जिन्होंने हुक्म दिया है उनको बुला दीजिये, हम लोग उनसे बात कर लें। उन्होंने कहा कि हम ड्यूटी से एक कदम हटने को तैयार नहीं हैं। उसके बाद माननीय शारदाभक्त सिंह जी अन्दर गये और वहां से किसी कर्मचारी को ले आये और इतनी मशक्कत के बाद ताला खुला। ताला खुलने के बाद जब हम मेन गेट पर पहुंचे तो लाठीधारी पुलिस कतार बांधे एक दूसरे की लाठी पकड़े हुए वहां पर खड़ी थी। उस समय, मैं जानता हूं, वहां पर 'नवभारत टाइम्स' और दूसरे पत्रों के संवाददाता भी मौजूद थे जिनको, अगर आपकी इजाजत हुई, तो मैं प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश करूंगा और बहुत से सदस्यों को भी पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष—ये सब बातें तो इसमें लिखी हुई हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—श्रीमन्, वाकयात का मामला है इसलिये कह दूं। उसके बाद जैसा मैंने कहा, आई० जी० पी०, डी० एम०, एस०एस० पी० (सिटी) खड़े थे। मैंने कहा कि आप बताइये यहां क्यों कार्डन किया गया है? उन्होंने कहा कि हम को गृह मन्त्री का आदेश है और उस आदेश का मैं पालन कर रहा हूं। उसके बाद मान्यवर, आप बतायें, आप हमारे हितों के रक्षक हैं, इस आदरणीय सदन के हितों के रक्षक हैं, जनतन्त्र के प्रहरी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे सामने इसके सिवा क्या रास्ता रह जाता है कि मैं घेरा तोड़ कर सदन की सेवा में भाग लेने जाऊं, चाहे इसके लिये मेरी पीठ पर लाठी ही क्यों न पड़े? पुलिस को हटा कर मैं किसी तरह से सदन की सेवा में जाऊं और वहां पर आप को सारे वाकयात बताऊं, यह एक प्रश्न है? उसके बाद यहां आ कर माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, हमने सारी बातें कहीं। आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया गया। घटना के सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है।

अब मैं सिद्धांत की बात पर आता हूं। आप जानते हैं कि यह हमारी प्रक्रिया नियमावली है। इसमें केवल ६४ धारा के अन्तर्गत यह बताया गया है कि विशेषाधिकार की अवहेलना किस प्रकार की जाती है, और प्रश्न कैसे भेजा जाता है प्रिविलेज कमेटी के सामने, उसके सम्बन्ध में कुछ लिखा है। उसमें लिखा है—"माननीय सदस्यों के अथवा सदन के अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना होती है।" उसके बाद प्रोसीड्योर ले डाउन किया गया है। लेकिन प्रक्रिया नियमावली में यह नहीं लिखा है कि किसी माननीय सदस्य की रक्षा कैसे हो सकती है। उसके लिये हमें भारतीय संविधान में कुछ अधिकार मिले हुए हैं। मैं आपके द्वारा धारा १९४ (३) पढ़ना चाहता हूं—

"In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law. and, until so defined, shall be those of the

House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution."

हिन्दी में सारांश यह है कि हमारे अधिकार वही हैं जो यूनाइटड किंगडम की पार्लियामेंट की समिति व सदस्यों के हैं। इस प्राग्दर्शन में मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आब्सट्रक्शन का इसमें सेक्शन है। ऐसा कार्य बहुत ही निन्दनीय माना गया है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में कई बार उस पर रोष प्रकट हो चुका है। एक बार प्रदर्शन हो रहा था उस समय माननीय सदस्य आ रहे थे। रास्ते में घुड़सवार पुलिस माननीय सदस्यों को रोक रही थी। ब्रीच आफ प्रिविलेज का क्वेश्चन रेफर किया गया और वहां पर माननीय सदन ने उसको बहुत ही गम्भीर प्रश्न माना और उन्होंने हुक्म दिया कि जिस समय सदन के सदस्य आयें वेस्ट मिनस्टर पैलेस के जितने रास्ते हैं सारे रास्ते बन्द कर दिये जायं, जब तक माननीय सदस्य सदन में न पहुंच जायं। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट की हालत है। इस प्रकार वहां के माननीय सदस्यों की रक्षा होती है कि वेस्ट मिनस्टर के बाहर जो सड़क है, जो सारे रास्ते हैं, माननीय सदस्यों के लिये बन्द कर दिये जाते हैं। और हमारे यहां किस तरह से व्यवस्था होती है, यह आपके सामने है। इसके बाद मैं प्राग्दर्शन के ही लिये कुछ लाइन सुना देना चाहता हूं ताकि कम से कम आपको ज्ञान हो जाय और आपके द्वारा माननीय सदन को ज्ञान हो जाय कि किस तरह की स्थिति है। अध्यक्ष महोदय मैं १२१ पेज पर "Molestation of Members while in the execution of their duties" को पढ़ कर सुनाता हूं जब कि सदस्य सदन में आते हैं उनको किस तरह से डिस्चार्ज आफ ड्यूटीज करने के समय रोकने पर विशेषाधिकार का प्रश्न खड़ा हो जाता है।

"It is breach of privilege to molest a Member of either House while attending such House or when coming to or going from it."

आने और जाने में अगर कोई बाधा होती है तो मान्यवर, वहां ब्रीच आफ प्रिविलेज माना गया है और इसके आगे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है:

"That the assaulting, insulting or menacing any Member of this House in his coming to or going from the House, or upon the account of his behaviour in Parliament, is an high infringement of the privilege of this House, a most outrageous an dangerous violation of the rights of Parliament and an high crime and misdemeanour" (*o*), and on June 6, 1780 the Commons resolved, "that it is a gross breach of the privilege of this House for any person to obstruct and insult the Members of this House in the coming to, or the going from, the House, and to endeavour to compel Members by force to declare themselves in favour of, or against any proposition then depending or expected to be brought before the House".

माननीय अध्यक्ष, जैसा मैंने अपने पिटीशन में कहा है कि मुझे 'लाट साहब' की परिभाषा से विभूषित किया गया और उसके बाद रोका गया। यह तो है ही लेकिन मेरी इन्सल्ट भी की गई। मैं, मान्यवर, और भी पढ़ देना चाहता हूं, यह पेज १२२ पर है:

"In 1751 Mason, a constable, for apprehending, insulting and abusing a Member about 11 O' Clock at night in the Liberty of Westminster and detaining him in confinement all night, and Carne, the High Constable of the City and Liberty of Westminster, for refusing to discharge him except upon condition that he would take no notice of what had passed, were voted guilty of a breach of privilege and committed."

श्रीमन्, आगे इसमें लिखा हुआ है कि कान्सटेबिल ने किस तरह से रोका और किस तरह से रोक कर माननीय सदस्य को रखा, इसके बारे में भी दिया हुआ है। इसके बाद दो केस हैं और आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं जिसमें वहां की पुलिस क्या करती है और वहां के जो सरकारी

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

लोग हैं वह क्या करते हैं और किस तरह से माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा होती है इसके बारे में भी पढ़ देना चाहता हूं। यह किताब है श्रीमन्, Journal of the Society of Clerks-at-the-Table in Empire Parliaments for 1951

यह पेज २४० है, इसमें लिखा हुआ है कि The Committee'....

श्री अध्यक्ष---यह उसी किस्म का है जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने पढ़ा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

"The Committee reported on July 26 they had found some difficulty in deciding the exact scope of the matter which had been referred to them, but eventually decided to examine the whole circumstances of Mr. Lewis's conflict with the Police on July 3. They found that there was no obstruction of the member in his progress towards the House of Commons, any delay being due to congestion of traffic. They did not consider that this case came within the orbit of the sessional order, which instructs the Metropolitan Police to take care that during the Session of Parliament, the passage through the streets leading to this House be kept free and open, and that no obstruction be permitted to hinder the passage of members to and from this House."

श्रीमन्, ऐसी और भी रूलिंग्स हैं जिनको मैं बता सकता हूं लेकिन यहां सिद्धान्तों का प्रश्न है। आदरणीय अध्यक्ष जी प्रश्न सिद्धान्तों का यह है कि क्या हम सदस्य जो सदन की सेवा में आते हैं हमको क्या कोई बाहर या अन्दर आने से रोक सकता है ? मान्यवर, आपको याद होगा कि आपने जिस समय श्री उपसेन जी को इस सदन से बाहर किया था उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि वह फाटक के अन्दर आयेंगे। आपको यह भी याद होगा कि सचिव ने उनको आदेश दिया था और वहां पर डिप्यूटेड गार्ड्स ने उनको गेट पर रोक दिया और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा है। आप सदन से निष्कासित हैं, यह रास्ता है, यह अप्रोचेज है, इसलिये आप अन्दर नहीं जा सकते हैं। मुझे याद है माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री उपसेन जी वापस बाहर चले गये। लेकिन मैं आप से पूछता हूं कि बिना आपकी आज्ञा के पुलिस अन्दर रही, यहां पर एस० एस० पी०, आई० जी० (पी०) थे। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं जब आपने सदन के माननीय सदस्य को अन्दर घुसने नहीं दिया और उसको जब रास्ता मान लिया, एप्रोच मान लिया तो आपके हुक्म के बगैर होम मिनिस्टर ने किस तरह से वहां पुलिस बुलाई ? जब कि उपाध्यक्ष महोदय पहले ही दिन मेरी व्यवस्था के प्रश्न पर कह चुके थे कि न तो मैंने हुक्म दिया था तथा न अध्यक्ष महोदय ने पुलिस को अन्दर आने का आदेश दिया ? कैसे अन्दर पुलिस आयी, यह एक सवाल है जिस पर आपको विचार करना होगा। और अन्दर ही पुलिस नहीं है मान्यवर, आज तो आप देखिये सदन के कोने कोने में अगर अपने सचिव महोदय को भेज दें तो हर जगह पुलिस को बैठे हुये पायेंगे, पी० ए० सी०, सी० आई० डी०.....

श्री अध्यक्ष---अब तो आप बोल चुके, २० मिनट हो गये आपको बोलते।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---एक मिनट और। पहले तो आपकी आज्ञा से उस मेन गेट पर एक क्लर्क और एक चपरासी रहता था। अब उस क्लर्क और चपरासी की जगह पर सी० आई० डी० और पुलिस के लोग रहने लगे हैं। क्लर्क और चपरासी बेचारे विदा कर दिये गये जो आपकी ओर से माननीय सदन के सदस्यों के हितों की रक्षा करते थे। तो आज यह प्रश्न है मान्यवर, आपके सामने कि क्या पुलिस बिना आज्ञा के उन अप्रोचेज पर इस विधान-सभा में रह सकती है या नहीं रह सकती है ? और मान्यवर, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि आज यह सरकार अगर इस बात को समझती है कि हम विरोधी दल के हैं तो हमको कुचलने के लिये या हमारी इन्सल्ट करने के लिये वह पुलिस अप्वाइन्ट कर दे तो मैं कहना चाहता हूं

कि सरकार जो भी समझे लेकिन आज कांग्रेस की सरकार है, कल सोशलिस्ट पार्टी की सरकार हो सकती है, परसों कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो सकती है। इसलिये कम से कम उन लोगों को यह सोचना चाहिये जिनके हाथ में राज सत्ता है कि अगर वह इस तरह से करेंगे तो जनतंत्र सुरक्षित नहीं रह पायेगा।

श्री अध्यक्ष---यह सब माननीय उग्रसेन जी कह चुके हैं। उसको रिपीट करने से क्या फायदा ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---तो मैं हाथ जोड़कर के आप से प्रार्थना करता हूं कि, आप उसी पद्धति को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनायी जाती है यहां भी अपनायें। नहीं तो हमारी तो जान चली जाय, हम दस बजे आते हैं (व्यवधान) हमारी बात तो सुन लें.....

श्री अध्यक्ष---आप २३ मिनट से बोल रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---आप सुन ल जरा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग जिस समय आपने क्वार्टरों से आते हैं उस समय इतनी भीड़ विधान मार्ग पर हो जाती है कि हमारे जीवन की रक्षा यह सरकार नहीं कर सकती है। तो मैं आप से हाथ जोड़ कर कहता हूं कि आप हमारे हितों की रक्षा करें जैसे इंग्लैंड में रक्षा होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेम्बरों की, उस तरह से हमारी रक्षा आप करें। दूसरी बात मान्यवर, हमको यह कहनी है कि आप पुलिस को अन्दर मत आने दें। अगर जरूरत हो तो वाच ऐंड वार्ड का स्टाफ रखें। आप अपने जरिये से चाहे हमें बेइज्जत करें, चाहे इज्जत करें लेकिन इन माननीय मुख्य मंत्री या इनकी सरकार के जरिये हमको बेइज्जत या इज्जत न करायें, हमारी यह आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। और मान्यवर, अब जनतन्त्र नहीं रह गया है। अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो यह सरकार जनतंत्र नहीं रख सकती है, यह सरकार तो मदान्ध हो गई है। यह न तो आपकी रक्षा कर पायेगी, न हमारी रक्षा कर पायेगी और न आदरणीय सदन के किसी सदस्य की रक्षा कर सकेगी, चाहे वह इधर बैठने वाले सदस्य हों, चाहे उधर बैठने वाले सदस्य हों। इन शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप इस मसले पर ध्यान दें और इसको प्रिविलेजेज कमेटी को रेफर करें।

श्री अध्यक्ष---तो अब इस विषय पर आज पांच बजे तक बहस होगी या समय निश्चित हो जाय ?

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष---देखिये, मैं एक बात कह दूं। मैं चाहता था कि जिसको मैं उचित समझूं, सुन लूं और उसके बाद अपनी थोड़ी सी बात कह दूं। लेकिन अगर आप लोग बोलना चाहते हैं तो आज तो आपका दिन है, जितनी देर चाहें बोल सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अगर यहां वाद विवाद की परम्परा कायम कर रहे हों कि इसके ऊपर इधर के भी बैठने वाले और उधर के भी बैठने वाले अपनी अपनी बात कहें तो बात दूसरी है। वरना एक बात यह हो सकती थी कि आपने विरोधी दल के नेताओं की बातों को सुन लिया, आपने गृह मन्त्री और उप गृह मन्त्री की बातों को सुन लिया, तीन जिन्होंने विशेषाधिकार के प्रश्न दिये थे उन सदस्यों की बातों को आपने सुन लिया और इनके सुनने के बाद जो आप उचित समझते, जो मांग थी, उसके ऊपर विचार करके निर्णय करते। लेकिन अगर आप फैक्ट्स के ऊपर यहां वादविवाद चाहते हैं तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं यह चाहता था कि जिसको मैं मुनासिब समझता हूं उसको सुन लूं, जिनकी बातों से मुझे लाभ हो सके, वह मैं सुन लूं। फिर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने निवेदन

[श्री अध्यक्ष]

कर दूं, जो मेरा दृष्टिकोण है, अभी मैं फैसला नहीं कर रहा हूं । उसके ऊपर सब विचार कर लें । फिर हम और सारे नेतागण शुक्रवार को बैठते हैं, उसी में हम अपनी पालिसी तय कर लेंगे कि क्या होनी चाहिये । डाक्टर जेड० ए० अहमद ने एक प्रिन्सिपल की बात कही कि कहां तक हम पुलिस के अन्दर बैठ सकते हैं । यहां पर बातें सुनकर उन पर हम बैठ कर विचार करेंगे ।

दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने यह आता है कि माननीय गेंदासिंह जी ने और माननीय नरसिंह नारायण जी ने एक मतालबा हमारे सामने रखा है । वह मतालबा उस सिद्धान्त पर आधारित है कि जिस सिद्धान्त पर ब्रिटिश पार्लियामेंट और साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट आधारित हैं और जिसका उदाहरण उन्होंने दिया, उस उदाहरण को हम यहां ग्रहण करें या नहीं । अगर आप ग्रहण करते हैं तो जो प्रणाली उन्होंने स्वीकार की है, जो व्यवस्था उन्होंने स्वीकार की है, उस व्यवस्था से जो कांसिक्वेंसेज फ्लो होते हों, जो परिणामस्वरूप हमें दूसरी व्यवस्थायें करनी पड़ती हैं वह हम करें या नहीं । इस पर हमको सोचना है । मैं आपके सामने यह विचार रखना चाहता हूं कि वैसी व्यवस्था होनी चाहिये । और एक बात मैं साफ कह दूं, वह आप समझ लें, पहले जनसंघ का प्रदर्शन हुआ, वह शान्तिपूर्ण समाप्त हो गया । मैंने यह नहीं सोचा था कि कितना बड़ा प्रदर्शन बाद में पी० एस० पी० और कम्युनिस्टों का होगा । मैं यह समझता था कि जो पहले व्यवस्था थी वही होगी और कोई परेशानी की बात नहीं है । अब मैं माननीय गेंदा सिंह और दूसरे माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि मेरा यह कर्तव्य है बहैसियत अध्यक्ष के कि जहां पर ऐसी स्थिति हो, कि जिन परिस्थितियों में यह भय हो कि रांग परसन की एन्ट्री हो सकती है, रांग फुल ट्रैसपास हो सकता है, भीड़ की ऐसी हालत हो सकती है कि सरकारी जायदाद को, सरकारी पेपरों को नुकसान पहुंचे या सरकारी अधिकारियों के लिये सुरक्षा की आवश्यकता है, तो हमें उचित प्रबन्ध करना चाहिये । क्या करना चाहिये और किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये, यह प्रश्न है । चाहे जो कुछ हो, जो कुछ व्यवस्था हो, मेरा कर्तव्य है कि किसी अधिकारी को जो असेम्बली से सम्बन्धित हो गेट पर तैनात करूं जो प्रत्येक व्यक्ति को जानता हो और उसको अन्दर आने की सुविधा दे । यह बात मैंने सीखी जिसको मैं पहले नहीं जानता था और जिसका खयाल नहीं किया जाता था । मैं विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में हमारी तरफ से ऐसा प्रबन्ध होगा । पिछले वर्षों में मुझे यह जानकारी नहीं मिली कि कोई ऐसी जरूरत पड़ी हो जिसमें असेम्बली का कोई व्यक्ति बाहर फाटक पर रहता हो ताकि आदरणीय सदस्यों को अन्दर आने में असुविधा न हो, लेकिन अब उसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी । अब मैं आपके सामने मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की वह नजीर रखना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि केवल आपको निर्बाध सदन में आने का अधिकार ही नहीं है बल्कि हमारा कर्तव्य है और कदाचित् अध्यक्ष का कर्त्तव्य है कि वह आपको सुविधा प्रदान करें कि आप सदन के अन्दर आ सकें और आपको अन्दर आने की सुविधा हो । अब इसके साथ-साथ मैं आपके सामने इसको पूरा पढ़े देता हूं :—

"To facilitate the attendance of Members without interrruption, both Houses, at the commencement of each session, by order, give directions that the commissioner of the police of the metropolis shall keep, during the session of Parliament, the streets leading to the Houses of Parliament free and open, and that no obstruction shall be permitted to hinder the passage thereto of the Lords or Members. The police accordingly give every facility to Members and officers of the two Houses to cross the streets and approach the Houses of Parliament without interruption and where necessary hold up the traffic for this purpose."

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, जब आप पढ़ रहे थे तो माननीय नवलकिशोर जी सो रहे थे ।

श्री अध्यक्ष—यह बड़ी छोटी बात है। हमको शोभा नहीं देती है। माननीय उग्रसेन जी यह बड़ा अशोभनीय है। हम जितने ऊंचे उठें उतनी ही हमको यह बातें कम करनी चाहिये। यह बड़े अफसोस की बात है। आप मेरी बात सुनें। यहाँ पर हमारा कर्तव्य यह हो जाता है कि उसके जो नेससरी कान्सीक्वेन्सेज़ हैं, जो उन सिद्धान्तों में फलो करते हैं, उसके ऊपर हम, श्री जेड० ए० अहमद, माननीय गेंदासिंह और नेता विरोधी दल बैठ कर आपस में समझ लें। उसमें आगे इस प्रकार है—

"When tumultuous assemblages of people have obstructed the thoroughfares, lobby or passages, orders have been given to the local authorities to disperse them."

आप देखें कि हमारे सामने आज एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न उत्पन्न होता है। हमें उसके ऊपर गहराई से विचार करना है। मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। क्या यह उचित है कि काउन्सिल हाउस के सामने प्रदर्शन हो और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मजमा हो। यही प्रश्न आज हमारे सामने है। मजमे के आने पर हमारे सामने प्रश्न यह आ जाता है कि जहाँ पर जिम्मेदार आदमी हैं और पीस फुल हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की गुंडागर्दी भी न होने पाये। जो ऐसा कर सकते हैं उनसे सचेत रहा जाय। आप देखें उसमें लिखा है—

"With the same object, it is enacted that not more than ten persons shall repair together to the Houses of Parliament for the purpose of the presentation of a petition and that not more than fifty persons shall meet together within the distance of one mile from the gate of Westminster Hall, save and except such parts of the parish of St. Paul's Covent Garden, as are within the said distance, to consider or prepare a petition or other address to both Houses, or other House of Parliament, on any day on which those Houses shall meet and sit."

यह सब बातें हैं जिनके ऊपर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। इसका मतलब यह है कि अगर माननीय सदस्य को निर्बाध रूप से अन्दर आने का अधिकार है तो हमारा यह कर्तव्य है कि उनको हर प्रकार की सुविधा दें। इस प्रकार की सुविधा देने के लिये प्रश्न यह होता है कि पार्लियामेंट के समक्ष बड़ी भारी संख्या में मजमा होता रहे, क्या यह ठीक है? इसलिये कि मजमा न हो और सदस्यों का किसी प्रकार से अपमान न हो, उनके रास्ते में कोई बाधक न हो, यह निर्णय कर लिया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि एक मील के भीतर कोई भी सभा नहीं हो सकती है। नं० १० से अधिक व्यक्ति पेटीशन देने के लिये, याचिका देने के लिये ही आ सकते हैं। जो पेटीशन देने के लिये आयेंगे उनके लिये विशेष स्थान कवेन्ट गार्डन, निश्चित है और जहाँ ५० से अधिक आदमी बैठ नहीं सकते हैं। जो किसी प्रकार का निर्णय लेने के सम्बन्ध में सदन के लिये समझें वे ५० आदमी वहाँ ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। इस प्रकार की बातें तो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना है। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर माननीय चन्द्रजीत जी यादव के पीछे कोई सी० आई० डी० आया तो सिर्फ चन्द्रजीत जी का अपमान नहीं हुआ, हमारा अपमान हुआ। हम यह विश्वास करते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति इस सदन के अन्दर आये, चाहे फिर उसका व्यवहार कुछ भी हो, लेकिन जब तक वह सदन के अन्दर नहीं आता है तो हम इस बात को मानेंगे कि वह आया है यहाँ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, कानून के अन्दर रहने के लिए। इसलिए सदन के अन्दर कोई व्यक्ति सी० आई० डी० से शैडो नहीं किया जा सकता। यह गलत बात है। तो गलती होते हुए हमें इसकी व्यवस्था करनी है। प्रिसिक्ट्स हम अपने मुकर्रर करते हैं कि कितने रखें, उसके लिए हमारे अधिकार में व्यक्ति रहें, उसके बाहर कोई दूसरे अधिकारी रहें। मिनिस्ट्रीज और सेक्रेटेरियट में रेकार्ड्स हैं, गवर्नमेंट आफिसर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए,

[श्री अध्यक्ष]

लेकिन किस तरह से हो उस पर विचार करना है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था, कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं।

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बज कर ९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय चल रहा था उस पर आप कृपया अपना निर्णय दें...

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप उसको चलाना चाहते हैं, तो मुझे एतराज नहीं है, किन्तु उसमें आपका ही समय बरबाद होगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं एक ही मिनट में अपनी बात कहूंगा। श्रीमन्, जब आप कुर्सी पर विराजमान थे तो आपने कहा था कि आपने या माननीय अध्यक्ष महोदय ने कोई निदेश नहीं दिया है, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गार्ड की सहायता के लिये पुलिस को भेजा गया था। आपने आज्ञा दी नहीं, तो वह किस आज्ञा से बुलाई गयी, यह मालूम होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, सवाल यह था कि दरवाजा बन्द कर दिया गया है और उसमें से अन्दर नहीं आने देते। तो मैंने फौरन मार्शल को भेजा यह देखने के लिये कि दरवाजा खुल गया है या नहीं। मैंने तो यह कहा था कि जहाँ तक मुझे मालूम है माननीय अध्यक्ष ने कोई आज्ञा नहीं दी है, और मैंने भी कोई आज्ञा नहीं दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, अभी आपने जो यह कहा कि जिस विषय पर सदन में विवाद चल रहा है अगर आप वह विवाद करना चाहते हैं तो आपका समय बरबाद होगा, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है और जब तक इस पर निर्णय न हो जाय, जब तक आप यह निर्णय न दे दें कि वह नियमित है या नहीं है, तब तक इस पर विचार किया जाय और अगला कोई कार्य नहीं लिया जा सकता उसके पहले। नियम ६७ के मुताबिक पहले इस पर निर्णय होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—निर्णय तो बाद में वे देंगे। अगर उसके बारे में कुछ और आप कहना चाहते हों तो मैं उसे रोकता नहीं हूं। आप को बोलने के लिये पहले पुकारा गया था, आप बोल सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—मुझे भी बोलने की आज्ञा दी गयी थी...

श्री उपाध्यक्ष—इसके बाद आप भी बोल लीजियेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, नियम ६७ में जो प्रश्न उठाया जाता है उसमें किसी मंत्री के स्टेटमेंट के बाद यदि अध्यक्ष महोदय अपनी सम्मति दे दें इसके पूर्व कि विशेषाधिकार का प्रश्न आवे तो उस व्यवस्था से क्या लाभ होगा? मेरी समझ में नहीं आया कि अध्यक्ष महोदय ने उस पर अपना निर्णय देने से पूर्व अपनी राय कैसे जाहिर कर दी और यह उन्होंने किस नियम के अन्तर्गत किया?

श्री उपाध्यक्ष—अध्यक्ष महोदय ने तो केवल अपनी कठिनाई बताई।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष ने अपनी राय क्यों इनक्लूड कर दी।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने अपना कोई फैसला नहीं दिया और वह अपना फैसला बाद में देंगे। नियम ६७ में यह है कि स्पीकर महोदय किसी और सदस्य की बात सुन कर यदि आवश्यक हो यह तय करेंगे कि शिकायत आर्डर में है या नहीं। तो इसके अन्तर्गत माननीय सदस्यों को उन्होंने सुना। १ को २ को या ४ को सुन सकते हैं, कोई डिबेट नहीं होती है, जब माननीय सदस्यों की इच्छा हुई कि वे कुछ कहना चाहते हैं तो अध्यक्ष महोदय ने कन्सीड किया।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—नियम ६७ में जब अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था दे देते हैं, अपनी सम्मति एक बार प्रकट कर देते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने कोई सम्मति नहीं दी। पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को उन्होंने बतलाया। वह दोनों तरफ जाता है। यह बड़ा कठिन प्रश्न है जैसा उन्होंने कहा। रूलिंग तो वह सुनने के बाद देंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—नियम ६७ में सदस्यों को सुनकर उन्हें भेज देने का अधिकार है और अगर उनके शब्द बेकार थे तो उन्हें एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय की जो राय थी वह तो वही स्वयं बता सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अब इस पर वादविवाद होने से कोई फायदा नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—निवेदन का कोई मौका है यह ?

श्री मैनेजरसिंह—आज बाढ़ के सिलसिले में विवाद होनेवाला था।

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो यह चाहता था कि इस पर ज्यादा वादविवाद न होकर बाढ़ की बात चले। आप विराजिये।

श्री जगदीशप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के इतने अपने विचार प्रकट कर देने के बाद मैं समझता हूं कि इस पर बहुत वादविवाद की आवश्यकता तो नहीं रह जाती और न यह वादविवाद का विषय ही था। परन्तु चूंकि जिस समय की यह घटना और माननीय उग्रसेन जी और माननीय रामायणराय जी जब वहां आये थे तो मैं भी उपस्थित था और मुझसे भी बातचीत हुई थी। मैं समझता हूं कि मेरा इस सम्बन्ध में कुछ कहना उपयुक्त ही होगा। माननीय रामायणराम जी ने जिक्र किया कि एक यहां के सदस्य थे और वह इसे तस्लीम करेंगे और उनके साथ एक विधान परिषद् के सदस्य भी थे। मेरे साथ उस समय डाक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार विधान परिषद् के सदस्य थे। जब मैं वहां आया तो माननीय उग्रसेन जी और माननीय रामायणराय जी वहां खड़े हुए थे और दरवाजा बन्द था। उन्हें अन्दर आने की इजाजत नहीं दी गई। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि देखिये—आप आगये, आप भी गवाह हो गये। मैंने कहा कि गवाही की आवश्यकता नहीं है। यह दरवाजा बन्द है, इसे तस्लीम किया जायगा। इससे इंकार नहीं किया जायगा। मैंने भी कांस्टेबिल से पूछा और मेरे पूछने पर उसने बतलाया कि दूसरा रास्ता खुला हुआ है। मैंने रामायणराय जी से कहा कि दूसरे रास्ते से चले चलें। परन्तु उन्होंने कहा कि उनका रास्ता तो यही है और वह नहीं चले। मैं और डाक्टर सत्यकेतु दूसरे रास्ते से अन्दर आ गये। किसी सदस्य को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने पर भी जाने की इजाजत नहीं होगी क्योंकि न मैंने दिखलाया और न मुझसे पूछा गया। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी बात नहीं थी कि वे कांस्टेबिल माननीय उग्रसेन जी, माननीय

[श्री जगदीशप्रसाद]

रामायणराय जी तथा मुझे सदस्य नहीं समझते थे, मेरा विचार है कि वे यह जानते थे कि हम लोग सदस्य हैं। मुझे तो यह भी खयाल है कि विधान सभा का रक्षक भी वहां था लेकिन अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि नहीं था तो नहीं होगा। यह सब बात होने के बाद कांस्टेबिल ने कहा कि उधर से चले जाइये। मैं उधर से चला आया। मैंने डाक्टर सत्यकेतु से कहा था कि इसके ऊपर सदन में हंगामा मचेगा। मेरी भावना है कि उससे कोई विशेषाधिकार या अवमान का प्रश्न नहीं उठता है। मैंने भी मेज को पढ़ने का प्रयत्न किया है। प्रिविलेज का प्रश्न उस समय बन सकता है जबकि हमें अपने फर्ज को अदा करने में रुकावट डाली गई हो। मैं नहीं समझता कि अवमान का प्रश्न बनता है। अवमान का प्रश्न उस समय बनता अगर वे यह कहते कि आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था कि आप इस दरवाजे से न जाकर दूसरे दरवाजे से चले जाइये। दूसरे दरवाजे से जाने में कोई रुकावट नहीं थी। केवल १ या २ मिनट जाने में ज्यादा लगते थे। उस दिन का प्रोसेशन बिलकुल शान्तिमय था। जिस समय हम वहां आये थे तो कोई प्रदर्शनकारी हमारे पास नहीं था और अगर दरवाजा हमारे लिये खुलता तो मैं नहीं समझता कि कोई भी उनमें से अन्दर बढ़ता। यदि हमें बढ़ने की इजाजत दी गई होती तो मैं नहीं समझता कि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे साथ अन्दर आता। अतः कोई बाधा नहीं थी परन्तु पुलिस ने हमसे यह भी नहीं कहा कि तुम जा नहीं सकते हो। उन्होंने कहा कि वह दूसरा रास्ता खुला है। अब रहा यह कि यह हो सकता है या नहीं कि इस दरवाजे को बन्द कर दिया और उसको खोल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रीसीडेन्ट्स ऐसे हैं कि यह हो सकता है। उस दिन का प्रोसेशन बिलकुल अहिंसात्मक और शान्तिपूर्ण था। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं भी इस सदन का १० वर्ष से सदस्य हूं और मैंने प्रोसेशन भी देखे हैं कि जिनके कारण हमें अन्दर आने में दिक्कत हुई है। अगर प्रोसेशन को पार करते आये हैं तो दरवाजे पर २०, २५ आदमी खड़े थे और अगर हम अन्दर घुसें तो हमारे साथ और आदमी भी घुसें। यह परिस्थिति इन्हीं दरवाजों पर हुई है। ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब किसी विशेष दरवाजे को बंद करना पड़े। यह बड़ा दरवाजा जिससे होकर हम लोग आते हैं उसके बारे में भी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है। मान लीजिये इसका कोई भाग टूटने लगे, ईंटें गिरन लगे तो यह भी दरवाजा बंद रह सकता है। लेकिन आने जाने के लिये कोई दरवाजा खुला रहना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये कि कोई दरवाजा भी खुला न हो और असेम्बली के कार्य में बाधा पड़े। इसलिये चूंकि दूसरा दरवाजा खुला था, कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं यह अवश्य कहूंगा कि मैं दूसरे दरवाजे से गया और सबको जाना चाहिये था परन्तु मुझे यह अच्छा नहीं लगा यह efficiency की बात नहीं है कि दरवाजा बन्द कर दिया। एक बात से मुझे बहुत संतोष हुआ जब माननीय अध्यक्ष ने यह कहा कि वे ऐसा प्रबंध करना चाहते हैं जिससे सदस्यों को भविष्य में कोई असुविधा न हो। लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो दूसरे दरवाजे से भी हम लोगों को आ जाना चाहिये, उसमें एक-दो मिनट का ही फर्क पड़ता है। यह अच्छा होगा कि विधान सभा का कोई कर्मचारी वहां रहे। इसका नतीजा यह होगा कि आने जाने में कोई रुकावट न होगी। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस के लिये यह एक अच्छी चीज है लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि इसका प्रबंध माननीय अध्यक्ष शीघ्र कर देंगे। गेट पर पास देखने का अधिकार तो उनको होना ही चाहिये जिससे मेंबर ही अन्दर आ सकें और कोई दूसरा न आये।

एक सदस्य—क्या रामायणराय जी ने पुलिस वालों से अपशब्द कहे?

श्री जगदीशप्रसाद—मेरे सामने रामायणराय जी ने किसी को अपशब्द नहीं कहे और न मेरे सामने पुलिस वालों ने ही उनको कोई अपशब्द कहे। पुलिस वालों ने तो केवल कहा कि दूसरे दरवाजे से चले जाइये वह खुला हुआ है और हम लोग दूसरे दरवाजे से हो आये भी। अतः मेरा निवेदन है कि मेरे विचार में इससे न तो सदन का अवमान ही होता है और न कोई

विशेषाधिकार का प्रश्न ही उठाया जा सकता है। इसमें माननीय सदस्यों को कुछ असुविधा जरूर हुई, उसका प्रबंध किया जा रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तीन विशेषाधिकार के प्रश्न उपस्थित किये हैं मैं समझता हूं कि वे बहुत ही गंभीर प्रश्न हैं और इसीलिये सभी नेता विरोधीदलों के उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इससे उनकी गंभीरता परिलक्षित होती है। हम पिछली बार भी इस सदन के सदस्य चुनकर आये थे लेकिन पिछले दो, तीन महीनों से जो परिस्थिति देखने को मिल रही है ऐसी परिस्थिति कभी पैदा नहीं हुई इस विधान भवन के बाहर और न इसके भीतर। इस विधान भवन में बड़ी भारी संख्या में पुलिस लगी हुई है। गेट्स पर और नोटिस आफिस के बाहर पुलिस और सी० आई० डी० इतनी भारी संख्या में लगी हुई है कि रोजमर्रा जब हम लोग सदन में आते हैं तो उनको रास्ते में से हटाना पड़ता है। पुलिस प्रबंध तो पहले भी रहता था। लेकिन दो, तीन महीने से यह संख्या बहुत बढ़ा दी गयी है और काम में बहुत रुकावट होने लगी है। श्रीमन्, आप देखें कि कुछ दिनों से ऐसी क्या बात हो गयी है जो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस और सी० आई० डी० यहां तैनात कर दी गयी है जिससे कि आने जाने में भी कठिनाई होती है। आप इस पर गंभीरता से विचार करें। बार बार हम लोगों की तरफ से यह भी कहा गया कि सदन में वाच एन्ड वार्ड आप रखें ताकि वे शान्ति के साथ चीजों को समझ सकें और सदस्यों के प्रति आदर का भाव रखते हुए अपने कार्य को करें और जिससे उनके कामों में व्यवधान भी उत्पन्न न हो। १० तारीख को इसकी क्लाइमेक्स आ गयी और बड़े दुख के साथ हमें विशेषाधिकार के प्रश्न को उपस्थित करना पड़ा।

माननीय रामायण राय जी व माननीय नरसिंह पांडेय जी ने उन घटनाओं को बतलाया और आपके सामने रखा। मुझे सबसे अधिक अफसोस है माननीय गृहमंत्री के वक्तव्य को सुन कर। मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अनाफार्चुनेट व बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका वक्तव्य है और उनकी यह जहनियत है कि पुलिस चाहे उचित करे या अनुचित करे, सदन के सदस्यों के साथ करे या सदन के बाहर जनता के साथ करे, लेकिन वह अपना कर्त्तव्य समझते हैं उसकी रक्षा करना और उसके हर गलत व सही कामों का समर्थन करना। इस प्रकार यह अत्यन्त ही दुखपूर्ण घटना है। पहले भी हम लोगों ने यह कहा था कि अगर यही रवैया सरकार का रहा तो इससे पुलिस को प्रोत्साहन मिलेगा गलत काम करने का और इस तरह से हमारे यहां गलत परम्परायें कायम होंगी। मुख्य दरवाजे पर करीब एक दर्जन सी० आई० डी० के आदमी और ६—७ पुलिस के सिपाही थे यहां तक की गैलरी में भी थे। कल दोपहर से जब कि यह प्रश्न यहां उठाया गया है तब से पुलिस के लगाने में कुछ ढिलाई की गयी है। मुझे सब से अधिक अफसोस इसलिये भी है कि जब यहां माननीय सदस्यों की यह मांग होती है कि आप उचित समझें तो इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेज कर उसकी जांच पड़ताल करा लें लेकिन पता नहीं किस अधिकारी से माननीय गृह मंत्री ने जांच करा ली। हम लोगों से पूछा भी नहीं गया जो कि वहां मौजूद थे और यहां बयान दे दिया कि सारी की सारी बातें गलत हैं, किसी की पुष्टि नहीं हुई है, सबसे दुखद बात यह है कि इससे पुलिस को बाहर भी और यहां भी गलत काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

जिस सी० आई० डी० के बारे में मैंने खुद जिक्र किया था कि एक प्रपत्रक मेरे दल ने जो सरकार को देने के लिये तैयार किया था उसे जनता के सामने पढ़ कर सुना दिया। उसके बाद जब मैं सदन में आ रहा था तो उस सी०आई० डी० के आफिसर ने जिसका नाम भी मैं जानता हूं और जिनको अच्छी तरह से पहचान सकता हूं, समय आने पर नाम भी मैं बतला दूंगा, उसने आकर मुझसे कहा कि आप मुझे यह मेमोरेंडम दे दीजिये। इसके लिये माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से जो यह कहा गया है कि यह गलत एलिगेशन है, मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त खेदजनक है। उस सी० आई० डी० के आफिसर ने मुझसे यही कहा कि आपने तो इसे पढ़ ही

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दिया है इसलिये अब यह कोई छिपी हुई बात रही नहीं, इसलिये अब आप उसे मुझे वापस कर दीजिये । मैंने कहा कि मैंने पढ़ दिया और अगर आपको नोट करना आवश्यक था तो आप नोट कर लिये होते । इसकी कापी मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसे माननीय मुख्य मंत्री को समर्पित करना है । मेरे इतना कहने के बावजूद भी वे मेरे पीछे पीछे मुख्य दरवाजे के फाटक तक आये । उसके बाद मैंने इनकार कर दिया और उनको डांट कर हटा दिया । इसके बाद फिर दो आदमी मेरे पीछे पीछे आये और उन्होंने कहा कि अपनी कापी मुझे दे दीजिये । इस पर मैंने पूछा कि आप कौन हैं तो उन्होंने कुछ कहा नहीं । फिर कुछ देर बाद उनमें से एक सज्जन ने कहा कि मुझे प्रेस के लिये कापी चाहिये । मैंने उनसे पूछा कि आप किस प्रेस के प्रतिनिधि हैं क्योंकि मैं तो प्रेस के लोगों को पहचानता ही हूं। फिर उन्होंने इस प्रकार से कहना बन्द कर दिया । वे लोग फिर भी मुख्य द्वार तक आये और मैं समझ गया कि वे लोग सी० आई० डी० के आदमी हैं और किसी प्रेस के प्रतिनिधि नहीं हैं । जब मैं यहां हाउस के अन्दर आया तो भी वे लोग मेरे पीछे आये और फिर वापस चले गये । उन दोनों आदमियों को मैं नहीं पहचानता हूं लेकिन वे दोनों भी सी० आई० डी० के आदमी थे । एक सी० आई० डी० के आफिसर को तो मैं पहचानता ही हूं जिसके लिये मैंने कहा है कि जांच होने पर उनका नाम भी मैं बतला दूंगा । लेकिन आज यहां उससे भी इनकार किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर बात है और यह सदन के सदस्यों के काम में एक व्यवधान पैदा करने की बात है । यह एक छोटी सी बात देखने की है कि आखिर माननीय नरसिंह नारायण व माननीय रामायणराय जी क्यों प्रोवोक हो गये ? अगर पुलिस वहां गेट पर लाठी लगाये हुये रोकने के लिये खड़ी नहीं रहती तो किसी के प्रोवोकेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता । इसकी जिम्मेदारी माननीय नरसिंह नारायण या माननीय रामायण राय पर नहीं डाली जा सकती । जैसा कि माननीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा कि अगर इस तरफ गेट बन्द था तो दूसरी तरफ उसे खोल देना चाहिये था । जाहिर है कि गेट न खोलने से ही प्रोवोकेशन हुआ । हम रोज अपनी जिन्दगी में इस तरह की चीजें देखते ही रहते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के गृहमंत्रित्व में और सरकार की राजधानी में इस तरह की चीजें होती हैं ।

अभी ३ तारीख को आजमगढ़ में हम लोगों ने एक प्रदर्शन दिया था जो बहुत बड़ा प्रदर्शन था । वहां के एस० पी०, जिलाधीश और अन्य अधिकारियों को हमने इसके लिये बधाई दी कि वे प्रदर्शन में बिलकुल शान्त रहे और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने पायी । हम जिलाधीश से मिलने गये, मिले भी, कोई व्यवधान नहीं हुआ । इसी तरह से सन् ५८ में खाद्य आन्दोलन हुआ, उस समय जो पुलिस अधिकारी और जिलाधीश थे, उन्होंने प्रोवोक किया और उस पर बड़ा तूफान खड़ा हुआ, लाठी चार्ज हुआ और सैकड़ों किसान पीटे गये । इस तरह से पुलिस प्रोवोक करती है तभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है और वही स्थिति इस बार यहां उपस्थित हुई है । वहां स्वयं उपगृह मंत्री जी मुख्य द्वार पर खड़े हुये थे । मैंने उन से कहा कि आप ने देखा कि कितना शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है । इस पर उन्होंने कहा कि हां ठीक है, काफी पीसफुल डिगनिटी के साथ प्रदर्शन हुआ है। तो जब वह इस तरह से कनविन्स थे तो अब जब कि प्रिविलेज का सवाल उठता है श्री जेड०, ए० अहमद, श्री गेदासिंह श्री उग्रसेन, राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे आदि की तरफ से तो प्रश्न इस बात का है कि जब कोई कारण न हो, कोई जरूरत न हो तब भी इतने बड़े पैमाने पर पुलिस का घेरा डाला जाय और हाथों में लाठी लेकर इस तरह से आतंक फैलाया जाय यह माननीय जगदीश प्रसाद जी सोचें कि कहां तक उचित है और वह इस पर विचार करें कि कहांतक यह चीजें दूसरों को प्रोवोक कर सकती हैं । इस से स्थिति और बिगड़ सकती थी । मैं ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि कौन सी ऐसी स्थिति पैदा थी, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में इस को देखा जाय कि किस तरह से ऐसी स्थिति पैदा न हो। जो कुछ बताया गया है इस के अलावा

हमारे साथी माननीय भीखा लाल जी को भी वहां पर यहां आने से रोका गया और उन के अलावा बहुत से ऐसे सदस्य हैं कि जिन को उस दिन गेट के अन्दर आने से रोका गया और बहुत से लोग सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये न आ सके। इस सब को देख कर मेरी प्रार्थना है कि श्रीमान् जी इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें और इस पर किसी तरह का कोई पर्दा न डालें क्योंकि वह बहुत ही गम्भीर मसला है। इस मामले में जिम्मेदारी को महसूस कर के इस पर अवश्य ही विचार होना चाहिये। मैं तो माननीय गृह मंत्री जी की इसी में प्रेस समझूंगा कि वह ईमानदारी के साथ यहां उठकर कहें कि जो कुछ हुआ उस पर मुझे अफसोस है। जिस तरह से कि माननीय अध्यक्ष ने कहा उसी तरह से वह खेद प्रकट कर दें कि हमें अफसोस है कि अधिकारियों ने ऐसा किया। चाहे वह किसी के भी आदेश से किया हो इस से उन की और ज्यादा इज्जत बढ़ेगी बजाय इसके कि वह वाकयात पर पर्दा डालकर उन को छिपाने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमान् से प्रार्थना करूंगा कि आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें और इस तरह से पुलिस के घेरे को समाप्त करें।

*श्री राधेश्यामशर्मा (जिला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो सुबह से चल रहा है यह सदन के अवमान का प्रश्न है या नहीं इस प्रश्न पर मैं सदन में गुस्से से कोई बात कहना उचित नहीं समझता और किसी बात को तोड़ मरोड़ कर कहना भी उचित नहीं है। इस प्रश्न पर हमें सरकार को और माननीय गृहमंत्री जी को बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आज जो माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य हम ने सुना वह केवल एकतरफा वक्तव्य था। जब तक इस सम्बन्ध में इधर के जो सदस्य उस वक्त परेशान हुये उन की गवाहियां न ली जायं तब तक इस तरह से एकतरफा वक्तव्य दिया जाय इस से तो और उग्रता बढ़ती है, वह घटती नहीं है। माननीय शिव नाथ जी को काफी समय तक सदन में आने से रोका गया और उसी दिन मैंने यहां आते ही आप के समक्ष इस प्रश्न को उठाया था और आप से कहा था कि इस तरह से पुलिस माननीय सदस्यों को अन्दर आने से रोक रही है और मैं ने पहले कहा था कि नरसिंह नारायण जी बाहर रुके हुये हैं और तुरन्त उसके बाद श्री नरसिंह नारायण जी आ गये और उन्होंने भी कहा। इस में कोई सोचना नहीं है, यह अवमान हुआ है और अगर यह प्रश्न अवमान का प्रश्न नहीं है तो फिर कोई भी अवमान का प्रश्न हो सकता है। दूसरे देशों में और संसदीय प्रणाली में इससे भी हल्के मामलों में अवमान का प्रश्न बन जाता है। जब २० अगस्त को यहां इतनी बड़ी घटना घट गई वह प्रश्न भी अवमान का नहीं बना और यह घटना भी ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न पैदा नहीं करती। तो फिर कौन सा प्रश्न अवमान का प्रश्न पैदा करेगा? मैं समझता हूं इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करना चाहिये।

मुझे खुशी है उच्छृंखल कहलाने वाले सोशलिस्ट पार्टी के लोग तो अपनी जगह पर ज्यों के त्यों दृढ़ हैं ही, पर आज चोट गम्भीर लोगों पर पड़ी है इसकी मुझे खुशी है। माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने जिस तरह से हमको उच्छृंखल कह कर हमारी खिलाफत की थी उससे उनको मालूम पड़ जाना चाहिये कि जब किसी के अधिकारों पर हमला होता है तो कितना बुरा लगता है। मैं तो गृह उप मंत्री जी से कहूंगा कि एक जो भारी भरकम नेता बाकी रह गये हैं इन के साथ एक घटना घटा दें तो कम से कम सभी विरोधी दलों में एकता तो रहेगी। आज शायद अन्य विरोधी दलों को मालूम पड़ा कि हममें एकता रहना कितना जरूरी है।

अगर सोशलिस्ट पार्टी के साथ यह घटना घटी होती तो भारी भरकम नेता यह बात कह देते कि सोशलिस्टों का तो यही तरीका है। आज उनके ऊपर यह बात पड़ी, अच्छी बात है। हम तो सरकारी पक्ष की गलतियों से संघर्ष करते हैं, जहां उसके कामों में त्रुटियां होती हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम]

उनका निकालते ही हैं, साथ ही विरोध पक्ष के लोग जो यहां कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं उनका पर्दाफाश करते हैं। जिस प्रकार दोनुही तलवार विरोधी पक्ष के लोग चला रहे हैं वह हमसे छिपी नहीं है। जब आप के चोट लगे तो व्यवधान हो जाय और जब समाजवादी पार्टी पर हो तो हमको उच्छृंखल कहा जाय इस तरह काम चलने वाला नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी का जो दृष्टिकोण है उसके साथ मिल कर संघर्ष करें तभी सब के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी अन्यथा नहीं। जो घटना हुई है इससे कम से कम इनको अक्ल आयेगी। मैं एक बार फिर गृह उपमंत्री जी से कहूंगा कि जो भारी भरकम नेता बच गये इनके साथ एक दिन और घटना घटवा दें तो अच्छा रहे।

अन्त में फिर उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कहूंगा कि यह मामला बहुत गम्भीर है और इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दें जहां यह तय हो जाय कि दूसरे देशों में, डेमोक्रेटिक देशों में, सदस्यों की प्रतिष्ठा और उनकी मर्यादा की किस प्रकार रक्षा की जाती है वही यहां भी होनी चाहिये। आप इसको समिति को भेजें तभी कोई हल निकलेगा और आने वाली पीढ़ी उसका स्वागत करेगी।

श्री जे० पी० मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर काफी वादविवाद अब तक हुआ है। विरोधी पार्टियों में मैंने विक्टर जे० डे० ए० अहमद, श्री गेंदासिंह, दुबे जी, उग्रसेन जी, चन्द्रजीत यादव जी, रामायण राय जी और नरसिंह नारायण जी के भाषण सुने। केवल एक बात समझ में आई है इन भाषणों से, सबने यह कहा है कि पुलिस का इन्तजाम बहुत माकूल था। यह बात सबने मानी है और बात भी यही थी। आप दो दो प्रदर्शन ले कर चलते हैं। आप तरह तरह के नारे लगाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी आपकी रक्षा के लिये भी है, आप क्या समझते हैं कि जो नारे आप लगाते हैं सड़कों पर, कौंसिल हाउस के सामने, वह सब जनता बर्दाश्त करने को तैयार है? ऐसी बात नहीं है, आपको धोखा है। आपको अपनी पोजीशन की गलतफहमी है। गलत स्लोगन्स लगाने से आम जनता पर असर विपरीत पड़ सकता है। इसलिये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपकी कदम-कदम पर हिफाजत की जाय। शहर भर में आपकी हिफाजत की गयी, असेम्बली भवन में आपकी हिफाजत की गयी। यह नीयत थी सरकार की और इस नीयत के मातहत यह प्रबंध था। सी० आई० डी० इसलिये लगाई गयी थी कि ऐसा न हो कि सम्मानित सदस्य जब कांग्रेस के खिलाफ उल्टी बातें करते हैं तो धोखे से कहीं जद्दोजहद न होने लगे। सम्मानित सदस्य इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि वह उल्टा चलते हैं। इन वाले फाटक से जाते हैं और आउट वाले फाटक से अन्दर आते और जाते हैं रोज। लेकिन प्रदर्शन के दिन नं० १ फाटक पर खड़े होंगे। यह उल्टी बात है, मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि काफी सम्मानित सदस्य, आउट वाले दरवाजे से आते जाते हैं। उस उस दिन क्या वजह थी जब हजारों आदमियों का, जैसा कि आप कहते हैं, प्रदर्शन था, और दो फाटकों पर ताला लगा हुआ था और १ फाटक खुला हुआ था और हम सब तो अन्दर बगैर रोकटोक के आ गये, करीब ३५० सदस्य अन्दर आ गये, कोई नहीं रोका गया, तो केवल उनको ही क्या रोका गया? ३५० सदस्यों के माथे पर कोई साइन बोर्ड लगा हुआ था कि फलां कम्युनिस्ट है, फलां पी० एस० पी० का है, फलां एस० पी० और कांग्रेस का है? ये इतने सदस्य क्यों नहीं रोके गये? चन्द्रजीत यादव जी कहते हैं कि सी० आई० डी० वाले ने नकल मांगी। आपकी यह बात सही भी मान ली जाय तो एक कापी अगर आप मेमोरेंडम की पकड़ा देते तो क्या हर्ज हो जाता जब कि आप अपने मेनिफेस्टो का एनाउन्समेंट कर चुके थे। लेकिन आपने नहीं पकड़ाई। वैसे २४ घन्टे आप पुलिस वालों से मिलते जुलते रहते हैं और यह देखा गया है कि एस० पी०, थानेदार के साथ बात करते रहते हैं और सी० आई० डी० अफसरों के साथ चाय पीते हुए देखा गया है। मेमोरेंडम मांगा उन्होंने, तो गलती हो गयी। वह नहीं होनी चाहिये थी।

मैं डाक्टर जे० ए० अहमद साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की बात उन्होंने कही । बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन पुलिस की कहीं अड़चन नहीं । जेड० ए० अहमद साहब उस उक्त पार्लियामेंट के अन्दर होंगे, बाहर उन्होंने नहीं देखा होगा । मीलों माउंटेड पुलिस लगी होती है । हमको बाहर सारी स्थिति को काबू में रखना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है । बड़ी खुशी है कि आप अहिंसात्मक प्रदर्शन करते हैं । लेकिन आप का पास्ट रेकार्ड धीरे धीरे ही यह विश्वास पैदा करेगा कि आपको डेमोक्रेसी में पूर्ण यकीन हो गया है । बाबू गेंदासिंह से यह मुझे कहना है कि आप इतने मीठे, ठंढे और बिलकुल उदार, सब बातें हैं आप में, लेकिन बाज औकात पार्टी के पक्ष में आप कुछ हट के बात करने लगते हैं, यह बात जरा कुछ अजीब सी है, माननीय बाबू गेंदा सिंह जी, रामायण राय जी अगर दस मिनट धूप में खड़े रहे ताला खुलवाने के लिये तो क्या हुआ, बाबू गेंदासिंह जी के सिर पर तो घंटों धूप बीती है और वह किसान जिनका नेतृत्व करने आप गये थे, ६-६ घन्टे धूप में रहे लेकिन आपको दस मिनट में परेशानी हो गयी । उसके लिये मैं क्षमा मांगता हूं । अगर आप आउट वाले गेट पर पहुंच जाते तो अन्दर पहुंच जाते ।

श्री नरसिंहनारायण जी का जहां तक ताल्लुक है, उनकी सोशलिस्ट पार्टी इस वक्त हिन्दुस्थान में फायर ब्रैन्ड पार्टी है, उसको अन्दर लड़ना, उसको बाहर लड़ना और तादाद है १८-२०, इससे बढ़ने वाली नहीं है, पूरे हिन्दुस्तान में । आप अन्दर लड़ते, आप बाहर लड़ते, आप मेन गेट को खुलवाते लेकिन आउट वाले रास्ते से नहीं आते जिससे रोज आते जाते हैं । मेरा यह नम्र निवेदन है कि बाहर वाले दरवाजे से आप रोज आते हैं और सदन का चार घंटे समय घुसे या नहीं, ताला खुला या नहीं खुला, धूप में रहे, सी० आई० डी० ने पीछा किया, इसमें लग गया । वैसे आप रोज आते भी आउट से हैं और जाते भी आउट से हैं हालांकि वहां साफ तख्ती लगी हुई है "अन्दर", साफ लिखा है "बाहर" । तो यह कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता । कितना बढ़िया इन्तजाम था यू० पी० गवर्नमेंट का और आई० जी० पुलिस, डी० एम० और सीनियर एस० एस० पी० (सिटी) ने आपके साथ कितनी उदारता बरती कि लखनऊ शहर भर में चौराहे पर १०-१५ कांस्टेबिल्स तैनात कर दिये ताकि आपके ऐंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स लगाने से जो उत्तेजना फैल सकती थी उससे आपको कोई नुकसान न पहुंच पाता ।

श्री उग्रसेन—बड़े नारे लगाते थे जब सोशलिस्ट पार्टी में थे, निकाल दिये गये ।

श्री जे० पी० मिश्र—बैठूंगा नहीं मिस्टर उग्रसेन । कहता ही रहूंगा और जितना आप कहेंगे उससे ज्यादा कहूंगा । आज जो साढ़े तीन घन्टे से बहस जारी है यह प्रिविलेज के अन्दर किसी कीमत पर नहीं आता है । इसको आप आउट आफ आर्डर रूल कीजिये । इसमें प्रिविलेज का कोई सवाल ही नहीं है । आप ख्वामख्वाह इस डिबेट को ओपन किये हुये हैं । आखिर में मुझे यह निवेदन करना है कि आप विरोधी पार्टी के नेताओं—माननीय दुबे जी, श्री उग्रसेन, बाबू गेंदासिंह, डाक्टर अहमद, स्वतंत्र पार्टी के ताल्लुकेदार श्री राघवेन्द्र जी और रिपब्लिकन पार्टी के श्री श्यामलाल जी को न भूलियेगा, इन सबको अपने कक्ष में बुला लें और इन सब को इकट्ठा कर के एक कानून, एक बात तय कर दें कि आइये एक रास्ते से और जाइये दूसरे रास्ते से । अगर उसमें अड़चन पड़े तो विशेषाधिकार का प्रश्न लाइये । यह जो विशेषाधिकार की मांग की गयी है यह बिलकुल अनुचित है । इसको आउट आफ आर्डर करार दें, यही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री बाबू लाल, बस यह अन्तिम भाषण होगा ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ पांच मिनट में चाहूंगा । मैं यही बातें नहीं कहूंगा । मैं कानूनी दृष्टि से कहूंगा ।

*श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मुझे यह अवसर मिला कि लगभग दोनों पक्ष के कई भाषण सुन चुका हूं उसके बाद मैं कुछ अपना मत भी प्रकट कर सकता हूं। उस दिन जिस समय यह घटना हुई, उपाध्यक्ष महोदय यहां आसीन थे। सारी घटना मेरे सामने हुई थी। मैंने नरसिंह नारायण और रामायण राय जी के साथ द्वार से प्रवेश किया था। कुछ गलत-बयानी की जा रही है। अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा—मेरे सामने की बात नहीं है। संभव है कि एक-दो मिनट पहले वह चले गये हों। उनके आने पर पुलिस ने उनको पहचान करके, कांग्रेसजन समझ कर, या जिस नाते हो, उनसे कहा कि अमुक द्वार से चले जायं। मैं जब आया हूं तो ऐसे सभ्यतापूर्ण रूप से कोई भी बताने के लिये नहीं था कि वह द्वार खुला है। हम लोगों के खड़े रहने के बाद दरवाजा खुलवाया गया है। यदि कोई ऐसी आज्ञा थी कि कोई दूसरा द्वार खुला है, और इस पर ताला बन्द है, तो ताला खोलने की आवश्यकता नहीं थी। द्वार ही बताया जाता। मैंने जहां तक देखा है, इस भवन के अन्दर १२ या १४ दरवाजे हैं। जब तक कोई पूर्व सूचना न हो, ठीक दो बजे या दो बजने में दो मिनट बाकी रहे हों, जिस समय हम सदन में आने के लिये गेट पर पहुंचे, उस समय बारहों या चौदहों दरवाजे हम खटखटाएं, यह हम कैसे सोच सकते हैं? हां, यह संभव था कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की परामर्श से कुछ द्वार बन्द किये गये होते, और सदन में सूचना हम लोगों को पहले से दे दी जाती कि आज बाहर प्रदर्शन होगा, जो सदस्य लंच के बाद यहां आने लगें अमुक द्वार से आयें, तब तो यह कहा जाता कि कोई कठिनाई नहीं है। यहां प्रत्यक्ष यह मालूम होता है कि कांग्रेस सरकार समझे या मंत्रिमंडल समझे, उन्होंने कितना आपके ऊपर विश्वास किया। न माननीय सदस्यों के ऊपर विश्वास किया न इस सदन का ध्यान रखा। वह निजी तरीके से सारी व्यवस्था करते रहे।

दरवाजे पर पहुंचने के बाद यह बिलकुल सत्य है कि वहां पर काफी देर तक रुकना पड़ा था। जैसा कि माननीय नरसिंह नारायण जी ने और माननीय रामायण राय जी ने बताया है बड़ी कठिनाई के बाद दरवाजा खोला गया। उसमें कैसी बात पुलिस ने कही, इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो कायदे से बात कर सकता हो, जो सदन से सम्बन्धित हो या पुलिस का विशेषाधिकारी हो, ऐसी बात करने को तैयार नहीं हो सकता था। वहां फाटक के पास बिलकुल नव जवान पुलिस का आदमी जिनको केवल लाठी पकड़ने का सहूर रहता है उनमें से एक सब से कम उम्र का आदमी गया। श्री नरसिंह जी ने उससे कहा कि किसकी आज्ञा से यह दरवाजा बन्द हुआ है। हम लोग सदन में कैसे पहुंचेंगे? उसने उत्तर दिया कि क्या आप फांसी दे देंगे, बन्द तो किया हूं। यह शब्द तो मामूली पुलिस का आदमी बोलता है। वहां पर और कोई अधिकारी नहीं आता है। इसके बाद जब हम तीन आदमी किसी तरह से प्रमुख द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि लाठी लगी हुई है। यह बिलकुल सत्य है कि ६ फीट का रास्ता छोड़ा गया था। आप उसको ६ फीट और ८ फीट कह सकते हैं। दोनों तरफ जो तोड़ो है अगर उसका हिसाब लगायें तो वह रास्ता ६ फीट का हो जायेगा लेकिन वहां पर देखा गया कि दो फीट के बाद लाठी लगी हुई थी। बाहर से आने वाले नहीं समझ सकते थे कि डेढ़ फीट का रास्ता हम लोगों के लिये छोड़ा गया है। उनको लाठी हटाने में देर हुई। यह ठीक है कि श्री नरसिंह जी ने कोशिश की। उसने कहा कि हम लोगों को एक घन्टे की छुट्टी दी गयी थी। दूसरे आदमियों की तरफ इशारा करते हुये उसने कहा कि तुम लोग यहां क्यों खड़े हो। यहां पर दो प्रकार की बातें की जा रही हैं। अभी यहां पर वक्तव्य दिया गया है गृहमंत्री जी की ओर से कि उन पुलिस के लोगों को अपशब्द कहा गया। मैंने अपशब्द नहीं सुना और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझको याद है कि पुलिस अधिकारी यह जानते थे कि ये लोग विरोधी दल के हैं। जो कांग्रेसी सज्जन लोग थे उनको नम्रता से दरवाजा बतला दिया गया था और हमको भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दरवाजा बतला दिया गया होता तो यह बात न होती लेकिन हम लोगों को आइरेनिकल वे में कहा गया और बजाय हम लोगों को कहने के एक व्यक्ति को जो बगल में खड़ा था उसको उस पुलिस के नवजवान ने कहा कि तुम जाते क्यों नहीं ? क्या आप के खाना खाने का समय नहीं है ? उसका मतलब था उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने यह बतलाया था कि हम लोग भोजन करने गये थे, उनको इन शब्दों से दूसरों को सुना कर कह रहा था और हमने उसको बुरा समझा। यह व्यवहार हम लोगों के साथ गेट पर किया गया। अब प्रश्न यह है कि यह अनुचित हुआ या उचित हुआ ?

मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि समय समय पर सरकार को इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि वह पुलिस का प्रबन्ध करे और सुरक्षा के लिये इन्तजाम करे। इसी भावना के अन्दर ऐसी पुलिस वहां रखी जाती है जो जूता का ठोकर मार कर सैलूट देते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। आप को सोचना है और समझना है। यह तो आप मानेंगे ही कि आप की रूलिंग यहां पर पढ़ी गयी है। गेट के बारे में हमको पहले से सूचना नहीं थी और अगर दस मिनट के बाद सूचना दी जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिये इसकी पूर्व सूचना हुये बिना इतना पुलिस को अधिकार देना ग़लत था। मुझको शब्द का पता नहीं कि पार्लियामेंटरी होगा या नहीं होगा, एक नाटकीय ढंग से बतलाया गया था और पुलिस की तारीफ की गयी थी और उस पर इतना जोर दिया गया जिससे मालूम होता था कि गृह मंत्री और मुख्य मंत्री ने उसका प्रबन्ध किया था, उन्होंने बतलाया कि हमने सी० आई० डी० का प्रबन्ध किया है,हमने पुलिस का इन्तजाम अमुक अमुक कारण से किया है। ऐसा उन्होंने खुद नहीं कहा लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने तमाम पार्टियों के ऊपर आक्षेप करते हुये, सभी नेताओं की चुटकी लेते हुये कहा कि यह बहुत अच्छा हुआ है और ठीक हुआ है और अवश्य ऐसा होना चाहिये था।

मेरी नम्र प्रार्थना श्रीमान् जी से है कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और विशेष रूप से जब.....

श्री उग्रसेन—व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। अभी यहां सी० आई० डी० के रिपोर्टर बैठे हुए थे। यह उत्तर प्रदेश सरकार के सी० आई० डी० के रिपोर्टर हम लोगों का भाषण नोट करने के लिये भेजे गए हैं या विधान सभा के जो रिपोर्टर लोग हैं, उनके कुलोग हैं। मैं उनको पहचानता हूं, वह डाक्टर लोहिया के भाषण बराबर नोट करते रहे हैं। मैं आपसे व्यवस्था का प्रश्न करता हूं। श्रीमन्, सदन में भी सी० आई० डी० के रिपोर्टर्स आया करेंगे, इस पर आप व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष— हमारे यहां कुछ रिपोर्टर्स बीमार हैं, उनकी जगह पर काउन्सिल से यह साहब आये हैं।

श्री उग्रसेन— श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि सी० आई० डी० रिपोर्टर्स काउन्सिल में रिपोर्टिंग करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष— यह अभी-अभी बतलाया गया है कि वह काउन्सिल से रिपोर्ट करने के लिए बुलाए गए हैं, इसके अलावा ज्यादा इनफारमेशन नहीं है।

श्री उग्रसेन— इस पर जांच कर लीजिए, फिर इस पर व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष— जांच कर ली जायगी।

श्री उग्रसेन— श्रीमन्, मैं एक बात कहता हूं कि आप उनको हाउस में बुलवायें। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष— बाबूलाल जी के बाद इस विषय को समाप्त करता हूं, इसलिए कि काफी बहस इस पर हो चुकी है। जितना स्पीकर मुनासिब समझेगा उतनी ही इजाजत दी जाएगी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—एक मिनट के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री उपाध्यक्ष—जैसा कि बताया कि कुछ रिपोर्टर्स बीमार हैं, वह छुट्टी पर हैं, उनकी जगह पर आये हैं।

श्री उग्रसेन— श्रीमन्, प्रश्न यह है कि जब आप बीमार होंगे तो क्या आपकी जगह पर आई० जी० पुलिस यहां आकर बैठेंगे तथा क्या आई० जी० के रिपोर्टर्स यहां आकर रिपोर्टिंग करेंगे ? श्रीमन्, यह आदरणीय सदन है, यह पुलिस लाइन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—यह तय हो गया कि उनको बुलाया गया था काउंसिल से।

(शोर, बहुत शोर)

क्या आप चाहते हैं कि मैं उठ जाऊं ? यह क्या तरीका है कि ६, ६ सदस्य एक साथ खड़े हुए हैं ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैं आप से नम्रता से निवेदन कर दूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष— हां, कहिए।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मान्यवर, निवेदन यह करना है जैसा कि अभी सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री उग्रसेन जी ने एक बहुत अहम प्रश्न उपस्थित किया। जो अभी रिपोर्टर नोट कर रहे थे उनको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं "यह सी० आई० डी० के रिपोर्टर हैं, इन्होंने हमारी मीटिंग्स में जाकर नोट किया है। सूचना के आधार पर आपका कहना यह है कि वह काउन्सिल से बुलाये गये हैं।

मैं आपके द्वारा मान्यवर, इतना ही जानना चाहता हूं कि अगर वह कौंसिल से बुलाये गये हैं तो क्या कौंसिल में भी सी० आई० डी० के रिपोर्टर बैठ कर के रिपोर्टिंग करते हैं और अगर करते हैं तो क्या यहां पर आप की इजाजत से बुला कर बैठाये गए हैं इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप से निवेदन यह है कि आप व्यवस्था देने से पहले पूरी जांच कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—आप एक मिनट में ही तो चाहते हैं कि मैं व्यवस्था दे दूं और एक मिनट में ही सारी जांच भी चाहते हैं। दिस इज नाट पासिबिल (This is not possible) तो यह तो मैंने आपसे कह ही दिया। अब फिर उसके ऊपर इतना शोरगुल तो नहीं होना चाहिए। हर आदमी खड़ा होकर अपनी बात कहना चाहता है, यह तो बहुत गलत बात है।

श्री बाबूलाल—मान्यवर, मैं यही कह रहा था कि हम लोगों के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई, और हम लोगों का अपमान हुआ। और यह विरोध की ओर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं उनके सम्मान की रक्षा केवल आप—अध्यक्ष या उपाध्यक्ष—ही कर सकते हैं। दूसरी ओर से जो कांग्रेस की ओर बैठे हुए हैं उनके ऊपर से तो हम विश्वास खो चुके हैं। जैसा कि अभी यहां पर एक माननीय सदस्य ने वक्तव्य दिया और माननीय मंत्री की ओर से वक्तव्य दिया गया, उसको देखते हुए हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। हमको उस दिन बहुत ही असन्तोष हुआ जब यहां पर बातें बताई गईं और मान्यवर, स्वयं उस वक्त यहां पर आसीन थे और आपने मार्शल को यहां से भेजा...

श्री उपाध्यक्ष—यह तो बात आप कह चुके हैं। दोहराने से क्या फायदा है ?

श्री बाबूलाल— केवल यही कहना चाहता हूं कि मार्शल ने आकर के सूचना दी कि न तो फाटक में ताला बन्द है और न लाठी लगाई है, मुझे दुख इस बात का है कि मार्शल उसी वक्त यह भी बता देते कि दो या डेढ़ मिनट पहले ताला भी बन्द था और लाठी भी लगी थी और अब हटा ली गई तो हमें सन्तोष हो जाता। पता नहीं उस वक्त हटा कर के आये या ताला खुलवा-कर के आये, उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि ऐसी बात कही गई कि आपको सन्देह होने लगे कि

जो तीन माननीय सदस्यों ने बतलाया कि ताला खुलवा कर अन्दर आये, और लाठियों को हटवाकर अन्दर प्रवेश किया, वह बात गलत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पुलिस और यह सरकार इन दोनों की एक सांठ-गांठ हो जाती है कि वह उनके कार्यों को छिपायें। इस तरह यदि हमारे विशेषाधिकारों की अवहेलना होती रही और उसको रोका नहीं जाता तो जिस समय भगवान ने ऐसा किया कि कभी उनको इधर बैठना पड़ा और यही पुलिस ने उनके साथ किया तो हमारे यहां मुख्य मंत्री और उपमंत्री इससे चौगुना बावेला मचायेंगे। इसलिए आपको इस दृष्टि से इसे देखना है कि सदन की मान-मर्यादा और माननीय सदस्यों की मान-मर्यादा को देखते हुए आया अपमान हुआ या नहीं हुआ। २० दरवाजे भी हों, एक दरवाजे का अगर हम इस्तेमाल करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष— देखिए यह तो सारी बातें हो चुकी हैं। आप स्वयं यह बात कह चुके हैं।

श्री बाबूलाल—मैं यह कह रहा हूं कि एक माननीय सदस्य ने भगवान जानें वह अंग्रेजी पढ़े हैं या क्या हैं, दस मर्तबे कम से कम इन और आउट बतलाया कि एक प्रवेश द्वार है और एक आउट द्वार है। वह इन और आउट की व्यवस्था मान्यवर, गाड़ियों के आने जाने के लिए होगी। हां, यदि उसका मतलब यह हो कि पैदल चलने वाले माननीय सदस्य भी एक तरफ से आवें और दूसरी तरफ से जायें तो इसका तो कभी पालन नहीं किया गया। हो सकता है वह रास्ता मोटर के आने का हो या जानवर के आने का हो लेकिन उन माननीय सदस्य ने यहां कह दिया कि गलत रास्ते से आ रहे थे। यह वही रास्ता है कि जो दारुलशफा से निकलने के बाद पहले पड़ता है और ९० फीसदी लोग उसी ओर से आते हैं। तो वह ९० फीसदी लोग उनके कहने के अनुसार गलत रास्ते से आते हैं। इसलिए इन सारी बातों पर आपको विचार करना होगा और सारी बातों का पता लगाना पड़ेगा। इतनी उजलत में यह नहीं होगा जैसा कि उधर से आ कर एक वक्तव्य दे दिया। यह जो इन लोगों ने विशेषाधिकार का प्रश्न रखा था उसमें मुझ से पूछ लिया गया होता क्योंकि मैं उस समय उपस्थित था तो मैं सारी बातें बता सकता था। लेकिन वह नहीं किया गया और उधर की जो जानकारी है वह केवल पुलिस द्वारा है। इसलिए मान्यवर, से मैं प्रार्थना करूंगा कि मान्यवर जो इसके बारे में तहकीकात करेंगे वह हम लोगों की और सदन की मान-मर्यादा को देख कर करेंगे और आइन्दा इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इतनी पुलिस जो भीतर घुसी रहती है वह यहां न रहा करे क्योंकि हम लोगों का ऐसी परिस्थिति में दिमाग बिगड़ जाता है और यहां हम शान्तिपूर्ण ढंग से काम नहीं कर सकते जब तक कि आप इनको यहां से हटायेंगे नहीं और आइन्दा जब कभी पुलिस रखी जाय तो बिना आपकी आज्ञा के उनको अन्दर आने की इजाजत न दी जाय। यह न हो कि हजारों की संख्या में पुलिस यहां आकर के विद्यमान हो जाया करे।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष— अब इसको समाप्त कर दिया है। अब नियम ५२ की सूचना को लेना है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)— मैं एक, दो मिनट ही लेना चाहता हूं। मैं एक कानूनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष—अब यह विषय समाप्त हो गया है। स्पीकर जितना चाहेगा उतना ही सुनेगा। अब बहुत हो गया है। इस पर २, ३ घंटे लग गये।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं १, २, ३ करके बात कह दूं। अधिक समय नहीं लूंगा...

श्री उपाध्यक्ष—अब आप विराजिये। इस पर और अधिक समय नहीं दिया जा सकता।

श्री दीपनारायणसिंह—आपके ऊपर पुलिस है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपसे निवेदन किया कि आप अब विराजिये।

कानपुर शहर में कोयले की कमी से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास दफा ५२ के अन्तर्गत कुछ नोटिस आये हैं। उनमें माननीय सन्तसिंह जी यूसुफ का नोटिस स्वीकार किया गया है। वह इस प्रकार है—

"कानपुर शहर में पुनः कोयले के अभाव से एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगस्त के प्रारम्भ में केवल ७५ वैगन कोयला शहर को मिला था जो चन्द दिनों के लिये ही पर्याप्त था। तब से अब तक कोई सप्लाई नहीं हुई है। अधिकारियों ने सरकारी दूकानों से आम जनता को परमिट देना बिलकुल बन्द कर दिया है। फलस्वरूप होटल व छोटे-छोटे कारखानों के बन्द होने की नौबत आ गई है। कोयला चोर बाजारी से काफी ऊंचे दामों पर बिक रहा है और लकड़ी के दाम भी काफी बढ़ गये हैं। कानपुर शहर की कोयले की सप्लाई दिनों दिन कम होती जा रही है जब कि आबादी व कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। सन् १९५६ से १९५९ तक शहर को २,००० वैगन कोयला प्रति वर्ष दिया जाता था, परन्तु अब केवल १,२२४ वैगन प्रति वर्ष ही दिया जाता है।

शहर की जनता व उद्योग के सामने गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे पूरे शहर का वातावरण काफी शोकमय हो गया है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—श्रीमन्, हमारा और माननीय हिम्मतसिंह जी का भी नियम ५२ का प्रस्ताव इसी प्रकार का है। तो वह भी इसमें शामिल कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—वह भी इससे कवर हो जाता है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—हमारा भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियम ५२ का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—एक दिन में एक ही लिया जा सकता है।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—इस पर सोमवार को वक्तव्य दिया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैंने भी एक नियम ५२ के अन्तर्गत चुर्क सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों की बाबत नोटिस दिया था।

श्री उपाध्यक्ष— एक ही लिया जा सकता है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह स्टेटमेंट तो आप सोमवार को देंगे। मुझ को आपत्ति नहीं है लेकिन इस बीच में यदि कोई व्यवस्था ऐसी कर दें जिसमें लोगों को कोयला मिल सके तो अच्छा होगा। आज कल वहां पर बड़ी परेशानी है। यह छोटी-छोटी फैक्टरीज अगर बन्द हो गईं तो झंझट पैदा हो जायगा। इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि वहां के अधिकारियों से बात करके इसकी व्यवस्था कर दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमने उचित अधिकारी से बात करने की कोशिश की और उनसे टेलिफोन पर कंटेक्ट करना चाहा लेकिन उनसे कंटेक्ट नहीं हो पाया।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन् मैंने भी एक नियम ५२ के अन्तर्गत दिया था। शहर लखनऊ के आधे मुहल्ले ऐसे हैं जहां पर बिजली एकदम रात में बन्द हो जाती है ....

श्री उपाध्यक्ष—एक ही एक दिन में लिया जा सकता है। आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक और विश्वविद्यालय अनुदान समितियों तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट और उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल के नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---एक घोषणा और करनी है चुनाव के सम्बन्ध में। वह इस प्रकार है---

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के ४, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के ३, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के ५ तथा उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्राप्त नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा दिनांक १२-९-१९६२ को नियत समय पर की गई और भूमि संरक्षण मंडल में श्री भगवान दास यादवेन्द्र के पक्ष में प्राप्त नाम निर्देशन-पत्र, जो अवैध पाया गया, के अतिरिक्त शेष सब नाम निर्देशन-पत्र ठीक पाये गये। अतः यदि नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय अर्थात्, १७ सितम्बर, १९६२ को सायंकाल ५ बजे तक अतिरिक्त नाम वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन २१ सितम्बर, १९६२ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा। प्रत्येक समिति के लिये निर्देशित अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार से हैं:---

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति (४) सदस्य

१---श्री कमला सिंह यादव (गाजीपुर)
२---श्री मुन्नू सिंह (बहराइच)
३---श्री रामकिशोर वर्मा (फतेहपुर)
४---श्री सरदार सिंह (सहारनपुर)
५---श्री गंगा प्रसाद सिंह (बलिया)
६---श्री सुक्खनलाल (मुरादाबाद)
७---श्री रामप्रसाद देशमुख (अलीगढ़)
८---श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन (टेहरी गढ़वाल)
९---श्री नियामत उल्ला अंसारी (गोरखपुर)
१०---श्री मोहनलाल वर्मा (हरदोई)
११---श्री सोहनलाल धुसिया (बरेली)
१२---श्री चिरंजीलाल (एटा)
१३---श्री गयाप्रसाद (वाराणसी)
१४---श्री बृजेश्वर सहाय (मैनपुरी)
१५---श्री जगदम्बा प्रसाद (फैजाबाद)
१६---श्री मन्नालाल (खीरी)
१७---श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह (रायबरेली)
१८---श्री रामचरण शाह (खीरी)
१९---श्री यशपाल (सहारनपुर)
२०---श्री खेमचन्द (आगरा)

विश्वविद्यालय अनुदान समिति (३) सदस्य

१—श्री डूंगर सिंह (हमीरपुर)
२—श्री रामायण राय (देवरिया)
३—श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)
४—श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया (मेरठ)
५—श्री गंगा प्रसाद सिंह (बलिया)
६—श्री रामसूरत प्रसाद (गोरखपुर)
७—श्री कमला सिंह यादव (गाजीपुर)
८—श्री नियामत उल्ला अन्सारी (गोरखपुर)
९—श्री सोहन लाल धुसिया (बस्ती)
१०—श्री चैतन्यराज सिंह (अलीगढ़)
११—श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी)
१२—श्री सूबेदार सिंह (मैनपुरी)
१३—श्री जगदीश नारायण सिनहा (सहारनपुर)
१४—श्री भगवान सहाय (शाहजहाँपुर)
१५—श्री मन्नालाल (खीरी)
१६—श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह (रायबरेली)
१७—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (मुरादाबाद)

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट (५) सदस्य

१—श्री कल्पनाथ सिंह (गोरखपुर)
२—श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)
३—श्री प्रेमसुन्दर (मेरठ)
४—श्री नियामतउल्ला अंसारी (गोरखपुर)
५—श्री गंगा प्रसाद सिंह (बलिया)
६—श्री रामसूरत प्रसाद (गोरखपुर)
७—श्रीमती कलारानी मिश्र (हरदोई)
८—श्री चिरंजीलाल (एटा)
९—श्री खेमचन्द (आगरा)
१०—श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी)
११—श्री वशिष्ठ नारायण शर्मा (गाजीपुर)
१२—श्री मन्नालाल (खीरी)
१३—श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह (रायबरेली)
१४—श्री भगवानदास बरनवाल (मिर्जापुर)
१५—श्री श्यामलाल (बस्ती)

विधान सभा

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल (१) सदस्य

१—श्री रामसुन्दर पांडेय (आजमगढ़)
२—श्री विजय सिंह (जालौन)
३—श्री रामकिशोर वर्मा (फतेहपुर)
४—श्री गंगा प्रसाद सिंह (बलिया)
५—श्री रामसमझावन (जौनपुर)
६—श्री मैनेजर सिंह (बलिया)
७—श्री माताप्रसाद (जौनपुर)
८—श्री सोहनलाल धुसिया (बस्ती)
९—श्री राधेश्याम शर्मा (मथुरा)
१०—श्री देवीदत्त (नैनीताल)
११—श्री मन्नालाल (खीरी)
१२—श्रीमती शकुन्तला देवी (सहारनपुर)

प्रदेश की बाढ़-स्थिति पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष—अब आज बाढ़ पर वाद-विवाद शुरू होता है। माननीय माल मंत्री बोलेंगे।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—एक प्रार्थना यह है कि माननीय मंत्री जी जो कागज पढ़ने जा रहे हैं वह सब माननीय सदस्यगण को मिल चुका है और सब ने पढ़ लिया है। तो उसे सुनाया न जाय, पढ़ा हुआ समझा जाय।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—हमारे माननीय सदस्यों को बड़ी तकलीफ होती है, अपने-अपने जिलों का पढ़ते हैं, बाकी को नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ेंगे तो सारे सूबे की पिक्चर सामने आ जाती है इसलिये मैं चाहता हूं कि पढ़ा जाय।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—यह माननीय मंत्री जी की चाल है....

श्री हुकुमसिंह विसेन—"चाल" के लफ्ज पर मुझे एतराज है।

श्री उपाध्यक्ष—आप इसको वापस लीजिये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अगर दीपनारायण जी यह कहते कि माल मंत्री जी की 'कुचाल' है तब तो अनपार्लियामेंटरी हो सकता था, लेकिन उन्होंने चाल कहा। मैं समझता हूं यह अनपार्लियामेंटरी नहीं है। इसमें कोई मोटिव नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर श्री गेंदासिंह पर कोई असर नहीं हुआ तो हम पर भी नहीं हुआ। ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष—वह पढ़ना चाहें तो पढ़ें, यह तो उनके ऊपर है।

एक सदस्य—सभी पढ़ कर सुनाया जाना चाहिये, यही निवेदन है।

श्री कमलासिंह यादव—काफी वक्त सदन का लिया जा चुका है प्रिविलेज मोशन पर। बाढ़ की समस्या बहुत आवश्यक है, इंटरवल में हम सब इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको पढ़ा हुआ समझा जाय तो उचित होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने तो वक्त सर्फ नहीं किया, उधर के लोगों ने ही वक्त सर्फ किया। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय याद दिलाते रहे कि आगे फ्लड पर वाद-विवाद है, इस पर कम वक्त लेकर बाढ़ पर अधिक समय लिया जाय, लेकिन विरोधी दल के सदस्यों ने नहीं माना, हमारा क्या कसूर है? मैं चाहता हूं कि पढ़ा जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—१० घंटे का विवाद है, सवा तीन बजे आरम्भ होता है। १० घंटे का समय तो रहेगा ही। नेताओं में यही तय हुआ था, यह न भूल जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—२७ तारीख को इसी बाढ़ के सम्बन्ध में रिपोर्ट पढ़ी गयी थी। जब हमने सुझाव दिया माननीय अध्यक्ष जी को तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि इसको पढ़ा हुआ माना जाय। हमारा १२ साल का अनुभव है सदन का। जब-जब राज्यपाल का भाषण हुआ है वह पढ़ा माना गया। माननीय मंत्री इसीलिए अब जिद कर रहे हैं कि ज्यादा समय रिपोर्ट पढ़ने में व्यतीत हो जाय और विवाद के लिये समय न रहे। विवाद से तो उनका ही फायदा होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम अपना फायदा नुकसान खूब समझते हैं।

श्री उग्रसेन—तो श्रीमन्, आज सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाय।

श्री बृजबिहारी—उत्तर प्रदेश में १ सितम्बर, १९६२ तक की बाढ़-स्थिति के सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र, विधान परिषद् के सदस्यों को ३ सितम्बर, १९६२ को वितरित किया जा चुका है। इसकी प्रतियां आज विधान सभा के सदस्यों की मेज पर रख दी गई हैं।

२—२६ अगस्त, १९६२ को उत्तर प्रदेश में बाढ़-स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य विधान सभा में दिया गया था। कुछ माननीय सदस्य, कुछ जिलों के सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना चाहते थे तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में पत्र, अल्पसूचित प्रश्न तथा नियम ५२ के अन्तर्गत नोटिसें भेजीं कि सरकार वांछित सूचना एकत्रित करके, जब सदन में बाढ़-स्थिति पर पुनः विवाद हो, उसके सम्मुख प्रस्तुत करे। इन माननीय सदस्यों के नाम तथा उन जिलों के नाम जिनके सम्बन्ध में वे अतिरिक्त सूचना चाहते थे, इस प्रकार हैं:—

जिले का नाम	माननीय सदस्य का नाम
१—मुजफ्फरनगर ..	.. १—श्री विजय पाल सिंह
२—एटा ..	.. १—श्री राजेन्द्र सिंह
३—बरेली ..	.. १—श्री रामेश्वर नाथ चौबे
	२—श्री हरीश कुमार गंगवार
	३—श्री हेमराज
४—मुरादाबाद ..	.. १—श्री रियासत हुसेन
५—शाहजहांपुर ..	.. १—श्री मोहम्मद रफी खां
	२—श्री सुरेन्द्र विक्रम
६—कानपुर ..	.. १—श्री शिवनाथ सिंह
७—फतेहपुर ..	.. १—श्री रक्षपाल सिंह

जिले का नाम	माननीय सदस्य का नाम
८—बलिया	१—श्री जगन्नाथ चौधरी
९—गोरखपुर	१—श्री कल्पनाथ सिंह
	२—श्री उग्रसेन
	३—श्री चन्द्रजीत यादव
	४—श्री नरसिंह नारायण पांडेय
१०—बस्ती	१—श्री भानु प्रताप सिंह
	२—काजी जलील अब्बासी
	३—श्री एस० एल० घुसिया
	४—श्री रणबहादुर सिंह
	५—श्री नरसिंह नारायण पांडेय
	६—श्री राम कुमार शास्त्री
	७—श्री महादेव प्रसाद त्रिपाठी
११—देवरिया	१—श्री कैलाश
	२—श्री उग्रसेन
	३—श्री गेंदासिंह
	४—श्री कृष्णा
	५—श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय
१२—आजमगढ़	१—श्री राम सुन्दर पाण्डेय
	२—श्री चन्द्रजीत यादव
१३—लखनऊ	१—श्री राजेन्द्र सिंह
१४—सीतापुर	१—श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह
	२—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा
१५—खीरी	१—श्री विपिन बिहारी तिवारी
	२—श्री छेदालाल चौधरी
१६—गोंडा	१—श्री गिरजा प्रसाद
	२—श्री सुखदेव प्रसाद
	३—श्री शान्ति चन्द्र शुक्ल
	४—श्री भानुप्रताप सिंह व आर० पी० सिंह
१७—सुल्तानपुर	१—श्री अब्दुल समी
१८—प्रतापगढ़	१—श्री श्याम सुन्दर
१९—बाराबंकी	१—श्री गिरजा प्रसाद
२०—चमोली	१—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी

३—१ सितम्बर, १९६२ के विवरण-पत्र में दी गई सूचना के अतिरिक्त, उपर्युक्त जिलों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर माँगी गई अतिरिक्त सूचना संलग्न है।

मुजफ्फरनगर

(श्री विजयपाल सिंह के पत्र दिनाँक २७-८-६२ के संदर्भ में)

वर्तमान वर्षा ऋतु में जिले के किसी भाग में बाढ़ की स्थिति नहीं रही। जुलाई १९६२ के दूसरे पखवारे में, तहसील कैराना के उत्तरी भाग में अत्यधिक वर्षा अवश्य हुई, जिससे १२ गाँवों में जिनमें पिंडोरा व ऊन आदि भी सम्मिलित हैं, पानी जमा हुआ और ३ दिन में निकल गया।

[श्री बृजबिहारी]

२८० एकड़ भूमि में खड़ी खरीफ की फसल को रुपये में १९ न० पै० तक की साधारण क्षति हुई। पिंडोरा ग्राम के २६ घर आँशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये। उक्त पानी के जमाव से जिन लोगों को हानि पहुंची है उन्हें अहेतुक सहायता व आपदाकालीन तकावी देने का प्रश्न विचाराधीन है।

एटा

(श्री राजेन्द्र सिंह के पत्र दिनांक २७-८-६२ के संदर्भ में)

गंगा नदी में बाढ़ का स्तर ५८०.६ फीट तक पहुंचा जब कि खतरे का बिन्दु ५८७.४ फीट है। इससे ३८ गांव प्रभावित हुए, ५,२०० एकड़ भूमि में फसल को क्षति पहुंची तथा १३ कच्चे मकान नष्ट हुए।

चूंकि गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित अधिकांश गांव अलीगंज तहसील में स्थित है, अतः वहां के तहसीदार को अहेतुक सहायता बांटने के लिये २,००० रु० की धनराशि पहले ही दे दी गई है। गंगा के किनारे के सनौढ़ी, नरदौला, पीतमनगर हरौरा आदि गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिलाधीश ने सरकारी मतालबों की वसूली भी रोक दी है।

भुखमरी की कोई आशंका नहीं है। यह क्षेत्र गत वर्ष भी बाढ़ से प्रभावित हुआ था तथा पिछली रबी की फसल को ओला वृष्टि से भी हानि पहुंची थी। इनमें से प्रथम के सम्बन्ध में लगान में छूट दी गई थी और दूसरे के सम्बन्ध में छूट के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

स्थिति के प्रति पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है और सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

बरेली

(सर्वश्री रामेश्वर नाथ चौबे, हरीश कुमार गंगवार व हेमराज द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्नों के संदर्भ में।)

यह सही है कि फरीदपुर तहसील का ताजपुरा नवाडिया ग्राम राम गंगा नदी से कट गया है। १०४ में से, ९१ मकान कट गये हैं।

ग्राम के प्रभावित निवासियों को उनके सामान सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मनुष्य अथवा पशु जीवन को कोई हानि नहीं पहुंची। मकान बनवाने के लिये उन्हें तकावी व गृह-निर्माण सहायता भी दी गई है। अहेतुक सहायता भी दी जा रही है।

ग्राम बटकलीगंज, मानपुर बिकटिया का एक मजरा है। ग्राम हरदुआ में १५० एकड़ तथा मानपुर बिकटिया में २२० एकड़ भूमि की फसल को क्षति पहुंची है। फसल को क्षति का अनुमान रुपये में २५ न० पै० से ७५ न० पै० के बीच में है।

कोई भी व्यक्ति या पशु भूख से नहीं मर रहा है। पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का प्रबन्ध किया जा रहा है और उनमें अहेतुक सहायता तथा तकावी वितरित की जा रही है।

यदि नियमों के अन्तर्गत हुआ तो लगान में छूट भी दी जायेगी।

ग्राम नवदिया, नकसुआ तथा विक्रमपुर में मकानों को कोई क्षति नहीं पहुंची है। ग्राम धोररिया, रूनिया, काला, रामपुरा कमा तथा भदोरा में बाढ़ के कारण नहीं अपितु वर्षा से मकान गिरे हैं।

यह सही है कि तहसील फरीदपुर के ग्राम सवजपुर मदोरा तथा मिर्जापुर आदि में फसलों को क्षति पहुंची है। क्षति का सही तखमीना लगाना तभी संभव होगा जब कि बाढ़ का पानी घट जाय।

इन ग्रामों के बाढ़-पीड़ित व्यक्ति तथा पशु सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिये गये थे। उनके लिये भोजन एवं चारे का प्रबन्ध किया गया था। नकद तथा अन्य वस्तुओं के रूप में अहेतुक सहायता वितरित की गई।

यह सही नहीं है कि पहाड़पुर, केसरपुर, लक्ष्मीपुर, सैदपुर, कमाऊं कलां, तथा खुर्द, भढ़सार, सियावट खेड़ा, मूढ़ी, भगवानपुर, शिवाई, मोरावां, बेसपुर गुलरिया, ओवनपुर, कुंवरपुर बजरिया और भगवतीपुर ग्राम कन्टुनाला तथा बेहगुल नदियों के पानी में डूबे हुए हैं। यह भी सही नहीं है कि पटुरी, सालसा, नेवधाना, खानपुर, आदि शंखा नदी में डूबे हुए हैं। किसी भी ग्राम में जीव हानि नहीं हुई। संपत्ति को हुई क्षति का अनुमान इस प्रकार है :—

	रु०
नेवधाना	५,२१५
खानपुर	६,९४२
चकधा भगवतीपुर	२,३५०
तिरिया ठाकुरान	३५०
गौतारन	४६०

अन्य ग्रामों में गृह सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं हुई है। १८० मकानों के क्षति-ग्रस्त होने की सूचना है। पानी के जमाव के कारण फसल को हुई क्षति का अनुमान रुपये में १२ नये पैसे से ३० नये पैसे के बीच में है। क्षति का वास्तविक तखमीना लगाना तब तक संभव नहीं है जब तक बाढ़ का पानी घट न जाय। नेवधाना, खानपुर, चकधा भगवतीपुर आदि ग्रामों के जरूरतमन्द लोगों में तकावी और अहेतुक सहायता आदि बांटी जा रही है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, इसको पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। इसको अगर पढ़ा हुआ मान लिया जाय तो अपने-अपने जिलों के बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी हासिल करने का मौका मिल जायगा, नहीं तो बेकार ही सदन का समय बरबाद होगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह बात पहले भी यहां उठाई गयी थी, लेकिन यह तय हुआ था कि यह उन्हीं के ऊपर छोड़ा जाय कि वे क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, वे तो सब पढ़े जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं अपील करूंगा कि जहां बाढ़ कम आई हो या नहीं आयी हो, उनको छोड़ दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ भी हमने इस बयान में लिखा है वह माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्नों, बक्ता ५२ के सवालों के आधार पर ही जवाब दिया गया है। अगर माननीय सदस्य नहीं सुनना चाहते हैं तो बेकार सवाल क्यों करते हैं?

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, हम लोग उसको बेकार तो कहते नहीं हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, आपको इत्मीनान भले ही हो जाय, लेकिन मेरे दिल की भड़ास तो मिटेगी नहीं जब तक मैं पूरा बयान पढ़ न दूं।

श्री बृजबिहारी—जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा, मैं तो सब पढ़ना ही ठीक समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—गांवों के नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आप छोड़ दीजिये।

श्री बृजबिहारी—

मुरादाबाद (श्री रियासत हुसैन के पत्र दिनांक २७–८–६२ के संदर्भ में)

तहसील अमरोहा व हसनपुर में रामगंगा की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों के नाम नीचे दिये हुए हैं—

(निम्नलिखित गांवों के नाम नहीं पढ़े गये।)

[तहसील अमरोहा

१—राजपुर खादर
२—पेंदापुर
३—मुख्तारपुर
४—राम नगला
५—राम सहाय
६—फजलपुर
७—फजलाबाद
८—रहीमाबाद
९—मेनकारी
१०—रामपुर दुर्गा
११—सलीमपुर खास एहतमाली
१२—ढपुरा
१३—पौनीपुरा
१४—मलहीवाला
१५—चैंदरी अकबरपुर
१६—चक हाफिजपुर
१७—हीरापुर
१८—खुन्टखेड़ा
१९—मिश्रीपुर
२०—बेगमपुर
२१—रुस्तमपुर
२२—मेसला जमालपुर
२३—मेसली जमालपुर

तहसील हसनपुर

१—कुमराला बहादुरपुर
२—शाहपुर
३—पखरौला हसमपुर
४—सुनपुरा खुर्द
५—खासीपुरा
६—छालूपुरा खादर
७—पपसारा खादर
८—गंगापुरी
९—नगालियामेव
१०—सनपुरा
११—टोकना
१२—टोगरी
१३—लहरा एहतमाली
१४—बसन्तपुर मुस्तहकम जदीद एहतमाली
१५—बसन्तपुर एहतमाली
१६—सिहालीमेव मुस्तहकम
१७—सिहालीमेव एहतमाली
१८—सिकरी खादर
१९—हसनपुर खादर
२०—सईदमपुर
२१—गंगापुरी खुर्द
२२—फरीदपुर एहतमाली
२३—जलालनगर
२४—समीपुर]

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में हुई वास्तविक हानि की सही स्थिति का अनुमान, फसलों के और तैयार होने पर ही लगाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि इन गांवों में बाढ़ बहुत थोड़ी अवधि तक रही।

समस्त जिले में धान की फसल को जो क्षति पहुंची है वह बाढ़ के कारण नहीं अपितु वर्षा की कमी से हुई है। २३–८–६२ के बाद पर्याप्त वर्षा हुई है। इस हानि का तखमीना बाद में लगाया जा सकता है।

[ ] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से पढ़े हुए माने गये।

शाहजहांपुर

(सर्वश्री मोहम्मद रफी खां व सुरेन्द्र विक्रम द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्नों के संदर्भ में)।

सदा की तरह, रामगंगा, बहगुल, गर्रा, खनौत आदि नदियों में इस वर्षा ऋतु में बाढ़ आई। यह सत्य है कि दिनांक ३०-८-६२ को इन नदियों में वास्तव में बाढ़ थी और फसलें तथा आबादी स्थल, विशेष रूप से दानियापुर व पिगरी-पिगरा ग्राम के, प्रभावित हुए थे।

तिलहर व जलालाबाद तहसीलों में, बहगुल, रेवती नाला, सोत व रामगंगा नदियों में ३० अगस्त को बाढ़ थी और १ सितम्बर तक बाढ़ हट गई थी। अपाहिजों को अहेतुक सहायता व तकावी बांटने के लिये इन तहसीलों के तहसीलदारों के पास धन की व्यवस्था कर दी गई है। प्रभावित व्यक्तियों से सरकारी मतालबों की वसूली भी रोक दी गई है। जिलाधीश की सबसे अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार दनियापुर ग्राम के ७ मकान और पिगरी-पिगरा ग्राम के १३ मकान, गर्रा नदी की धारा के कटाव से बह गये हैं। अभी तक २०० ग्राम, २५,००० एकड़ भूमि और २०० मकान प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया है।

कानपुर

(श्री शिवनाथ सिंह के नियम ५२ के अन्तर्गत नोटिस के संदर्भ में)

शाहपुर, लखनखेड़ा, उमरी, बेहटा, धरमपुर, प्यारीपुर, सढ़ और हटई ग्रामों में पानी का जमाव नहीं है। इन ग्रामों में स्थिति बिलकुल सामान्य है। भितार गांव और सतरौला ग्रामों की सीमा पर एक बड़े भाग में एक कुछ गहरा स्थान है जो पानी जमाव की स्थिति अवश्य पैदा कर देता है। यदि वर्षा सामान्य रहे तो इस भाग में बहुत अच्छी धान की खेती होती है। किन्तु अधिक वर्षा में यह भर जाता है जिससे आसपास के निचले खेतों में भी पानी आ जाता है। इस समय खड़ी फसलों को कोई हानि नहीं पहुंची है केवल ज्वार और चरी को हलकी सी हानि हुई है। इस क्षेत्र की पानी निकासी की समस्या पर ब्लाक के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में पतारा के बी० डी० ओ० सतरौला हो आये हैं। यातायात में किसी प्रकार का अवरोध नहीं हुआ है। यह सही है कि पानी के निकास की समस्या कुछ-कुछ अन्य ग्रामों जैसे बाओहर, सुलपुर, ऐमनपुर आदि में भी है। किन्तु इस समस्या का कोई तात्कालिक हल सम्भव नहीं है।

फतेहपुर

(श्री रक्षपाल सिंह के अल्प सूचित प्रश्न के संदर्भ में)

तहसील फतेहपुर में बाढ़ नहीं आई अतएव वहां किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने या वसूली को स्थगित करने या तकावी वितरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील फतेहपुर में बाढ़ नहीं आई इसलिये हानि का अनुमान लगाने का भी प्रश्न नहीं उठता।

परगना और तहसील फतेहपुर के भदुआ और तारापुर आदि ग्राम पानी में डूबे नहीं हैं। भदुआ और तारापुर ग्रामों के निकट बड़े-बड़े जलाशय हैं। बरसात में हर साल इनमें विदकी की ओर से जलाशयों की ओर ढाल होने के कारण पानी आ जाता है। इस कारण से इन जलाशयों के अन्दर के खेतों में धान की फसल नहीं हो सकती। इस वर्ष भी इसी कारण धान की फसल नहीं हुई। यह कहना सही नहीं है कि सम्पूर्ण फसलों को क्षति पहुंची। धान, ज्वार और बाजरा की फसलें अभी भी खड़ी हैं। चारे की कोई समस्या नहीं है।

भदुआ ग्राम में एक पुराना नाला है जिससे होकर उक्त जलाशयों का पानी सरूखा देव नदी में गिरता है। यह नाला भरा है और पानी इससे बाहर बहता है।

श्री बृजबिहारी—

छूट दिये जाने के प्रश्न पर विचार तभी सम्भव है जब हानि, यदि कोई हुई हो, का अनुमान लगाया जा चुका है।

बलिया

(श्री जगन्नाथ चौधरी के प्रश्नों के संदर्भ में)

अत्यधिक वर्षा के कारण बहेरा नाला उफना गया जिसके कारण नाले के दोनों किनारों पर बसे निम्नलिखित २७ गांवों में फसलें उस सीमा तक प्रभावित हुईं, जैसा कि हर एक के सामने अंकित है :—

अब मैं इन गांवों के नाम नहीं पढ़ रहा हूं समय बचाने के लिये, प्रभावित फसलों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर ४,११५ एकड़ है।

क्रम-सं०	गांवों के नाम	प्रभावित फसलों का क्षेत्र फल (एकड़ में)
१	बालूपुर	३१५
२	धनन्ती	१५१
३	दुरौधा	१५८
४	असना	१३०
५	हथैनी	१,२२०
६	पिलुई	३६९
७	बहादुरा	२७
८	अजुर	३९०
९	अजनैरा	२५०
१०	भागीपुर	१५०
११	गौरवारा	८०
१२	चंकछितू	३०
१३	जनुआना	५०
१४	बनकटा	४०
१५	फिरोजपुर	७०
१६	पैगंबरपुर	१५
१७	चक बहुद्दीन	२०
१८	भडाडोह	८०
१९	सोनपुरवा	१००
२०	मासूमपुर	२००
२१	कैथवाली	१५
२२	करसद	२५
२३	गौरी	३०
२४	प्रसादपुर	३०
२५	मुजाही	५०
२६	ठदावा	८०
२७	गोरामपालपुर	४०
	योग ..	४,११५]

[ ] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से पढ़ा हुआ माना गया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी जो कुछ पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि वह केवल लेखपाल की रिपोर्ट है, वह बे मतलब है जिसमें कोई तत्व नहीं है, सदन का समय व्यर्थ जा रहा है। इससे तो वही ठीक तथ्य होंगे जिनकी सूचना यहां माननीय सदस्य देंगे.....

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आप बाद में कहियेगा। आप को मौका मिलेगा, इस तरह से बीच में समय बरबाद न कीजिये।

श्री बृजबिहारी---उन गांवों में जहां आबादी स्थल चारों ओर से पानी से घिर गई है बाढ़ सहायता कार्य के लिये ४१ नावें लगादी गई हैं। चना, नमक, दियासलाई और मिट्टी का तेल बाढ़ पीड़ितों में वितरित किया गया। प्रभावित गांवों में लगान तथा तकावी के बकाये की वसूली स्थगित कर दी गई है।

बहेरा नाला के किनारे स्थित---(१) धनन्ती, (२) दुरौधा, (३) कुशाहा छपरा टोला मुताल्लिक हथौंजा, (४) कूंवा, (५) सोनपुरवा, (६) भुडाडीह, (७) बनकटा, (८) कसमापुर-बालूपुर नामक गांव अत्यधिक वर्षा के कारण पानी से घिर गये और वहां की फसलें भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुई।

इन गावों में बाढ़-सहायता कार्य के लिये १४ नावें लगाई गयीं। चना, नमक, दियासलाई और मिट्टी का तेल बाढ़ पीड़ितों को वितरित किया गया और लगान तथा तकावी की वसूली स्थगित कर दी गयी है।

कस्मापुर-बालूपुर गांव में सर्वश्री भिखारी, जगदीश तथा शिवधारी तथा धनन्ती गांव में सर्वश्री गुलाबचन्द और रामलाल के मकान गिर गये। इन गांवों में अभी भी पानी भरा है।

गोरखपुर

(श्री कल्पनाथसिंह के पत्र दिनांक २७-८-६२, श्री चन्द्रजीत यादव के अल्पसूचित प्रश्न दिनांक २९-८-६२ तथा श्री उग्रसेन के नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक ५-९-६२ की नोटिस के संदर्भ में।)

यह सही है कि इस वर्ष जिला गोरखपुर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चूंकि बाढ़ अभी हाल तक वहां रही है अतः निम्नलिखित गांवों में से प्रत्येक में हुई क्षति का मूल्यांकन करना और उसका विस्तृत ब्योरा देना संभव नहीं है :

गांवों के नाम पढ़े हुए मान लिये जायं, इस में समय लगेगा।

[१---कनैल २---बैलकौर ३--- रापत ४---मैयुसाहा ५---गरयाक्स ६---रियाओ ७---अस्वनपारपुर ८---मधवलिया ९---सेमराबुजुर्ग १०---सेमराखुर्द ११---नवलपुर १२---बरिया १३---राजीतोला १४---बरियाखास १५---जगदीशपुर १६---नितौर पटी १७---पौहसिया १८---पटना १९---समकोल २०---कलघास २१---बाघा २२---बरडोहा २३---सेवेगौर २४---बलयार २५---गायघाट २६---सरियाचाक २७---दोनवई २८---देरवा २९---तिवारीपुर जैतपुर ३०---खरेसरी ३१---कोटियादीप शाब ३२---कोटिया निरंजन ३३---गोंघाट ३४---नरहरपुर।]

तहसील बांसगांव के ७८ ग्राम घाघरा और राप्ती नदियों द्वारा कट गये हैं उनके नामों की सूची लम्बी है और उनके नाम मेरे कार्यालय में देखे जा सकते हैं। प्रत्येक ग्राम में दी गई सहायता का सही-सही विवरण देना अभी सम्भव नहीं है। तहसील में सहायता केन्द्र खोल दिये गये हैं और सारी तहसील के प्रभावित ग्रामों के निवासी अस्थाई रूप से इन केन्द्रों में बस गये

[ ] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री बृजबिहारी]

हैं और उन्हें मुफ्त भोजन दिया गया है। इसी प्रकार से जलमग्न गांवों में राजस्व, योजना तथा चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने आवश्यक सहायता पहुंचाई है।

२—टेरिया नाला बांध बिलकुल किनारे पर कटता जा रहा है और उस में दरार पड़ गई है। पिछले वर्ष तथा उससे पहले वर्षों में अस्वानपुर बांध में कई स्थानों में दरारें पड़ गई थीं और वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। मरम्मत पूरी नहीं हो पाई अतः इसमें दरार का प्रश्न पैदा नहीं होता है। ये दोनों बांध किसी भी सरकारी विभाग के नियन्त्रण में नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी मरम्मत स्टेट वर्कों द्वारा की जाती है।

३—परगना चिल्लपुर में लगभग ६५ ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और सहायता तथा सुरक्षा कार्यों में वहां ५१ नावें लगाई गई हैं। लगभग ६,००० रुपये के मूल्य की आवश्यक वस्तुयें अब तक बांट दी गई हैं और वितरण अभी जारी है।

४—उपरोक्त तखमीने केवल मोटे तौर पर हैं और सही विवरण बाढ़ घटने के पश्चात् ही संभव है।

५—इस वर्ष गोरखपुर डिवीजन के चारों, जिले—गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवरिया—बाढ़ों से प्रभावित हुए हैं। इनमें से प्रत्येक जिले में हुई क्षति इत्यादि की विस्तृत सूचना विवरण पत्र में दे दी गई है जो सदस्यों की मेज पर रखा गया है।

६—सहायता का विवरण निम्नांकित है—

(१) सहायता तथा सुरक्षा कार्यों के लिये ४४३ नावें लगाई गई हैं।
(२) आवश्यक वस्तुयें बांटी जा रही हैं।
(३) १७ सहायता केन्द्र खोले गये हैं जिनमें मुफ्त भोजन दिया जा रहा है।
(४) १,१५,००० रुपये की धनराशि अहेतुक सहायता के लिये स्वीकृत की गई है।
(५) १,०५,००० रुपये प्रकीर्ण कार्यों के लिये स्वीकृत किये गये।
(६) २,००,००० रुपये मकान बनाने के लिये अनुदान देने को स्वीकृत किये गये हैं।
(७) ११,२०,००० रुपये तकावी के लिये स्वीकृत किये गये हैं।
(८) २१,१०२ व्यक्ति तथा १०,५६५ पशु सुरक्षित स्थानों पर हटाये गये।

(७) यह सही नहीं है कि प्रभावित क्षेत्रों के लाखों व्यक्ति निराहार हैं और भूखों मर रहे हैं। भूख से एक भी मृत्यु होने की सूचना नहीं मिली है।

(८) इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री, राजस्व मन्त्री, वित्त मन्त्री जी और सिंचाई मन्त्री जी तथा भारत सरकार के सिंचाई तथा विद्युत मंत्री जी ने इन दोनों जिलों के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया है।

(९) जिलाधीश गोरखपुर की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ द्वारा हानि के आंकड़े इस प्रकार हैं—

(१) प्रभावित क्षेत्रफल ३,७२,७४४ एकड़ (इसमें १,९८,३३६ एकड़ कृषि योग्य भूमि सम्मिलित है।)
(२) ग्रामों की संख्या १६४९ ग्राम और गोरखपुर शहर के ७ मुहल्ले।
(३) प्रभावित जनसंख्या ४,९६,८६४।
(४) मकान जो ध्वस्त हुये तथा प्रभावित हुये—१२,८३३।
(५) क्षतिग्रस्त मकानों का अनुमानित मूल्य—२३,९३,८९५।
(६) मृत्यु— (अ) मनुष्य—८ (४ नाव दुर्घटना से, २ मकान गिरने से तथा २ आकस्मिक डूबने के कारण)
(ब) पशु—२।

बस्ती

(श्री भानु प्रताप सिंह का दिनांक २७–८–६२ का पत्र, सर्वश्री काजी जलील अब्बासी, एस० एल० धुसिया, रणबहादुर सिंह, रामकुमार शास्त्री के पत्र दिनांक अगस्त, १९६२, तथा श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी के अल्पसूचित प्रश्न के सन्दर्भ में)

अन्य ४ तहसीलों की तुलना में डोमरियागंज और हरैय्या तहसीलों में बाढ़ से अधिक हानि नहीं हुई है। जिले की ६ तहसीलों में अर्थात् बस्ती, बांसी, खलीलाबाद, डोमरियागंज, हरैय्या और नौगढ़ में क्रमशः, २६०, ५०५, ४६२, २९८, २३० और ४२१ ग्राम तथा ४१, ६००, ३९,०७० ४३, ९११, १९,८४४, १९,६८८ और ४८,७५८ एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई। उपरोक्त ६ तहसीलों में क्रमशः ७५,४००, ३०,३२५, ८५,५५७, २१,५४०, २२,६६५ और ७०,७०० व्यक्ति प्रभावित हुये हैं। इन सब तहसीलों में ४०४ मकान क्षति-ग्रस्त हुये।

बस्ती, बांसी, खलीलाबाद, डोमरियागंज, हरैय्या व नौगढ़ तहसीलों में क्रमशः ४१, ३२, ७०, १८, २० और १७ नावें सुरक्षा कार्य में लगाई गई हैं और तहसील बस्ती, बांसी, खलीलाबाद और हरैय्या में क्रमशः ३५०, ४, ४४७ और २०० व्यक्ति सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिये गये हैं। शेष २ तहसीलों में कोई नहीं हटाया गया।

दिनांक १८–८–१९६२ के बाद केवल बांसी, नौगढ़ व हरैय्या तहसीलों में बाढ़ अभी तक है।

बांसी, हरैय्या, नौगढ़ और बस्ती तहसीलों में क्रमशः २९७ मन, ५७ १/२ मन, १२६ मन और ७२ मन चना बांटा गया। इसके अतिरिक्त नमक मिट्टी का तेल और दियासलाई भी बांटी गयी।

चारे की कमी नहीं है।

उपरोक्त चारों तहसीलों के ४३७ ग्रामों में २,८४२ व्यक्तियों में निःशुल्क दवाइयां वितरित की गयी। हैजे के टीके लगाये गये तथा कुओं में कीटाणुनाशक दवा छोड़ी गई।

बांसी व नौगढ़ तहसीलों में इस वर्ष कोई भी ग्राम बाढ़ से नहीं कटा। तहसील बांसी में १४९ घर तथा नौगढ़ में १३० घर बाढ़ व अधिक वर्षा से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से क्षति-ग्रस्त हुए हैं।

आजमगढ़

(श्री रामसुन्दर पांडेय का दिनांक २७–८–६२ तथा श्री चन्द्रजीत यादव के अल्पसूचित प्रश्न के संदर्भ में)

घाघरा नदी बाढ़ में थी और तहसील घोसी व सगड़ी उससे प्रभावित हुई। तहसील सगड़ी के १४४ ग्रामों के १५,००० व्यक्ति तथा ३६ वर्ग मील क्षेत्रफल भूमि प्रभावित हुई। फस की हानि रुपये में २५ न० पै० से ७५ न० पै० तक है। १५४ मकान क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हुये।

२—तहसील घोसी में स्थिति अति गम्भीर थी। ४९ ग्रामों के २०,००० व्यक्ति तथा ५० वर्ग मील भूमि बुरी तरह प्रभावित हुई। १८८ मकान ध्वस्त हुये। प्रभावित ग्रामों में फसल की हानि रुपये में ६२ न० पै० से १०० न० पै० तक है। इस तहसील के सबसे बुरी तरह प्रभावित ग्राम डोहिया, दल्लिया, बीबीपुर, ताहिरापुर, कछोला नरायनपुर, धर्मपुर विश्नुपुर, भकरिया, नूर उल्लापुर, सिसवां, दिवारा दुवारी, बरोहा, मौलनापुर और चक्की भूसाडोही हैं। यद्यपि इन ग्रामों के आबादी स्थल ऊंचे कर दिये गये थे, फिर भी ये जलमग्न हो गये।

[श्री बृजबिहारी]

अगस्त के अन्त में तथा सितम्बर के शुरू में तहसील घोसी में और तहसील सगड़ी व मुहम्मदाबाद के कुछ भागों में अत्यधिक वर्षा हुई। पानी में जमाव के कारण खरीफ की फसल को क्षति होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

प्रभावित क्षेत्रों में सब सरकारी मतालबों (देय धनराशि) की वसूली स्थगित कर दी गई है। बेघर हो गये परिवारों को साल लकड़ी व बल्लियां इत्यादि दी गयीं तथा पुनः स्थापन के निमित्त आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। टेस्ट वर्क्स वर्षा समाप्त होने पर ही चलाये जा सकते हैं। ग्राम सभाओं को राज्य सहायता के आधार पर नावें दी जा रही हैं जिसकी लागत का ६० प्रतिशत भार सरकार वहन करेगी। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सभाओं के अधिकार में ९९ नावें उपलब्ध हैं। इस वित्तीय वर्ष में ग्राम सभाओं को नावें दिये जाने के हेतु १,४४० रुपये और स्वीकृत किये गये हैं। प्रभावित क्षेत्रों में नकद तथा वस्तुओं के रूप में अहेतुक सहायता वितरित की गई है।

यह सही है कि ताल रतोई, शादरा, औरानाला, फराहा, लिखिया, ताल भंवर,ताल पातार और हाहा नाला में अत्यधिक वर्षा के कारण अधिक पानी भर जाने से खरीफ की फसल को हानि पहुंची है। बाढ़ घट जाने के बाद ही सही तखमीने लगाये जायेंगे।

घाघरा नदी ने २७-७-६२ से बढ़ना प्रारम्भ किया और दोहरीघाट पर दिनांक २५-८-६२ को नदी का स्तर २२९.२ फीट पहुंच गया जो खतरे के बिन्दु से ०.६६ फीट नीचे था।

६-९-६२ को जिलाधीश से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार क्षति आदि के आंकड़े निम्न हैं--

(१)	प्रभावित ग्रामों की संख्या	१९३
(२)	प्रभावित जन संख्या	६०,०००
(३)	प्रभावित क्षेत्र	९७,५०७ एकड़
(४)	ध्वस्त मकानों की संख्या	३४२
(५)	हटाये गये व्यक्तियों की संख्या	२,९८१
(६)	हटाये गये पशुओं की संख्या	२,६७९

देवरिया

(श्री गेंदासिंह के नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक ३०-८-६२ की नोटिस, श्री कैलास के अल्पसूचित प्रश्न तथा श्री कृष्णा के दिनांक २८-८-६२ के पत्र के संदर्भ में)

दिनांक २६-८-६२ का पिछला विवरण-पत्र जिले की सभी बाढ़ ग्रस्त नदियों और उनकी सहायक नदियों (नालों) से सम्बन्धित था। बाढ़ से प्रभावित सभी क्षेत्र उसमें ले लिये गये थे।

अगस्त के अन्तिम सप्ताह और सितम्बर के प्रथम सप्ताह में अतिवृष्टि हुई जिससे अनेक ग्रामों में पानी भर गया। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के सिवाय उन क्षेत्रों में भी पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है जहां अतिवृष्टि के कारण पानी भर गया है तथा प्रभावित व्यक्तियों के कष्टों के निवारणार्थ सभी उपाय किये जा रहे हैं।

अभी तक प्रभावित ग्रामों की संख्या १,३५६ है तथा प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल ४,११,७०३ एकड़ है जिसमें से ७८८, ग्राम जिनका क्षेत्रफल २,२७,७०१ एकड़ है, केवल छोटी गंडक की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

बड़ी गंडक में इस वर्ष पहली बार २८–६–१९६२ को बाढ़ आई जो १५–७–१९६२ तक रही। इसमें दुबारा ८ अगस्त, १९६२ को बाढ़ आई। दोनों बार की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में सहायता पहुंचाई जा रही है। केवल तहसील पड़रौना ही में ४९,९०० एकड़ क्षेत्रफल २०३ ग्राम बाढ़ और पानी भर जाने से प्रभावित हुये।

सहायता सम्बन्धी प्रबन्ध हर जगह पर्याप्त हैं। जिला अधिकारियों ने निःसंकोच वितरणार्थ की मांग की है। अभी तक स्वीकृत किये गये धन का ब्योरा निम्नलिखित है—

१. अहेतुक सहायता	.. ..	२,००,०००
२. प्रकीर्ण दूसरी क्रियाएं	.. ..	१,१८,०००
३. मकान बनाने के लिये राज्य सहायता	..	१,८०,०००
४. तकावी	.. .. ..	७,१०,०००
	योग ..	१२,०८,०००

खरीफ की खड़ी फसल तथा अन्य सम्पति की हानि का सही अनुमान तभी सम्भव है जब बाढ़ बिलकुल नहीं रहेगी और प्रत्येक प्रभावित ग्राम में जाकर नियमों के अनुसार इस कार्य के लिये खातावार परिवेक्षण किया जाये।

श्री बन्धु, पुत्र श्री राम स्वरूप, जाति लोहार, साहूपुर ग्राम के निवासी थे और नूरीगंज बाजार इसी ग्राम में है जो भटनी चीनी मिल के निकट है। भटनी और नूरीगंज में दो किराये की नावें, तीन घाट की नावें और ४ रैफ्ट बचाव के कार्यों में लगाये गये। २६–८–१९६२ के प्रातः श्री बन्धु ४ अन्य लोगों के साथ नूरीगंज बाजार जाने को एक रैफ्ट पर चढ़े, जहां उनकी एक राशन की दूकान है। रैफ्ट पर चढ़े लोगों की असावधानी के कारण श्री बन्धु पानी में गिर गये और रैफ्ट भी उलट गया। श्री बन्धु को छोड़कर बाकी चार लोग तैराक थे इस कारण जीवित बच गये परन्तु श्री बन्धु तैरना नहीं जानते थे इसलिये डूब गये।

श्री इन्द्रसेन, पुत्र श्री राजाराम यादव, मौजा माधोपुर छप्पर के नहीं परन्तु सरिया ग्राम के निवासी थे, जो मौजा माधोपुर के निकट स्थित है। श्री इन्द्रासन पिछले १२–१३ दिन से बीमार थे और २५–८–१९६२ की रात्रि में उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर ग्राम का लेखपाल दो नौकरों के साथ नावों के सहित मृतक व्यक्ति के घर पर पहुंचा परन्तु परिवार के सदस्यों ने रात्रि में दाह-क्रिया किये जाने का विरोध किया। अतएव मृतक का दाह संस्कार दूसरे दिन सुबह एक ऊंची भूमि पर किया गया। इस ग्राम में दो नावें लगी हैं और नावों की कमी नहीं है। एक तरफ कहीं भी नदी का जलग्रहण क्षेत्र एक मील से अधिक दूरी पर नहीं है। नालों के बाहर पानी आ जाने के कारण ग्रामों में एक मील से अधिक दूरी पर पानी आ गया। इस प्रकार से ५७ ग्राम प्रभावित हुये हैं।

यह सही है कि छोटी गंडक बलुआ अफगान से चुरिया तक तहसील सलेमपुर से चुरिया तक तहसील सलेमपुर में बहती है। यह लम्बाई २४ मील है न कि १४ मील। कुछ स्थानों पर पानी ४ मील के क्षेत्र में फैल गया है। बलुआ अफगान से चुरिया तक २३३ ग्राम ऐसे हैं जो बुरी तरह प्रभावित हुये हैं और १३५ ग्राम कम प्रभावित हुये हैं। साधारणतः प्रभावित व्यक्ति उन्हीं ग्रामों में अथवा निकटस्थ ऊंची भूमि पर स्वयं बस गये हैं। ११ ग्रामों के लोगों को सुरक्षित स्थानों को हटा दिया गया है। १६० ग्राम पानी के नीचे डूबे हैं। उपरोक्त ग्रामों के नामों की सूची लम्बी है और कार्यालय में देखी जा सकती है।

यह कहना सही नहीं है कि बाढ़ सहायता के सम्बन्ध में किसी गांव के साथ भेदभाव किया गया है क्योंकि वह गांव एक खास चुनाव क्षेत्र में हैं। यह भी सच नहीं है कि उक्त कारण से किसी गांव की उपेक्षा की गई।

[श्री बृजबिहारी]

श्री कृष्णा का यह आरोप कि तहसीलदार सदर से जब वह मिलने गये तो तहसीलदार उनसे नहीं मिले क्योंकि वह अपनी पूजा में व्यस्त थे, इसके सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा जांच की जा रही है।

सही तखमीनों को तभी तैयार किया जा सकता है जब बाढ़ घट गई हो और प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाय।

जहां तक सदर कानूनगो, देवरिया के खिलाफ आरोपों का सम्बन्ध है इसकी भी जांच जिलाधीश द्वारा की जा रही है।

क्षति के अद्यतन आंकड़े इस प्रकार हैं—

(१)	प्रभावित गांवों की संख्या	१,३५६
(२)	प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)	४,११,७०३
(३)	प्रभावित जन संख्या	५,२७,१८८
(४)	क्षतिग्रस्त अथवा ध्वस्त मकानों की संख्या ..	२७,७६७
(५)	क्षतिग्रस्त अथवा ध्वस्त मकानों का मूल्यांकन ..	४१,९२,९९६
(६)	जीव हानि—	
	मनुष्य	१०
	पशु	३

५०,७०९ व्यक्तियों के ७,३१७ परिवार और ३९,४१२ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर हटाया गया।

लखनऊ

(श्री राजेन्द्र सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के सन्दर्भ में)

नदी में पानी की सतह घट गई है अतएव दाऊदनगर आदि ग्रामों में सहायता कार्य के हेतु लगाई गई नावों में कोई नाविक कार्य नहीं कर रहे हैं।

अपने भोजनादि का प्रबन्ध नाविक स्वयं करते हैं और उनको शुल्क की स्वीकृति दरों के अनुसार शुल्क दिया जाता है। यदि किसी नाविक को रुपये की आवश्यकता हुई तो उसे अग्रिम के रूप में धन दिया जाता है।

श्री हनुमान प्रसाद ने अग्रिम धन नहीं मांगा।

हानि के अद्यतन जिलाधीश से प्राप्त आंकड़े निम्नलिखित हैं—

प्रभावित ग्राम	९९	
प्रभावित क्षेत्रफल	१७,४३९	एकड़
क्षतिग्रस्त ध्वस्त मकानों की संख्या	३५	
मवेशियों की संख्या जिनकी हानि हुई	६	
नावें जो काम में लगाई गईं	५२	
व्यक्ति और मवेशी जिनको सुरक्षित स्थानों को पहुंचाया गया	२,०००	

सीतापुर

(सर्वश्री शिवेन्द्र प्रताप व गया प्रसाद मेहरोत्रा के अल्पसूचित प्रश्नों के संदर्भ में)

तहसील बिसवां में दहावर और केवानी नदियां जुलाई, २८, १९६२ से तीन दिन तक बढ़ाव पर रहीं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के हेतु नमक, चना, दियासलाई, गुड़, मिट्टी का तेल, दवा आदि का प्रबन्ध किया गया। नावों का भी प्रबन्ध किया गया।

चौका, घाघरा और केवाना—नदियां क्रमशः २१—८—१९६२, २२—८—१९६२ और २९—८—१९६२ को पुनः बढ़ गईं। इस बाढ़ में २२० ग्राम, ६०,६०० एकड़ भूमि और ३०,००० व्यक्ति प्रभावित हुए। २१५ मकान क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हुए। ५ पशुओं की हानि हुई। तहसील सिधौली के परगना कोंडरी (दक्षिण) और सदरपुर में प्रभावित ग्रामों की संख्या क्रमशः ४२ और ५१ थी। उनके नाम निम्नलिखित हैं:—

परगना कोंडरी (दक्षिण)—राजपुर माफी, कोड़ी, नहौरा, गरचपा, अफसरिया, डहला, डोराहर, टिकठा, चमौरा, रसैनपुर बरियापुर, गोआडीह, छितौनी, राजपुर इसरौली, मथुरा, टेखमानिकपुर, बसन्तपुर, देवरिया गोड़ा, बराई बरवा, केओरा, उबरी गनेशपुर, शुकुलपुरवा, परा रामनगरा, बेला, जानकी नगर, तुलसीपुर बंजर, देसी लौकिया, रामपुर, सहरोइया, परैना, अतौरी बगस्ती, खेनेवा बिटौरा, चन्दौली, कलुआपुर, अंगौरा, महगांवन, हरिहरपुर, कोडौरा, कोराजनपुर, हेठी, असारी।

परगना सदरपुर—हेलेपारा, गोडेचा, ढ़कवान, गौरा, जरावन करनापुर, बाबापुर, सराइयन मसूदपुर, जइरामपुर, चांदपुर लोधोनी, तुलसीपुर खरिका, रायपुर अलइपुर, बन्सुरा, बहलोलनगर, गोझा, फतेहपुर, बरोवा, महिमपुर, सधवापुर, सिरकुआ, बसवानपुर, बड़ीजाटपुर, तुलापुर, विवेकपुर, मसूदपुर, सहरी, इटिया, पोखरा गसाई, रुदैन, देविन्दपुर, समनपुर, पखौरी, सहरा ननकारी, धरमपुर, उम्रपुर मझगांव, रसूलपुर, अगिथेवन, तुर्नी, साहेबपुर, देवरिया, मनोहरपुर, सहरुवा, ओढेला, निवादहेरा, बखारी कलां, बखारी खुर्द, पोखरा कलां, मिलिक मरखापुर।

आवश्यक वस्तुयें और दवाओं के रूप में सहायता पहुंचाई गई।

तहसील सिधौली के सिरकंडा नाला में एक नाव का प्रबन्ध किया गया।

प्रभावित क्षेत्रों में मालगुजारी तथा अन्य सरकारी मतालबों की वसूली जिलाधीश द्वारा मुल्तवी कर दी गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब चार बज गये हैं, सभा सचिव महोदय की काफी कसरत हो गयी है, पढ़ने में एक घंटा लग गया है। मेरी प्रार्थना है कि अब हम लोगों को कुछ विचार व्यक्त करने का मौका दें।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, पढ़ने दिया जाय।

गोंडा

(संदर्भ—सर्वश्री गिरजा प्रसाद, सुखदेव प्रसाद, शांति चन्द्र शुक्ल व भानु प्रताप सिंह द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न।)

श्री बृजबिहारी—तरबगंज तहसील के ग्वारिच परगना में आवश्यकतानुसार नावें लगा दी गई हैं। शाहपुर बाढ़ चौकी पर ग्राम समाज को नावों के साथ ही एक सरकारी नाव सन्तोषजनक रूप से सहायता कार्य कर रही है।

कटरा शाहबाजपुर, मोहम्मदपुर, गरवार तथा शाहपुर में धन की कमी नहीं है और बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता दी जा रही है।

१९५९ में बिलोहा ग्राम, बनकसिया नकटी नाला से कट गया था। इस ग्राम के ६ घर बह गये थे। इन घरों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। इन व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये अहेतुक सहायता व गृह-निर्माण सहायता दी गई है। ऐसे स्थानों में जहां उपर्युक्त व्यक्ति बसाये गये, किन्तु जल का प्रबन्ध न था, वहां सरकारी व्यय पर हैंड पम्प लगाये गये। सिंचाई विभाग अब इस नकटी नाला के ऊपर गनेशपुर बन्द बना रहा है और इससे कटाव का भय समाप्त हो जायगा।

[श्री बृजबिहारी]

सरजू, घाघरा और राप्ती से प्रभावित क्षेत्रों में २५६ नावें कार्य में लगी हैं। इनमें से ३२ नावें सरकारी हैं। प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में, नाव-सहायता योजना के अन्तर्गत ग्राम सभाओं को १५ नावें दी गई हैं। इस सहायता योजना के अन्तर्गत लागत का ६० प्रतिशत सरकार देती है और ४० प्रतिशत ग्राम सभायें अपने साधनों से बर्दाश्त करती हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में १५ अतिरिक्त नावों के लिये ७,२०० रुपया और दिया गया है। पंच वर्षीय योजना के शेष समय में और भी धन दिया जायगा।

सरजू नदी के किनारे श्रमदान से बनने वाले बन्ध के विषय में सरकार को कोई सूचना नहीं है अतः इस विषय में और अधिक सूचना देना सम्भव नहीं है।

यह सत्य है कि पारसपुर दौराहा बन्ध के किनारे रहने वाले किसानों के श्रमदान से बने बन्ध के लिये सहायता देने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। इनमें एक बन्द मसुरियागंज गांव के निकट है और दूसरा रोलीपुर सोला के निकट है। दोनों ही नदी के पेटे के अन्दर आते हैं।

सरकार ने इन बन्धों को मान्यता नहीं दी है क्योंकि यह टेक्निकली ठीक नहीं है।

आनन्दनगर व तुलसीपुर जिलों द्वारा बकाया की अदायगी के प्रश्न का राजस्व विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में उद्योग (ग) व आबकारी विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं।

सुल्तानपुर

(संदर्भ—श्री अब्दुस्समी का २६-८-६२ का पत्र)

वर्तमान वर्षा ऋतु में भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप गोमती नदी में बाढ़ आई जिसमें भान्द्रा, परसरामपुर और नवगवों तीर तथा भान्द्रा ग्राम के पुरवा बुरी तरह प्रभावित हुये। इन गांवों की फसलें पानी में डूबी हैं और खरीफ की फसलों को १०० प्रतिशत तक हानि का अनुमान है। विस्थापितों को सहायता पहुंचाने के लिये भी सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं।

५ सितम्बर को गोमती नदी ने २७८ पर खतरे के बिन्दु को पार कर लिया। भान्द्रा नवगवांता तथा भुखों में लोगों को निकालने और आने जाने के लिये काफी नावें दी गई हैं। कुमाहीं, तिरछे, तीरसैया तथा कटावां ग्राम भी प्रभावित हैं और फसलों को ऐसी ही क्षति पहुंची है।

जिलाधीश की सूचना के अनुसार क्षति के सबसे बाद में प्राप्त आंकड़े निम्नलिखित हैं—

बाढ़ से प्रभावित ग्राम	..	..	..	२३५
जल रुकने के प्रभावित ग्राम	..	..	..	२०२
प्रभावित क्षेत्रफल	..	..	..	३७,६२९ एकड़

खीरी

(श्री बिपिन बिहारी तिवारी व श्री छेदा लाल चौधरी के अल्पसूचित प्रश्नों के संदर्भ में)

अगस्त के द्वितीय और तृतीय सप्ताहों में शारदा और अन्य नदियों की बाढ़ से परगना बूढ़ में ७ ग्राम और ८५ परिवार तथा परगना कुकरा में एक ग्राम और १५ परिवार प्रभावित हुये।

कोई जन-हानि नहीं हुई है।

रामनगर कलां नामक ग्राम में १२३ मवेशी बह गये। परगना बूढ़ के बाढ़ग्रस्त ग्रामों में मक्के की फसल को हानि हुई है और धान व ईख की फसलों को क्रमशः २५ प्रतिशत और १० प्रतिशत हानि का अनुमान है। परगना कुकरा में मैलानी के खेती के योग्य भूमि में खरीफ की फसल को कोई हानि नहीं हुई है।

परगना बूढ़ के उम्बलपुर और रामनगर ग्रामों से कुछ परिवार उनके सामान के सहित रानीगंज ग्राम को हटा दिये गये हैं उन्हें अहेतुक सहायता वितरित की जा रही है। परगना कुकरा के मैलानी में भी बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को अहेतुक सहायता बांटी गयी।

सम्पूर्ण नगर की चार बस्तियां अर्थात् कृष्णनगर, भानपुर, रामनगर और मुरादखेरा बाढ़ ग्रस्त हुई। यहां के निवासियों को इन्हीं बस्तियों में सुरक्षित व ऊंचे स्थानों पर हटा दिया गया और भूमिहीन परिवारों को कपड़े के हेतु २,००० रुपये नकद बांटा गया और निःशुल्क दवायें वितरित की गईं। भूमिहीन कृषकों को तकावी भी दी गई।

चम्बलपुर ग्राम के बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को समदहा ग्राम में पुनः बसा दिया गया है। चम्बलपुर ग्राम के ४२ घर प्रभावित हुये। वहां ३ हाथ के पम्प लगा दिये गये हैं और प्रभावित व्यक्तियों में अहेतुक सहायता बांटी गई।

उक्त बस्तियों में बाढ़ से कोई भी मनुष्य या पशु की मृत्यु नहीं हुई। जिन लोगों के मकान व जमीन बाढ़ में कट गये उनको नये स्थानों पर बसाया जा रहा है। नियमानुसार लगान व मालगुजारी में छूट दी जायगी।

प्रतापगढ़

(श्री श्यामसुन्दर के दिनांक २७-८-६२ के पत्र के सन्दर्भ में)

जिले की किसी भी नदी में बाढ़ नहीं आई। वर्षा व्यापक थी यद्यपि यह लगातार और अत्याधिक नहीं हुई। सई नदी अपने किनारों के अन्दर ही रही और उफनी नहीं।

बाराबंकी

(श्री गिरजा प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न के सन्दर्भ में)

तहसील फतेहपुर के चौकाघाट, गनेशपुर आदि स्थानों में चारे की कमी नहीं है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से हटाये गये पशु सुरक्षित और ऊंचे स्थलों पर पहुंचाये जा रहे हैं जहां पर पर्याप्त चारा उपलब्ध है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के पशुओं की मुफ्त चराई के लिये जिले के सभी सुरक्षित जंगल खोल दिये गये हैं। चारे के सम्बन्ध में इन क्षेत्रों में कोई परेशानी नहीं है। मनुष्यों, पशुओं तथा अन्य सामानों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकालने के लिये ३८ नावें लगाई गईं। १,७९२ मनुष्य तथा १,०८० पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जरूरतमन्द निर्धन व्यक्तियों को अहेतुक सहायता वितरित की गई। कुओं में कीटाणुनाशक दवाई डाली गई। टीके लगाये गये और मलेरिया की दवा बांटी गई। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सभी सम्भव सहायता पहुंचाई गई तथा पहुंचाई जा रही है।

चमोली

(श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी के प्रश्न के सन्दर्भ में)

दिनांक १९-७-६२ को जोशीमठ के इर्द-गिर्द ४ मील के क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई। इससे कई स्थानों पर भूमि फिसलाव हुआ। इसके फलस्वरूप रविग्राम, परसारी और कंचा माला तथा तरला गांवों में २५ एकड़ कृषि योग्य भूमि बह गई और वह खेती योग्य न रही। इसके अतिरिक्त उन गांवों में ३ मकान गिर गये तथा २ मकान असुरक्षित हो गये। १३ गौशालायें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुईं तथा ७ पनचक्कियां बह गईं।

[श्री बृजबिहारी]

हलांग में पी० डब्ल्यू० डी० की मोटर सड़क पर का पुल बह गया। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में नकदी तथा अन्य वस्तुओं के रूप में अहेतुक सहायता बांटी गई।

किसी भी नदी में बाढ़ नहीं आई अतः बाढ़ के कारण फसलों, मकानों और पशुओं को कोई क्षति नहीं पहुंची और न इस कारण से कोई जीव हानि ही हुई।

अगस्त के प्रथम पक्ष में वर्षा के कारण तहसील चमोली के महर मल्ला तथा थाला सतियाना में मकानों तथा गांव की आबादी वाली भूमि को क्षति पहुंची।

महर में २ मकान गिर गये तथा १५ मकान जमीन धंसने तथा भूमि फिसलाव के कारण खतरे में पड़ गये और थाला वैर तथा सतियाना गांवों की समूची आबादी जिसमें ५७ परिवार हैं, हटाना पड़ा। गांवों की आबादी भूमि के धंसने से जो परिवार खतरे में पाये गये उनको अस्थाई ढंग पर सरकारी बेनाप जमीन पर बसा दिया गया है और उन लोगों को अस्थाई आवास बनाने के लिये मुफ्त लकड़ी दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'स' आगे पृष्ठ ४२१–४२४ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय उपाध्यक्ष जी, यों तो अपने प्रदेश में बाढ़ हर वर्ष आती है और चली जाती है। इस वर्ष बाढ़ के अतिरिक्त अतिवृष्टि भी हुई है जिसके कारण अपने प्रदेश के २९–३२ जिले प्रभावित हुये हैं जिसमें गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, इत्यादि जिले भी हैं जहां पर बाढ़ से अधिक क्षति हुई है और जिसके सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्ट जो प्रस्तुत है, मैं समझता हूं कि और वर्षों के मुकाबले में काफी सन्तुलित है। मान्यवर, इस वर्ष की बाढ़ ने प्रकृति की कुदृष्टि के साथ-साथ सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण भी बरबादी की है। श्रीमन्, गोरखपुर और देवरिया जिले की बड़ी गंडक, छोटी गंडक के सम्बन्ध में तो हमारे माननीय सदस्य गोरखपुर और देवरिया के विशिष्ट रूप से अपना विवरण प्रस्तुत करेंगे लेकिन श्रीमन्, मैं जिस जिले से आता हूं और जिस क्षेत्र का निवासी हूं उस क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवनकाल में इस तरह की बाढ़ हमने अपनी आंखों से नहीं देखी थी और श्रीमन्, हमही नहीं, माल सभा सचिव, पंडित बृजबिहारी मिश्र जी बैठे हुये हैं, हमारे देखने के बाद सम्भवतः उसी क्षेत्र में वह भी देखने गये थे। मेरा खयाल है कि इस तरह की बरबादी पिछले सालों में कभी नहीं हुई है।

श्रीमन्, घाघरा और राप्ती दोनों नदियां बरहज के पश्चिम मिलती हैं और दोनों नदियों के मेल से पानी इकट्ठा होता है और बरहज बाजार से लेकर दुबारी तक ६ मील की चौड़ाई में समुद्र का दृश्य दिखाई देता है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि गतवर्ष के मुकाबले में अधिकारी इस वर्ष बहुत चेतन रहे और तत्पर रहते दिखाई दिये लेकिन जो क्षति हुई है और जिस तरह से बरबादी हुई है और जिस प्रकार से घरों में उपवास हो रहा है उस प्रकार से सहायता प्रदान नहीं की जा सकी है।

श्रीमन्, माननीय कमलापति जी सदन में मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं उनको बारबार धन्यवाद देना चाहता हूं आपके जरिये कि १९५२–५३ में हमारी प्रार्थना पर उन्होंने हाहा नाला बांध बनवाया था। बलिया के किनारे तक वह बन गया है जिसके बान्धने से मैं समझता हूं कि लाखों आदमियों के प्राण बचे हैं और हजारों तथा लाखों एकड़ भूमि बची है लेकिन जहां मैं उनको बधाई देता हूं वहां उन्हीं के स्थानापन्न मन्त्री के कारनामों से हमें बहुत दुख है। बार–बार लिखने के बावजूद भी हाहा नाले का बांध जहां पर सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ है वह कटने जा रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। एक फर्लांग की दूरी पर बल्कि इससे भी कम पर घाघरा है लेकिन सरकार की ओर से उस बांध के बचाव के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। बाढ़ के जमाने में नदी की हवाई लहरों ने इतनी झोंक दी है कि बांध का बहुत-सा हिस्सा कट गया है। श्रीमन्, कुंवरपुरवा और गजियापुर के बीच केवल ६ इंच से कम ही बांध के नीचे पानी रह गया था जिसके ऊपर से घाघरा का पानी गिरने वाला था। यहां पर पी० डब्लू० डी० मन्त्री मौजूद नहीं हैं।

सूरजपुर दुबारी बांध वहां पर पी० डब्ल्यू० डी० का जो पुराना बांध है उसकी हालत क्या है ? मैंने कमना गांव में जाकर देखा कि यदि वहां के गांव वाले न जुटे होते, गांव की रक्षा के लिये तो उसकी रक्षा नहीं हो सकती थी। पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर की उपेक्षा से वह बांध नहीं बच सकता था। हमने अपनी आंखों से देखा है कि सैकड़ों किसान घर-द्वार छोड़कर बांध पर जुटे थे और काम कर रहे थे। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने और खासतौर से सिंचाई विभाग ने इस मामले में उपेक्षा की नीति बरती है उसके कारण ही बाढ़ आई और अतिवृष्टि का पानी जमा हुआ है।

श्रीमन्, हमने मुख्य मन्त्री जी, राजस्व मन्त्री जी, सिंचाई मन्त्री जी को बाढ़ के जमाने में लगभग ७ पत्र लिखे लेकिन सिवाय मुख्य मन्त्री जी के किसी और मन्त्री ने पत्र प्राप्ति की सूचना नहीं दी। मैं क्या भरोसा कर सकता हूं कि जो सम्बन्धित मन्त्री हमारे जैसे व्यक्ति के पत्र का उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हैं वह किसानों की दरख्वास्त पर क्या करते होंगे ? हमने कहा था कि ३०, ३१ अगस्त से १ सितम्बर तक आजमगढ़ की घोसी तहसील में १३ इंच वर्षा हुई थी। १३ इंच वर्षा के कारण काफी घोसी तहसील में बरबादी हुई। उसका प्रभाव लगभग १५० गांवों पर पड़ा है। हमने अपनी आंखों से जाकर देखा है जिसकी चर्चा रिपोर्ट में है इन नालों के अलावा और बहुत से नाले ऐसे हैं जहां पर धान की काफी अच्छी फसल होती थी। आज वहां पर समुद्र की लहर-सी मार रही है और पानी ही पानी दिखाई देता है। हमने उस चिट्ठी में बतलाया था कि बहुत से ऐसे गांव हैं जिन गांवों में पानी घुस गया है और पानी घुसने के कारण बरबादी हुई है। मकानों की बरबादी हुई और पशुओं की बरबादी हुई है।

श्रीमन्, मैं इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अधिकारियों ने बहुत सी बातों को छिपाया है। इस रिपोर्ट में ३४२ घरों की बरबादी दिखाई गई है। हमने अपनी आंखों से जाकर देखा है और हमको ४, ५ दिन घूमने का अवसर मिला है। धर्मपुर बिनटोलिया टोले में हमने जाकर देखा है कि वहां पर ४४ घर गिर गये हैं। सिसवा में जाकर हमने देखा है कि ३३ घर वहां पर गिरे हुये हैं। इस रिपोर्ट में जिक्र बहुत थोड़ा है। हजारों घर गिरे हैं।

श्रीमन्, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दिन जिलाधीश के कमरे में बाढ़ पीड़ित सहायता कमेटी की बैठक हुई थी वहां पर माननीय राजस्व सभासचिव जी भी मौजूद थे। वहां की रिपोर्ट पढ़ी जाने से मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं आपको बता दूं कि दशरथ यादव नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु २३ अगस्त को पानी में डूबने से हुई और २३ अगस्त के बाद जिलाधीश और तहसीलदार किसी ने भी सरकार को उसकी रिपोर्ट नहीं दी और मीटिंग के बाद अखबारों में जिलाधीश का बयान निकला था। उन्होंने कहा है कि दशरथ यादव की मृत्यु और रामसेवक चौहान के बैल की मृत्यु पानी में डूबने से हुई। इस प्रकार से आप देखें कि बातें छिपाई नहीं जानी चाहिये। बातें छिपाने से सही माने में सरकार जितनी सहायता करना चाहती है या कर सकती है वह नहीं कर पायेगी।

मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। हमको जानकारी हुई है कि आजमगढ़ के दोनों क्षतिग्रस्त गांव, जिनकी आबादी लगभग ६० हजार है, वहां केवल ६०० आदमियों को चना चबेना बांटा जा रहा है। मैं राजस्व मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिनकी जमीन कट गई, जिनका घर कट गया, जो छप्पर में पड़े, पेड़ पर टंगे निवास कर रहे हैं और उपवास कर रहे हैं, उनको आपकी सहायता "ऊंट के मुंह में जीरा" के समान ही है।

मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को और राजस्व मन्त्री जी को १०-८-६२ को पत्र लिखा था, उसके बाद क्रमशः २१, २७, ३१ तारीख के पत्रों में स्थिति की चर्चा की। उनसे मैंने निवेदन किया था कि जब बाढ़ आई हुई है तो किसानों से बेरहमी के साथ मालगुजारी नहीं वसूल की जानी चाहिये। मैंने २७ तारीख को एक सप्लीमेंटरी सवाल भी किया था।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो सरकार लोगों को चना बांटती है भूखों को, नंगों को, और दूसरी तरफ उनसे कुर्कअमीन और नायब तहसीलदार बड़ी बेरहमी के साथ मालगुजारी वसूल करते हैं। लेकिन आप उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं।

मैंने जो राजस्व मन्त्री जी को पत्र लिखा था उसमें तो बहुत लम्बी-चौड़ी फेहरिरत है पर मैं एक उदाहरण देता हूं। वहां मैंने स्वयं जाकर जांच की है और बयान लिये हैं। एक मुसम्मात हैं जिनका नाम है जिलेबिया, उसका लड़का घर पर मौजूद नहीं था, दिन भर कुर्कअमीन ने उसको बैठाये रखा। उसके पास पैसा नहीं था। उसका घर कट गया, जमीन कट गई। किसी तरह से वे लोग बांध पर रह रहे थे। उसको मजबूर किया गया कि वह पैसा दें। उसने अपना चांदी का एक जेवर बेचा और १६ रुपये मालगुजारी अदा की। कुर्कअमीन ने १३ रुपये ५० नये पैसे की उसको रसीद दी। इस प्रकार की बहुत-सी घटनायें हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्या वह रसीद माननीय सदस्य मुझे दे देंगे?

श्री रामसुन्दर पांडेय—इस प्रकार की बातें होने से हमको बहुत तकलीफ होती है। आप को चाहिये कि आप जांच कराइये। जो इस प्रकार की बातें सही पाई जायें तो कुर्कअमीन के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। परन्तु आप तो यह कहते हैं कि जो लगान नहीं देगा उसको सजा होगी। आपका यह आदेश उचित नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह किस गांव का वाकया है?

श्री रामसुन्दर पांडेय—वह मैं लिख चुका हूं। माननीय मन्त्री जी पत्रों को पढ़ें जो माननीय सदस्य भेजते हैं। ७-९-६२ को उनके पास पत्र लिखा है, उसकी प्रतिलिपि मौजूद है। लेकिन जो कलेक्टर रिपोर्ट दे देता है उसी को पढ़ लेते हैं। इस तरह की धांधली बन्द होनी चाहिए। हाहा नाला बन्ध पर बसे हुए लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। मुसम्मात जिलेबिया नाम है। सरजू नदी में आज भी बाढ़ है, लेकिन २७ जुलाई से चौरी सेंटर पर आप के कर्मचारी नहीं गये। सुग्गी चौरी में नदी बढ़ी थी, श्री दशरथ यादव मर गया, उसके पहिले दो, तीन व्यक्तियों को सिसवा के लोगों ने बचाया। आजमगढ़ जिले में ऐसी व्यवस्था है। बाढ़ जहां आई इस वर्ष वहां कुछ सहायता मिली, लेकिन जहां ताल-तलैयों के पानी की वजह से खेती नष्ट हो गयी, घरों में पानी चला गया, उस क्षेत्र को कोई सहायता नहीं दी गयी। २७ जुलाई से ३१ अगस्त तक अधिकारियों ने उस स्थिति को देखने तक की चेष्टा नहीं की। हाहा नाला बांध को ऊंचा किया जाय और पुल जो नदी के कटाव में आ गया है उसको रोकने की कृपा करें। हाहा नाला उत्तर की तरफ टूटता चला जा रहा है, वहां पत्थर डलवा दें। ताल-पताल के सम्बन्ध में मैंने सिंचाई मन्त्री से बीसियों मर्तबा हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, इंजीनियरों ने भी लिखा कि उस नाले से १०० गांव कम से कम बरबाद हुये हैं। अवरानाला, बसनही नाला और चवर ताल की खुदाई नहीं हुई। सिंचाई विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर, जहां पानी भरा हुआ है, वहां जाकर देखें जिससे पानी की निकासी की जा सके और पानी के जमाव के कारण जो फसलें बरबाद हुई हैं उसको रोका जा सके। यही मेरा सुझाव है।

हमारे यहां नियम है कि जहां बाढ़ आये और फसल की बरबादी हो तो पूरे गांव और खाते के रकबे पर छूट दी जाती है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि पूरे गांव के रकबे पर छूट देने की व्यवस्था में सरकार कुछ परिवर्तन करे। सरकार खातों के मुताबिक नहीं नम्बरों के मुताबिक छूट दें। जिस गांव के जिस आदमी का पूरा खेत बह गया हो उसकी पूरी मालगुजारी माफ होनी चाहिये।

एक बात और मैं टेस्ट वर्क के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। टेस्ट वर्क सरकार जब चाहती है शुरू करती है, जब चाहती है खत्म कर देती है। वहां लोगों को जो मजदूरी मिलती

है उसको देखने की जरूरत है। बच्चों को ४ आना, औरतों को ६ आना और आदमियों को ८ आना रोज मजदूरी मिलती है। श्रीमन्, दिन भर मेहनत करने के बाद यह मजदूरी उनको मिलती है। जिसके घर में ४ लड़के काम करने लायक नहीं हैं, वह कैसे उनको भर पेट रोटी दे सकता है और स्वयं खा सकता है। इतना ही नहीं, इतनी कम मजदूरी होने पर भी वह समय से नहीं मिलती। आप और सूबों में देखें कि वहां पर कितनी मजदूरी दी जाती है। मध्य प्रदेश में क्या है, बम्बई में क्या है, और सूबों में क्या है? हर जगह यहां से ज्यादा मजदूरी दी जाती है। अतः मेरा निवेदन है कि वह मजदूरी बढ़नी चाहिये।

एक और निवेदन कर देना चाहता हूं। हर साल ही हमारे यहां टेस्ट वर्क होता है। मजदूरी कभी भी उनको समय से नहीं मिलती है। कभी १५ दिन बाद, कभी १ महीने बाद, कभी २० दिन बाद मजदूरी मिलती है। अब आप ही सोचिए, इतनी कम मजदूरी पाने वाला व्यक्ति कैसे अपनी गुजर करेगा। यह निर्दयी सरकार और निर्दयी अधिकारी यह सोचने तक को तैयार नहीं हैं कि जिस आदमी को ४ आने और ८ आने मजदूरी मिलती है अगर उसे एक महीने तक मजदूरी नहीं मिलेगी तो वह कैसे जिन्दा रहेगा। मैं चाहता हूं कि वह जिस दिन काम करे, उसे उसी दिन मजदूरी मिलनी चाहिये। श्रीमन्, फेमीन कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ है। समय और आवश्यकता को देखकर आमूल परिवर्तन करने की नितान्त आवश्यकता है।

सब से बड़ी समस्या विद्यार्थियों की है। आज जूनियर हाई स्कूल से लेकर विश्व-विद्यालय तक के विद्यार्थियों की हालत क्या है? मैं आज शिक्षा मंत्री जी के पास गया, वहां आजमगढ़ के एक डिग्री कालेज के प्रिंसिपल महोदय भी मिल गये। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ में सूखा, बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण नतीजा यह हुआ है कि ८० फीसदी लड़के रोजाना आते हैं और कहते हैं कि फीस माफ कीजिये। श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि जूनियर स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक पढ़ने वाले छात्रों की फीस सरकार की ओर से दी जाय। पिछले साल अगस्त से लेकर दिसम्बर तक ५ महीने की फीस दी गई थी। माल मंत्री के सभासचिव जी जानते होंगे कि दिसम्बर के महीने में जिसका खेत कट गया, जमीन कट गई, बाढ़ से घर तक बह गया, उसके पास क्या रहता है। जब कि हमारे यहां ऊख की फ़सल में कुछ नहीं है। इसलिये ५ के बजाय ७ महीने की फ़ीस छात्रों को मिलनी चाहिये।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की सड़कों की हालत भी जरा देखिये। वहां जाने के लिये सड़कों का कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां मधुबन से परसिया की ओर सड़क जाती है और बाढ़ आने पर कोई वहां नहीं जा सकता है। केन्द्रों से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। एक बार नहीं, बीसों बार हमने सरकार को पत्र लिखा कि सरकार इस सड़क को पी० डब्लू० डी० में ले ले जिससे आपद्काल में सहायता पहुंचाई जा सके। धरमपुर का एक प्राइमरी और जूनियर स्कूल बिलकुल धराशायी हो गया है। स्वायत्त शासन सम्बन्धी जितनी संस्थायें हैं सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हर साल बाढ़ आती है और कच्चे होने से वे टूट जाते हैं। सरकार उन्हें सहायता देकर पक्का बनवा दे।

गांवों में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है और उनकी कोई औलाद तक नहीं है जो उनकी सहायता कर सके। वे अपाहिज और निराश्रित हैं। उनके लिये सरकार की ओर से कोई सहारा होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों के लिये फ़रवरी और मार्च तक के लिये मुफ्त राशन, व वस्त्र का इन्तजाम सरकार की ओर से होना चाहिये। सन् १९३८ में बाढ़ आई थी। अंग्रेजी राज्य ने महीनों तक ऐसे लोगों को मुफ्त खाना और कपड़ा दिया था। कांग्रेस की सरकार, जो अपनी सरकार है वह इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये तैयार हो जाय तो लोग आशीर्वाद देंगे।

मुसालोही, मोलनापुर, दुबारी और धर्मपुर के सैकड़ों परिवारों की जमीन और घर कट गये हैं। जमीन चाहिये, उनके भोजन के लिये और खेती के लिये। वहां की कुछ जमीन एक्वायर हो गई है। वह कमिश्नर के यहां अदालत में मामला पड़ा है। पता नहीं कब जमीन

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

मिलेगी । माननीय वन मन्त्री जी ने हमारी देहात में मोलनापुर में नींव डाली थी घर की। बड़ी हंसी होती है। जमीन मिले नहीं और घर बनाने के लिये सामान मिले नहीं, लेकिन नींव डाल दी जाती है। सरकार ऐसे लोगों को दूसरी जगह बसावे और उन्हें खेत दे। लकड़ी और सारा सामान उनके छप्पर के लिये मिलना चाहिये।

श्रीमन्, नावों की हालत क्या है? नाव बिना आदमी डूबते हैं, पशु डूबते हैं। जब बाढ़ आती है तो सरकार उस नावों को हथियाती है। जो व्यवस्था गांव समाज को नाव देने की है, मैं चाहता हूं कि वह मुस्तस्तैदी के साथ लागू होनी चाहिये।

(इस समय ४ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—६० प्रतिशत सरकार देती है और ४० प्रतिशत गांव वालों से मांगती है। भला उस गांव के लोग ४० प्रतिशत किस प्रकार से दे सकते हैं जिनके घर और जमीन कट गयी है। इसलिये बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पूरी सहायता सरकार की तरफ से मिलनी चाहिये।

माननीय मंत्री जी को हमने अपने क्षेत्र के गन्ना किसानों के बारे में कई बार लिखा है। अगर उन किसानों के पास सरकार का १० रुपया भी रह जाता है तो सरकार उनको हवालात भेज देती है लेकिन मिल-मालिकों के पास हजारों रुपया पड़ा हुआ है लेकिन सरकार कोई फिक्र नहीं करती। ४६ हजार रुपया हमारे क्षेत्र के किसानों का जो बाढ़पीड़ित हैं, भटनी-चीनी मिल के जिम्मे पड़ा हुआ है। सरकार उस रुपये को दिलाने की कृपा करे। इससे उनका बड़ा भला हो जायगा और सरकार को भी आशीर्वाद मिलेगा।

हमारे क्षेत्र में बहुत से चर्खे मिले हैं। सरकार २ आना मुंडी की कत्तिनों को सहायता देती है लेकिन यह बहुत कम है, अधिक मिलनी चाहिये। साथ ही साथ हर घर में चर्खे दिये जाने चाहिये ताकि आपत्तिकाल में कत्तिनों को मदद हो सके।

जितने कार्य सरकार की ओर से उस क्षेत्र में होने वाले हैं वे तुरन्त शुरू कर दिये जाने चाहिये ताकि जो लोग काम कर सकते हैं उनको मजदूरी मिल सके।

आजमगढ़ के संबंध में सरकार ने कहा है कि यद्यपि इन गांवों की आबादी ऊंची कर दी गयी थी लेकिन फिर भी ये जलमग्न हो गये। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। हमारी जानकारी है कि करीब ४४ गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी ऊंची नहीं की गयी थी। सैकड़ों बार हमने उनको ऊंचा किये जाने की मांग की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस रिपोर्ट में संशोधन किया जाना चाहिये और जिन गावों को ऊंचा नहीं किया गया है उनको ऊंचा किया जाय। सरकार की यह स्कीम अच्छी है। मैं इसकी सराहना करता हूं। कम से कम लोग अपने ढोरों को लेकर वहां जाकर अपनी जान तो बचा लेते हैं।

जिन स्थानों में पानी भरा हुआ है उनमें भी बाढ़पीड़ित स्थानों की भांति की सहायता मिलनी चाहिये। इसके अलावा बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ३० तारीख को दिन भर मैं नाव पर बैठा रहा लेकिन मुझे पानी नहीं मिला। सिवाय नदी के पानी के और कोई पानी का प्रबन्ध नहीं है। न कुंआ है और न हैंड पाइप। ऐसे गांवों में हैंड पाइप लगवा दिये जायं, जिससे लोग बीमारी से बच सकें। पीने के पानी का इन्तजाम हो जाय तो बीमारी से बचाव हो सकता है। श्रीमन्, आपके जरिये मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि मालगुजारी में गांव वाइज छूट देने का जो पुराना तरीका है उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिये। टेस्ट वर्क मजदूरी के सिलसिले में जो अंग्रेजी जमाने से पुराना तरीका चला आ रहा है उसे बदलें और जरा मध्य प्रदेश की नकल करें। साथ ही टेस्ट वर्क पर मजदूरी करने वालों को प्रति दिन मजदूरी मिलनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री,

सिंचाई मंत्री और माननीय गिरधारी लाल जी से भी निवेदन करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन सुझावों पर ध्यान देते हुए वे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के रहने वालों की हर प्रकार से सहायता करें। और यदि सदा के लिये बाढ़ को रोका जा सके और लोगों को बचाया जा सके तो उस स्कीम को शुरू कर देना चाहिये।

बिहार में बड़ी-बड़ी स्कीमें बनी हैं लेकिन हमारे यहां क्या है? घाघरा, राप्ती, नारायणी व छोटी गंडक जैसी नदियों को रोक कर बिजली पैदा करने के लिये व सूखे के जमाने में पानी देने के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सब योजनायें ऐसी बनायी जायं जिससे बाढ़ का पानी बह कर बेकार न जा सके और उससे सोना उत्पन्न किया जा सके और गरीब लोगों को राहत दी जा सके। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि प्रारम्भिक वक्ता तो आधा घंटा समय लिये लेकिन अब हर माननीय सदस्य १० से १५ मिनट तक लेंगे।

श्री यादवेन्द्रसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सदन को बतला दूं कि मैं तिलपुर क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। मैं उस क्षेत्र की बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं जहां पर बाढ़ का का सबसे बुरा असर हुआ है जिसका बयान नहीं किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। नारायणी जिसे ग्रेट गंडक कहते हैं और छोटी गंडक दोनों नेपाल क्षेत्र से जहां हमारे राज्य के अन्दर आती हैं बदकिस्मती से उस क्षेत्र का नाम तिलपुर है। उस पूरे क्षेत्र में करीब ३०६ गांव हैं जिनमें से प्रायः २२५ गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। ५० गांव ऐसे हैं जिनके मकान नहीं रह गये हैं, आदमियों की हालत बुरी है। मैं उन्हीं की कहानी आपको सुनाने के लिये खड़ा हुआ हूं ताकि आपको बतला सकूं कि नारायणी के पानी ने हमारे खेतों को, हमारे मकानों को और हमारी सम्पत्ति को किस तरह से निगल लिया और किस तरह से हम तबाह हैं। उस तबाही की कहानी और उससे बचने के क्या उपाय हैं, उन दोनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं आपका ध्यान ग्रेट गंडक जिसे नारायणी कहते हैं, उसकी तरफ आकर्षित करता हूं। पारसाल और इसके पहले भी एकाध बाढ़ समय-समय पर आती रही है जबकि नारायणी नदी अपने बहाव के रास्ते को बदलती रही है। पहले इस नदी ने नेपाल के परसौनी गांव के उत्तर की तरफ की चिकनी जमीन के हिस्से को काटना शुरू किया। पारसाल वहां जैसी भीषण बाढ़ आयी थी उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाया गया था तो कहा गया था कि सरकार उस पर सोच रही है कि उसके लिये क्या कदम उठाया जाय। लेकिन इधर नेपाल राज्य का हमारे देश के प्रति मौजूदा रुख कुछ ऐसा रहा जो हमारे लिये घातक साबित हुआ और उस दिशा में कोई काम नहीं किया जा सका। परसौनी के उत्तर और दक्षिण तरफ नारायणी नदी तीन चैनेल्स में पानी दे रही है। एक परसौनी के उत्तर में बहते हुए पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है और सरहद के बराबर रास्ता बनाते हुए रोहिन में जा मिलती है। रोहिन नदी का पानी फिर महराजगंज और फरेंदा तहसील से होते हुए मनिराम और फिर आगे राप्ती में पहुंचता है। राप्ती में पहले भी बाढ़ से कटाव होता रहा है लेकिन इस वर्ष उसके कटाव कुछ विशेष तरीके के रहे हैं जो बड़े ही भयंकर और नये तरीके के थे। खोखड़ा नाले ने भी मेहदिया और मधवलिया के पास कटाव किया जो नयी बात है। इस कटाव का एकमात्र कारण ज्यादा पानी का एकदम तेजी से आना था और उस की तेजी की परेशानी को समझा जाता सकता है। उसके वालूम से वेलासिटी बहुत तेज हो जाती है। वैसे तो मैं एक लेमेन हूं और टेक्निकल ज्ञान मुझे नहीं है लेकिन बुजुर्ग करते हैं कि नारायणी का पानी जब भी घुसा है तब ही बहुत तेज वेलासिटी रही है और वह कटाव और बालू पैदा करता है। परसौनी से उत्तर की ओर के कट की परेशानी की कहानी यह है। पहला कट जो परसौनी के उत्तर में है वह सीधा पानी झरही से बहता है जिससे उसका मुंह बन्द हो जाता है और दूसरा कट जो दक्खिन में है उसका पानी भी भौरहिया में जाता है और कुछ भाग कंगली नाले में जाता है जो इस देश में प्रवेश करते ही धोवहा नाला कहलाता है और फिर बहुवार

[श्री यादवेन्द्रसिंह]

ड्रेन में होता हुआ उस पानी का एक भाग गिरहिया ताल में हो कर ढेसों के पास जब गंडक में मिलता है जो आगे चल कर आमू ग्राम के पास सिसवा नितलौल रोड के आठवें और नवें मील के बीच २ फर्लांग तक सड़क को काटता है और खिखड़ा और हिरना नालों में जाता है जो आगे चलकर चमर बोरवा के सामने छोटी गंडक में मिलती है और छोटी गंडक वहां से इनका पानी लेकर देवरिया जिले को तबाह करती है उसी पानी का कुछ भाग परसौनी के दक्खिन दूसरे कट का पानी सीधा सेंरहा ताल होता हुआ छितौनी बांध के पास से नहर को तोड़ता हुआ कुछ हिस्सा छोटी गंडक को देता है जो आगे चल कर हमारे क्षेत्र में कुछ गांवों को और श्याम देवरवा क्षेत्र को तबाह करता है और वह देवरिया जिले में चला जाता है। परसौनी के उत्तर के कट से जो पानी जाता है वह चन्दन पयास होते हुये मलाव से गुजर कर सुबड़ा, रामनगर किसनपुर, बकुलूडीहा, भैरी पिपरा आदि ग्रामों को तबाह करता हुआ आगे चल कर रोहिन में मिलता है और फरेंदा की विनायकेपुर कांस्टीटुएंसी को तबाह करता हुआ आगे चल कर फरेंदा पुरवारी के गांवों को तबाह करता हुआ मनीराम, क्षेत्र सदर तहसील में प्रवेश करता है। फिर वह उस के आगे राप्ती में जाकर मिल जाता है जिसका साफ प्रमाण इस वर्ष राप्ती के पानी में एक विशेष कटाव का होना है।

इधर मौरहिया नाला बहुवार, क्षितलापुर, धमौर, भटरा, लक्ष्मीपुर, भरवलिया, गडौरा, करदा, आदि ग्रामों को तबाह करता है और धोबहा का कट भी बैठवलिया, मिसरौलिया, गिरहिया, ढेसों, गुसाईपुर, लक्ष्मीपुर, डोमा, बढ़या, औरहवा, गेडहवा, चन्दा और गुलरया आदि ग्रामों को तबाह करता है। दूसरी तरफ खिखड़ा का पानी गजौली, भरबाही, सन्डा, लुढ़िया, नछोरी, कमता, घुडनर, मधुबलिया, पिपरिया, बन्दी, बिलासपुर, मटिअरिया, घुढेरी, शेषपुर, चमरपुरवा, सियरही, मार, रानीपुर और मझऊआ आदि ग्रामों को तबाह करता है। अब जो उस तरफ छोटी गंडक को मिलाता है वह चरगहा चौरंगपुर मदरहा, मुरली, रमगढ़वा, पैकोली, सव्या, बुचिया खिसरारी, बैजनाथपुर, चैनपुर, सिसवा बाजार, बीजापार और गौरी किशुन आदि ग्रामों को तबाह करता है। इस तमाम पूरे क्षेत्र में ८० प्रतिशत मकान गिरे हैं और यहां तक कि कहीं-कहीं पर पक्के मकान भी फट गये हैं फूस के मकानों की तो बात ही क्या है।

सोचने की बात है वही अमू के सामने से आने वाला पानी जब बढ़ कर सिसवा बाजार की तरफ आया तो गजौली मरगाही, संडा नछोरी आदि गांवों और रानीपुर, मझुआ, चैनपुर बेलवा, बैजनाथपुर, आदि गांवों को तबाह किया। यहां के लोग बुरी तरह से परेशान हैं। लेकिन धरती से इतनी ममता है कि जब हमने कहा गांव छोड़ कर बाहर निकल जाओ तो उन्होंने कहा फसल चली गई, खेत चले गये, अब यह जान है यह भी चली जाय पर मकान नहीं छोड़ेंगे। तमाम प्रयत्न करने के बाद केवल ७ गांवों के लोगों को इवेकुएट करा सके। सरकारी सहायता दी जा रही हैं, आप उनको अन्न देते हैं, मिटटी का तेल और दियासलाई देते हैं तथा अन्य सुविधायें देते हैं, तमाम संस्थायें भी सुविधायें दे रही हैं लेकिन वह सब एक प्यासे को ओस चटाने के बराबर हैं। कोई तत्काल हल होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं उसका हल ढूंढ़ा जाय। लोग कहते हैं कि नैपाल बांध बंध जायगा तो हल निकल जायगा। हम भी सोचते हैं। जिस गांव में गये लोगों ने कहा नैपाल बांध बनवाओ, हमें राशन नहीं चाहिये, किसी भी तरह नैपाल सरकार को मजबूर करो ताकि यह बरबादी बचे जिससे उसकी भी १०,००० एकड़ जमीन बचेगी और हमारे गोरखपुर और देवरिया जिले भी बाढ़ से बच सकेंगे। लेकिन केवल नैपाल बांध की बात जब मैं सोचता हूं तो थोड़ी घबराहट होती है क्योंकि उसके साथ २, ३ रिपोर्टों को देखा है जिनके देखने से चिन्ता पैदा होती है।

१८६३ के गोरखपुर गजेटियर में मिस्टर सुविन्टन ने लिखा है कि पडरोना के पास बांसी का मेला बड़ी गंडक के किनारे लगता है जब कि मौजूदा समय में बड़ी गंडक उस मौके से १५ मील दूर जा चुकी है। यह साफ जाहिर करता है कि बड़ी गंडक वह नदी है जिसका कोर्स निश्चित नहीं है।

१९०६ में जो कलेक्टर थे उन्होंने गोरखपुर का एक बार सर्वे कराया था और एक स्कीम थी कि नारायणी के पानी को घाघरा से मिला दिया जाय। लेकिन उस रिपोर्ट में बाद में जब उच्च स्तरीय वार्ता हुई तो जिओलाजिस्ट्स ने बताया कि उत्तरी गोलार्द्ध की नदियों का कुछ ऐसा ट्रेन्ड है कि उनके दाहिने किनारे पर बहाव का प्रेसर ज्यादा होता है। अतः नतीजा यह हो सकता है कि ऊपरी सतह से आने वाली नदी अगर रास्ता मिल जाय तो नीचे की सतह से जाने वाली नदी की तरफ अपना रास्ता मोड़ सकती है। अतः १९०६ में वह स्कीम बन्द हो गई।

उसके बाद १९१६ में मिस्टर क्लाईडन ने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक नारायणी से एक नहर निकालने की बात कही गई। उस रिपोर्ट में यह था कि पहली रिपोर्ट में यह संशोधन किया जाय कि बजाय घाघरा से मिलाने के उसको राप्ती से मिलाया जाय। लेकिन उसमें भी यही बात आयी और वह स्कीम भी फेल हो गई। आज इस वर्ष भगवान की दया और सिंचाई विभाग के लोगों की सर्तकता कही जा सकती है कि नहर घातक साबित नहीं हुई। लेकिन पारसाल वही नहर हमारे लिये नागिन बन गई थी और हमको डस लिया था। अब ग्रेट गंडक से बड़ी नहर निकाली जा रही है। मैं कहता हूं नहर हमारे लिये हित की चीज है। लेकिन टेक्निकल जानकार जो इंजीनियर कहा जाता है, उनको कहा जाय कि यह जिओलाजी के जानकारों और भूगोल के जानकारों से भी राय ले लें और इस तरह से इनके द्वारा एक कमीशन नियुक्त किया जाय, क्योंकि अभी पांच या छः वर्ष पूर्व डाक्टर एच०एल० छिवर,बनारस विश्वविद्यालय, का एक आर्टिकिल निकला था जिसमें कहा गया कि उत्तरी गोलार्द्ध में बहने वाली नदी के दाहिने किनारे से कोई नहर निकाली जायगी जो, जिओलाजीकल कारणों से असफल या घातक साबित होगी। तो वह नहर, चूंकि दाहिने किनारे पर हमेशा प्रेशर ज्यादा होता है, कभी न कभी घातक सिद्ध हो सकती है। नहर निकालने की जरूरत हो तो हमेशा ऐसी जगह से निकाली जाय जो जगह पथरीली हो, चट्टानी हो ताकि वह धारा बदल न सके और नहर की धारा १५–२० मील तक पश्चिम दिशा की ओर ले जाई जाय ताकि नदी के समानान्तर वह धारा न हो सके। इस तरह से ग्रेट गंडक की नहर का निकालना अगर आवश्यक ही है, तो उसको पथरीले इलाके से निकाल कर करीब-करीब १५ मील और पश्चिम की तरफ ले जाना चाहिये तब कोई दूसरी दिशा दी जाय। ग्रेट गंडक की सिफ्त यह है कि उसका बायां किनारा चट्टानी है और दाहिना किनारा चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। इसका हल नेपाल बांध है लेकिन उसके साथ-साथ इस पर भी गौर किया जाय कि परसोनी के ऊपर से होकर छितौनी घाट तक बराबर ग्रेट गंडक की ठोकर और बांध से ट्रेनिंग की जाय वर्ना वह व्यर्थ सिद्ध होगा। जब तक उसकी धारा को ट्रेन अप नहीं किया जाता है नेपाल बांध कामयाब साबित नहीं हो सकता है। वैसे संतोष की बात है। डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी हो जाता है। हो सकता है वह भी तिनके का सहारा साबित हो। लेकिन जब तक ग्रेट गंडक के धारा की ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक उसके बहशीपन से हमें बचाया नहीं जा सकता। पसौनी से छितौनी घाट तक उसकी धारा मजबूर की जाय कि वह कुल वधू के तरह सीधे रास्ते चले।

इसके अतिरिक्त तमाम बांधों को बनाते हैं वह अच्छी बात है लेकिन गांवों की जो रेंजिग स्कीम है उसको बल दें। गांवों की रेंजिग की जाय। जिस इलाके में रेंजिग हुई है, कामयाब साबित हुई है। लेकिन हमारे अभागे क्षेत्र में कोई गांव शायद ही रेज किया गया हो। पहले वह बाढ़ की विभीषिका में नहीं थे लेकिन अब जब बाढ़ आती है तो नाव की समस्या भयंकर हो जाती है हमें नाव बनाने का कारखाना, गांवों की नावें और रबी का बीज चाहिये। हम जब बोलने खड़े होते हैं तो इस पक्ष के या उस पक्ष के जो भी वक्ता हो मजदूरों की बात करते हैं, गरीब किसानों की बात करते हैं। अच्छी बात है। लेकिन समाज में निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के नाम से भी एक वर्ग पुकारा जाता है वह रह जाता है। जब आप टेस्ट वर्क की बात करते हैं तो मजदूर के लिये और किसान वर्ग को तो काम मिल जाता है लेकिन मध्यम वर्ग के लिये कोई हल नहीं है। इसलिये आवश्यकता है कि उसके लिये लघु उद्योग खोले जायं। गोरखपुर का इलाका लकड़ी और जंगलों का इलाका है। जंगलों से ताल्लुक रखते हुए लघु

[श्री यादवेन्द्रसिंह]

उद्योग खोले जायं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेकार हैं उनको उन कारखानों में नौकरिया दी जायं। हमारे यहां जो महकमे खुलते हैं बदकिस्मती ऐसी है कि उनमें बाहर के लोग ही नजर आते हैं।

सरकार का ध्यान में इस बात की तरफ विशेष तौर से आकृष्ट करना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग कालेज जो गोरखपुर डिवीजन के नाम पर खोला गया है बदकिस्मती है कि पूरे डिवीजन से एक ही लड़का लिया गया है। यह ठीक है कि हम शिक्षा में पिछड़े हुए हैं और ६२ फीसदी के माप दंड तक नहीं पहुंचे लेकिन हमको गर्व है कि भगवान बुद्ध को गोरखपुर ने ही पैदा किया था जिन्हें लाइट आफ एशिया (Light of Asia) कहते हैं। हमने दुनिया की आधी जन संख्या को रोशनी दी है। वक्त आने पर रोशनी दे सकते हैं लेकिन आज पथभ्रष्ट हो गये हैं। लिहाजा हम को मौका दिया जाय। फिर हम दुनिया को रोशनी दे सकते हैं। कारखाने खोले जायं ताकि मध्यम वर्ग को नौकरी मिल सके और पढ़े लिखे लोगों को काम मिल सके।

विरोधी पक्ष की तरफ से एक बात कही गयी। वह यह कही गयी कि बाढ़ के वक्त मालगुजारी में छूट दी जाती है वह रकबे पर दी जाती है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह रेवेन्यू मैनुअल के अन्दर लिखा हुआ है और रेवेन्यू अधिकारी, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक इसको जानते हैं कि जब भी बाढ़ आती है तो रकबे पर नहीं बल्कि खाते पर छूट होनी चाहिये और अगर कहीं ऐसी बात हुई है तो उस पार्टिकुलर गांव का नाम होना चाहिये ताकि उसकी दुरुस्ती की जा सके। अगर गांव के रकबे पर छूट दी जायगी तो उस से काश्तकार को नुक्सान होगा इसलिये हमेशा खाते पर जोर दिया जाय और अगर कहीं अधिकारी ऐसी गलती करते हैं तो उनको सतर्क किया जाय।

इसके अलावा तिलपुर, महाराजगंज और फरेंदा का इलाका खरीफ की फसल पैदा करने वाला है लेकिन वहां लगान की दर खरीफ पर ६ आने और रबी पर १० आने है जब कि रबी हम बोते ही नहीं है और बोते भी हैं तो नहीं के बराबर। गन्ना और धान हमारी खास फसलें हैं। अगर इन पर सरकार ने छूट भी दी तो ६ आने की जो नहीं के बराबर होगी। इसलिये लगान की इस वसूली के तरीके में परिवर्तन होना चाहिये और रबी के ऊपर ६ आने और खरीफ पर, जो कि वहां की खास पैदावार है, १० आने की छूट होनी चाहिये।

इसके अलावा जो वहां के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी फीस माफी के लिये जब अन्तरिम जिला परिषद् के प्रधान से कहा गया तो वे कहते हैं कि सरकार से पैसा दिलाओ। इसलिये सरकार को चाहिये कि उन्हें पैसा दे ताकि उनकी फीस माफ हो सके। और शिक्षा मंत्री जी को ऐसे आदेश देने चाहिये कि इन इलाकों के विद्यार्थियों की फीस अन्य संस्थाओं में भी माफ हो ताकि वे पढ़ सकें।

श्री अध्यक्ष---अब आपका समय समाप्त।

* कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने थोड़े से शब्दों में सदन का ध्यान सुल्तानपुर जिले के गोरा ज मों परगने की बाढ़ समस्या व उसके निराकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस परगने में दो तालाबी क्षेत्र हैं। पहला जिसमें मसियांव, लाल नौरंगाबाद, बरौलिया, दूरामऊ, भीखीपुर, रामबक्सगढ़, अहदी हरदौ, हेरुआ बर्रा, देवसीपुर, हरकरनापुर और गौरियाबाद हैं और दूसरे में बलभद्रपुर, शाहपुर, भोवे, घाटमपुर, बाबूपुर, भवानीगढ़, उमराडी, सूरतगढ़ हैं। इन ग्राम सभाओं में लगभग दस वर्ष से हर साल बाढ़ आती और हर वर्ष सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है मगर दुर्भाग्यवश इस ओर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। हाल ही में मालूम हुआ कि सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में मसियांव ड्रेन और अहुरी ड्रेन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नाम की दो योजनायें लाने पर विचार कर रही है। सरकार इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की कृपा करे जिससे उन क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है इन ड्रेनों के पूरा न होने की वजह से वह न आये। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस वर्ष ही इन दोनों ड्रेनों को अवश्य पूर्ण करने की कृपा की जाय जिससे भविष्य में इस प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे जिलाधीश महोदय को इस बात की हिदायत दी जाय कि वे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करें और स्वयं निर्णय लें क्योंकि अधिकांश लेखपाल सही रिपोर्ट नहीं देते हैं।

साथ ही मुसाफिरखाना से शुक्ला बाजार तक का क्षेत्र जो नदी के किनारे पड़ता है उस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि वह भी बाढ़ग्रस्त है। अतः इस क्षेत्र का भी जिलाधीश महोदय निरीक्षण करके यथासम्भव छूट देने और आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक ऐसी परिस्थिति का वर्णन करने जा रहा हूं जो कि बाढ़ग्रस्त तो नहीं वरन् सूखाग्रस्त है।

श्री अध्यक्ष---अगर बाढ़ पर नहीं बोलना है तो बैठ जायं।

श्री रामप्यारे---परिस्थिति वैसी ही है।

श्री अध्यक्ष---परिस्थिति का प्रश्न नहीं है।

*__श्री रणबहादुरसिंह__ (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों जिस समय बाढ़ के सम्बन्ध में यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही थी उस समय हमारी जो सूची यहां दी गयी थी उसमें हमारे बस्ती जिले की कई एक तहसीलें छोड़ दी गयी थीं। जिसके सम्बन्ध में हमारे श्री रामकुमार शास्त्री जी, काजी अदील अब्बासी, श्री सोहन लाल जी ने प्रश्न उठाया। हम लोग भी उनके साथ थे। उसके बाद मैं माननीय माल मंत्री का बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि हम लोगों ने जो उनकी अपनी रिपोर्ट दी, उस पर उन्होंने तुरन्त जिलाधीश से सूची मंगवायी और जो रिपोर्ट हम को वितरित हुई है उसमें विस्तारपूर्वक उस चीज को मैंने देखा।

अब मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बाढ़ की समस्या प्रत्येक वर्ष, और हमारे पूर्वी जिले में विशेषकर जो खास तरीके से इस का प्रभाव पड़ता है, मैं समझता हूं कि इसके लिये जनता को भी और सरकार को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं पांच, सात वर्ष से देखता आया हूं कि इस सदन में विरोधी दल के और हमारी तरफ के बैठने वाले दोनों तरफ के सदस्यों के अन्दर जनता के प्रति वेदना होती है। सरकार भी जहां तक सहायता कर सकती है, सहायता करती है।

इसके पहले कि मैं अपने जिले के सम्बन्ध में कुछ कहूं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में कोई हाई पावर कमीशन बनाये। उसमें विरोधी दल के सभी नेता और इस तरफ के भी माननीय सदस्य रखे जायं और अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स रखे जायं और इस सम्बन्ध में जो बाढ़ कमेटी केन्द्रीय सरकार की बनी है उससे भी पूरी सहायता लेकर तमाम छानबीन करने के बाद दो चार छः महीने पूरा विचार करने के बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर इस कार्य को किया जाय। जब हम चाइना का इतिहास देखते हैं या अन्य देशों को देखते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने बाढ़ पर कंट्रोल कर लिया है लेकिन हम को बहुत ताज्जुब होता है कि हमारे देश में भी टेक्निकल आदमी हैं, बहुत बड़े-बड़े इंजीनियर्स हैं उनकी सहायता से इस काम को क्यों नहीं किया जाता है? (व्यवधान) अब मैं आपके द्वारा जहां हमारे और जिले के भाइयों ने अपने जिले की बात रखी है मैं भी अपने जिले बस्ती की बात आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे बस्ती जिले में छः तहसीलें हैं। दो ढाई हजार गांव हैं। जो सरकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रणबहादुर सिंह]

आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार में हरैया तहसील के बारे में विशेषरूप से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। जब विधान सभा की कार्यवाही समाप्त हुई तो मैं यहां गया और जाकर सबसे पहले जो हम को अधिकारी वर्ग मिला उससे हमने बातचीत की। उन लोगों ने बताया कि हरैया तहसील के २३० गांवों की रिपोर्ट गयी है। मैंने कहा कि इससे अधिक गांव प्रभावित हैं। इस तहसील में घाघरा, रामरेखा और मनवर तीन नदियां पड़ती हैं। उन लोगों ने कहा कि अच्छी बात है आप चलें, देखा जाय। मैंने स्वयं जाकर तीन दिन का दौरा किया।

मेरे जाने के पहले कुछ स्थानों पर, दो तीन स्थानों पर गल्ले का वितरण हुआ है लेकिन मैं जानता हूं जो अभी तक बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता दी गई है वह नहीं के बराबर है। मैंने उन अधिकारियों से कहा कि जब सरकार अपनी तरफ से सारी चीजों को देने को तैयार है तो आप मगाने में क्यों कमी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिलाधीश को लिखा है, अभी तक हमारे पास कोई सामान नहीं पहुंचा है। मैंने उनसे कहा आप जितना सामान कहें उतना बाजार से दिलाया जा सकता है और जब सरकार से आयगा तो पैसे का पेमेन्ट कर देना। जब कलेक्टर वहां पहुंचे तो उनसे भी एप्रोच किया तो उन्होंने, हमारी बात को मानकर और जिलाधीश से मिल कर, कहा कि जितनी प्रकार की सहायता का कार्य हो सकता है उतनी प्रकार की सहायता का कार्य किया जायगा।

आज जब मैंने बाढ़ की रिपोर्ट देखी तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि कुल साढ़े ५७ मन गल्ला २३० गांवों में बांटा गया, जबकि २३० गांवों में बाढ़ आई थी इस साढ़े ५७ मन में ४० मन तो स्वयं एक दिन नाव पर बैठ कर बांट आया था और दूसरे दिन लौट आया था। साढ़े ५७ मन गल्ला २३० गांवों में बांटा गया जो कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत है उनके नाम दिये हुये हैं और वह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत है पूरे आदमी पानी से निकाले गये तथा सभी लाकर बाढ़ पोस्ट पर किये गये।

श्रीमन्, सीता रामपुर जो गांव दिया हुआ है उसकी दो हजार की जनसंख्या है और उसके अतिरिक्त दो गांव और हैं जहां से लोग निकाल कर बाढ़ पोस्ट पर लाये गये। कुल अनाज में ४० मन तो स्वयं मैं बटवा कर आया था साढ़े १७ मन का आंकड़ा और आता है तो मुझे ताज्जुब होता है जो सदन में आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं मैं उनको गलत समझता हूं और बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं आपके द्वारा कि मैं इन आंकड़ों पर भरोसा करना नहीं चाहता। इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सरकार के जो आंकड़े आते हैं उनकी जांच करानी चाहिये।

मैं एक आंकड़ा हरैया तहसील के बारे में और देना चाहता हूं। मान्यवर, वहां ७३४ गांव बाढ़ के पानी से भरे हुये थे। पानी से किसी को निकलने का रास्ता नहीं था और स्वयं सरकारी आदमी और गैरसरकारी संस्थायें तथा हम लोगों से मिल कर हर प्रकार की सहायता दे रहे थे। उसका एक मात्र कारण था मान्यवर, बबुआ पार्क का बन्धा जो घाघरा के किनारे पड़ता है। उसी के टूट जाने के कारण यह हुआ था। उसको जमींदारों ने बनवाया था और जमींदारी टूट जाने के बाद उस बन्धे को बाढ़ विभाग द्वारा जब ऊंचा किया गया था उस समय बनवाया गया था। वह बंधा टूट गया। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की। उस पर टेस्ट वर्क हुआ। टेक्निकल आफिसर के आने में देर हुई। बाद में इंजीनियर ने कहा कि यह बड़ा काम है यह नहीं हो सकता है। चीफ इंजीनियर से एप्रोच की। उस समय बाढ़ अनुसंधान विभाग के चीफ इंजीनियर स्वयं मौके पर गये और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि तुरन्त इसको बनना चाहिये और सरकार को चाहिये कि इस काम को अपने हाथ में ले। यह रिपोर्ट गोरखपुर गई। सर्वे हुआ, ओवर सियर आये। तीन चार महीने पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बताया था कि आप इस बात को समझ लीजिये, अगर सरकार को सूचना नहीं दी है तो आने वाले बाढ़ में ३०-३५ हजार रुपया उस बन्ध में लगेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी

सरकार पर है। आज मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि इतना होने पर भी मान्यवर, जहां ३०-३५ हजार रुपया व्यय होता वहां उसका व्यय न होने से इतने गांव बाढ़ से प्रभावित हो गये। २३० गांव पहले थे अब वह २६८ हो गये हैं और बस्ती तहसील को भी जोड़ दें तो ७०० गांव उस बन्धे के कारण बाढ़ से प्रभावित हो गये। ८२ हजार की केवल तकावी वहां बांटी गई सरकार द्वारा, जहां यह बंधा टूटा था और ३२ हजार रुपया रिलीफ के और मेंजर्स के लिये दिया गया गल्ले आदि के अतिरिक्त। लेकिन मान्यवर, बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि जहां ८२ हजार की तकावी बांटी जाय, ३२ हजार रुपये और कामों के लिये बांटे जायं वहां पर ३०-३५ हजार रुपये का काम नहीं हो सका। मैं फिर आपक द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच हो कर के सारी रिपोर्ट तैयार है और छोटा सा काम है, ७५७ गांव उससे मरूम्ड हो जाते हैं, उस काम को सरकार को तुरन्त करना चाहिये।

अब मैं दो तीन बातें और निवेदन करना चाहता हूं। पिछले वर्षों में जब कभी बाढ़ आती थी तो सबसे पहले सरकार का काम होता था मान्यवर, बच्चों की फीस माफ करना। मैं नहीं समझ पाता कि वही सरकार है जो तीन साल पहले थी। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस की ही सरकार है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि विरोधी दलों की बात को तो हम बड़े रूप से देखते हैं लेकिन पिछले दो वर्षों से बराबर हम निवेदन कर रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हो रहा है, इंतजाम हो रहा है, घबड़ाइये नहीं।

श्री रणबहादुर सिंह---बहुत धन्यबाद। मान्यवर, मैं चार मिनट और चाहूंगा कि बड़ी खुशी हुई कि हमारे माननीय माल मंत्री जी ने चूंकि खुद उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा करके देखा है, इसलिए उनको पीड़ा तो है ही, उन्होंने कुछ कह दिया कि वह इंतजाम कर रहे हैं। इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात उसमें मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि इसमें संदेह नहीं कि पिछले साल भी आपने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में फीस माफ कर दी थी और दो-दो तीन-तीन महीने दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह रुपये के रूप में विद्यार्थियों की सहायता की थी लेकिन हमारे अन्तरिम जिला परिषदों के जितने मिडिल स्कूल हैं उनके लिये हम लोग लड़ते ही रह गये, झगड़ते ही रह गये, बोर्ड में प्रस्ताव पास कराते ही रह गये, लेकिन धन के अभाव में और सरकार से क्षति की पूर्ति न होने के कारण उनकी फीस माफ न हो पायी। तो मैं चाहूंगा कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की तरह उन गांवों के लड़कों की फीस भी माफ करने का प्रबन्ध करें जो कि अन्तरिम जिला परिषदों के स्कूलों में पढ़ते ह। उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जितना कर सकेंगे उतना करेंगे।

श्री रणबहादुरसिंह---ठीक है। अब दूसरी बात जो मुझे रखनी है वह यह है कि मुझे ताज्जुब हुआ इसमें जो दिया हुआ है उसको देखकर। मैं समझता हूं कि कोई उससे हमारे जिले का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन मैं माल मंत्री की सूचना के लिये यह कह देना चाहता हूं कि जो इसमें दो मौतें दिखाई गई हैं वह दो नहीं बल्कि चार आदमी हमारे यहां फ्लड में मरे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमें दुख है इसका।

श्री रणबहादुरसिंह---इसमें दो दिया हुआ है। लेकिन हरया तहसील के दुबौलिया बाजार से दो आदमी चारा काटने के लिए गये हुये थे वह भी इस फ्लड में डूबकर मरे हैं इस प्रकार से यह आंकड़े गलत होने के कारण जितनी सहायता सरकार को करनी चाहिये वह नहीं कर पाती हैं।

अन्त में मैं सरकार का ध्यान अपनी तहसील के उस बन्धे की तरफ ले जाना चाहता हूं जो कि बहुत थोड़े से खर्च में बन सकता है और जिसके न बनने के कारण इतनी परेशानी में सरकार को पड़ना पड़ता है। ३०-३५ हजार से ज्यादा का खर्च नहीं है। लेकिन अभी २० हजार

[श्री रणबहादुरसिंह]
रुपये क तकावी का सेंक्शन गया है। फिर २०-२० हजार रुपया करके जायगा। इस तरह लाखों रुपया व्यय होगा। तो मैं अधिक समय न लेकर पुनः माननीय मंत्री जी का ध्यान उस बन्धे की तरफ ले जाना चाहता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---एक निवेदन मैं यह करना चाहता था कि बाढ़ की बहस का बहुत ज्यादा समय और कामों में लग गया तो मैं चाहता हूं कि कम से कम १ घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं इसे प्रपोज करता हूं।

श्री अध्यक्ष---नहीं, अभी प्रस्ताव तो कोई आया नहीं है।

(श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी का नाम पुकारने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष---आप कितना समय लेंगे ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---मैं लगभग २० मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष---अच्छा तो आपके भाषण की समाप्ति तक सदन बैठेगा।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---श्रीमन्, बाढ़ के सम्बन्ध में अब तक मैं सभी के विचार सुनता रहा। बातें सब जगह समान हैं और कष्ट भी हर जगह एक ही प्रकार का है। इसी कारण लोगों ने अपने-अपने जिले की समस्या सदन के सामने रखी हैं। मैं भी बस्ती जिले का रहने वाला हूं। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बस्ती जिले की एक तहसील की बात रखी। मैं बाढ़ के दिनों में अपने जिले बस्ती में रहा और अक्सर नाव से घूमता रहा। इसलिये मुझे और तहसीलों का भी ज्ञान है। उस ज्ञान को रखते हुये हमारी सरकार ने क्या किया, उसे क्या करना चाहिये, कौन-सी कमी है इन सब बातों पर थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि के अनुसार प्रकाश डालूंगा।

बस्ती जिले के बारे में इतना जानना पर्याप्त होगा कि पिछली बार जब इकोनामिक सर्वे कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसमें यह बतलाया था कि वह ऐसा जिला है कि जहां पर ९८ फीसदी लोग बिलो पावर्टी लेबिल रहते हैं। वहां पर २०८९ गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। यह मैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार कह रहा हूं। २,८३,८७७ एकड़ भूमि प्रभावित हुई और १,२३,८५० रुपये की हानि हुई है। यह मैं सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह वह जिला है। जो सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ही १४ नदियों की बाढ़ के कारण प्रभावित रहा। इस वर्ष क्या हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता रहता है या सूखे से प्रभावित होता रहा है। यह बाढ़ उन नदियों के कारण आती है। वहां पर अक्तूबर के महीने में भी बाढ़ आ जाती है। ऐसे समय पर भी बाढ़ आजाती है जबकि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी नदियों में उस समय बाढ़ नहीं आती है। कहने का मतलब हमारा यह है कि वह इतना गरीब और दरिद्र जिला है कि वहां जाकर देखा जाय तो पता चलेगा कि बाढ़ के दिनों में वहां पर जो बाढ़ग्रस्त लोग रहते हैं उनको कितना दुख होता होगा और वे कितनी सहायता के लिये डिजर्व करते होंगे। उस समय जब मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि बाढ़ नई वहां पर नहीं आई है। बहुत दिनों से बाढ़ चली आती है। १५ वर्ष पहले से बाढ़ वहां पर चली आती है। हमारी सरकार को उससे शिक्षा लेनी चाहिये थी। परन्तु हमारी सरकार ने एक भी उपाय नहीं किया।

एक बांध वहां पर बनाया गया तो उसका श्रीमान के सामने नमूना मौजूद है कि सरकार ने ही उसको काटा और जिसकी वजह से वहां पर गोली चली। एक दूसरी जगह बांध बनाया गया। वह बांध जब टूटा तो उस बांध से ही केवल गलत जगह बनने से कितने गांव बह गये। इस रिपोर्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आपके अफसरों ने यह कह दिया कि इस वर्ष कोई गांव नहीं बहा। पिछले तीन वर्षों में कुछ ऐसे गांव हैं जो बहे हैं और जिनका नाम मैं आपको बतला सकता हूं। गुलरिया, राजा सतवारी, अहड़ी, बनकटहा, पनघटिया, हाटा, गायघाट, टिकूर, पेड़ारी, कलनाखुर और बहुत से ऐसे गांव हैं जो पिछले दिनों से बाढ़ग्रस्त होते चले आये हैं। सरकार से कितनी ही बार प्रार्थना की गई कि सरकार उसको रोके लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया। नतीजा क्या हुआ। यही हुआ कि उनको हानि हुई। सरकार का कहना है कि जो नीचे गांव हैं उनको ऊंचा कर दिया जायगा और नदी अपना रास्ता निकाल लेगी और तब वह बहने से बच जायेंगे। सूपा वाली सड़क पर पिछले साल नाव चल रही थी लेकिन इस साल नाव नहीं चली लेकिन सड़क पर पानी आगया था उसके पूर्व और पश्चिम की तरफ मैं गया था और दोनों तरफ की हालत मैंने देखी है कि कितनी बुरी हालत है। जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट की है वह कहां तक सही हो सकती है। अगर माननीय मंत्री जी वहां पर जाकर स्वयं देखते तो उनको ज्ञान हो जाता कि सरकारी अधिकारी अपनी रक्षा के लिये कितनी गलत बात कह सकते हैं। उस नदी के दोनों तरफ इस प्रकार से गांव तबाह हुये हैं कि इधर-उधर १००, २०० मील तक गांव डूबे हुये थे। किसी गांव में कोई फसल नहीं रह गई जिसके लिये लोग कुछ उम्मीद कर सकें कि उनके जीवन का सहारा हो जायगा। मैंने गांव के लोगों से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ सामान है तो उन्होंने बताया कि अनाज की तो क्या बात कहें उनके पास पशुओं के खाने के लिये चारा भी नहीं था।

हमारी सरकार को फ्लड पोस्ट कायम करने में कठिनाई है। लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिये और सामान पहुंचाने के लिये वहां पर नाव भी नहीं मिल रही थी। नौगढ़ तहसील में यह हाल था कि लोगों के पास नाव नहीं थी कि वह सामान जरूरी लोगों तक पहुंचा सकें। वहां सरकार के कुछ लोग थे जो बहुत तत्पर थे परन्तु नाव नहीं थी। उसके बाद एक नाव मिली जिससे हम कुछ सामान वहां पर भेज सके और मैं दूसरे दिन वहां गया और नाव अपने पैसे से ले गया। ६–७–८ गांवों में मैंने चंदा मांगकर गल्ला इकट्ठा किया। इस प्रकार से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक नाव एक दिन में एक गांव में नमक, तेल इत्यादि बांट सकती है। बांसी में बड़ी त्राहि-त्राहि मची हुई है। उस ओर ५०५ गांव प्रभावित हुये हैं जिसमें ७२ को गल्ला बांटा गया और करीब २९७ मन गल्ला बांटा गया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अतिश्योक्ति है न इतना गल्ला बांटा गया और न इतने गांवों में बांटा गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का समय डेढ़ घंटा और विवाद के लिये बढ़ा दिया जाय अर्थात् ७ बजे तक सदन बैठे।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मेरा यह दुर्भाग्य है कि मुझे इस प्रस्ताव का विरोध करना पड़ रहा है। मेरे साथियों ने कुछ दूसरा प्रोग्राम बना रखा है इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—कल बैठ जायेंगे। इसमें क्या अन्तर पड़ता है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मेरे ३ मिनट यों ही चले गये। मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार गल्ला बांटा गया। परन्तु काम संतोषजनक ढंग से नहीं हुआ है और आपके आंकड़े भी सही नहीं है। उनकी संख्या बढ़ाकर बताई जा रही है। मैं जब वहां तहसीलदार साहब के पास गया और उनसे पूछा कि कितने-कितने गांव में गल्ला आपने भेजा और कितना-कितना भेजा है। पहले तो उन्होंने कोई साफ उत्तर नहीं दिया परन्तु जब मैं पूरी तरह से जानकारी करने लगा तो वह कुछ संकोच में पड़ गये और सही बात न बता सके। फिर मैंने फ्लड आफिसर से बात करनी चाही तो कहने लगे कि अभी जाकर मैं गांवों में गल्ला भेजता हूं। सरकार ने कोई इसी तरह से नौगढ़ में भी गल्ला भेजने का इंतजाम नहीं किया। वहां ४२१ गांव प्रभावित हुये। डिप्टी कलेक्टर से मैंने पोजीशन पूछी तो कहने लगे कि गल्ला नहीं है। तब मैंने अपनी रिसपान्स

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

बिलटी पर गांव के महाजन से गल्ला लेकर वहां बंटवाया। लेकिन आप देखें कि सरकार ने वहां कोई प्रबंध नहीं किया। जब मैं गाँव में गया तो वहाँ यह स्थिति थी कि शौच के लिये भी बाहर नहीं कोई जा सकता था। वहाँ पर भी गल्ला नहीं बंटवाया जा सका। ७ तारीख को जब प्रदर्शन किया गया और दरख्वास्तें दी गईं तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। हमने अपनी दरख्वास्तें वापस ली हैं। यह सब सरकार के पहले से प्रबन्ध न करने के कारण हुआ या सरकार की दुर्व्यवस्था का यह सब परिणाम है। उसके अधिकारी लोग भी अधिक कर्तव्यशील नहीं हैं। यह मैं अपने अनुभव से बताता हूं।

दूसरी बात जो हमारे माननीय मन्त्री जी से माननीय पाँडेय जी ने कही वसूली के संबंध में, तो मैं रसीद तो लाया हूं परन्तु उसे अपने डेरे पर ही छोड़ आया कि शायद इसकी नौबत न आये परन्तु वह रसीद मैं आप को दिखला सकता हूं। आप देखें कि जब बाढ़ अपने शिखर पर थी उस वक्त भी वसूली नहीं बन्द की गई और उसे जारी रखा गया। जो भूखे थे उनको तक नहीं छोड़ा गया और बजाय उनको अन्न देने के उल्टे उनसे मालगुजारी सख्ती से वसूल की गई। यह सरकार की बदइंतजामी का नतीजा है। ऐसे अवसर पर ऐसे जिलों के लिये तो इसकी वसूली बन्द करना आवश्यक ही था। वहाँ ९८ प्रतिशत गाँवों में "पावरटी एट दि लोएस्ट लेविल" है।

श्रीमन्, मुझे १०–१२ मिनट और बोलना है। आप देखें कि ३ नावों के बदले और एक भी नाव नहीं वहाँ उन गाँवों में बढ़ा कर दी गई है। मैंने कलेक्टर साहब से कह दिया था कि पिछली बार की तरह से अब की न हो, इसलिये नाव का प्रबन्ध पहले ही से पर्याप्त मात्रा में कर लना उचित होगा। ५० या ४० जितनी भी नावें उचित समझी जायें उनका प्रबन्ध होना अनिवार्य ही होगा। परन्तु इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि यहाँ कहा गया कि वहाँ ३२ नावें थी परन्तु यह संख्या सही नहीं पाई गई। मैंने जब पूछा तो यह पता लगा कि वहाँ नावें भेज दी गई हैं। आप ही सोचें कि ५०५ गाँवों के लिये कवल ८ नावें कैसे पर्याप्त है। उन गाँवों में किसी भी प्रकार से सहायता नहीं पहुंच सकती है। सरकार के प्रबन्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। बस्ती जिले में तो बाढ़ के बाद एक और भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ बाढ़ के बाद वाटर लागिंग हो जाती है जहाँ महीनों के बाद कहीं पानी सूखता है। वहां माघ के महीने तक पानी कभी-कभी भरा रह जाता है मगर लगान बराबर लिया जाता है। एक बान गंगा और बिलारी के बीच में एक काफी बड़ा ताल है डेढ़ हजार एकड़ का पौड़र ताल कहते हैं जिसमें पानी भर जाता है तो जहाँ सरकार बाँधों का नियोजन करती है जो कि कुनियोजित योजनाएं होती हैं तो साथ ही पानी को निकालने का भी उसे प्रबन्ध करना चाहिये। अब मैं बाढ़ के सम्बन्ध में न कह कर कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहला सुझाव यह है कि हमारी सरकार ने पनघटिया बाँसी बाँध बनवाया है, वह हर वर्ष टूटता है। न जान किस इंजीनियर से वह बाँध बनवाया है। अगर वह ठीक बन जाय तो २००–३०० गाँवों की रक्षा हो सकेगी। दूसरे, जो गाँव पिछली बाढ़ों से आधे से ज्यादा बह गये उनके लिए कहीं बसाने की व्यवस्था नहीं है, वह सरकार करे। तीसरे, हमारे जिले में बूढ़ी राप्ती और बान गंगा ने अपना कोर्स बदल दिया है और दो साल के अन्दर कोर्स पूरा बदल दगा तो नौगढ़ और बाँसी तहसील में जहाँ दोनों नदियाँ पड़ती हैं वहाँ सतवाड़ी के स्थान पर कोई बाँध बनवा दिया जाय, कम से कम ठोकर लगा दी जाय। ऐसा सुझाव पहले भी आ चुका है। चौथे, जसा कि अन्य भाइयों ने,कहा, वसूली बिलकुल बन्द हो, चाहे कोआपरेटिव की हो या लगान की। हमारे एक भाई ने कहा कि खेती के लगान में छूट होती है, लेकिन रिपोर्ट पटवारी के यहाँ से गलत होती है, सही रिपोर्ट जाने नहीं पाती और गाँवों के लोग जो बाढ़ से त्रस्त रहते हैं उनको छूट नहीं मिल पाती। उस पर कहा जाता है कि काँग्रेस को वोट नहीं दिया इसलिये नहीं मिली। कहीं रुपया माँगा जाता है कि रुपया दोगे तो मिलेगी। तो ऐसी व्यवस्था की जाय कि गरीब जिले की रिपोर्ट सही मिले।

दूसरी बात यह है कि गरीब विद्यार्थी हैं और ४–६ मील से पैदल आते हैं पढ़ने के लिए, छात्रावास में नहीं रहते, उनकी पूरी फीस माफ होनी चाहिए। हमारे यहाँ सस्ते गल्ले की दूकानें होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में पांडेय जी ने जो सुझाव दिये मैं भी उनकी ताईद करता हूं कि टेस्ट वर्क खोला जाता है, ६ आने मजदूरी सरकार देती है, तब लोग नैपाल राज्य में १२ आना रोज पर चले जाते हैं। कलेक्टर साहब कहते हैं कि धनी जिला है। फिर हमारी सरकार अगर पुराने लिटरेचर को देखेगी तो बस्ती जिला ऐसा जिला है जिसमें एक वर्ष भी न मिलेगा जब बाढ़ग्रस्त न रहा हो। अगर बाढ़ से छूटा भी तो सूखा से त्रस्त हो जाता है। साथ ही इतना थिकली पापुलेटेड जिला है हमारे सूबे में, वहाँ कोई विशेष इंडस्ट्री नहीं है सिवाय शुगर इंडस्ट्री के। सरकार कहती है कि हमने काटेज इंडस्ट्री खोली, स्माल स्केल इंडस्ट्री खोली लेकिन उससे मसला हल नहीं होता सिवाय इसके कि लोग नैपाल, बम्बई, भाग जायं। इसलिये लोग अपने पेट का पालन अपने जिले में कर सकें उसके लिये उनकी रक्षा की जरूरत है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, और वह यह कि यह सरकार उनके लिये बीज तक का प्रबन्ध नहीं कर पा रही है। इसके कारण किसानों को बड़ी कठिनाई उठाना पड़ रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को बीज का उचित प्रबन्ध करना चाहिये।

एक बात यह और कहना चाहता हूं, कि सरकार कम से कम एक ही तहसील की सही रिपोर्ट मंगाये और देखे कि वहाँ पर कितने मकान गिरे हैं। एक ही तहसील का, वहाँ का मुकाबला करके देख ले। वहाँ पर बहुत मकान गिरे हैं। किसी किसी गाँव में तो इतना पानी था कि वहाँ जाना मुश्किल था। आप वहाँ के लोगों को जमीन दें, मकान बनवाने का सामान दें, लड़कों के लिये फ्री शिक्षा का प्रबन्ध करें।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि मेरी एक और प्रार्थना है इस सरकार से कि वह हमारे जिले का फिर से सर्वे कराये। अगर उसने फिर से सर्वे न कराया, तो मैं यहाँ इस बात को बतलाये देता हूं कि ४ वर्ष के अन्दर बहुत बुरी दशा हो जायेगी। जो गोली काँड हुआ और जिसको ग़लत ढंग से सरकार की तरफ से डिफेन्स किया गया वह स्थिति कई जगह पैदा हो जायेगी वही नौगढ़ तहसील में होगी, वही मोहाना तहसील में होगी। वह सब इसी सरकार के मत्थे आयेगी। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह वहाँ का फिर से सर्वे कराये। बूढ़ी राप्ती के बीच में जो गाँव नष्ट हो गये हैं, उनको बचाने के लिये वहाँ पर वाटर लागिंग को बचाने के लिये, यह जरूरी है कि वहाँ का फिर से सर्वे कराया जाय।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं, कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के १० बजकर ३० मिनट तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१३ सितम्बर, १९६२।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४६ पर]

उन संस्थाओं की सूची जिन्हें अप्रैल, सितम्बर, १९६१ में एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट स्टेनलेस स्टील शीट के बर्तन बनाने के अतिरिक्त अन्य सामग्रियाँ बनाने के निमित्त दिये गये थे।

क्र सं०	संस्थाओं के नाम तथा पता
१	सर्वश्री सर्जिकल एन्ड साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेन्ट वर्क्स, मनमंदिर, वाराणसी।
२	सर्वश्री मित्तल रोलिंग मिल, बुद्ध का बाजार, मुरादाबाद।
३	सर्वश्री प्रकाश पेन कम्पनी, चौक कानपुर।
४	सर्वश्री इंडियन ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मम्मीरपुरा, अलीगढ़।
५	सर्वश्री नेशनल वर्कित्स मैन्यूफैक्चरिंग कं०, बापूमार्ग, अलीगढ़।
६	सर्वश्री लाल एन्ड कम्पनी, १९७, नौगजा, मेरठ।
७	सर्वश्री प्रेम मेटल प्रोडक्ट्स, डा० आध्यात्मिक नगर, गाजियाबाद।
८	सर्वश्री एम० एस० गुप्ता एन्ड ब्रादर्स, जी० लाल स्ट्रीट, मुरादाबाद।
९	सर्वश्री स्माल कोट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, रेलवे रोड, मेरठ।
१०	सर्वश्री एशियाटिक सर्जिकल एन्ड मेटल वर्क्स (प्रा०) लि०, ऐशबाग रोड, लखनऊ।
११	सर्वश्री केदारनाथ इंजीनियरिंग वर्क्स, स्टेशन रोड, मुरादाबाद।
१२	सर्वश्री मुल्कराज ऐन्ड ब्रदर्स, इंडस्ट्रियल एरिया, ऐशबाग, लखनऊ।
१३	सर्वश्री पदम पेन फैक्ट्री, ४८, जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद।
१४	सर्वश्री चमन लाल जैन एन्ड सन्स, ७० तिलक रोड, देहरादून।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १८–१९ के उत्तर पीछे पृष्ठ २४७–२४८ पर]

औद्योगिक आस्थानों के लिये विकसित (Developed Site for Industrial Estate) तथा ग्रामीण औद्योगिक आस्थानों में चलाये जाने योग्य कतिपय लघु उद्योगों का नाम ।

सूची

१—जिप फास्टनर्स,
२—प्रेस तथा नाइलान के बटन,
३—ताले
४—नाप-जोख तथा गणित के यन्त्र,
५—काँच के खिलौने,
६—लालटेन तथा वल्व्स,
७—सिलाई की मशीन तथा उनके पुर्जे,
८—साइकिल की तीलियाँ तथा फ्रीव्हील,
९—रेफ्रीजीरेटर तथा उनके पुर्जे,
१०—स्टील के बने हुए नापने के फीते,
११—कागज बनाना,
१२—गन्ने पेरने की मशीन,
१३—फाउन्टन पेन बनाना,
१४—लकड़ी के फ्रेम वाली स्लेट तथा उन पर लिखने वाली पेंसिल,
१५—बिजली का सामान,
१६—डीजिल आयल से चलाने वाले इंजन,
१७—खेल कूद का सामान,
१८—दाढ़ी बनाने के लिये ब्लेड्स,
१९—चित्रकारी का सामान,
२०—टीन की वाल्टियाँ,
२१—आल्पीन,
२२—कटीले तार,
२३—मिट्टी के तल से जलने वाले चूल्हे,
२४—खेती तथा बागवानी के औजार,
२५—छाते की छड़ियाँ,
२६—सिगरेट लाइटर,
२७—बैट्रीज,
२८—बिजली के पंखे,
२९—प्लास्टिक तथा पोलीथिन के थैले,
३०—वार्निश,
३१—नाइट्रिक एसिड बनाना,
३२—प्लास्टिक के खिलौने तथा अन्य वस्तुएं,
३३—चमड़े का सामान,
३४—फल संरक्षण,
३५—जूतों की पालिश बनाना,
३६—दियासलाई,
३७—कपूर बनाना ।

लोकसभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५२ पर]

श्रीमन् कप्तान साहब,

मेरे पास शिकायती चार्ट बेनीगंज के निवासियों के द्वारा भेजा गया है कृपा करके इसके बारे में जांच करवाने का कष्ट कीजियेगा।

भवदीय,
परमाई एम० एल० ए०,
गोपामऊ हरदोई।
१६-५-१९६२

नक्शा अपराध स्थित छिपाने का थाना बेनीगंज, जिला हरदोई

थाना बेनीगंज एस० ओ० श्री दयाराम सिंह पर्त दोयम

तारीख जिनमें अपराध हुआ	वास्तव में जो अपराध हुआ	अपराध छिपाकर जो दिखाया गया रिपोर्ट में	नाम मुद्दई तथा निवास स्थान	जिन केसों में रिश्वत ली गई	विशेष विवरण अपराधों का
१	२	३	४	५	६
४-१-६२	डकैती	चोरी	मैकू चमार, उम्रापुर		श्रीमान जी, एस० ओ० महोदय के आदेशानुसार डकैती के अपराध को चोरी में बदला गया।
१६-१-६२	"	"	चिन्ना चमार, मानपुर	..	" " "
१-२-६२	"	"	चेतराम, नटपुरवा	..	" " "
६-२-६२	"	"	सेवक चमार, व्यासपुरवा	..	" " "
८-२-६२	"	"	कंठू वेश्य, लालपुर	..	" " "
१२-२-६२	"	"	गयादीन ब्रा०, डिबिया	..	" " "
अमावश्या	"	"	कड़िले पासी, भदहापुरवा	..	" " "
९-३-६२	"	पता नहीं क्या लिखा गया	बरई के यहां पर लालता, खेड़ा	..	" " "
३१-३-६२	"	चोरी	मोहन, चमार समलापुर	..	" " "
मार्च में	"	पता नहीं क्या लिखा गया	चपरतला के मजरे में	..	" " "
२/३-४-६२	"	"	विसनू बेलवार खेड़ा	..	श्रीमान एस०ओ० के आदेशानुसार अपराधों को छिपाया गया है।

श्रीमान जी निम्नलिखित केसों में रिसवतें ली गईं मुलजिमों से

१	अज्ञात	डकैती घर लूटे २ या ३	चन्द्रिका, दिलबार, १४७,३२३ पुर		१,४०० रु० श्रीमान जी १० आदमियों को पकड़ा गया कमर कस कर थाने में बन्द किया गया बाद रिश्वत ११ बजे रात छोड़ दिया गया। श्रीमन् एस० ओ० दया-राम सिंह द्वारा। रिश्वत देने वाले नन्दलाल आदि, मौजा दिलावर-पुर, थाना वेनीगंज,
२	,,	,,	—	—	मौजा मेलनिया दुलारे दुल्ला आदि से रिश्वत ली गई, श्रीमान् एस० ओ० दयाराम सिंह ने ली रकम कितनी ली गई सही ज्ञात न होने पर रकम नहीं लिखी जा रही है।
३	—	—	—	—	भानपुर की डकैती में रिश्वत ली गई मौजा टिकारी भानपुर के चमार, कहारों, बढ़इयों से श्रीमान् एस० ओ० ने तथा अन्य दलालों द्वारा रिश्वत ली रकम सही ज्ञात न हो सकी।
४	—	—	—	—	श्रीमान् जी हुसेनपुर के कत्ल में रिश्वत ली गई जब तक रिश्वत तय नहीं हुई तब तक एक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया और जब रिश्वत ले ली तो कहा कि हाजिर करा दो कत्ल के बाद १–१ १/२ माह बाद मुलजिम हाजिर करा दिया गया,
५	..	..	..	..	६०० रु० श्रीमान् जी थोक कबूलपुर के कत्ल में मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया एस० ओ० महोदय ने जब रिश्वत ले ली गई तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि अदालत से मुकदमा छुड़ा दिया जावेगा और कागज की खानापुरी करने के लिये कुर्की भी की गई यह खानापुरी कागज की इसलिये की गई कि मुद्दई ने एक दरख्वास्त दे दी थी कि मेरा मुकदमा ठप कर दिया गया है। अपराधी हाजिर अदालत हुए हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
६	..	..	..	..	५०० रु० श्रीमान् जी मौजा सिटकहना में दो का कत्ल हुआ लाश नहीं मिली। रिपोर्ट गुमशुदी में हुई मगर एस० ओ० दयाराम सिंह ने ५०० रु० लेकर मुलजिम से मामला दबा दिया।
७	..	..	..	..	४०० रु० श्रीमान् जी बेनीगंज में भभूती का मर्डर इंजन चक्की द्वारा, हुआ ४०० रु० मालिक इंजन से जब ले लिया तब उस बेचारे मालिक को राहत मिली त० १९-१२-६१
८	..	..	..	..	श्रीमान् कन्सूआ के कत्ल में भी रिश्वत ली गई एस० ओ० महोदय द्वारा।
९	..	..	..	..	८०० रु० श्रीमान् जी हनुमान ब्राह्मण, मौजा अटिया का रहने वाला है उस की लड़की को भगा दिया गया बाद में जिसने कुमारी लड़की को अपने घर में रक्खा है उससे दयारामसिंह एस० ओ० ने ८०० रु० ले लिये वह सज्जम अब अपना ब्याह करने जा रहा है बेचारा रोज थाने पर आता है मगर उसको हीला हवाला बता कर टाल दिया जाता है बेचारा बाप एम० पी० किन्दर लाल से मिला उन्होंने एक पत्र एस० ओ० को लिखा तब एस० ओ० ने लड़की हटवा दी जो सीतापुर जिले में है ऐसा उसका बाप रोकर कह रहा है।

नोट—विशेष निवेदन—श्रीमान् जी, तमाम वाकिये इसी तरह के हुआ करते हैं जिनका विवरण कहां तक दिया जावे जो विवरण दिए जा रहे हैं इन्हीं तथ्यों की जांच तभी सही तथ्यों पर हो सकेगी जब एस० ओ० को मुअत्तल कर के की जावेगी नहीं तो जनता एस० ओ० के प्रभाव से सही को सही नहीं कह पावेगी यह मेरी विशेष प्रार्थना जांच अधिकारी तथा देश के उच्च नेतागणों से है यह सब एस० ओ० दयाराम सिंह के वाकए किए हुए हैं।

एक नागरिक कस्बा बेनीगंज।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ब'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर]

विधान सभा के वर्तमान सत्र के ११वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री छत्रपति अम्बेश द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर से संबंधित आगरा व कानपुर में १९६१–६२ में लघु उद्योगों को दिये गये अनुदान तथा ऋण और तकावी की सूची

१९६१–६२

अनुदान	ऋण	तकावी
	आगरा	
रु०	रु०	रु०
३५,३८७	१,९९,२६५	४,९२०
	कानपुर	
७०,०१०	४,६८,५२१	१९,६८०

फूलसिंह,
लघु उद्योग मंत्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर]

परिशिष्ट—अ

गोंडा जिले में निम्नलिखित मुख्य उद्योग हैं—

अ—बृहत उद्योग

१—चीनी
२—चावल
३—आबकारी

ब—लघु उद्योग

१—चावल एवं दाल
२—ईंट के भट्टे
३—आटा चक्कियां
४—लकड़ी चिराई
५—बर्तन उद्योग
६—चूना उद्योग
७—साबुन उद्योग
८—छापा खाने
९—बर्फ उद्योग
१०—बिस्कुट उद्योग
११—फर्नीचर
१२—जनरल इंजीनियरिंग
१३—हड्डी की खाद

स—ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग

१—बढ़ईगिरी
२—गुड़
३—तेल घानी
४—लोहार गीरी
५—कुम्हारगीरी
६—जूता बनाना
७—हस्त करघा वस्त्र
८—कम्बल बुनना
९—टोकरी बुनना
१०—बीड़ी बनाना
११—रस्सी बनाना इत्यादि

परिशिष्ट 'ब'

सरकार ने गोंडा जिला में निम्नलिखित उद्योगों को प्रोत्साहित किया—

१—जनरल इंजीनियरिंग
२—एलेक्ट्रोप्लेटिंग
३—मैथेमेटिकल इंस्ट्रूमेंटस
४—जाली (Copper stainers)
५—एलेक्ट्रिक गुड्स
६—कटलरी
७—आई-ग्लास ग्राइंडिंग
८—बोन मील
९—सीने वाली मशीनों के पुर्जे
१०—शक्ति द्वारा खांडसारी बनाना
११—नट बोल्ट्स
१२—चूना
१३—साबुन
१४—चलनी
१५—फिनायल
१६—मोटर टायर की मरम्मत
१७—मोटर के पुर्जे
१८—कृषि यंत्र
१९—लकड़ी के खिलौने

नत्थी 'च'

तालिका

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

क्रम-संख्या	चीनी मिलों के नाम	कमीशन जो ३०-६-६२ तक बाकी था (लाख रु० में)
१	सरदारनगर	३.६३
२	पिपराइच	०.६४
३	घुघली	०.८७
४	सिसवाबाजार	१.५५
५	फरेंदा	०.९१
६	बैतालपुर	१०२.७५
७	गौरीबाजार	१.२०
८	देवरिया	१.४८
९	प्रतापपुर	०.०८
१०	कप्तानगंज	१.६६
११	खड्डा	०.४१
१२	छितौनी	०.७७
१३	लक्ष्मीगंज	१.१९
१४	रामकोषा (के)	१.६१
१५	रामकोला (पी)	२.२५
१६	पडरौना	१.०३
१७	कठकुंइयां	१.२९
१८	सिवराही	१.०६
१९	भटनी	१.०१
२०	मुन्डेरवा	०.४९
२१	बस्ती	०.०३
२२	वाल्टरगंज	..
२३	खलीलाबाद	..
२४	बभनान	..
२५	नवाबगंज	१.७४
२६	बलरामपुर	०.११
२७	तुलसीपुररोड	०.८५
२८	जरवलरोड	१.४६
२९	बुढ़वल	०.५१
३०	बाराबंकी	०.१२
३१	शाहगंज	०.८८
३२	बिसवां	..
३३	महोली	०.०८
३४	हरगांव	०.७१
३५	मसोधी	१.७०
३६	हरदोई	०.०१

अध्यक्ष पटेश्वर सिंह

क्रम-संख्या	चीनी मिलों के नाम	कमीशन जो ३०-६-६२ तक बाकी था (लाख रु० में)
३७	एरा	..
३८	गोला	०.९७
३९	रोजा	०.०६
४०	बरेली	१.८८
४१	बहेड़ी	१.२३
४२	पीलीभीत	३.५२
४३	बिजनौर	१.१२
४४	धामपुर	१.४१
४५	सिबहारा	२.९९
४६	डोइवाला	०.०७
४७	देवबन्द	३.९०
४८	लक्सर	..
४९	सहारनपुर	२.५१
५०	इकबालपुर	२.३७
५१	मन्सुरपुर	३.६१
५२	खतौली	३.६२
५३	रोहानाकलां	२.४६
५४	शामली	५.४६
५५	सखौतीटांडा	०.७४
५६	दौराला	..
५७	मवाना	०.०९
५८	जशवन्त	०.७४
५९	मोहिद्दीनपुर	०.८०
६०	मोदीनगर	०.४६
६१	सिम्भौली	१.१३
६२	बुलन्दशहर	०.६९
६३	काशीपुर	०.९८
६४	न्योली	०.५२
६५	अमरोहा	०.८७
६६	बिलारी	०.७६
६७	रामपुर	०.२९
६८	बाजपुर	०.२९
६९	बागपत	०.२४
७०	सरसावा	०.०१
	योग ..	७७.१४

अमर विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

३१ जुलाई, १९६२ को पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की जिलेवार सूची

क्रम-संख्या	जिला	जीवित पेंशन प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
१	मेरठ	३४५
२	मुजफ्फरनगर	१५९
३	सहारनपुर	१६६
४	बुलन्दशहर	१४२
५	देहरादून	१८८
६	अलीगढ़	३७८
७	एटा	१६०
८	मथुरा	१५३
९	मैनपुरी	१२४
१०	आगरा	१९२
११	कानपुर	४७१
१२	फतेहपुर	१११
१३	फर्रुखाबाद	१८४
१४	इटावा	१९१
१५	इलाहाबाद	३३३
१६	झांसी	११०
१७	जालौन	८८
१८	बांदा	१४९
१९	हमीरपुर	१२१
२०	वाराणसी	४१२
२१	गाजीपुर	१४५
२२	जौनपुर	९४
२३	बलिया	१३९
२४	मिर्जापुर	६६
२५	लखनऊ	१४४
२६	उन्नाव	१४४
२७	रायबरेली	१२५
२८	सीतापुर	९९
२९	हरदोई	१२७
३०	खीरी	१०१
३१	बिजनौर	१०१
३२	बदायूं	१२८
३३	शाहजहांपुर	१२४
३४	पीलीभीत	४१
३५	रामपुर	९३
३६	मुरादाबाद	१७५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	जिला				जीवित पेंशन प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
३७	बरेली	..	..	..	२६५
३८	गोंडा	..	..	..	१४२
३९	बहराइच	..	..	..	१०१
४०	बाराबंकी	..	..	..	९०
४१	प्रतापगढ़	..	..	..	५४
४२	सुल्तानपुर	..	..	..	८६
४३	फैजाबाद	..	..	..	१३६
४४	गोरखपुर	..	..	..	८१
४५	आजमगढ़	..	..	..	१२८
४६	देवरिया	..	..	..	६१
४७	बस्ती	..	..	..	६६
४८	नैनीताल	..	..	..	८२
४९	अल्मोड़ा	..	..	..	७०
५०	गढ़वाल	..	..	..	२९
५१	टेहरी	..	..	..	४५
५२	पिथौरागढ़	..	..	..	१६
५३	चमोली	..	..	..	२०
५४	उत्तर-काशी	..	..	..	७
			योग	..	७,५०२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

सूची

मास	यात्रा का स्थान	दूरी किलोमीटर में, झांसी से यात्रा के स्थान तक तथा वापस
मई, १९६१	मऊ	१३०
	बरुवा सागर	४४
जून, १९६१	ललितपुर	१८२
	मऊरानीपुर	१३०
	चिरगांव	३६
अगस्त, १९६१	मऊरानीपुर	१३०
	चिरगांव	६४
	ललितपुर	१८२
	मोट	११०
	मऊरानीपुर	१३०
	बांसी	१४०
	बरुवासागर	४४
	मोट	११०
	मोट	११०
सितम्बर, १९६१	ललितपुर	१८२
	मऊरानीपुर	१३०
	रानीपुर	१८
	चिरगांव	६४
	करारी	२२
	चिरगांव	६४
	ललितपुर	१८२
	ललितपुर	१८२
	बड़ा गांव	४४
	बबीना, रसोई	५०
अक्तूबर, १९६१	चिरगांव एवं मोट	११०
	चिरगांव	६४
	ललितपुर	१८२
	सकरार	९०
	मऊरानीपुर	१३०
	चिरगांव पहाड़ी	६४
नवम्बर, १९६१	बड़ा गांव	४४
	ताल बहट	१००
	छिरौना	७२
	मोट	११०
	ललितपुर	१८२
	चिरगांव, कोछाभावर	६४

अनुसंधान एवं प्रकाशन मुक्ति

मास	यात्रा का स्थान	दूरी किलोमीटर में, झांसी से यात्रा के स्थान तक तथा वापस ।
दिसम्बर, १९६१	चिरगांव, मोट	११०
	मऊरानीपुर, लोहारगांव	१३०
	शिवगंज	
	रतोसा रानीपुर	६१
	झांसी	१४०
	चिरगांव	६४
जनवरी, १९६२	चिरगांव	६४
	ललितपुर, हंसारी	१८०
	ललितपुर	१८०
	मऊरानीपुर	१३०
	मऊरानीपुर	१३०
फरवरी, १९६२	पंक्षा बड़ा गांव	४४
	गुरसराय	१९५
	ललितपुर	१८०
	रानीपुर, मऊरानीपुर, बगरा	१४७
मार्च, १९६२	एरिच बमौर कोंच	२३७
	सकरार	९०
	ललितपुर, महरौनी	२५६
	बड़ा गांव	४४
	चिरगांव, मोट	११०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७१ पर)

सेवा में,

माननीय मंत्री महोदय,

गन्ना विकास,

राज्य सरकार, उ० प्र०, लखनऊ ।

द्वारा उचित मार्ग

मान्यवर,

हम गन्ना विकास विभाग के कामदार निम्नांकित कतिपय पंक्तियां अपनी सेवा स्थिति के विषय में आपके समक्ष विचारार्थ तथा उचित आदेश हेतु प्रार्थना पूर्वक रख रहे हैं ।

१—हम जैसा कि हमारे पद कामदार से प्रकट है कि विभाग के मुख्य क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता हैं और हम सभी के कठिन, सद तथा कुशल प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त है ।

२—हम सभी के पद के कार्य तथा उत्तरदायित्व भारी तथा अधिक हैं यथाः हम सभी को खेत से खेत गन्ना परताल करना, ईख फसल की उपज आंकना, किसानों के साथ सट्टा करना, उन्नतिशील बीज, खाद कृषि यंत्रों की मांग (आवश्यकताएं) एकत्र करना, इनका किसानों के खेत में प्रदर्शन आयोजित कर उन्हें उन्नतिशील प्राप्ति कृषि विधि अपनाने को तैयार करना, स्वस्थ रोग रहित उन्नतिशील बीज का चुनाव तथा किसानों के बीज वितरण के लिये सुरक्षित रखना है । इनका वितरण ग्राम समितियों द्वारा जिनके हम अवैतनिक मंत्री हैं, करते हैं ।

३—हम ग्राम समिति का संगठन करते हैं, उनके कागज पत्र तथा हिसाब रखते हैं, इनके लिये ऋण की व्यवस्था करना, उसकी वसूली करना, किसानों की खेती, पशुओं की उन्नति के व्यावहारिक परामर्श देने के साथ-साथ सामाजिक अन्य, आर्थिक विकास का कार्य करते हैं ।

४—हम सभी उन्नतिशील विधि नई किस्मों के गन्नों, रोग एवं कीटाणु नियंत्रण तथा अन्य ऐसे ही सामान कार्यों से संबंधित अनुसंधान के फलों (तथ्यों) को व्यावहारिक देने से महत्वपूर्ण प्राक्रियात्मक कार्य करते हैं क्योंकि सच्चाई यह कि किसान से हमारा सीधा घना सम्बन्ध होता है । हम अनुभव करते हैं कि हम सभी को जन सेवा करने का अवसर प्राप्त है, पर खाली पेट, वस्तुओं के चढ़ते हुए मूल्यों के साथ कुछ भी संभव नहीं है ।

५—जहां तक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव का सम्बन्ध है । हम सभी हिन्दी उर्दू मिडिल उत्तीर्ण कुछ हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट, कृषि सहकारिता तथा ग्राम समस्याओं के प्रशिक्षण प्राप्त भी हैं ।

६—अतएव यह सत्य है कि हमारा उत्तरदायित्व असाधारणतः भारी है और हम क्लास III तीन के योग्य हैं जबकि हमें रुपया ३७.०० अधिकतम मासिक वेतन पर अभाग्यवश क्लास IV चार में रखा गया है ।

७—हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी सेवा से केवल अर्थ ही नहीं प्राप्त करना चाहते हैं बल्कि भुखमरी से ऊपर जीवन निर्वाह वेतन की आवश्यकता रखते हैं जिससे आप भी सहमत होंगे । इसी साहस के बल हमने आप कृपालु के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

८—अतएव आप से हम सभी का सारा अनुरोध है कि हमारे सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्ण पुनर्विचार करके निम्न विषयों पर उदार आदेश दें :

(अ) हमें जीवन निर्वाह वेतन कम से कम ५०.०० रुपया मासिक ५०-२-६०-४-८० के क्रम से दिया जाय ।

(ब) सुपरवाइजरों के पद की नियुक्ति के लिये हमारे कामदार वर्ग से ७५ प्रतिशत लिये जायं ।

(स) सुपरवाइजरों के लिये पदोन्नति का आधार वरिष्ठता, कार्य कुशलता, तथा सद् आचरण माना जाय । प्रस्तुत समय हम खेद के साथ देख रहे हैं कि १७ वर्षों से विभागीय सेवा में रत ईमानदार कितने ऐसे कामदार पड़े हैं, जबकि उनसे कानिष्कों की पदोन्नति कर दी गयी है ।

(द) हम सभी की सेवा क्लास III तीन की मान ली जाय तथा विभागीय "मैनुअल" बनाया जाव ।

हमें आशा है कि हमारे साथ न्याय होगा। हमारी मांग पर नये सिरे से विचार कर,भूल तथा अशुद्धियों को दूर करके जीवन निर्वाह वेतन स्वीकृत किया जायगा । हम इस कृपा पूर्ण कार्य के लिये आपके लम्बे, सुखी समृद्ध पूर्ण जीवन की कामना करते रहेंगे ।

मोहर:—
उ० प्र० गन्ना वि० कामदार संघ
मु० बैतालपुर, पो० बैतालपुर,
जनपद देवरिया ।

हम हैं
आपके विश्वास पात्र,
ह० चन्द्रभान सिंह यादव
आयुर्वेदिक शास्त्री,
प्रधान मंत्री,
उत्तर प्रदेश गन्ना विकास कामदार संघ ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(१) राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
(२) समस्त मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश ।
(३) समस्त विधायक, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
(४) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

(क) इन दुर्घटनाओं में सन् १९६० में ५२९ तथा सन् १९६१ में ७११ व्यक्तियों की जाने गई ।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार सन् १९६० में ४,१५० रुपये का नुकसान हुआ । इसके अतिरिक्त ३ सरकारी बसों को क्षति पहुंची । सन् १९६१ में ५,१२० रुपये का नुकसान हुआ । १५ मोटर गाड़ियों, ३ बिजली के खम्भों, एक क्वार्टर की दीवालों तथा रेलवे के १ फाटक को क्षति पहुंची ।

(ग) सन् १९६० में १,०२७ मुकदमे तथा सन् १९६१ में १,१५२ मुकदमें चलाये गये ।

(घ) सन् १९६० में ६५३ मुकदमों में तथा सन् १९६१ में ५२७ मुकदमों में सजा हुई । प्राप्त सूचना के अनुसार कम से कम १ सप्ताह की तथा अधिक से अधिक ४ वर्ष कठोर कारावास की सजा हुई । किसी किसी मुकदमें में अभियुक्त भर्त्सना के पश्चात् छोड़ दिये गये । कुछ मुकदमों में आर्थिक दंड भी दिया गया । कम से कम १० रुपया और अधिक से अधिक ८५० रुपया ।

(ङ) मोटर गाड़ियों का एक दूसरे से टक्कर हो जाना, मोटर गाड़ियों तथा बैल गाड़ियों में टक्कर हो जाना, मोटर गाड़ियों में तथा तांगों, इक्कों तथा साइकिलों में भिड़न्त ।

सवारी गाड़ियों द्वारा राहगीरों को धक्का लगना ।

विधान सभा दुर्ग

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

उन पुलिस थानों की सूची, जहां सर्किल इन्सपेक्टर्स को थाना इंचार्ज बनाया गया है—

जिला	पुलिस थानों के नाम
१	२
आगरा रेंज—	
आगरा	कोतवाली
	छट्टा
	हरिपर्वत
	फीरोजाबाद
अलीगढ़	कोतवाली
	हाथरस
	सिकन्दरा राव
मथुरा	कोतवाली
	कन्नौज
इटावा	कोतवाली
	औरइया
एटा	कोतवाली
	कासगंज
मैनपुरी	कोतवाली
	शिकोहाबाद
मेरठ रेंज—	
मेरठ	कोतवाली
	गाजियाबाद
	हापुड़
	मोदीनगर
सहारनपुर	कोतवाली
	सदरबाजार
	हरिद्वार
मुजफ्फरनगर	कोतवाली
	शामली
बुलन्दशहर	कोतवाली
	खुरजा
देहरादून	कोतवाली
बरेली रेंज—	
बरेली	कोतवाली
	किला
	बारादरी
मुरादाबाद	कोतवाली
	अमरोहा
	चन्दौसी
	सम्भल
बिजनौर	कोतवाली
	नजीबाबाद
शाहजहांपुर	कोतवाली
	तिलहर
नैनीताल	हल्द्वानी
रामपुर	कोतवाली
पीलीभीत	कोतवाली
बदायूं	कोतवाली
कानपुर रेंज—	
कानपुर	कोतवाली
	कलक्टरगंज
	सीसामऊ
इलाहाबाद	कोतवाली
	कर्नलगंज
	कर्निगटन
फतेहपुर	कोतवाली
जालौन	कोतवाली
गोरखपुर रेंज—	
गोरखपुर	कोतवाली
	कैन्टोनमेंट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	पुलिस थानों के नाम
१	२
बहराइच	कोतवाली
	नानपारा
फैजाबाद	कोतवाली
	अयोध्या
लखनऊ रेंज--	
लखनऊ	चौक
	हजरतगंज
	कैसरबाग
बाराबंकी	कोतवाली
हरदोई	कोतवाली
	शाहाबाद

जिला	पुलिस थानों के नाम
१	२
उन्नाव	कोतवाली
सीतापुर	कोतवाली
वाराणसी रेंज--	
वाराणसी	कोतवाली
	दसासुमेध
	चौक
	भेलूपुरा
गाजीपुर	कोतवाली
बलिया	कोतवाली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

तालिका---अपराधों की घटनाएं

जिला		कत्ल	डकैती	राहजनी	अग्निकांड
जिला उन्नाव	..	२०	९	९	८
थाना बारा सगवर	..	१	१	१	–
थाना बिहार	..	१	–	–	१

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७८ पर)

दस्तनदाजी मुकदमों की संख्या जो १९५८ से १९६१ तक जिला नैनीताल में राय-सिक्खों के विरुद्ध कायम किये गये:

		मुकदमें
(१) धारा १४७/१४८ ता० हि०	.. ..	१५
(२) धारा ३९५/३९७ ,,	.. ..	५
(३) धारा ३९४ ,,	.. ..	१
(४) धारा ३९९/४०२ ,,	.. ..	१
(५) धारा ३०२/३०४,,	.. ..	८
(६) धारा ३०७ ,,	.. ..	४
(७) धारा ३६३/३६६/३६४,,	.. ..	४
(८) धारा ४५७ ,,	.. ..	१४
(९) धारा ३७९/३८० (रास)	.. ..	१४
(१०) धारा ३७९/३८२ (माल)	.. ..	२८
(११) धारा ४०८	.. ..	१
(१२) धारा २७८/३३७/३०४ ए	.. ..	३
(१३) धारा ३२४/३२५/३२६	.. ..	१९
(१४) धारा ३३२/३५३	.. ..	३
(१५) धारा ३५४	.. ..	१
योग	..	१२१

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ठ २७९ पर)

अंजुमन चपरासियान तथा अंजुमन हिमायत चपरासियान की ओर से अंजुमन के गतवार्षिक अधिवेशन में स्वीकृति प्रस्ताव और सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया हुआ है :—

प्रस्ताव	कार्यवाही
(१) वेतन में वृद्धि-द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति	अस्वीकार किया गया ।
(२) केन्द्रीय सरकार के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता किया जाना ।	अस्वीकार किया गया ।
(३) सदर और तहसील पर नियुक्ति चपरासियों के स्पेशल पे (Special pay) में भिन्नता का दूर करना ।	मामला सरकार के विचाराधीन है ।
(४) डेली भत्ता तथा सिटी एलाउन्स में वृद्धि ।	अस्वीकार किया गया ।
(५) तामीली समन ऐसी दशा में भी प्रासेस सरवर के काम में शुमार किया जाना जहां संबंधित मनुष्य की मृत्यु हो गई हो या वह समन लेने से इन्कार कर दे या समन उसके किसी घर वाले को दे दिया जाय इत्यादि ।	मामला सरकार के विचाराधीन है ।
(६) चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों का स्थायी किया जाना ।	चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के स्थायीकरण पर जो प्रतिबन्ध हाल ही में लगाया गया था, वह उठा लिया गया है ।
(७) चपरासियों से घरेलू काम अथवा बेगार लिये जाने की मनाही ।	चपरासियों से घरेलू काम अथवा बेगार न लेने के आदेश गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स के नियम ३० तथा मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के पैरा ८७५ में दिए हुए हैं । जब कोई इस प्रकार की शिकायत सरकार के पास आती है, उस पर उचित कार्यवाही की जाती है । यह विचाराधीन है कि और कोई आदेशों की आवश्यकता है या नहीं ।
(८) चपरासियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध ।	अस्वीकार किया गया ।

प्रस्ताव	कार्यवाही
(९) चपरासियों को हाई स्कूल परीक्षा से मुक्त करके उनके लिए राज्य सरकार के अधीन मिनिस्टीरियल पदों में २५ प्रतिशत पदों का संरक्षण ।	अस्वीकार किया गया ।
(१०) चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारियों को वर्दी देने का प्राविधान ।	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में जमादार, चपरासी, दफ्तरी, फर्रास, भंगी, चौकीदार, बढ़ई, ठेलेवाला, माली इत्यादि आते हैं। इनमें से सबको वर्दी न तो दी जाती है और न आवश्यकता ही है ।
(११) चपरासियों के लिए सरकारी क्वार्टरों का प्रबन्ध ।	चपरासियों के लिए बहुत से विभागों में क्वार्टरों की व्यवस्था है, बहुत सी जगह नहीं है । प्रदेश भर के चपरासियों के लिए सरकारी क्वार्टर बनाना शासन के लिये सम्भव नहीं है ।
(१२) पर्वतीय जिलों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हिल एलाउन्स, विंटर एलाउन्स और तराई भत्ता की व्यवस्था ।	अस्वीकार किया गया ।

विधान परिषद

नत्थी 'ण'

(देखिये तारां कित प्रश्न ९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८३ पर)

RATE FOR SUPPLY OF ELECTRICAL ENERGY FROM RIHAND

A—Supply at Medium and Low Voltage

1. **Domestic Services (L. & F.)**—
   35 nP. per unit (net).
2. **Domestic Services (Power)**—
   19 nP. per unit (net).
3. **Street Lighting**—
   35 nP. per unit (net).
   Lamp replacement at cost+15 per cent supervision.
4. **Small Power** (Up to 20 K. W. load)—
   First 150 units per B. H. P. per month at 12.5 nP. per unit (net).
   Remainder at 11.0 nP. (net).
5. **Medium Power**—(20 to 100 Kw. load)—
   First 200 units per Kw. per month at 11.5 nP. (net).
   Remainder at 10.0 nP. (net).
6. **State Tube-well and Pumping Schemes**—
   Rs. 150 per B. H. P. per year+5.5 nP. per unit (net).
7. **Mixed Loads**—(For loads up 100 Kw.)—
   First 10,000 units per month at 17.0 nP. per unit (net).
   Next 20,000 units per month at 14.0 nP. per unit (net).
   Remainder 20,000 units per month at 11.0 nP. per unit (net).

B—Supply at High Voltage (11,000 volts)—

(NOTE—These rates are for supply at 11 K. V. If, in a particular case, the supply is made available at a voltage lower than 11 K.V. and additional charge of 7½ per cent on the total amount of the bill will be levied. If, on the other hand the supply is made available at a voltage higher than 11 K.V. a discount of 5 percent on the total amount of the bill will be allowed.)

1. **Large Power** (100 to 500 K. V. A. Load)—
   (i) *Demand charge*—
   Rs. 8.00 per K. V. A. of billable demand per month

   Plus

   (ii) *Energy charge*—
   First 170 units/K. V. A. billable demand/month @ 4.0 nP. per unit (net).
   Next 170 " @ 3.5 " " "
   Remainder " @ 3.0 " " "

2. **Heavy Power** (Above 500 K. V. A. Load)—

(i) *Demand charge*—

First 500 K. V. A. of billable demand/month at Rs. 8.00 per K. V. A./month.

Next 1,500 K. V. A. of billable demand/month at Rs. 7.50 per K. V.A/month.

Remainder 1,500 K. V. A. of billable demand/month at Rs. 7.00 per K. V. A./month.

Plus

(ii) *Energy charge*—

First 170 units/K V. A. of billable demand/month at 3.5 nP. (net).

Next 170 units/K. V. A. of billable demand/month at 3.0 nP. (net).

Remainder 170 units/K. V. A. of billable demand/month at 2.5 nP. (net).

3. **Bulk Supply to Licenses (Re-Sale)**—

(i) *Demand charge*—

First 500 kW. of billable demand at Rs. 15 per kW. per month.

or First 588 K. V. A. of billable demand at Rs. 12.75 per K. V. A. per month.

Next 1,000 kW. of billable demand at Rs. 12 per kW per month.

or Next 1,175 K. V. A. of billable demand at Rs. 10.2 per K. V. A. per month.

Over 1,500 kW. of billable demand at Rs. 10 per kW. per month.

or Over 1,763 K. V. A. of billable demand at Rs. 8.50 per K. V. A. per month.

Plus

(ii) *Energy charge*—

First 200 units per kW. of demand/month at 4.0 nP. net.

Next 200 units per kW. of demand/month at 3.3 nP. net.

Remainder 200 unis per kW. of demand/month at 2.5 nP. net.

4. **Mixed Loads**—(Above 100 kW. Load)—

(i) *Demand charge*—

Full billable demand at Rs. 15 per kW. per month.

Plus

(ii) *Energy charge*—

All Consumption at 3.0 nP. per unit.

NOTE—(1) The *tariffs* A(6), B(1), B(2), B(3) and B(4) shall be subject to a coal price adjustment at .001 nP. for every naya paisa of variation in the average price of Rs. 38 per Tonne of coal delivered during the financial year at the bunkers in the Gorakhpur and Mau Generating Stations. This clause will come in force from the 1st April of the financial year following that during which the Mau and Gorakhpur Power Stations are inter-connected with the Rihand Grid.

(2) All the *tariffs* are subject to levy of duty or other form of surcharge which may be imposed from time to time by the state Government.

(3) These rates are for single point delivery and supply at each point and each voltage shall be separately metered and billed.

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५२–१५३ के उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

अधिकारियों के नाम—

१—श्री विष्णु सहाय, आई० सी० एस०
२—श्री सुचासिंह खैरा, „
३—श्री भगवान सहाय, „
४—श्री सैयद सिद्दीक हसन, „
५—श्री काशीनाथ रघुनाथ डामले „
६—श्री धर्मबीरा „
७—श्री शंकर प्रसादा, „
८—श्री वेंकटा विश्वनाथन, „
९—श्री मनोहर रामचन्द्र भिडे, „
१०—श्री रामेश्वरप्रसाद भार्गव, „
११—श्री सौरीराजन रंगानाथन आई०सी०एस
१२—श्री पी०ए० गोपालकृष्णनन, „
१३—श्री ए०डी० पंडित, „
१४—श्री शलेंद्रनाथ मित्रा, „
१५—श्री कालकाप्रसाद भार्गव, „
१६—श्री ब्रिजकुमार नेहरू, „
१७—श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, „
१८—श्री बी०जी० राव, „
१९—श्री हरीशचन्द्र गुप्त „
२०—श्री टी० स्वामीनाथन, „

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६० पर)

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में लघु उद्योग धंधों के निमित्त वितरित किये गये ऋण की वर्षवार सूची

क्रम-संख्या	उद्योग कर्ता का नाम व पता	धनराशि	उद्योग का नाम
	१९५८-५९		
१	श्री त्रिभुवन नाथ तिवारी, मड़ियाहू, जौनपुर	१०,०००	ऊनी बालोन
२	श्री नूर मोहम्मद मदानी ,, ,,	८,०००	टायर रीट्रीडंग
	योग ..	१८,०००	
	१९५९-६०		
१	श्री राजकिशोर तिवा[illegible]	१,०,०००	ऊनी कालीन
२	श्री दलसिंगार तिवारी पुत्र श्री चंद्रिका तिवारी, ग्राम जयमालपुर	५,०००	ऊनी कालीन
३	श्री बसंतलाल पुत्र श्री जयश्रीराम, ग्राम शीतलगंज	२,०००	गुड़ खंडसारी
४	श्री मुर्तजा हुसैन पुत्र श्री जहूर	३,०००	ऊनी कालीन व कम्बल
५	श्री शेख कुतुबुद्दीन पुत्र श्री शेखअली मोहम्मद, ग्राम शेखपुर।	५,०००	ऊनी कालीन
६	श्री राजाराम गुप्ता पुत्र श्री मोतीलाल, ग्राम जमालपुर	५,०००	बोन मिल
७	श्री कैलाशनाथ पुत्र मुनिश्चरराम, ग्राम रामपुर	२,०००	कंकर चूना
	योग	३,०००	
	१९६०-६१		
	निल		

क्रम-संख्या	उद्योग कर्त्ता का नाम व पता	धनराशि	उद्योग का नाम
१९६१-६२			
१	श्री तुफैल अहमद पुत्र श्री मुकर्रम, गोपालपुर	५,०००	ऊनी कालीन
२	श्री जयदेव सिंह पुत्र श्री महादेवप्रसाद, ग्राम जमालपुर	५,०००	ऊनी कालीन
३	श्री फैयाजु हुसैन पुत्र श्री महमूद, ग्राम शेखपुर, डा० गोपालपुर	५,०००	ऊनी कालीन
४	श्री गंगा प्रसाद पुत्र श्री बद्रीप्रसाद	२,०००	टाटपट्टी बनाना
५	श्री हीरालाल पुत्र श्री सरजू प्रसाद, ग्राम सहवारबाजार, डा० निगोह	२,०००	गुड़ खंडसारी
६	श्री बाबूराम पुत्र श्री सीताराम, काजीयाना	३,०००	ऊनी कालीन
७	श्री कैलाश नाथ यादव पुत्र श्री मुनेश्वर यादव, ग्राम रामपुर	२,०००	चूना मिट्टी
	योग	२४,०००	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८० का उत्तर पीछे पृष्ठ २९३ पर)

तालिका

जिन जगहों में गन्ना विकास मंत्री का मुरादाबाद जिले के दौरों के संबंध में प्रोग्राम हुआ

१—अमरोहा २—नौगावां सादात ३—कोठी खिदमतपुर ४—कांकर सराय ५—दीपपुर ६—मूढ़ा सैठी ७—सहसपुर ८—सलेमपुर ९—गढ़ी १०—कांठ	परगना अमरोहा, जिला मुरादाबाद
११—मुरादाबाद १२—अगबानपुर १३—दादूपुर	परगना मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद
१४—संभल १५—सिरसी १६—लल्लू सराय १७—आशा नगरी	परगना संभल, जिला मुरादाबाद
१८—खाद गूजर १९—बछरांव २०—हसनपुर	परगना हसनपुर, जिला मुरादाबाद
२१—चन्दौसी २२—बिलारी	परगना बिलारी, जिला मुरादाबाद

संसद विधान सभा

नत्थी 'ध'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में उल्लिखित अध्यापकों की सूची जिन्हें अभी आनरेरियम नहीं मिल पाया है

नाम	धनराशि
१— श्री कुलदीप चौबे	६.००
२— ,, सहादत अली	७.४९
३— ,, जै प्रकाश राय	६.७५
४— ,, भद्रसेन मिश्रा	४.५०
५— ,, कपिलदेव दुबे	६.२५
६— ,, कुलदीप	१०.००
७— ,, राम कुंवर सिंह	५.६२
८— ,, कल्पनाथ राम	७.५०
९— ,, कोमल राय	३.७५
१०— ,, दयानन्द	७.५०
११— ,, रामधारी पांडे	५.६२
१२— ,, केदार पांडे	७.५०
१३— ,, ननकू राम	५.६२
१४— ,, सीता राम सिंह	७.५०
१५— ,, छित्तन खां	६.२५
१६— ,, राम कुमार सिंह	९.३७
१७— ,, झिनक	१२.५०
१८— ,, सीताराम सिंह, बकावल	२५.००
१९— ,, सीताराम सिंह, भवनाथपुर	७.५०
योग ..	१५२.२२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'न'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

श्रीमान् पुलिस कप्तान साहब,
जिला आजमगढ़ ।

सेवा में,

निवेदन है कि मैं प्रार्थी करिया यादव साकिन अकोल्ही, थाना घोसी के अन्तर्गत का निवासी हूं । मेरा लड़का शंकर है आज से लगभग डेढ़ माह हुआ हल्के का सिपाही गांव के चौकीदार के साथ मेरे दरवाजे आया । उसका नाम मैं नहीं जानता हूं जो जात का अहीर है कहे कि तुम्हारे लड़के शंकर की शिकायत है थानेदार साहब के पास ले जाऊंगा वरना मामले को तय कर डालो नहीं तो थानेदार से बुरी तरह परेशान कराऊंगा ये धमकाते हुये सिपाही वापस चला गया ।

फिर दुबारा आज से करीब ७ व ८ रोज करीबन हुआ फिर वह सिपाही एक और सिपाही के साथ आया और गांव के एक आदमी सूबेदार सिंह को पकड़ कर थाने तक ले गये थाने पर से फिर किसी तरह छोड़ दिये। उसी दिन हमारे दरवाजे पर आकर हमसे कहे कि शंकर को बुला दो मैं थाने पर ले जाऊंगा मैंने कहा कि इस वक्त शंकर अमीन के साथ कछार में पैमाइश में है सिपाहियों ने कहा कि हम लोगों से तुम मामले को तय कर लो नहीं तो पकड़ कर ले जाऊंगा और ज्यादे से ज्यादे रुपया खर्च कराऊंगा तथा परेशान कराऊंगा ये धमकाते चले गये गांव के कुछ लोगों से आपसी झगड़े की वजह से रंजिस है इस कारण परेशान कराना चाहते हैं।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त घटना की जांच कर उचित कार्यवाही कराई जाय कि हम प्रार्थी की अमन आमान में खलल न पैदा हो।

प्रार्थी,
करिया यादव,
नि० अं०
करिया यादव

सा० अकोल्ही,
थाना घोसी,
जिला आजमगढ़
१६-३-६२

१—पहली प्रति कप्तान साहब
२—दूसरी प्रति रामसुन्दर पांडेय, एम०एल०ए०

नत्थी 'प'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

प्रश्न संख्या १८ में उल्लिखित विवरण

१-४-६२ से १-८-६२ तक प्राप्त हुई शिकायतें	स्थायी संराधन बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही
१—अधिकारी वर्ग ने अवैधानिक रूप से ८५ कर्मचारियों की छटनी कर दी है। २—कर्मचारियों को ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है ३—कर्मचारियों से अवैधानिक रूप से प्रतिदिन अथवा प्रति सप्ताह अनियमित घंटों तक कार्य लिया जाता है।	यह ४ शिकायतें स्थायी संराधन बोर्ड द्वारा एक विवाद के रूप में स्वीकार की जा चुकी हैं और इन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
४—कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी नहीं मिलती है।	
५—श्री बनारसीदास श्रीवास्तव को अवैधानिक रूप से नौकरी से निकाल दिया गया है।	यह शिकायत भी एक विवाद के रूप में स्वीकार कर ली गई है और प्रबन्धक वर्ग से आवश्यक स्पष्टीकरण मांगा गया है।
६—प्रबन्धक वर्ग कर्मचारियों से नई ज्वाइनिंग रिपोर्ट मांग रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों में यह भय उत्पन्न हो गया है कि संबंधित कागज नष्ट कर दिये गये हैं और इससे उनकी सिक्योरिटी का पैसा, प्रावीडेंट फंड आदि सभी को नुकसान होने का अंदेशा है।	इस शिकायत के संबंध में स्थायी संराधन समिति के विषयज्ञ सहायक ने प्रबन्धकवर्ग से बात की तो प्रबन्धकवर्ग ने कहा कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट संबंधी आदेश वह वापस ले लेंगे और यह भी कहा कि कर्मचारी अपनी नौकरी के रिकार्ड को देख सकता है।
७—प्रबन्धकवर्ग ने नई दुग्ध वितरण की प्रणाली को बिना कार्य परिषद् में पारित किये ही लागू कर दिया है।	यह प्रश्न नई कार्य परिषद् को पुनर्विचार के लिये भेज दिया गया है।
८—प्रबन्धकवर्ग कर्मचारियों की तनख्वाह से खेल-कूद के नाम पर हमेशा पैसा काटता है, जिसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है।	इस संबंध में प्रबन्धकवर्ग से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

नत्थी 'फ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

श्री योगेंद्र प्रसाद (बहरैची ने उक्त प्रार्थना-पत्र में यह आरोप लगाये थे कि प्रार्थी के नाम के एक अन्य व्यक्ति का अपराध, जो ५० वर्ष पहले सजा पा चुका था, जालसाजी करके प्रार्थी के नाम पर जोड़ दिया गया और इस प्रकार से थाना रौनापा के भूतपूर्व थानेदार श्री राम नरेश सिंह और अशफाक अहमद ने प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाकर थाने के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करके अपमान किया ।

२—उक्त प्रार्थना-पत्र को डी०आई०जी० ने एस०पी०, आजमगढ़ के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया । उक्त आरोपों के विषय में जांच की गई जिससे यह पता चला कि एस० आई०, श्री राम नरेश सिंह, जिन्होंने प्रार्थी का खाका हिस्ट्री शीट बनाया था, के द्वारा इस बात की मौके पर पूरी तरह से जांच नहीं की गई थी कि धारा ४०८ भा०दं० वि० के अन्तर्गत जिस व्यक्ति को सजा मिली थी वह प्रार्थी के ग्राम के दूसरे बहरैची थे। अतएव उनके विरुद्ध bad Conduct की नोटिस भेजी जा चुकी है, जिसका उत्तर प्राप्त होने पर उन्हें दंडित किया जायेगा।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

विवरण

गतवर्ष मोहर्रम की ९वीं तिथि को सर्किल इंस्पेक्टर तहसीलदार तथा थानाध्यक्ष ने ताजियादारों के साथ कस्बे का एक चक्कर लगाया तथा रास्ते में जितने भी पीपल, नीम, बेल आदि के वृक्ष थे सभी की टहनियां कटवा डाली गई, केवल एक बरगद का वृक्ष काटने से रह गया था क्योंकि इसकी टहनिया मार्ग नहीं अवरोध करती थी, इसको ताजियादारों ने भी स्वीकार किया था और यह सोचा गया था कि यदि टहनियां मार्ग अवरोध करेगी तो उन्हें रस्सी से बंधवा दिया जायगा। इस प्रकार ९ वीं तिथि को भी जुलूस सुगमता से निकल गया। किन्तु दिनांक २४-६-६१ के ही ११ बजे रात में ताजियादारों ने इस बरगद की टहनियां बिना काटे ताजिया निकालने में आपत्ति प्रगट की। इस पर तहसीलदार ने उन टहनियों को रस्सी से बंधवा कर खींच कर मार्ग अवरोध समाप्त कर दिया फिर भी ताजियादारों ने बिना टहनियां काटे ताजिया निकालने में आपत्ति प्रकट की। किन्तु इस मामले को लेकर सांप्रदायिक संघर्ष हो जाने के भय से उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। बिना किसी टहनी के काटे ही ताजिया सुगमतापूर्वक निकल सकता था। अतः उन्हें पुनः ताजिया निकालने के लिये कहा गया किन्तु ताजियादारों ने ऐसा करने में आपत्ति प्रकट की और इस प्रकार ताजिया करबले तक नहीं गई।

२८-६-६१ को जिलाधीश व आरक्षी अधीक्षक भी मौके पर गये और ताजियादारान की मांग नाजायज पाई गई। बरगद की शाखें रस्सी से बांध दी गई थी और ताजिया आसानी से गुजर सकते थे उसके बाद ताजियेदारान अपने ताजिये निकाल ले गये।

किन्तु इसी झगड़े के कारण विगत वर्ष में पचपेड़वा बाजार में चेहल्लुम का जुलूस नहीं निकाला गया तथा इसी कारण इस वर्ष भी मुहर्रम में ताजिये और चेहल्लुम का जुलूस नहीं निकाला गया।

नत्थी 'भ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर)

सन् १९५७ से सन् १९६१ तक फतेहपुर जिले की निम्नलिखित समितियों की उनके सामने अंकित अनुदान तथा ऋण दिया गया ।

क्रम-संख्या	समिति का नाम	अनुदान रु०	ऋण रु०
१	फतेहपुर करघा कोआपरेटिव सोसायटी लि०, फतेहपुर ..	४३०	७२०
२	सर्वोदय विद्यामंदिर सहकारी समिति लि०, विरनई, फतेहपुर ..	४,२१४	..
३	जिला गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, फतेहपुर	३,७३०	..
४	मुराऊं करघा कोआपरेटिव सोसायटी लि०, मंदरी ..	४,७५९	..
५	करघा बुनकर उद्योग सहकारी समिति लि०, चिल्ली, फतेहपुर ..	..	४६८.७५
	योग ..	१३,१३३	१,१८८.७५

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'म'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०१ पर)

तालिका

दिनांक	हत्यायें	डकैती		चोरियां नकबजनी		
		हत्या रहित	हत्या सहित	मवेशियों की चोरियों को छोड़कर		मवेशियों की चोरियां
				नकबजनी	चोरियों	
१-१-६१ से ३०-६-६१	१६	४	२	२४५	१९१	७३
१-१-६२ से ३०-६-६२	१४	८	—	२९३	२६३	१२३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'य'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०२ पर)

तालिका

किस्म रिपोर्ट	थाना	तादाद रिपोर्ट जो लिखी गई	तादाद रिपोर्ट जिनकी जांच हुई	तादाद जो अदालत में भेजे गय
१	२	३	४	५
दस्तन्दाजी ..	महमूदाबाद ..	८१	७१	२४
	थानगांव ..	७३	७१	३२
	सदरपुर ..	८६	७४	५१
गैर दस्तन्दाजी ..	महमूदाबाद	२८०	—	—
	थानगांव ..	२६४	—	—
	सदरपुर ..	१४३	—	—

सत्यमेव जयते विधान सभा

नत्थी 'र'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०७ पर)

विवरण—१

क्रमांक	नाम कर्मचारी व पद	समय जिसका वेतन नहीं दिया गया
१	२	३
१	श्री राम स्वरूप वर्मा, ग्राम सेवक ..	.. मई एवं जून, १९६२
२	श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी, ग्राम सेवक ..	.. मई एवं जून, १९६२
३	श्री अवधनारायण, ग्राम सेवक ..	.. मई १९६२ तथा ६—६—६२ तक।
४	श्री लक्ष्मी नारायण, ग्राम सेवक ..	.. जून, जुलाई १९६१

विवरण—२

क्रमांक	नाम कर्मचारी व पद	समय जिसका यात्रा भत्ता नहीं दिया गया
१	श्री गोकरणनाथ बाजपेयी, ग्राम सेवक ..	.. नवम्बर, ६१ से जुलाई, ६२
२	श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी, ग्राम सेवक ..	.. नवम्बर, ६१ से जुलाई, ६२
३	श्री बब्बन सिंह, ग्राम सेवक ..	.. फरवरी, ६२ से जुलाई, ६२
४	श्री के० डी० सचान, ग्राम सेवक ..	.. दिसम्बर, ६१ से जुलाई, ६२
५	श्री राजेश्वर सिंह, ग्राम सेवक ..	.. अप्रैल, ६२ से जुलाई, ६२
६	श्री अवधनारायण उपाध्याय, ग्राम सेवक	.. दिसम्बर, ६१ से जुलाई, ६२
७	श्री राम स्वरूप वर्मा, ग्राम सेवक ..	.. मई, ६२ से जुलाई, ६२
८	श्री रामनिधित्रिपाठी, ग्राम सेवक ..	.. नवम्बर, ६१ से जुलाई, ६२
९	श्री राम प्रताप, स्टाकमैन ..	.. दिसम्बर, ६१ से जुलाई, ६२
१०	श्री भीमशंकर बाजपेयी, एकाउन्टेन्ट ..	.. मार्च, ६२ से जुलाई, ६२
११	श्री राम विशाल सिंह, स्टोरकीपर ..	.. मार्च, ६२ से जून, ६२
१२	श्री सुक्खीलाल, पत्रवाहक ..	.. फरवरी, ६२ से जुलाई, ६२
१३	श्री गया प्रसाद, पत्रवाहक ..	.. जुलाई, ६२ से अगस्त, ६२
१४	श्री छोटे लाल पत्र वाहक ..	.. फरवरी, ६२ से जुलाई, ६२
१५	श्री राजा राम ड्राइवर ..	.. जनवरी, ६२ से जुलाई, ६२
१६	श्री देवी सहायक पत्र वाहक ..	.. जुलाई ६२ से अगस्त, ६२

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०८ पर)

मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट)	१
अधीक्षण अभियन्ता	३
अधिशासी अभियन्ता	७
सहायक अभियन्ता	१४

विधान सभा दर्शन

नत्थी 'व'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१० पर)

उत्तर

१०३—सचना विभाग द्वारा निम्नलिखित पत्रिकाएं प्रकाशित होती है :—

		१-९-६२ को पैड ग्राहक सं
१—"पंचायती राज्य" (१५ अप्रैल, १९६२ से) ..	हिन्दी पाक्षिक	४४७४
२—"त्रिपथगा"	हिन्दी मासिक	७५१
३—"उत्तर प्रदेश"	अंग्रेजी मासिक	२१७
४—"नया दौर"	उर्दू मासिक	५४५
५—"ग्राम्या"	हिन्दी साप्ताहिक (१ अप्रैल, १९६२ तक) ।	

इस विभाग से कोई त्रैमासिक अथवा वार्षिक पत्रिका नहीं प्रकाशित होती ।

वर्ष १९६१-६२ में निम्नलिखित पत्रिकाओं पर उनके सामने लिखे धन की हानि हुई :—

नाम पत्रिका	हानि
"ग्राम्या"	२१,४०१.५४ नये पैसे
"त्रिपथगा"	३३,४६९.९५ नये पैसे
"उत्तर प्रदेश"	११,१९६.८१ नये पैसे
"नया दौर"	१३,६४०.७५ नये पैसे

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'श'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३११ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का संशोधन विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनार्थ "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" को संशोधित करने के लिये,

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम।

२—"उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" प्रचलित होने के दिनांक से इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधनों के अधीन रहते हुये इस प्रकार प्रभावी होगा मानो यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित था : — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३ का संशोधन के साथ प्रभावी होना।

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे ऋण पर प्रवृत्त न होगी जो इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पूर्व शोधित हो चुका हो।

३—"उत्तर प्रदेश जमींदारों का ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" की धारा ४ में शब्द तथा कोष्ठक "जो डिक्री द्वारा भारित हो (charged under)" निकाल दिये जांय तथा शब्द "डिक्री द्वारा भारित सम्पत्ति" के स्थान पर "बन्धक की गयी सम्पत्ति" रख दिये जायें। — उत्तर प्रदेश "अधिनियम संख्या १५, १९५३ की धारा ४ का संशोधन।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

उद्देश्य तथा कारण

हाई कोर्ट ने १९५६ की निष्पादन प्रथम अपील (Excution First Appeal) संख्या ३५२ "ला० वसूमल तथा अन्य बनाम बशीर अहमद खां तथा अन्य" में दिनांक ५ अक्तूबर, १९६१ को दिये गये अपने निर्णय में यह बताया कि चूंकि यू० पी० इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट की धारा १४ के अधीन विशेष न्यायाधीश केवल धनराशि संबंधी डिक्रियां (simple money decrees) ही पास करता है इसलिये उत्तर प्रदेश जमीन्दारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ की धारा ४ के अधीन इन डिक्रियों की धनराशि को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह केवल ऐसी डिक्रियों पर लागू होती है जिनके अन्तर्गत कोई सम्पत्ति भारित (charged) हो। इससे उक्त अधिनियम का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अतएव, उच्च न्यायालय द्वारा बतायी गयी इस कमी को दूर करने के लिये यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

हुकुमसिंह विसेन,
राजस्व मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ष'

(देखिये पीछे पृष्ठ ११३ पर)

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति, विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय में लेटर्स पेटेन्ट अपीलों की समाप्ति की व्यवस्था करने को,

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षक नाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उच्च न्यायालय की परिभाषा।

२—इस अधिनियम में "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य यू० पी० हाई कोर्ट्स (अमल्गमेशन) आर्डर, १९४८ द्वारा यथा संघटित हाई कोर्ट आफ जूडिकेचर ऐट इलाहाबाद से है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय या दी गई आज्ञा के विरुद्ध की जाने वाली अपीलों की समाप्ति।

३—(१) ऐसे वाद या कार्यवाही से, जो चाहे इस अधिनियम के प्रचलित होने से पहले संस्थित अथवा प्रारम्भ की गयी हो या बाद में, उत्पन्न होने वाली ऐसी कोई अपील उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न की जा सकेगी जो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के उस निर्णय या आज्ञा के विरुद्ध हो जो उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा दी गयी डिक्री या आज्ञा के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके दी गयी हो, भले ही यू० पी० हाई कोर्ट्स (अमलेगमेशन) आर्डर, १९४८ के खंड १७ के साथ पठित दिनांक १७ मार्च, १८६६ के हर मेजेस्टी के लेटर्स पेटेन्ड के खंड १० में या किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, वे सब अपीलें जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक की ठीक पूर्व के दिनांक को उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों, वहां बनी रहेंगी और उनकी सुनवाई और निस्तारण उसी प्रकार पूर्ववत् किया जायगा, मानो यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो।

उद्देश्य और कारण

हाई कोर्ट के लेट्र्स पेटेन्ट के अधीन अपीलों के लिये उपबन्धों की व्यवस्था होने के कारण वर्तमान विधि के अनुसार बहुत अधिक संख्या में अपीलें होती हैं और इसके परिणामस्वरूप मुकदमा लड़ने वालों को असुविधा होती है और उनका रुपया खर्च होता है। इसके अतिरिक्त मुकदमों के अन्तिम निपटारे में भी विलम्ब होता है। अतएव इस विधेयक का अभिप्राय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के एक न्यायाधीश के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विरुद्ध लेटर्स पेटेन्ट अपीलों का अन्त करने के लिये व्यवस्था करने का है।

सैयद अली जहीर,
न्याय मंत्री।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'स'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ १९६२ से हुई क्षति का विवरण-पत्र १२-९-६२ तक अद्यतन सूचना के आधार पर बाढ़ तथा वर्षा से प्रभावित जिलों की क्षति के न्यूनतम आंकड़े निम्न हैं :—

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रभावित क्षेत्र-फल एकड़	प्रभावित गांव की संख्या	प्रभावित जन संख्या	जीव हानि		क्षति ग्रस्त तथा ध्वस्त मकानों की संख्या
					मनुष्य	पशु	
१	२	३	४	५	६	७	८
१	देहरादून	२०५	२	५१	—	—	—
२	सहारनपुर	५०४९	४	२०००	—	—	—
३	मुजफ्फरनगर	२८०	१२७	—	—	—	—
४	मेरठ	२२	१	१५०	—	—	—
५	एटा	५२००	३८	२८४३२	—	—	१३
६	बरेली	२३३९३	२२२	१२०६७	—	—	६४७
७	मुरादाबाद	११५००	४७	६०००	—	—	५०
८	शाहजहांपुर	२५०००	२००	२००००	—	—	२००
९	पीलीभीत	१३८४३	६५	४२८५	२	—	२१४
१०	इटावा	—	२६	६००	—	—	१२
११	कानपुर	१३७८०	२६३	—	१	—	११८५
१२	फतेहपुर	६०००	३५	१२०००	—	—	[illegible]
१३	झांसी	—	—	५००	—	—	८०
१४	जौनपुर	७४२५	१६५	—	—	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	प्रभावित क्षेत्र-फल एकड़	प्रभावित गांव की संख्या	प्रभावित जन-संख्या	जीव हानि		क्षति ग्रस्त तथा ध्वस्त मकानों की संख्या
					मनुष्य	पशु	
१	२	३	४	५	६	७	८
१५	बलिया	१८६०८३	६२८	२४५१००	—	७	१५७
१६	गोरखपुर	३७२७४४	१६४९	४९६८६४	८	२	१२८३३
१७	बस्ती	२८३८७७	२०८९	३०६१८७	२	१	४०४
१८	आजमगढ़	९७५०७	१९३	६००००	—	—	३४२
१९	देवरिया	४११७०३	१३५६	५२७१८८	१०	३	२७७६७
२०	गढ़वाल	४९	७	१४१	३	१	१२
२१	लखनऊ	१७४३९	९९	—	—	६	३५
२२	सीतापुर	११०५५२	४५६	७४९६६	१	६	२२५
२३	हरदोई	५००	१२	२१५०	—	—	८३
२४	खीरी	२६०००	५४	२१०००	१	१२३	९०
२५	फैजाबाद	६३६६३	११२	५६००	—	—	—
२६	गोंडा	१९३००७	२३७	१३८०००	—	—	१५४
२७	बहराइच	१०५९४४	२४४	५३८३८	—	—	—
२८	सुल्तानपुर	३७६२९	२३५	—	—	—	—
२९	बाराबंकी	१४२४८२	५५६	९४१३५	—	—	२५६
३०	चमोली	—	३	—	—	—	२
	योग	२१६०९०६	९१२७	२१,११,२५४	२८	१४९	४४८४९

नोट—अन्य २४ जिलों में बाढ़ नहीं आई या बाढ़ से कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश में व अति बृष्टि के लिये स्वीकृत की गई धनराशि का विवरण १२-९-६२ तक अद्यतन सूचना के आधार पर तथा अत्यधिक वर्षा के लिये स्वीकृत धनराशि के आंकड़े

क्रम-संख्या	जिले का नाम	अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण सहायता	अन्य सहायता कार्य	तकावी के लिये प्रदत्त धनराशि
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१	देहरादून	१,०००	१,०००	१०,०००
२	सहारनपुर	५,०००	५,०००	४०,०००
२	मुजफ्फरनगर	५,०००	५,०००	४०,०००
४	मेरठ	५,०००	५,०००	५०,०००
५	एटा	५,०००	५,०००	५०,०००
६	बरेली	२१,०००	५,०००	३०,००००० रु० रुहेलखंड के कमिश्नर को पूरे डिवीजन को दिया
७	मुरादाबाद	७,५००	५,०००	
८	शाहजहांपुर	५,०००	५,०००	
९	पीलीभीत	५,०००	५,०००	,,
१०	इटावा	५,०००	५,०००	४०,०००
११	कानपुर	५,०००	५,०००	८०,०००
१२	फतेहपुर	१,०००	१,०००	३०,०००
१३	झांसी	५,०००	५,०००	२७,०००
१४	जौनपुर	५,०००	५,०००	३५,०००
१५	बलिया	२२,०००	१४,०००	८१,५००
१६	गोरखपुर	४,१५,०००	१०,५,०००	११,७०,०००
१७	बस्ती	४०,०००	१०,०००	१,३८,०००
१८	आजमगढ़	१३,०००	५,०००	१,४२,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण सहायता	अन्य सहायता कार्य	तकावी के लिये प्रदत्त धनराशि
१	२	३	४	५
१९	देवरिया	३,८०,०००	१,१८,०००	७,५०,०००
२०	गढ़वाल	१,०००	१,०००	५०,००० रु० कुमायूं के कमिश्नर को पूरे डिवीजन के लिये दिया।
२१	लखनऊ	५,०००	७५,०००	८५,०००
२२	सीतापुर	२०,०००	५,०००	..
२३	हरदोई	५,०००	५,०००	१०,००,०००
२४	खीरी	८,०००	५,०००	४५,०००
२५	फैजाबाद	५,०००	५,०००	१८,७८४
२६	गोंडा	१९,०००	११,०००	२२,८४४
२७	बहराइच	१५,०००	५,०००	३६,८४४
२८	सुल्तानपुर	१७,०००	५,०००	३८,८४४
२९	बाराबंकी	१०,०००	१०,०००	५८,८४०
३०	चमोली	२,०००	१,०००	५०,००० रु० उत्तराखंड डिवीजन के कमिश्नर को पूरे डिवीजन के लिये दिया।
	योग ..	१०,५७,५००	४,४३,०००	३४,९०,१५६

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१७२ एल० ए०—१९६२—८४५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा